

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2020 सत्र

गुरुवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

तारांकित प्रश्नोत्तर

चित्रकोट वि. स. क्षेत्र के आंगन बाड़ी केन्द्रों की रंगाई पोताई

1. (*क्र. 729) श्री राजमन बेंजाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 में महिला एवं बाल विकास अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी भवनों की रंगाई-पोताई की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में, रंगाई पोताई का कार्य एजेसी के द्वारा किया गया है क्या इसके लिए निविदा बुलाई गई थी ? भवनों की पोताई की गुणवत्ता की जाँच किसने की और कार्य एजेसी को भुगतान किसके द्वारा किया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 539 आंगनबाड़ी भवनों में रंगाई पोताई किया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मरम्मत/रंगाई पोताई की स्वीकृति निरंक है. (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत/रंगाई-पोताई का कार्य स्थानीय स्तर पर कराया गया है. आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. राशि की सीमा को ध्यान में रखते हुए निविदा बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं है. बाल विकास परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षक के सत्यापन के आधार पर संबंधित व्यक्ति/एजेसी को राशि का भुगतान संबंधित बाल विकास परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया गया है.

राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग द्वारा भू संरक्षण हेतु कराये गये कार्य

2. (*क्र. 660) श्रीमती छन्नी चन्द्र साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से 30 नवंबर, 2020 तक भू संरक्षण हेतु कितनी-कितनी संख्या में किन-किन पंचायतों में चेक डेम, स्टॉपडेम एवं एनीकट का निर्माण कराया गया है ? स्थानवार, लागतवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" में कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं, तथा उक्त निर्माण से कितने हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जा सकती है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में 111 चेकडेम स्वीकृत किये गये हैं. स्थानवार, लागतवार, पंचायतवार एवं विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार स्वीकृत चेकडेम में से 88 पूर्ण एवं 23 अपूर्ण हैं. उक्त स्वीकृत कार्यों से लगभग 974.683 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है.

जल प्रबंध संभाग 3 रायपुर में सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था

3. (*क्र. 94) श्री सत्यनारायण शर्मा: क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल प्रबंध संभाग क्रमांक 3 रायपुर के अंतर्गत वर्तमान में कितनी जल उपभोक्ता संस्थाएं हैं ? (ख) वर्ष 2020-21 को खरीफ फसल की सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की क्या व्यवस्था की गई थी ? इस व्यवस्था में कितनी राशि व्यय की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नांश में वर्णित नाम से कोई कार्यालय कार्यरत नहीं है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

बस्तर के पोलावरम बांध के निर्माण कार्य से प्रभावित क्षेत्र

4. (*क्र. 586) डॉ. रेणु अजीत जोशी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोलावरम बांध के निर्माण कार्य की वर्तमान में क्या स्थिति है ? निर्माण कब तक पूर्ण होना अनुमानित है ? (ख) पोलावरम बांध के निर्माण की वजह से बस्तर के कौन से क्षेत्र प्रभावित होने का अनुमान है ? इन क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या निवास करती है ? (ग) क्या सरकार द्वारा पोलावरम बांध से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों के संदर्भ में अध्ययन किया गया है ? यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट में किन बातों को प्रमुखता से उजागर किया गया है ? प्रभावितों को नुकसान से बचाने सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) पोलावरम बांध परियोजना आंध्रप्रदेश में निर्मित होने वाली एक राष्ट्रीय परियोजना है. बांध निर्माण की अद्यतन स्थिति एवं पूर्णता के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है. (ख) पोलावरम बांध के निर्माण की वजह से रिड्यूस्ड लेबल 150 फीट पर बस्तर संभाग के सुकमा जिले के कोन्टा विकासखण्ड के 9 ग्राम क्रमशः बंजामगुड़ा, मेटागुड़ा, पेदाकिसोली, आसीरगुड़ा, इंजरम, फंदीगुड़ा, ढोढरा, कोन्टा एवं वेंकटपुरम के प्रभावित होने का अनुमान है. इन क्षेत्रों में निवास करने वालों की जनसंख्या 18510 है. (ग) इस परियोजना के संबंध में राज्य शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ राज्य के हितों की सुरक्षा हेतु याचिका प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है, अतः अध्ययन रिपोर्ट के तथ्यों को बताया जाना उचित नहीं है.

अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट फुड की सप्लाई

5. (*क्र. 367) श्री अनूप नाग : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में रेडी टू ईट फुड निर्माण हेतु कौन-कौन से समूह कार्यरत हैं ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ? रेडी टू ईट फुड निर्माण हेतु प्रत्येक माह समूहों को कितनी राशि का आवंटन होता है ? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत नगर पंचायत अंतागढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्र में जनवरी, 2020 से दिनांक 27-11-2020 तक हितग्राही को फफुन्द लगे रेडी टू ईट फुड वितरण करने की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उक्त शिकायत के विरुद्ध विभाग द्वारा संबंधित समूह के लिए क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त समूह को रेडी टू ईट फुड निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. रेडी टू ईट फुड निर्माण हेतु महिला स्व सहायता समूहों को राशि का आवंटन प्रदान नहीं किया जाता है. अपितु महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट फुड निर्माण/प्रदाय की गई सामग्री के भुगतान हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी को राशि आवंटित की जाती है. (ख) जी नहीं. अपितु समाचार पत्र (कांफेर संस्करण) में प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेते हुए जिला स्तर से जांच की गई जांच में प्रकाशित समाचार सही नहीं पाया गया. अतः संबंधित समूह के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरंक है. मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह मद्रासी पारा को जनवरी 2020 से 27-11-2020 तक कुल 1125925/- रुपये का भुगतान किया गया है.

जिला जांजगीर चांपा में कृषि यात्रिकीकरण सब मिशन योजना अंतर्गत ट्रैक्टर की खरीदी एवं प्रदत्त अनुदान

6. (*क्र. 685) श्री नारायण चंदेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में शासन द्वारा कृषि यात्रिकीकरण सब मिशन योजना अंतर्गत कितने कृषकों को ट्रैक्टर खरीदी में अनुदान से लाभान्वित किया गया है ? (ख) जिले में लाभान्वित किसानों की संख्या विकासखण्डवार प्रदान करें ? (ग) क्या किसानों को प्रदान किये गये ट्रैक्टर में मिलने वाली अनुदान की राशि में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) जी हां, प्राप्त शिकायत पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

शेखरपुर तथा डांडपानी वृहद सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण कार्य

7. (*क्र. 624) श्रीमती इन्दू बंजारे (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग के जशपुर जिला के अंतर्गत शेखरपुर वृहद सिंचाई परियोजना तथा डांडपानी वृहद सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु आवश्यक

स्वीकृति कब व किसके द्वारा प्रदान की गयी है ? (ख) उक्त दोनों योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु कितना-कितना व्यय कब-कब किया गया है ? (ग) उक्त दोनों योजनाओं में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य के पूर्व केन्द्रिय जल आयोग की सैद्धांतिक सहमति कब प्राप्त की गयी ? क्या केन्द्रिय जल आयोग के सैद्धांतिक सहमति के बिना विस्तृत सर्वेक्षण किया गया ? (घ) यदि हां, तो उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) सरगुजा संभाग के जशपुर जिला के अंतर्गत शेखरपुर तथा डांडपानी वृहद सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु शासन द्वारा क्रमशः दिनांक 31-01-2018 द्वारा रु. 703.949 लाख एवं दिनांक 30-01-2018 द्वारा रु. 892.48 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है. (ख) उक्त दोनों योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु व्यय की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में प्रकरण विचाराधीन होने के फलस्वरूप उक्त दोनों परियोजनाओं के सैद्धांतिक सहमति के प्रकरण केन्द्रिय जल आयोग में लंबित है तथापि कार्य विभाग मैन्युअल की कंडिका 2.026 एवं केन्द्रिय जल आयोग की 2017 की मार्गदर्शिका की कंडिका 3.1 के पालनार्थ योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य किया गया है. (घ) सर्वेक्षण कार्य नियमानुसार किए गए हैं, अतः प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है.

जिला बेमेतरा में दिव्यांगों हेतु सामग्री क्रय

8. (*क्र. 679) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बेमेतरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा नवंबर, 2020 तक दिव्यांगों हेतु शासन द्वारा प्रदाय किये जाने वाले ट्रायसायकल एवं श्रवण यंत्र तथा बैसाखी की खरीदी किस-किस फर्म से, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, किस माध्यम/आदेश से की गई ? सामग्रीवार, फर्मवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांक “क” के अंतर्गत क्रय सामग्री पर संबंधित फर्म द्वारा कितनी समयावधि की गारंटी/वारंटी दी गई एवं कितना भुगतान संबंधित फर्म को किया गया ? क्या निर्धारित समयावधि में सामग्री की आपूर्ति की गई थी ? प्राप्त सामग्री का सत्यापन एवं मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया था ? सामग्रीवार जानकारी देवे ? (ग) क्या सामग्री वितरण पश्चात् सामग्री की गुणवत्ता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) जिला बेमेतरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवम्बर 2020 तक दिव्यांगों के लिए क्रय की गई ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र एवं बैसाखी के विक्रेता, मात्रा, दर एवं माध्यम/आदेश की सामग्रीवार एवं फर्मवार जानकारी निम्न अंकित है :-

क्रमांक	सामग्री का नाम	फर्म का नाम	सामग्री की मात्रा	दर	क्रय का माध्यम/आदेश
1.	ट्रायसायकल	-	-	-	-
2.	श्रवण यंत्र	जे.पी. डूग्स, धनलक्ष्मी नगर	10	3000/-	सीधी खरीदी
3.	बैसाखी	मनपुरी रायपुर.	10	2,500/-	-,,-

(ख) सामग्री पर 12 माह की वारंटी दी गई है एवं फर्म को श्रवण यंत्र हेतु राशि रुपये 30,000/- तथा बैसाखी हेतु राशि रुपये 25,000/- कुल राशि रुपये 55,000/- भुगतान किया गया है. जी हां, निर्धारित समयावधि में सामग्री की आपूर्ति की गई है. प्राप्त सामग्री का सत्यापन एवं मूल्यांकन संबंधित जिला अधिकारी, समाज कल्याण द्वारा किया गया. (ग) सामग्री वितरण पश्चात् गुणवत्ता संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

बलौदा बाजार-माटापारा के जिलों में नहरों के रखरखाव/संधारण/मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत/व्यय राशि

9. (*क्र. 617) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलौदा बाजार-माटापारा के जल संसाधन संभाग को वर्ष 2017-18 से 30 नवंबर, 2020 तक की अवधि में नहरों के रखरखाव/संधारण/मरम्मत कार्यों हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई ? संभागवार, वर्षवार जानकारी देवे ? (ख) क्या विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों का इनफरमेटिव साईन बोर्ड कार्य के स्थान में लगाया जाना कार्य की स्वीकृति की शर्तों में अनिवार्य है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के 05 जल संसाधन संभागों को वर्ष 2017-18 से 30 नवंबर 2020 तक की अवधि में नहरों के रखरखाव/संधारण/मरम्मत कार्यों हेतु कुल रु. 17168.32 लाख की राशि स्वीकृत की गई तथा रु. 10808.52 लाख की राशि व्यय की गई. स्वीकृत व व्यय राशि की संभावना, वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों का इनफरमेटिव साईन बोर्ड कार्य के स्थान में लगाया जाना कार्य की स्वीकृति की शर्तों में अनिवार्य नहीं होता है.

जिला जशपुर में दिव्यांगजनों हेतु सामग्री क्रय

10. (*क्र. 489) **श्री विनय कुमार भगत :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जशपुर में वर्ष 2018-19 से 2020-21 में प्रश्नावधि तक दिव्यांगजनों को कौन-कौन से उपकरण उपलब्ध कराए गए ? उक्त उपकरणों का क्रय किस-किस संस्था/फर्म से किस माध्यम से कितनी-कितनी मात्रा में किया गया ? निविदा कब आमंत्रित की गई ? क्या-क्या दर थी ? कितना-कितना भुगतान किया गया, कितनी जी.एस.टी. की कटौती की गई ? संस्थावार वर्षवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांश “क” में कितने दिव्यांगजन लाभान्वित हुए ? विकासखण्डवार जानकारी देवे ? क्या सामग्री क्रय एवं वितरण में अनियमितता की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई अथवा विभाग की संज्ञान में आयी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

जिला राजनादगांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लाभ से वंचित कृषक

11. (*क्र. 721) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (रबी एवं खरीफ) के तहत राजनादगांव जिले में कितने ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा प्रीमियम जमा करने उपरान्त भी कृषकों को बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई ? बीमा लाभ से वंचित होने का मुख्य कारण क्या है ? (ख) उक्त अवधि में बीमा कंपनी द्वारा किये गये भुगतान का सत्यापन कब और किसके द्वारा किया गया व सत्यापन उपरांत कितने कृषक चिन्हांकित किये गये हैं, जिन्हें बीमा का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ? विकासखण्डवार वंचित कृषकों की जानकारी देवे ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

बिलासपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में आवंटित एवं व्यय राशि

12. (*क्र. 51) **श्री शैलेश पाण्डेय :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग में बिलासपुर जिले में 01 जनवरी, 2019 से 30 नवम्बर, 2020 तक कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित हुई ? कितना व्यय हुआ ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बिलासपुर जिले में 01 जनवरी, 2019 से 30 नवम्बर 2020 तक की योजनावार प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी ‡‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

अमानक दवाईयों तथा खाद के विक्रय की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

13. (*क्र. 656) **श्री शिवरतन शर्मा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा प्रदेश में खाद एवं फसलों में डाली जाने वाली दवाईयों हेतु किस-किस जिले में कितने-कितने लोगों/फर्मों को पंजीकृत किया गया है या लाइसेंस प्रदान किया गया है तथा इनके विक्रय हेतु अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया तथा योग्यता का मापदंड क्या है ? (ख) सत्र 2019-20 तथा 2020-21 में नकली

दवाईयों तथा अमानक बीज वितरण की कितनी शिकायतें विभाग को किन-किन के विरुद्ध प्राप्त हुई है तथा शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? (ग) बीज निगम द्वारा खराब बीज वितरण के कारण कितने किसानों को नुकसान हुआ है या नुकसान होने की कितनी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है तथा विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर है. (ख) वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में नकली कौटनाशक इवाईयों के वितरण की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है. वर्ष 2019-20 में अमानक बीज वितरण की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है. वर्ष 2020-21 में अमानक बीज वितरण शिकायत के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर है.

रायगढ़ जिले के केलो परियोजना की रूपांकित क्षमता

14. (*क्र. 737) **श्री प्रकाश शंकरजीत नायक :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में स्थित केलो परियोजना की कुल कितने हेक्टेयर रूपांकित क्षमता है ? (ख) प्रश्नांश “क” उत्तर में वर्णित सिंचाई परियोजना से वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में खरीफ फसल के लिए कुल कितने हेक्टेयर में वास्तविक सिंचाई क्षमता हेतु मुख्य नहर एवं माईनर नहर बनकर तैयार है ? शेष नहरों को निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ? कृपया पृथक-पृथक जानकारी दें ? (ग) केलो परियोजना से सिंचाई हेतु अनुबंधित रकबे में से रबी फसल हेतु किसानों को कितने रकबे में पानी उपलब्ध कराया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन परियोजना की कुल रूपांकित सिंचाई क्षमता 22810 हेक्टेयर है. (ख) प्रश्नांश “क” उत्तर में वर्णित सिंचाई परियोजना से वर्ष 2018-19 में 7000 हेक्टेयर, वर्ष 2019-20 में 9000 हेक्टेयर एवं वर्ष 2020-21 में 9000 हेक्टेयर खरीफ फसल के लिए वास्तविक सिंचाई क्षमता हेतु मुख्य नहर, शाखा नहर एवं माईनर नहर बनकर तैयार है. शेष नहरों का निर्माण कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण किया जाना संभावित है. नहरवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) परियोजना के रूपांकित सिंचाई में रबी सिंचाई का प्रावधान नहीं है.

प्रदेश में संचालित उद्योगों से लंबित जलभार की वसूली

15. (*क्र. 13) **श्री कुलदीप जुनेजा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15 नवंबर, 2020 की स्थिति में प्रदेश के उद्योगों से कितनी राशि जलभार वसूली हेतु लंबित है ? इस लंबित राशि के विरुद्ध प्रश्नाधीन अवधि तक कितनी राशि वसूल की गई है ? (ख) बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई ? राशि वसूली न होने की स्थिति में क्या जिम्मेदारी तय की गई है ? नहीं तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) दिनांक 15 नवंबर, 2020 की स्थिति में प्रदेश के उद्योगों से रु. 267606.96 लाख की जलभार राशि वसूली हेतु लंबित है. लंबित राशि के विरुद्ध प्रश्नाधीन अवधि तक कुल रु. 48201.96 लाख की वसूल की गई है. (ख) बकायादारों से राशि की वसूली हेतु समय-समय पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है. कुछ प्रकरणों पर राजस्व विभाग द्वारा आर.आर.सी. जारी कर वसूली की कार्यवाही भी की जा रही है.

दिव्यांगजनों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित योजनाएं

16. (*क्र. 671) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के दिव्यांगजनों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने कौन-कौन सी योजना संचालित हैं ? (ख) कंडिका “क” की योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए कितने दिव्यांगजनों ने आवेदन प्रस्तुत किया ? कितने के प्रकरणों पर स्व-रोजगार उपलब्ध कराये गये ? जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2020 की अवधि तक की जानकारी दें ? (ग) कंडिका “क” के तहत क्या शासकीय अनुदान/ऋण दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इसके लिए शासन के क्या-क्या निर्देश हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) प्रदेश के दिव्यांगजनों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ निःशुल्क वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण प्रदाय योजना संचालित है. (ख) कंडिका “क” के तहत जनवरी 2019 से 30 नवंबर, 2020 की अवधि तक कुल 150 दिव्यांगजनों ने आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें से 03 प्रकरणों पर स्व-रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये गये. (ग) हां. छत्तीसगढ़ निःशुल्क वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुदान/ऋण प्रदाय किये जाने के निर्देश परिशिष्ट † संलग्न है.

सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत गौठानों से गोबर खरीदी

17. (*क्र. 329) **डॉ. लक्ष्मी धुव** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने गौठानों में गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की जा रही है, और कितने में नहीं ? (ख) किन-किन गौठानों में गोबर खरीदी नहीं की जा रही है ? उनका नाम एवं कारण सहित संख्या बतावें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 56 गौठानों में गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की जा रही है और 25 गौठानों में नहीं की जा रही है. (ख) गोबर खरीदी नहीं किये जा रहे गौठानों का नाम एवं कारण की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

महिला बाल विकास में आंगनबाड़ियों केन्द्रों हेतु राज्य स्तर पर क्रय सामग्री

18. (*क्र. 675) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला बाल विकास विभाग में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आंगनबाड़ी हेतु राज्य स्तर से क्रय सामग्री का नाम, दर, राशि व प्रदायकर्ता का नाम बतावें ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार किन-किन सामग्री की आपूर्ति दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक नहीं हुई व कितने दिनों में प्रदाय की जानी थी ? जिलेवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है. (ख) 30 नवम्बर तक अप्राप्त सामग्री की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है. ई-मानक पोर्टल के अनुसार विलंबित सभी सामग्री के लिये प्रदाय अवधि 45 दिवस निर्धारित थी. कोविड-19 महामारी के कारण सीएसआईडीसी द्वारा 88 दिवस को प्रदाय के लिये शून्य दिवस घोषित किया गया. इस प्रकार कुल 133 दिवस में सामग्री प्रदाय किया जाना था.

विकासखण्ड खैरागढ़ एवं छुईखदान अंतर्गत रेडी-टू-ईट निर्माण की गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायतों की जांच

19. (*क्र. 734) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव के विकासखंड-खैरागढ़ एवं छुईखदान के अंतर्गत किन-किन एन.जी.ओ. एवं महिला स्वसहायता समूहों के विरुद्ध रेडी-टू-ईट निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें 1-1-2020 से 30-11-2020 तक की अवधि में प्राप्त हुई हैं ? (ख) उन शिकायतों की जांच कब-कब की गई है ? जांच में दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) राजनांदगांव जिले के विकासखंड खैरागढ़ एवं छुईखदान अंतर्गत किसी भी महिला स्व सहायता समूह के विरुद्ध रेडी टू ईट निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में दिनांक 01-01-2020 से 30-11-2020 तक की अवधि में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है. (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उद्यानिकी महाविद्यालय का प्रारंभ

20. (*क्र. 552) **डॉ. विनय जायसवाल**: क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय कब तक प्रारंभ करने की योजना है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय खोले जाने का वर्तमान में कोई योजना नहीं है.

धमतरी वि.स. क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना

21. (*क्र. 601) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धमतरी विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय एवं उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की योजना है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों महाविद्यालय हेतु वर्ष 2019-20 के मूल बजट में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो क्या महाविद्यालय संचालन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है ? (ख) क्या महाविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया एवं शिक्षण कार्य शुरू हो गई है ? यदि नहीं, तो शिक्षण कार्य किस शिक्षण सत्र से प्रारंभ किया जावेगा एवं महाविद्यालय हेतु किस-किस स्थान का चयन किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं था और न ही मूल बजट में शामिल किया गया था. वर्ष 2020-21 में धमतरी विधानसभा क्षेत्र में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने हेतु बजट में शामिल किया गया है. (ख) वर्तमान में उद्यानिकी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष हेतु छात्रों का भर्ती कर शिक्षण कार्य निकटस्थ कृषि महाविद्यालय कुरुद जिला धमतरी में प्रारंभ किया जा रहा है, उद्यानिकी महाविद्यालय हेतु ग्राम मथुराडीह, जिला धमतरी में स्थल चिन्हांकन किया गया है.

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

22. (*क्र. 447) **श्री किस्मतलाल नन्द** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ.ग. में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, कितने आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं ? किराये के भवन संचालित केन्द्रों हेतु शासन द्वारा शासकीय भवन कब तक बनाया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : राज्य में संचालित 51556 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र है. इनमें से 9052 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. अतः भवन निर्माण की निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है.

मुंगेली जिले अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों का बीमा

23. (*क्र. 693) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली जिला अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने कृषकों का बीमा किया गया है ? (ख) कितने कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुआवजा राशि दी गयी है ? कितनी लब्धित है ? कब तक मुआवजा राशि दी जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

कोसारटेडा सिंचाई परियोजना के प्रभावितों को अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान

24. (*क्र. 725) **श्री चंदन कश्यप** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के डुबान प्रभावित को अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान कब किया गया है ? (ख) अतिरिक्त मुआवजा राशि के संबंध में पुनर्वास समिति की बैठक में हुई सहमति के अनुसार अंतर की राशि रु. 694.00 लाख की स्वीकृति कब प्रदान की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नाधीन राशि की स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है.

सी. वीड के प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही

25. (*क्र. 688) श्री धरमलाल कौशिक : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी. वीड से संबंधित जांच में क्या इसे शासकीय धन का निरर्थक व्यय पाया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी वसूली की जा चुकी है, कितनी शेष है ? अधिकारीवार विवरण दें ? (ख) इसी प्रकरण से संबंधित कागजात में मंत्रालय से लेकर जिलों तक हेरफेर के प्रकरण कहां-कहां से संज्ञान में आये हैं ? कौन-कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उक्त प्रकरण में कितने अधिकारी आरोपी हैं ? कितनों पर निलंबन और विभागीय जांच की कार्यवाही की गई, और कितनों पर नहीं तथा क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. सी-वीड से संबंधित जांच में शासकीय धन का निरर्थक व्यय पाया गया है. अभी तक किसी भी अधिकारी से वसूली की कार्यवाही नहीं की गई है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) संचालनालय स्तर पर जांच के दौरान जिला-बेमेतरा के अभिलेखों में छेड़छाड़ किया जाना परिलक्षित होता है, जिसमें दोषी का निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) उक्त प्रकरण में आरोपित 30 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. जिसके परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

रायपुर नगर में संचालित गौशालाएं को प्रदत्त अनुदान

1. (क्र. 14) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर में कितनी गौशाला कहां-कहां संचालित हैं एवं इनका संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है तथा कितने-कितने पशु रखे गये हैं ? (ख) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्रश्नाधीन अवधि तक इन गौशालाओं को शासन द्वारा कितना-कितना अनुदान दिया गया है ? (ग) क्या शासन के निर्धारित अधिकारी गण यहां उपलब्ध सुविधा/व्यवस्थाओं का कमी निरीक्षण करते हैं यदि हां तो प्रश्नांक “ख” में उल्लेखित अवधि में कब-कब किया ? यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) रायपुर नगर में छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग में पंजीकृत एक गौशाला-महावीर गौशाला, कृष्ण कुमार मार्ग, मोहदापारा, रायपुर में संचालित है एवं इसका संचालन महावीर गौशाला ट्रस्ट स्वयं सेवी संस्था द्वारा किया जा रहा है तथा गौशाला में नवम्बर, 2020 की स्थिति में कुल 484 पशु रखे गये हैं. (ख) वर्ष 2019-20 में महावीर गौशाला रायपुर को राशि रुपये 10.61 लाख तथा वर्ष 2020-21 में प्रश्नाधीन अवधि तक निरंक राशि का अनुदान छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग द्वारा प्रदाय किया गया है. (ग) जी हां. शासन के निर्धारित अधिकारी गण यहां उपलब्ध सुविधा/व्यवस्थाओं का निरंतर निरीक्षण करते हैं. प्रश्नांक “ख” में उल्लेखित अवधि में किये गये निरीक्षण की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

दिव्यांग बच्चों की जनसंख्या तथा इनके शिक्षा हेतु विशेष शिक्षकों की व्यवस्था

2. (क्र. 26) श्री देवेन्द्र यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल दिव्यांग बच्चों की जनसंख्या कितनी है ? इनकी शिक्षा के लिए प्रदेश में कुल विशेष शिक्षक की नियुक्ति की गई है ? विशेष शिक्षक की उपलब्धता हेतु गार्ड्ड लाईन में क्या नियम है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चों का पृथक से गणना नहीं कराया गया है, अपितु जनगणना 2011 अनुसार 0 से 19 आयु वर्ग के कुल 152311 दिव्यांग व्यक्ति हैं. इनकी शिक्षा के लिए प्रदेश में कुल 323 विशेष शिक्षक नियुक्त हैं. विशेष शिक्षक की उपलब्धता हेतु गार्ड्ड लाईन में विशेष योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर/संबंधित संवर्ग में डिप्लोमा) होना अनिवार्य है.

बिलासपुर जिले के फसल बीमा से लाभान्वित कृषक

3. (क्र. 52) श्री शैलेश पाण्डे : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में कितने कृषक पंजीकृत हैं ? दिनांक 01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2020 तक फसल बीमा योजनांतर्गत कौन कौन सी फसलों में कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं ? रबी व खरीफ की कौन सी फसले बीमा योजना अंतर्गत नहीं आती है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : प्रदेश में कृषि फसलों हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है. प्रश्नाधीन अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत पंजीकृत कृषक एवं फसलवार लाभान्वित कृषक की जानकारी क्रमशः †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर है. फसल बीमा योजनांतर्गत अधिसूचित फसलों का ही फसल बीमा किया जाता है. खरीफ एवं रबी मौसम में योजनावार अधिसूचित फसल की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “स” पर है.

भाटापारा नहर निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति

4. (क्र. 95) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया ? इसकी प्रारंभिक प्रशासकीय स्वीकृति कितनी राशि की थी ? (ख) अभी तक इसमें कितना व्यय हो चुका है ? वर्तमान में इसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति कितने की है ? कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1977-78 में प्रारंभ किया गया था. उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार इसकी प्रारंभिक प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 3500.00 लाख की थी. (ख) अभी तक इसमें राशि रु. 26264.39 लाख व्यय हो चुका है. भाटापारा शाखा नहर प्रणाली को पुनरिक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, परन्तु इसके अनुसागिक पृथक-पृथक कार्यों हेतु रु. 88398.72 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है. स्वीकृत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने की संभावित तिथि 06/2022 है.

जिला जांजगीर चाम्पा में रेडी टू ईट का संचालन

5. (क. 117) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की (क) जिला जांजगीर में चाम्पा में रेडी टू ईट का संचालन किन समूह/संस्था द्वारा किया जा रहा है ? सेक्टर के नाम समूह के सहित बतायें ? उक्त समूह में से कितने समूह द्वारा अनुबंध की सीमा समाप्त होने के बाद भी संचालित कर रहे हैं ? समूह के नाम अनुबंध की समाप्ति दिनांक सहित बतायें ? (ख) जिला जांजगीर चाम्पा में 1 मार्च, 2019 से दिनांक 28-11-2020 तक रेडी टू ईट फूड संचालन हेतु कब-कब आवेदन आमंत्रण हेतु विज्ञापन जारी किया गया ? उक्त विज्ञापनों/आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई ? विज्ञापन वार बतायें ? (ग) प्रश्नांक “ख” के उत्तर में क्या उक्त विज्ञापन/चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) जी हां. विज्ञापन/चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायत की जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

जिला जांजगीर चाम्पा में उद्यानिकी विभाग को जिला खनिज न्यास संस्थान (डी.एम.एफ.) से प्रदत्त राशि

6. (क. 118) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर में उद्यानिकी विभाग को जिला खनिज न्यास संस्था (डी.एम.एफ.) से वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 28-11-2020 तक कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत/प्रदत्त की गई है ? वर्षवार बतायें ? (ख) क्या स्वीकृत राशि से सामग्री वितरण हेतु सामग्री क्रय की गई ? यदि हां तो कौन-कौन सी सामग्री किस-किस संस्था से किस दर पर क्रय की गई एवं क्रय करने की कौन सी प्रक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जी हां. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

अकलतरा वि. स. क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों की पोताई एवं जीर्णोद्धार

7. (क. 140) **श्री सौरभ सिंह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों की पोताई और जीर्णोद्धार का ठेका प्रति भवन कितनी लागत से अंतिम बार कब किस मद से किस-किस एजेंसी को दिया गया था ? दिनांक 20-11-2020 की स्थिति में बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : आंगनबाड़ी सेवायें अंतर्गत उपलब्ध निधि से अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के संधारण हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजना अकलतरा में प्रति आंगनबाड़ी भवन 6000 रुपये एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा अंतर्गत प्रति आंगनबाड़ी भवन 3000 रुपये के मान से संधारण/पोताई का कार्य कराया गया है. 20-11-2020 की स्थिति में आंगनबाड़ीवार विवरण ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है.

नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड

8. (क. 141) **श्री सौरभ सिंह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र सरकार द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मापदण्ड हैं ? (ख) उन मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में दिनांक 20-11-2020 तक कितने आंगनबाड़ी खोलने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ? कितनी स्वीकृति मिली और कितने प्रकरण लंबित है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेटिया) : (क) भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 14-1/2004-CD I (Vol. II) दिनांक 10-04-2007 के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित है :-

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्र

1.	400-800 जनसंख्या पर	-	1 आंगनबाड़ी केन्द्र
2.	800-1600 जनसंख्या पर	-	2 आंगनबाड़ी केन्द्र
3.	1600-2400 जनसंख्या पर	-	3 आंगनबाड़ी केन्द्र

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

1.	150-400 जनसंख्या पर	-	1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र
----	---------------------	---	--------------------------

आदिवासी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र

1.	300-800 जनसंख्या पर	-	1 आंगनबाड़ी केन्द्र
	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र		
1.	150-300 जनसंख्या पर	-	1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

(ख) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र शासन को नहीं भेजा गया है. शेष जानकारी निरंक है.

प्रदेश में खाद एवं बीज की आपूर्ति/खरीदी

9. (क्र. 168) **श्री अजय चंद्राकर** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 दिसम्बर, 2018 से 30 नवंबर, 2020 तक किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं/कंपनियों का खाद एवं बीज आपूर्ति हेतु पंजीयन कराया गया है तथा किन-किन नियम शर्तों के साथ कराया गया है ? इस अवधि में कितनी मात्रा में कौन कौन से किस्म के हाईब्रिड बीज किन-किन मदों से किनके-किनके द्वारा खरीदे गये ? नाम पता सहित बतायें? (ख) विगत 3 वर्षों में डीएमएफ (डिसिंट्रक मिनेरल फंड) मद से कितनी राशि के कौन कौन से प्रकार के हाईब्रिड बीज कितनी मात्रा में खरीदे गये ? वर्षवार बतायें? (ग) उक्त व्यक्तियों/संस्थाओं/कंपनियों में से कितने का पंजीयन किन कारणों से निरस्त किये गये ? तथा नकली खाद/बीज/कीटनाशक दवाई वितरण के संबंध में उक्त दिनांक तक कितने के प्रकरण दर्ज किये गये हैं और कितने के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ? व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम एवं संचालकों के नाम पता सहित बतायें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है.

गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी एवं भुगतान

10. (क्र. 169) **श्री अजय चंद्राकर** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोबर खरीदी (गोधन न्याय योजना) कब से शुरू की गयी ? दिनांक 01-12-2020 तक कितनी मात्रा में गोबर खरीदी हो गयी है ? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का अलग-अलग बतायें ? अब तक कुल कितनी राशि का भुगतान हो चुका है, और राशि किस मद से व्यय की गई है ? (ख) गोबर से खाद बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी और उसके लिये कितनी राशि कौन-कौन से मद से व्यय की गयी ? अब तक कितनी मात्रा में कितने मूल्य के खाद का विक्रय किया गया है ? (ग) गोबर की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये क्या-क्या व्यवस्था की गई है ? उस पर कितनी राशि कौन-कौन से मद से व्यय की गयी ? (घ) प्रति व्यक्ति से कितनी मात्रा में गोबर खरीदने के निर्देश शासन द्वारा हैं ? निर्देश से ज्यादा मात्रा में खरीदी पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) गोधन न्याय योजना दिनांक 20 जुलाई 2020 से शुरू की गयी है। दिनांक 01-12-2020 तक कुल 29.48 लाख विव. गोबर खरीदी की गयी है, जिसमें शहरी क्षेत्र से 5.37 लाख विव. एवं ग्रामीण क्षेत्र से 24.11 लाख विव. गोबर खरीदी की गई। कुल राशि रु. 5231.70 लाख का भुगतान किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विकास विभाग के गौठान संचालन मद से किया गया है। (ख) गोबर से खाद बनाने के लिए वर्मी टांका, वर्मी बेड, खुली वयारी आदि विधि अपनायी गयी है। वर्मी खाद संरचना निर्माण हेतु विभिन्न योजना यथा मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विलन सिटी, परम्परागत कृषि विकास योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत राशि रु. 6145.02 लाख का व्यय किया गया। अब तक उत्पादित खाद की मात्रा 14900.5 विव. है जिसमें से 5677.4 विव. के विक्रय से राशि रु. 46.02 लाख प्राप्त हुई है। (ग) गोधन न्याय योजना के निर्देशों के अनुरूप गौठान समितियों द्वारा मिलावट रहित अर्द्धटोस गोबर का क्रय किया जाता है। गोबर के गुणवत्ता नियंत्रण की कार्यवाही नहीं की जाती है अपितु गौठानों में क्रय किये गये गोबर के संधारण, एकत्रीकरण एवं उसके माध्यम वर्मीकम्पोस्ट सहित अन्य उत्पादों के उत्पादन/निर्माण में होने वाले व्यय का वहन गौठान समितियों द्वारा किया जाता है। (घ) प्रति व्यक्ति गोबर खरीदी मात्रा की सीमा निर्धारित नहीं है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं के लाभ हेतु नियम

11. (क. 208) **श्री गुलाब कमरो :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन का लाभ क्या वर्ष 2002 के गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम होने पर मिलता है ? अति गरीब, जरूरतमंद एवं बेसहारा नागरिकों का नाम यदि उक्त सर्वे सूची में नहीं है तो उन्हें पेंशन योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु क्या नियम बना है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : जी हां। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा सुखद सहारा योजना से लाभान्वित होने हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में नाम होना अनिवार्य है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं सुखद सहारा योजना अंतर्गत निर्देश दिनांक 28-04-2014 के पूर्व निराश्रित पात्रता के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। अति गरीब, जरूरतमंद एवं बेसहारा नागरिकों का नाम यदि उक्त सर्वे सूची में नहीं है तो सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 की सर्वेक्षण सूची के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों तथा नगरीय क्षेत्र के स्थिति में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित-घास का छत/छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा प्लास्टिक/पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवारों के वृद्ध, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना संचालित है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना में दिव्यांगजन सम्मिलित नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु चयनित हितग्राही

12. (क. 209) **श्री गुलाब कमरो :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु कितने हितग्राहियों का चयन किया गया ? (ख) प्रदेश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक शेलो ट्यूबवेल का लाभ कितने किसानों/हितग्राही को दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक वर्मी कम्पोस्ट इकाई बनाने हेतु राशि स्वीकृत नहीं थी। वर्ष 2018-19 में वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु राज्य के कुल 14612 हितग्राहियों का चयन किया गया। (ख) वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक कुल 15673 कृषकों को शेलो ट्यूबवेल प्रतिस्थापन से लाभान्वित किया गया। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	योग
लाभावित कृषक संख्या	3808	2971	3604	3047	2243	15673

उद्योगों द्वारा ग्राउण्ड वाटर के उपयोग की अनुमति

13. (क. 218) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के उद्योगों को बोर खनन, ग्राउण्ड वाटर के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने के क्या नियम हैं ? अनुमति राज्य सरकार देती है या केन्द्र सरकार या दोनों ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : उद्योगों को बोर खनन, ग्राउण्ड वाटर उपयोग की अनुमति के बाबत भारत सरकार के राजपत्र दिनांक सितंबर 24, 2020 के द्वारा प्रकाशित गाईड लाईन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. अनापत्ति प्रमाण पत्र केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा जारी किया जाता है तथापि उद्योगों हेतु ग्राउण्ड वाटर के उपयोग हेतु अनुमति, राज्य शासन द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन प्रदान की जाती है.

धमतरी जिले में तालाब निर्माण हेतु प्रदत्त अनुदान

14. (क. 303) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में मत्स्य पालन एवं उसके संरक्षण हेतु केन्द्रीय तथा राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में 31 अक्टूबर, 2020 तक किन-किन स्थानों में कुल कितने तालाबों का निर्माण विभाग के द्वारा कराया गया ? खनन किए गए तालाबों की भूमि का खसरा का विवरण, तथा देय अनुदान राशि की विकासखंडवार जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार प्रश्नांकित अवधि में मछली पालन योजना में अंतर्गत मछली के चारा, मछली पकड़ने हेतु जाल तथा हितवाहियों को मिलने वाली मोटरसाईकिल एवं अन्य वाहन कितने हितवाहियों को प्रदान की गई ? वर्षवार हितवाहियों की संख्या प्रदान करें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) धमतरी जिले में मत्स्य पालन एवं उसके संरक्षण हेतु केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत नीलक्रांति योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्षवार तालाब निर्माण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	नील क्रांति योजना		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
		तालाब	पोखर (संवर्धन क्षेत्र)	तालाब	पोखर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2017-18	18	15	07	-
2.	2018-19	06	08	-	-
3.	2019-20	-	-	24	-
4.	2020-21	-	-	-	-
(31 अक्टूबर, 2020 तक)					
योग		24	23	31	-

राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कोई भी तालाब प्रश्नांकित अवधि (2017-18 से 31 अक्टूबर 2020 तक) में निर्मित नहीं हुआ है. जिन ग्रामों में तालाबों का खनन (निर्माण) किया गया उनका नाम, तालाबों की भूमि का खसरा विवरण तथा देय अनुदान राशि की विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार प्रश्नांकित अवधि में मछली पालन योजना के अंतर्गत मछली के चारा (मत्स्य आहार, मछली पकड़ने हेतु जाल तथा हितवाहियों को मिलने वाली मोटर साइकिल एवं अन्य वाहन की वर्षवार हितवाही संख्या की जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.)

केशकाल विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट की सप्लाई

15. (क. 304) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगन बाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? (ख) इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट सप्लाई करने वाली एजेंसियों की सूची उपलब्ध कराएँ ? (ग) इन एजेंसियों को बीते 03 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान किया गया ? एजेंसीवार सूची उपलब्ध कराएँ ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 726 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है. (ख) एवं (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मछली उत्पादन हेतु संचालित योजनाएं

16. (क. 330) **डॉ. लक्ष्मी घुव** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन विभाग के द्वारा मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है ? (ख) कुल कितने और कौन-कौन से पंजीकृत मछुआ समिति हैं, उक्त पंजीकृत मछुआ समिति को शासन के द्वारा कौन-कौन सी सुविधा प्रदान की जा रही है ? (ग) वर्ष 2019 से माह नवम्बर, 2020 तक कुल कितने हितग्राहियों एवं मछुआ समिति को निःशुल्क सामग्री प्रदान की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन विभाग के द्वारा मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी प्रपत्र “अ” पर †† संलग्न है. (ख) कुल 14 पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति है. पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति एवं समिति को शासन द्वारा दी जारी सुविधा/लाभ की जानकारी प्रपत्र “ब” पर †† संलग्न है. (ग) वर्ष 2019 से माह नवंबर, 2020 तक कुल 63 हितग्राहियों एवं 11 मछुआ समितियों को निःशुल्क सामग्री प्रदान की गई.

अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि

17. (क. 368) **श्री अनूप नाग** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजनांतर्गत शासन के द्वारा विभिन्न विभागों को जनवरी 2019 से माह नवम्बर, 2020 तक योजना के प्रत्येक घटक के लिये कुल कितनी राशि कितने कार्यों के लिए किस विभाग को दी गई है ? विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के विकासखण्डवार बताएं. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार घटकों हेतु कितने कार्य स्वीकृत किये गये व इसमें कितने पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं ? कितनी राशि का भुगतान किया गया है व कितनी राशि का भुगतान शेष है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में राज्य शासन द्वारा सुराजी गांव योजनांतर्गत अंतागढ़ से संबंधित विकासखण्डों में बाड़ी घटक के क्रियान्वयन हेतु रु. 26.42 लाख का आवंटन दिया गया है. सुराजी गांव में शामिल घटकों का क्रियान्वयन विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं के अभिसरण से किया जा रहा है. योजना के तहत अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी में विभिन्न कार्यों हेतु विभागवार, विकासखण्डवार विवरण ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है.

जशपुर जिले में स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं

18. (क. 422) **डॉ. पीतम राम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जशपुर जिले में जल संसाधन संभाग अंतर्गत शेखरपुर वृहद सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु आवश्यक स्वीकृति कब व किसके द्वारा प्रदाय की गई है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार उक्त दोनों योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु कितना-कितना व्यय कब-कब किया गया ? (ग) प्रश्नांश “क” अनुसार उक्त दोनों योजनाओं में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य के पूर्व केन्द्रीय जल आयोग की सैद्धांतिक सहमति कब प्राप्त की गई ? (घ) प्रश्नांश “ग” अनुसार केन्द्रीय जल आयोग की सैद्धांतिक सहमति के बिना विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया गया तो उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जशपुर जिले में जल संसाधन अंतर्गत शेखरपुर एवं डांडपानी वृहद सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु क्रमशः छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्र. 635/एफ-7-34/31/एस-2/2017, दिनांक 31-01-2018 द्वारा रु. 703.949 लाख एवं पत्र क्र. 587/एफ-7-33/एस-2/2017, दिनांक 30-01-2018 द्वारा रु. 892.48 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. (ख) उक्त दोनों योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु व्यय की जानकारी ‡‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में प्रकरण विचाराधीन होने के फलस्वरूप उक्त दोनों परियोजनाओं के सैद्धांतिक सहमति के प्रकरण केन्द्रीय जल आयोग में लंबित है तथापि कार्य विभाग मैन्युअल की कंडिका 2.026 एवं केन्द्रीय जल आयोग की 2017 की मार्गदर्शिका की कंडिका 3.1 के पालनार्थ योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य किया गया है. (घ) सर्वेक्षण कार्य नियमानुसार किए गए हैं, अतः प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है.

सरगुजा जिला अंतर्गत शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में चूजों का उत्पादन

19. (क. 423) डॉ. प्रीतम राम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र सकालो में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल कितने चूजों का उत्पादन हुआ एवं कितने चूजों की मृत्यु हुई ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार उक्त अवधि में चूजा की मृत्यु दर शासकीय निर्धारित मापदण्डों से अधिक हुई है तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र सकालो में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल चूजों का उत्पादन एवं चूजों की मृत्यु निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	वर्ष (2)	उत्पादित चूजों की संख्या (3)	मृत चूजों की संख्या (4)
1.	2017-18	168410	76310
2.	2018-19	135583	98513
3.	2019-20	128023	92567
योग		432016	267390

(ख) जी हां. उल्लेखित वर्षों में पदस्थ तत्कालिन प्रबंधक डॉ. नंदलाल यादव एवं डॉ. ब्रिजेन्द्र सिंह गहरवार को निलंबित किया गया है.

महानदी में राजिम से कुलेश्वर मंदिर तक निर्माणाधीन सस्पेंशन ब्रिज

20. (क. 436) श्री धनेन्द्र साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महानदी में राजिम से कुलेश्वर मंदिर (लोमश ऋषि) तक निर्माणाधीन सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण का ठेका किस ठेकेदार को कितनी राशि का एवं किस अवधि तक पूर्ण करने हेतु कार्यादेश दिया गया था ? वर्तमान में इस निर्माण कार्य में से कौन सा कार्य अभी तक अपूर्ण है एवं श्री कुलेश्वर मंदिर तक पुल को जोड़ने हेतु निर्माण कब-तक चालू होगा ? (ख) कार्य के मूल डिजाइन में से अभी तक क्या-क्या परिवर्तन किए गए हैं और इससे कार्य की मूल लागत में से कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ? कृपया जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु रु. 3581.99 लाख का ठेका एक्वाटिक पम्पस् इंडस्ट्रीज सानवर रोड, इंदौर (म.प्र.) को दिया गया था. कार्य पूर्णता की अनुबंधित तिथि 06-04-2019 थी. वर्तमान में इस निर्माण कार्य में मुख्य ब्रिज से कुलेश्वर महादेव मंदिर तक जोड़ने वाले पिलर का कार्य, पेटिंग कार्य तथा एप्रोच सीढ़ी का कार्य प्रगति पर है. कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पुल को जोड़ने हेतु निर्माण कार्य भी प्रगति पर है. (ख) कार्य के मूल डिजाइन में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं और कार्य की मूल लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है.

अमनपुर विकासखण्ड के ग्राम पलौद में कृषि विभाग द्वारा हायब्रिड धान की बोआई

21. (क. 437) श्री धनेन्द्र साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की अमनपुर वि.ख. के ग्राम-पलौद में कृषि विभाग द्वारा धान प्रदर्शन प्लाट के रूप में कितने किसानों के एवं कितनी एकड़ खेतों में हाईब्रिड धान सुप्रिया T.N.R. 174 की देरी से पकने वाली किस्म की धान बताकर बोआई कराया था तथा किसानों को कितनी-कितनी राशि एवं कौन-कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में प्रदान किया गया था ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त धान बीज खराब होने के कारण समय से पहले पक गया और उत्पादन अत्यंत ही खराब हो गया ? (ग) क्या शासन द्वारा उक्त प्रभावित किसानों को हुई क्षति का सही आकलन करके किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्रदान किया जाएगा ? यदि हां तो प्रति एकड़ कितनी राशि एवं कब तक मुआवजा दिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2020 में रायपुर जिले के वि.ख.-अमनपुर के ग्राम पलौद में हाईब्रिड धान-प्रदर्शन घटक में 109 कृषकों के 100 हेक्टेयर में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा प्रदायित हाईब्रिड धान बीज किस्म टी.एन.आर.-174 (सुप्रिया) परिपक्वता अवधि 135-140 दिन का प्रदर्शन आयोजित किया गया. फसल प्रदर्शन में कृषकों को प्रदाय आदान सामग्री की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जी हां. उक्त धान बीज कंपनी द्वारा किए गए दावों के विपरीत 110

से 115 दिन के भीतर ही पक्कर तैयार हो गया एवं विभाग द्वारा आयोजित फसल कटाई प्रयोगों एवं अमनपुर क्षेत्र में धान सिंचित हेतु निर्धारित औसत उत्पादन से कम प्राप्त हुआ है. (ग) उप संचालक कृषि रायपुर के द्वारा किसानों को हुए क्षति का आकलन कर प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा 109 प्रभावित किसानों को वर्ष 2020-21 हेतु भारत सरकार द्वारा धान (सामान्य) हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 1868 प्रति हेक्टर. की दर से औसत उत्पादन में हुई कुल कमी के अनुरूप प्रदाय किये जाने हेतु मुआवजा राशि रु. 18,00,752/- (अक्षरी रुपये अट्ठारह लाख सात सौ बावन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है. मुआवजा भुगतान की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

जिला कोडागांव में समेकित बाल विकास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य एवं आबंटन

22. (क. 534) श्री मोहन मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत कोडागांव जिले के किन-किन विकासखंडों में कहाँ-कहाँ बाल विकास परियोजना संचालित हैं ? (ख) उक्त परियोजनाओं को वर्ष 2018-19 से 30 नवंबर, 2020 तक किस मद में किन कार्यों के लिए कितनी राशि का आबंटन हुआ ? परियोजनावार, मदवार, ब्यौरा दें. (ग) प्राप्त आबंटन में स्वीकृत कार्यों का पूर्ण/अपूर्ण की स्थिति से अवगत कराएं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत कोडागांव जिले के 05 विकासखंडों में 08 बाल विकास परियोजना संचालित है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” अनुसार है. (ख) कोडागांव जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं को वर्ष 2018-19 से 30 नवम्बर 2020 तक मदवार प्राप्त आबंटन का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” अनुसार है. (ग) प्राप्त आबंटन में स्वीकृत कार्यों का पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी निरंक है.

कोडागांव जिले में पशुधन सुरक्षा हेतु निर्मित गौठान

23. (क. 535) श्री मोहन मरकाम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोडागांव में पशुधन सुरक्षा के लिए कितने गौठानों का निर्माण किया गया है ? निर्माण में कितनी राशि, किन-किन मदों से व्यय की गई है ? विकासखंडवार ब्यौरा दें. (ख) क्या इन गौठानों के लिए गौठान समिति का गठन किया गया है ? यह समिति क्या ग्रामसभा के अनुमोदन से बनायी गयी है या सदस्यों को मनोनित किया गया है ? (ग) गौठानों में शेड निर्माण में कितनी राशि व्यय की गई है ? गौठानों के लिए कितने चरवाहों को रखा गया है ? गौठानवार विवरण दें.

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला कोडागांव में पशुधन सुरक्षा के लिए कुल 73 गौठानों का निर्माण किया गया है. गौठान निर्माण में विकासखंडवार, मदवार व्यय की गयी राशि की जानकारी प्रपत्र “अ” में † संलग्न है. (ख) जी हां, इन गौठानों के लिए गौठान समिति का गठन किया गया है. उक्त समस्त गौठान समिति का गठन ग्राम सभा के अनुमोदन से बनाया गया है. सदस्यों को मनोनित नहीं किया गया है. (ग) गौठानों में शेड निर्माण में कुल राशि रु. 35.92 लाख का व्यय किया गया है. निर्मित 73 गौठानों में से 27 गौठानों में कुल 27 चरवाहों को रखा गया है. गौठानवार विवरण प्रपत्र “ब” में † संलग्न है.

आमाडांड एवं चिरमिरी जलाशय योजना हेतु आवंटित एवं व्यय राशि

24. (क. 553) डॉ. विनय जायसवाल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमाडांड जलाशय एवं चिरमिरी जलाशय पूर्ण होने की अवधि क्या है एवं कार्य में कितनी राशि आबंटन हुई है, कितनी राशि व्यय की गई है और कितना कार्य शेष है ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार कार्यावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार पर क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) प्रश्नांश “क” के कार्य कब तक पूर्ण होंगे ? निश्चित समयावधि बताने का कष्ट करें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमाडांड जलाशय योजना से 13.00 हे. वन भूमि एवं 11.87 हे. राजस्व वन भूमि कुल 24.87 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है. भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रभावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्ष.) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर महाराष्ट्र के कार्यालय में विचाराधीन है. वर्तमान में योजना का कार्य वन प्रकरण के निराकरण न होने के कारण बंद है. वन प्रकरण के निराकरण के उपरांत जून 2022 तक पूर्ण होना संभावित है. इस कार्य हेतु रु. 457.55 लाख का आबंटन प्राप्त है. तथा रु. 457.55 लाख का व्यय हो चुका है. कोई राशि शेष नहीं

है। कार्य में नाला वलोजर, अप स्ट्रीम पिचिंग, स्पिल चैनल, शूट फाल एवं 2.50 कि.मी. नहर निर्माण का कार्य शेष है। इसी प्रकार चिरमिरी जलाशय योजना का पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 3026.92 लाख का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं वन प्रकरण के निराकरण उपरांत कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। वन प्रकरण के निराकरण के उपरांत जून 2022 तक पूर्ण होना संभावित है। इस कार्य हेतु रु. 1713.54 लाख का आबंटन प्राप्त है तथा रु. 1713.54 लाख का व्यय हो चुका है, कोई राशि शेष नहीं है। कार्य में नाला वलोजर, अप स्ट्रीम पिचिंग, वेस्ट वियर शूट फाल एवं 40 प्रतिशत नहर निर्माण का कार्य शेष है। (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार कार्य अवधि में वन प्रकरण एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण के निराकरण न होने के कारण कार्य अपूर्ण है। इसलिए संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। (ग) प्रश्नांश “क” के अनुसार प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् कार्य जून 2022 तक पूर्ण होना संभावित है।

कोटा विधान सभा क्षेत्र में अरपा, मैसाझार बैराज में नहरों का निर्माण

25. (क. 587) डॉ. रेणु अजीत जोशी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड में स्थित अरपा, मैसाझार बैराज में कितने किलोमीटर नहरों का निर्माण प्रस्तावित है ? (ख) वर्तमान में कितने किलोमीटर नहरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? (ग) किन-किन गांवों में कितने हेक्टेयर में सिंचाई की जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड में स्थित अरपा मैसाझार बैराज में कुल 376.27 किलोमीटर नहरों का निर्माण प्रस्तावित है। विस्तृत जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ख) वर्तमान में कुल 250.64 किलोमीटर नहरों (मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरक नहरों एवं माइजर नहरों) का निर्माण पूर्ण हो चुका है। विस्तृत जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ग) वर्ष 2020-21 में कोटा एवं तखतपुर विकासखंड के कुल 47 ग्रामों में 11670 हेक्टेयर रकबे में नहर परीक्षण के दौरान खरीफ सिंचाई की गई है। ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है।

सीबीड जेल क्रय में अनियमितता

26. (क. 598) डॉ. रमन सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2015-16 से जनवरी, 2019 तक सी बीड जेल (पोषक तत्व) की खरीदी की गई ? (ख) यदि हां तो कितनी राशि की खरीदी हुई तथा क्या सी बीड जेल की खरीदी शासकीय प्रावधान के अनुसार किया गया ? यदि नहीं तो क्यों तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में संचालनालय कृषि से संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा रु. 1054.596 लाख एवं संचालनालय उद्यानिकी के जिला कार्यालय द्वारा रु. 524.31 लाख का व्यय सी-बीड जेल खरीदी में किया गया है। विभिन्न विभागीय योजनाओं में सी-बीड जेल की खरीदी शासकीय प्रावधानों के अनुरूप की गई है अथवा नहीं, के संबंध में प्राप्त जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण दोष निर्धारण संबंधी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में संचालित पेंशन योजनाएं

27. (क. 602) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने प्रकार की पेंशन योजनाएं चल रही हैं ? इसमें से कौन सी पेंशन योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं एवं कौन-कौन सी राज्य सरकार की हैं ? पेंशन हेतु हितग्राहियों का चयन का आधार क्या है ? (ख) क्या सभी विधवा महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार द्वारा सभी विधवाओं को पेंशन देने की योजना है ? यदि हां तो कब तक लागू की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) जानकारी परिशिष्ट † संलग्न है। (ख) जी नहीं। योजना अनुसार पात्र सभी विधवाओं को पेंशन देने की योजना है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

रायपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल तथा मौसम आधारित बीमा का कृषकों को प्रदत्त लाभ

28. (क्र. 605) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर क्षेत्र में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा कराया गया ? प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि क्या है ? (ख) कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया एवं कितनी प्रीमियम राशि जमा कराई गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला रायपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत वर्षवार, मौसमवार बीमित कृषकों की संख्या एवं बीमित राशि की जानकारी क्रमशः † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर है. योजनांतर्गत फसल बीमा की राशि (बीमित राशि) प्रति एकड़ नहीं, अपितु प्रति हेक्टेयर निर्धारित की जाती है. (ख) प्रश्नांश “क” में अंकित अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत लाभान्वित कृषक एवं प्रीमियम राशि की वर्षवार मौसमवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर है.

जिला रायपुर में रेडी टू ईट फूड संचालन हेतु आमंत्रित विज्ञापन

29. (क्र. 606) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर में 1 मार्च, 2019 से आज तक रेडी टू ईट फूड संचालन हेतु कब-कब एवं जिला सेक्टर हेतु विज्ञापन निकाला गया है ? उक्त विज्ञापन में कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं प्राप्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ? सेक्टरवार बतायें ? (ख) क्या उक्त विज्ञापन की चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो दोषी अधिकारी कर्मचारी के रूप पर क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) जिला रायपुर में दिनांक 1 मार्च 2019 से आज तक जिले में संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में सेक्टरवार रेडी टू ईट फूड संचालन हेतु दिनांक 04-12-2020 को विज्ञापन जारी किया गया है. उक्त विज्ञापन में दिनांक 07-12-2020 की स्थिति में प्राप्त आवेदन की संख्या निरंक है. सेक्टरवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बलौदा बाजार-माटापारा जिले में संचालित रेडी टू ईट केन्द्र

30. (क्र. 618) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदा बाजार-माटापारा जिले के अंतर्गत कुल कितने एवं किन-किन स्थानों पर रेडी टू ईट केन्द्र संचालित है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) क्या उक्त संचालित रेडी टू ईट केन्द्र संबंधी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कौन-कौन से केन्द्रों की और उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) जानकारी ‡ प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी ‡ प्रपत्र “ब” अनुसार है.

जिला जांजगीर चांपा में किसानों को प्रदत्त कृषि यंत्र एवं सब्सिडी

31. (क्र. 625) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चाम्पा जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 से अक्टूबर 2020 तक कितने किसानों को नलकूप खनन, पाईपलाइन, डीप एरीगेशन व कृषि यंत्र प्रदाय किए गए हैं उक्त पर कितनी सब्सिडी दी गई ? ब्लॉकवार जानकारी दें.

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : जानकारी ‡‡ संलग्न परिशिष्ट पर है.

अरपा मैसाज़ार परियोजना के मुख्य नहर की लागत एवं निविदा

32. (क्र. 640) श्री अरुण वीरा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग में अरपा-मैसाज़ार परियोजना के मुख्य नहर के लिए कब टेण्डर जारी किया गया ? इसकी कुल लागत कितनी है ? इस परियोजना के अंतर्गत कितने बैराजों को निर्माण किया जाना है ? (ख) इस परियोजना में कुल कितने ग्राम प्रभावित हो रहे हैं ? कुल कितने किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है ? कितने किसानों को कितनी राशि का मुआवजा किस दर से दिया गया है ? (ग) क्या मुख्य नहर के नक्शे में कोई बदलाव किया गया है ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन योजना के मुख्य नहर तथा शीर्ष कार्य के निर्माण कार्य हेतु निविदा दिनांक 02-05-2013 को आमंत्रित की गई है. योजना की कुल लागत रु. 1141.90 करोड़ है. इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम मैसाज़ार में एक बैराज का निर्माण किया जाना है. (ख) इस परियोजना में कुल 98 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं. इस योजना में कुल 6891 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है. प्रभावित भूमि का 6891 किसानों को मुआवजा न्यूनतम दर 6.00 लाख (पड़त) 8.00 लाख(असिंचित) एवं 10.00 लाख (सिंचित) प्रति एकड़ की दर एवं केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा ग्रामों के लिये प्रत्येक वर्ष के लिए जारी गाईड लाईन दर में जो भी दर अधिक हो, अनुसार निर्धारण कर भुगतान किया गया है. (ग) परियोजना की मुख्य नहर के स्वीकृत एलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

प्रदेश में कृषकों द्वारा कराया गया फसल बीमा

33. (क्र. 641) श्री अरुण वीरा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा कराया गया ? जिलेवार जानकारी दें ? प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि क्या है ? (ख) कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया एवं कितनी प्रीमियम राशि जमा करायी गई ? जिलेवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रदेश में कृषि एवं उद्यानिकी फसलों हेतु क्रमशः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित है. फसल बीमा योजनाओं में बीमा राशि का निर्धारण प्रति हेक्टेयर किया जाता है. प्रश्नाधीन अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों की जिलेवार, मौसमवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर तथा जिलावार, फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है. पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों की जिलेवार, मौसमवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर तथा जिलावार, मौसमवार, फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 एवं 5 पर है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक एवं प्रीमियम राशि की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है.

प्रदेश में पशुधन को गणना तथा गोधन न्याय योजना अन्तर्गत गोबर खरीदी

34. (क्र. 657) श्री शिवरतन शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा प्रदेश में पशुधन की गणना करायी गयी है यदि हां तो कब तथा प्रदेश के प्रत्येक जिले में कौन कौन से कितने कितने पशुधन है ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) शासन द्वारा प्रदेश में किस-किस जिले में कितने-कितने स्थानों पर गोधन न्याय योजना के अन्तर्गत गोबर खरीदी की जा रही है तथा इन केन्द्रों में 01-12-2020 तक कितनी मात्रा में व कितनी राशि का गोबर खरीदा गया है तथा शासन द्वारा इस योजना के विकास एवं विस्तार के लिये और क्या-क्या किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रदेश में पशुधन की गणना करायी गयी है. वर्ष 2018-19 में 20वीं पशु संगणना करायी गयी है. प्रदेश में जिलेवार पशुधन संख्या की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) शासन द्वारा प्रदेश के समस्त 28 जिलों में 3947 स्थानों पर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी की जा रही है तथा इन केन्द्रों में 01-12-2020 तक 297244.63 टन मात्रा में राशि रु. 5107.26 लाख का गोबर खरीदा गया है. शासन द्वारा इस योजना के विकास एवं विस्तार के लिए क्रय किये गये गोबर से स्व-सहायता समूहों के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जा रहा है एवं उत्पादित खाद का विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है. साथ ही उक्त समूहों के द्वारा उपलब्धता अनुसार गोबर के अन्य उत्पाद तैयार कर आजीविका संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही है.

जिला राजनांदगांव में आदर्श गौठान हेतु ग्रामों का चयन

35. (क्र. 664) श्री मुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में आदर्श गौठान हेतु कौन-कौन से ग्रामों का चयन किया गया है ? तहसीलवार जानकारी देवें ? (ख) आदर्श गौठान निर्माण हेतु उक्त ग्राम को कितनी राशि आवंटित की गयी है ? (ग) आदर्श गौठान निर्माण हेतु चयनित कितने ग्रामों में आदर्श गौठान निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व कितने ग्राम के निर्माण हेतु शेष है ? ग्रामवार जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राजनांदगांव जिले में आदर्श गौठान हेतु चयनित ग्रामों की तहसीलवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) आदर्श गौठान निर्माण हेतु उक्त ग्रामों को कुल राशि रु. 211.10 लाख आवंटित की गयी है. (ग) आदर्श गौठान निर्माण हेतु कुल चयनित 09 ग्रामों में से समस्त 09 ग्रामों में आदर्श गौठान निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, ग्रामवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी

36. (क्र. 672) श्री धर्मजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोधन न्याय योजना के तहत योजना की प्रारंभ तिथि से 30 नवंबर, 2020 तक कितनी मात्रा में गोबर की खरीदी की गई ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) क्या गोबर खरीदी के लिए पंजीयन अनिवार्य है ? यदि हां तो कितने गोशाला, गौठान, किसान पंजीकृत किये गये है ? गोधन की संख्या बताएं. (ग) कंडिका “क” के गोबर खरीदी के विरुद्ध विक्रेतओं को कितना भुगतान किया गया ? कितना शेष है और कब तक भुगतान किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जी हां. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. जिलों में लंबित भुगतान की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

बीज विकास निगम द्वारा धान व मक्का की हायब्रिड बीज व सब्जी किट की खरीदी

37. (क्र. 676) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में धान एवं मक्का की हायब्रिड बीज व सब्जी किट का क्रय किया गया है ? (ख) यदि हां तो किन-किन प्रदायकर्ताओं द्वारा क्रय आदेश के पश्चात् 15 दिवस में सामग्री प्रदाय नहीं की गई तथा किन-किन प्रदायकर्ताओं की सामग्री को अधिसूचित प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया है एवं उक्त दोनों के संबंध में क्या नियम है ? (ग) इस संबंध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. (ख) बस्तर जिले में मेसर्स जे.के. एग््री जेनेटिक्स प्रा.लि. के द्वारा निर्धारित 15 दिवस की समय-सीमा में सामग्री आपूर्ति नहीं की गई थी. बीज से संबंधित अधिनियम/नियम/आदेश में हाईब्रिड बीजों के डी.एन.ए./मॉलीक्यूलर परीक्षण संबंधित प्रक्रिया शामिल नहीं होने के कारण विभागीय बीज निरीक्षकों द्वारा हायब्रिड बीजों के मोलक्यूलर मार्कर (डीएनए) गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने नहीं लिए जाते और न ही प्रयोगशाला को सम्प्रेषित किए जाते हैं. (ग) मेसर्स जे.के. एग््री जेनेटिक्स प्रा.लि. के द्वारा निर्धारित अवधि में सामग्री (बीज) आपूर्ति नहीं किये जाने पर संस्था के विरुद्ध आर.सी.ओ. कंडिका अनुरूप कार्यवाही करते हुये जमा सुरक्षा निधि राशि (ई.एम.डी.) राजसात की गई एवं अनुबंध को निरस्त किया गया.

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत केन्द्र से प्राप्त आवंटन

38. (क्र. 680) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश को कितनी राशि का आवंटन कब-कब किया गया ? (ख) विगत दो वर्ष में प्रत्येक जिले को किन-किन कार्यों के संपादन के लिए कितनी-कितनी राशि जारी की गई ? जिलेवार वर्षवार जानकारी दें ? (ग) जिलों द्वारा दो वर्ष में कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया एवं कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? जिलेवार कार्यवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः परिशिष्ट-2 एवं 3 पर है.

प्रदेश में गौठान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नाला बंधान एवं गौठान निर्माण

39. (क्र. 681) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी व गौठान योजनांतर्गत योजना प्रारंभ होने से 30 नवंबर, 2020 तक कितने नदी, नालों पर बंधान, कितने ग्राम पंचायतों में गौठानों का निर्माण तथा कितने किसानों की बाड़ी क्षेत्र का विकास किया गया ? (ख) नाला बंधान, गौठान निर्माण एवं बाड़ी विकास हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) नाला बंधान से सिंचाई क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है ? निर्मित गौठानों में कितने जानवरों को रखा जा रहा है ? उनके चारे के लिए क्या व्यवस्था की गई है ? प्रतिदिन कितना चारा उपलब्ध कराया जा रहा है ? (घ) प्रदेश में उपरोक्त योजनाओं से अब तक कितने लाभान्वित हुए हैं ? उपरोक्त योजना का आगामी तीन वर्षों का क्या वित्तीय-मौक्तिक लक्ष्य निर्धारित है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी व गौठान योजनांतर्गत योजना प्रारंभ होने से 30 नवंबर, 2020 तक नाला बंधान, गौठान निर्माण एवं बाड़ी विकास से संबंधित जानकारी का क्रमशः † संलग्न प्रपत्र “अ”, प्रपत्र “ब”, प्रपत्र “स” एवं प्रपत्र “द” पर है. (ख) जानकारी क्रमशः † संलग्न प्रपत्र “अ”, प्रपत्र “ब”, प्रपत्र “स” एवं प्रपत्र “द” पर है. (ग) नाला बंधान से सिंचाई क्षेत्र में विस्तार संबंधी जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर है. निर्मित गौठान में आने वाले पशु सायं काल में वापस पशु मालिक के घर चले जाते हैं. कुछ जिलों में ही रात्रि कालिन पशु गौठानों में रखे जा रहे हैं जिनकी कुल संख्या 7890 है. उनके चारे के लिए चारागाह में उत्पादित हरा चारा एवं किसानों द्वारा किये गये पैरादान एकत्रित कर पशुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है. हरा एवं सूखा चारा की उपलब्धता अनुसार औसतन 3.5 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन की दर से चारा उपलब्ध कराया जा रहा है. (घ) प्रश्नाधीन अवधि तक नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या क्रमशः † संलग्न प्रपत्र “अ”, प्रपत्र “ब”, प्रपत्र “स” एवं प्रपत्र “द” पर है. नाला बंधान हेतु आगामी 3 वर्षों की मौक्तिक-वित्तीय कार्यक्रम का अंतिम प्रस्तावित जिलेवार विवरण † संलग्न प्रपत्र (अ) एवं प्रपत्र (ब) पर है. शेष घटकों में कार्यक्रम का निर्धारण बजट आवंटन के अनुरूप किया जायेगा.

कीटनाशक व पौध संरक्षण औषधि का क्रय एवं गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त भुगतान संबंधी

40. (क्र. 689) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 28 फरवरी, 2020 के परिवर्तित अतारांकित प्रश्न क्र. 938 में विभाग द्वारा दिए गए उत्तर में कीटनाशक व पौध संरक्षण औषधि की गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में उत्तर दिया है कि 95 कीटनाशक एवं पौध संरक्षण औषधि के गुणवत्ता हेतु नमूने नहीं लिए गए व 79 नमूने अधिसूचित प्रयोगशाला में नहीं भेजे गए साथ ही उत्तर में उल्लेखित है कि “गुणवत्ता परीक्षण अधिसूचित प्रयोगशाला से कराने के उपरान्त मानक पाये जाने पर ही देयकों के भुगतान दिए जाने के निर्देश हैं.” उक्त उत्तरानुसार जिन फर्मों के नमूने नहीं लिए गए व जिन फर्मों के नमूने अधिसूचित प्रयोगशाला में नहीं भेजे गए उन फर्मों को प्रदायित सामग्री का कितना भुगतान प्रश्न दिनांक तक किया गया है व कितना भुगतान शेष है व उक्त भुगतान किस अधिकारी द्वारा कब किया गया है ? नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों व कब तक कार्यवाही की जावेगी ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार विधानसभा के उत्तर में उल्लेखित है कि 15 दिवस के अंदर सामग्री आपूर्ति आवश्यक है तथा उत्तरानुसार 564 क्रय आदेश के विरुद्ध संबंधित फर्मों के द्वारा 15 दिवस में सामग्री आपूर्ति नहीं की गई, इनमें कितनी फर्मों के भुगतान रोके गए, अमानती राशि जप्त कर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया, यदि नहीं तो क्यों ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है.

बस्तर संभाग में कृषकों का कृषि बीमा

41. (क्र. 713) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागन्तर्गत जिलों में कुल कितने कृषकों के लिए कृषि बीमा करवाया गया है ? वर्ष 2018, 2019, 2020 की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें ? (ख) बीमित कृषि भूमि में ऐसे कितने कृषकों की कृषि भूमि है जो मौसमी प्रकोप से प्रभावित हुयी ? (ग) प्रश्नांक “ख” के परिप्रेक्ष्य में कितने कृषकों को बीमा राशि की प्राप्ति हुई व कितनों की शेष है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क), (ख) एवं (ग) की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा कीटनाशक औषधि/सब्जी कीट तथा बीज की खरीदी

42. (क. 718) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी: क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा कीटनाशक व पौध संरक्षण औषधि/सब्जी कीट/बीज की खरीदी गई थी ? (ख) यदि हां तो कितने-कितने क्रय आदेशों के विरुद्ध निर्धारित 15 दिवस की अवधि में सामग्री किस प्रदायकर्ता द्वारा प्रदान नहीं की गई व किन किन प्रदायकर्ता के नमूने अधिसूचित प्रयोगशाला में नहीं भेजे गए ? (ग) इस संबंध में क्या नियम है ? नियम विरुद्ध भुगतान करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है.

जिला नारायणपुर में मत्स्य पालन हेतु वितरित अनुदान

43. (क. 726) श्री चंदन कश्यप : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नारायणपुर में मत्स्य पालन योजना के तहत वर्ष 2018-19 से 30 नवम्बर 2020 तक तालाब खनन, हेचरी, डबरी एशियन निर्माण हेतु कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई तथा कितने तालाब खनन हेचरी, डबरी, एशियन का निर्माण किया गया ? विकासखण्डवार हितग्राही वार वर्षवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांश “क” के कार्यों का मूल्यांकन कब-कब एवं किसके द्वारा किया गया एवं उसमें क्या पाया गया एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या प्रश्नांश “क” के कार्य में वन भूमि में अतिक्रमण कर कार्य संपादित किए जाने तथा योजना के क्रियान्वयन एवं अनुदान राशि वितरण में अनियमितता किए जाने संबंधी विभाग द्वारा सस्थित जांच अधिकारी कौन है ? क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ? यदि हां तो कौन-कौन दोषी है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावे ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला नारायणपुर के मत्स्य पालन योजना के तहत वर्ष 2018-19 से 30 नवम्बर तक तालाब खनन हेतु 16 हितग्राहियों को राशि रु. 33.95 लाख अनुदान के रूप में दी गयी तथा 16 तालाब खनन किये गये है. हेचरी, डबरी, एशियन का निर्माण नहीं करवाया गया है विकासखण्डवार हितग्राहीवार वर्षवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश “क” में 16 तालाब खनन में से 03 तालाबों का दिनांक 15-05-2020 एवं 17-05-2020 को अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के उपयंत्री द्वारा द्वारा मूल्यांकन किया गया, शेष 13 तालाबों का मूल्यांकन के पूर्व शासन की योजनानुसार बैंक ऋण स्वीकृत होने के पश्चात तालाब खनन की प्रथम किश्त अनुदान राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है मूल्यांकन पश्चात अनुदान राशि की द्वितीय किश्त जारी की जाती है. (ग) प्रश्नांश “क” के कार्यों में वनभूमि में अतिक्रमण कार्य नहीं करवाया गया है, अनुदान राशि कृषक के ऋण खाते में जमा कराई गई, अनुदान राशि वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाये जाने से जांच सस्थित नहीं की गयी.

तहसील खुईखदान के ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय को नियम विपरीत मछली पालन हेतु आवंटन पर कार्यवाही

44. (क. 735) श्री देवव्रत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ताराकित प्रश्न संख्या 30, (क. 0410) जिला राजनांदगांव के खुईखदान तहसील के ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय को नियम विपरीत गंडई मछुआ समिति को गलत तरीके से मछली पालन हेतु पट्टा आवंटन की जांच संचालक एवं राज्य शासन से कराने का आश्वासन दिया गया था ? यदि तो आज दिनांक तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? (ख) यदि जांच की कार्यवाही नहीं हुई है तो दोषी अधिकारी कौन है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. जांच हेतु विभागीय आदेश दिनांक 06-11-2020 (संलग्न) द्वारा उप सचिव, छ.ग. शासन, मछली पालन विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया. जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 07-12-2020 को जांच की गई. जांच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 14-12-2020 में लेख किया है कि जय भोले मत्स्य सहकारी समिति पैलीमेटा द्वारा सुरही जलाशय का आवंटन गंडई मछुआ सहकारी समिति को दिये जाने से शुब्ध होकर माननीय जिला न्यायालय, राजनांदगांव में याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29-12-2020 को नियत की गई है. †† परिशिष्ट अनुसार. जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण माननीय जिला न्यायालय, राजनांदगांव में विचाराधीन होने के कारण प्रकरण पर अभिमत नहीं दिया गया है. (ख) जांच कार्यवाही की गई है. प्रकरण मान. न्यायालय में विचाराधीन है.

प्रदेश में भारत माता वाहिनी योजना का गठन

45. (क्र. 817) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भारत माता वाहिनी योजना का गठन कब हुआ ? इसकी क्या-क्या गतिविधियां संचालित हैं एवं इस योजनांतर्गत जिला बिलासपुर आबकारी विभाग द्वारा क्या-क्या सहयोग प्रदान किया गया ? वर्तमान में भारत माता वाहिनी योजना की कितनी समिति सक्रिय है ? यदि नहीं तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : जानकारी एकत्रित की जा रही है.

अताराकित प्रश्नोत्तर

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रेडी-टू-ईट एवं अन्य पोषक आहार की आपूर्ति

1. (क. 17) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रेडी-टू-ईट एवं अन्य पोषक आहार की आपूर्ति कितनी महिला समूहों द्वारा की जा रही है ? (ख) ऐसे कितने समूह रेडी-टू-ईट का संचालन कर रहे हैं जिनका अनुबंध समाप्त हो चुका है ? क्या अनुबंध समाप्त होने के बाद बिना विज्ञापन पुनः अनुबंध किया गया है ? यदि हां तो क्यों ? (ग) नवीन अनुबंधित समूह दिनांक 1-1-2019 से दिनांक 1-10-2020 तक कौन-कौन से हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रेडी टू ईट एवं अन्य पोषण आहार की आपूर्ति 74 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा की जा रही है. (ख) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट संचालन कर रहे 7 महिला स्व सहायता समूहों का अनुबंध समाप्त हो चुका है. उक्त समूहों का पुनः अनुबंध नहीं किया गया है. (ग) प्रश्नांश (ग) की जानकारी निरंक है.

रायपुर जिले के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

2. (क. 18) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 6 मार्च 2020 को विधानसभा अताराकित प्रश्न क्रमांक 566 के उत्तर में यह बताया गया था कि रायपुर जिले के 537 आंगनबाड़ी केन्द्रों के पास स्वयं का भवन नहीं है ? (ख) यदि हां तो प्रश्नाधीन अवधि तक क्या उक्त भवन विहीन केन्द्रों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हुई ? यदि हां तो कितनी ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) शासन की इनके स्वयं का भवन बनाने की क्या कार्य योजना है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) जी हां. (ख) प्रश्नाधीन अवधि तक रायपुर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं हुई है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियागत है. (ग) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृत किए जाते हैं, अतः निश्चित कार्ययोजना/समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

शासकीय कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में स्वीकृत एवं रिक्त पद

3. (क. 39) श्री विनय कुमार भगत : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर में संचालित शासकीय कृषि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के तकनिशियन एवं सहायक वर्ग-3 के कुल कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं ? श्रेणीवार पृथक-पृथक बतावें ? (ख) रिक्त पदों की भर्ती कब तक की जावेगी.

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) रायपुर में संचालित शासकीय कृषि विश्वविद्यालय एवं इसके अन्तर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
प्रयोगशाला तकनिशीयन	220	154
सहायक वर्ग-3	127	106
योग	347	260

(ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला बिलासपुर में किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

4. (क. 65) श्री शैलेश पाण्डे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में आंगनबाड़ियों की कितनी संख्या है, विभाग के पास कितने स्वयं के आंगनबाड़ी भवन हैं ? और कितने भवन किराये के हैं.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : बिलासपुर जिले में 1905 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित है. संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1298 केन्द्र स्वयं के भवन में और 458 केन्द्र किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं.

अरपा नदी में स्वीकृत बैराज निर्माण कार्य

5. (क्र. 66) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले की अरपा नदी में स्वीकृत शिवघाट एवं पचरीघाट के बैराज के निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ होगा ? शासन द्वारा उक्त दोनों बैराजों की वित्तीय स्वीकृत किस दिनांक को दी गई है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : प्रश्नाधीन कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. निविदा स्वीकृत होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा. उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु क्रमशः दिनांक 07-07-2020 एवं 04-08-2020 को क्रमशः राशि रु. 4913.24 लाख एवं रु. 4897.53 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है.

निःशक्तजनों को प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार

6. (क्र. 96) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने निःशक्तजन हैं ? वर्गवार संख्या बताएं ? (ख) इनमें से विगत दो वर्षों में कितने निःशक्तजनों को प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) प्रदेश में दिव्यांगजनों का पृथक से गणना नहीं कराया गया है, अपितु जनगणना 2011 अनुसार कुल दिव्यांगजनों की वर्गवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	मूक बधिर	अस्थि बाधित	मानसिक मंदता	मानसिक रोगी	अन्य	बहुविकलांग	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	1,11,169	92,315	28,262	1,90,328	33,171	20,832	76,903	71,957	6,24,937

(ख) कंडिका-“क” अनुसार विगत दो वर्षों में 1061 दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण एवं 1165 दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है.

प्रदेश में निःशक्तजनों के लिए संचालित योजनाएं

7. (क्र. 103) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निःशक्तजन कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ? (ख) इन योजनाओं में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) प्रदेश में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण, सामर्थ्य विकास, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों का शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ऋण, दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन, दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन, दिव्यांग छात्रगृह एवं धरौदा (आश्रय गृह) योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. (ख) दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं में वर्ष 2019-20 में 1,82,628 एवं वर्ष 2020-21 में 1,67,055 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया.

जिला जांजगीर चाम्पा में दिव्यांगों की यूनिट आई.डी. का निर्माण

8. (क्र. 126) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला

जाजगीर चाम्पा अंतर्गत सभी पंजीकृत दिव्यांगों की यूनिफ आई.डी. बना ली गई है ? यदि हाँ तो संख्या बतायें ? यदि नहीं तो कब तक बना ली जायेगी ? (ख) यूनिफ आई. डी. के माध्यम से दिव्यांगों को कौन-कौन सी सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है या करायी जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेटिया) : (क) जी नहीं. यूनिफ आई. डी. कार्ड बनाने का कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है. अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) यूनिफ आई.डी. कार्ड दिव्यांगजनों का एक विशिष्ट पहचान पत्र है.

जिला जाजगीर चाम्पा में रवि फसल हेतु बांगों बांध से सिंचाई हेतु जल आपूर्ति

9. (क. 127) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जाजगीर चाम्पा में वर्ष 2019-2020 में बांगों बांध से रवि फसल हेतु कितने हेक्टेयर में किस किस फसल हेतु सिंचाई के लिए पानी दिया गया ? लक्ष्य के विरुद्ध कितने हेक्टेयर में कौन-कौन सी फसल लगायी गयी थी ? विकासखण्डवार जानकारी बतायें ? (ख) वर्ष 2019-20 में जिले के किसान अपने निजी साधन से कितने हेक्टेयर में कौन-कौन से फसल लगाये गये थे ? (ग) इस वर्ष 2020-21 में बांगों बांध से रवि फसल हेतु कितने हेक्टेयर में कौन कौन सी फसल हेतु पानी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित है.

किसानों का लंबित बोनस राशि का भुगतान

10. (क. 154) **श्री सौरभ सिंह** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वर्ष में दिनांक 20-11-2020 तक बिलासपुर संभाग के किस-किस जिले में कितने पंजीकृत किसानों को बीज विकास निगम द्वारा कितनी बोनस की राशि का भुगतान किस कारण से शेष है ? जिलेवार जानकारी बताए ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : पिछले वित्तीय वर्ष का बीज निगम से बिलासपुर संभाग अंतर्गत जिलों के पंजीकृत किसानों के धान उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि के लंबित भुगतान की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	पंजीकृत कृषक	देय बोनस राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	296	13,810,000	-	13,810,000
2.	मुंगेली	155	7,832,500	-	7,832,500
3.	जाजगीर-चांपा	558	35,412,500	-	35,412,500
4.	कोरबा	67	4,507,500	-	4,507,500
5.	रायगढ़	870	51,062,250	-	51,062,250
	योग	1946	112,624,750	-	112,624,750

प्रोत्साहन राशि भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

अकलतरा विधानसभा के अंतर्गत किसान न्याय योजना अंतर्गत पंजीयन

11. (क. 155) **श्री सौरभ सिंह** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा के अंतर्गत दिनांक 20-11-2020 तक किस-किस ग्राम पंचायत में कितने किसानों का किसान न्याय योजना अंतर्गत पंजीयन हुआ है ? (ख) उपरोक्त दिनांक तक कितने आवेदन, कितने गांव के लंबित है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) खरीफ वर्ष 2020-21 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान फसल के लिए 28303 किसानों का पंजीयन किया गया है, जानकारी पंचायतवार नहीं अपितु ग्रामवार संधारित की जाती है, ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है। मक्का एवं गन्ना फसल का पंजीयन नहीं हुआ है। योजनान्तर्गत शामिल शेष फसलों के लिए कृषकों के पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) पंजीयन हेतु कोई सहकारी समिति में आवेदन लंबित नहीं है।

जिला धमतरी में दिशा भ्रमण कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं व्यय राशि

12. (क्र. 181) **श्री अजय चन्द्राकर :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक दिशा भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत भ्रमण हेतु कितनी राशि धमतरी जिला को प्राप्त हुई ? इस कार्यक्रम का उद्देश्य व लक्ष्य क्या है ? इसके अंतर्गत किन महिला/महिला समूहों को कहां-कहां भ्रमण कराया गया और उस पर कितनी राशि व्यय की गयी ? इस कार्यक्रम के लाभार्थी लोगों के चयन का मापदंड क्या है ? (ख) क्या चयन के मापदंडों से बाहर महिलाओं को भ्रमण कराने की शिकायत राज्य शासन या जिला कलेक्टर को प्राप्त हुयी है ? यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला धमतरी को कुल 7,80,800/-रुपये का आबंटन राशि प्रदाय किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व लक्ष्य-महिला स्व-सहायता समूहों के सुदृढीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए उपयुक्त स्थानों का अध्ययन भ्रमण कराया जाना ताकि महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर/इस अनुभव से सीखकर आयोजन गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें। इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों से संलग्न अथवा आर्थिक गतिविधि प्रारंभ करना चाहते हैं ऐसे महिला स्व सहायता समूहों की महिलाएं/महिला समूहों को प्रश्नाधीन अवधि में मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य का भ्रमण कराया गया। प्रश्नाधीन अवधि में भ्रमण पर कुल 4,70,400/-रुपये की राशि व्यय की गई। कार्यक्रम अंतर्गत ऐसी महिला समूह के प्रतिनिधि जिनका गठन हुए कम से कम 01 वर्ष पूर्ण हो एवं उनकी बचत, अंतर्राष्ट्रण, बैंकिंग संबंधी गतिविधियां नियमित हो तथा जो आय उपार्जन गतिविधि प्रारंभ करना चाहते हो अथवा आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महिला कोष एवं विभाग की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थित हितग्राहियों को सम्मिलित किया जाना है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भरतपुर सोनहत वि. स. क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

13. (क्र. 210) **श्री गुलाब कमरो :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत अन्तर्गत भवन विहीन एवं जर्जर आंगनबाड़ी भवन कितने हैं ? वर्तमान में कितने निर्माणाधीन हैं तथा कितने आंगनबाड़ी भवन मरम्मत एवं नवीन भवन हेतु शेष है ? (ख) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत अंतर्गत 41 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन है एवं 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन जर्जर है। वर्तमान में 22 आंगनबाड़ी भवन निर्माणाधीन हैं तथा 77 आंगनबाड़ी भवन मरम्मत योग्य है। 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत नहीं है। (ख) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 13 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 23 पद आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करने का प्रयास है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

कोरिया जिला अन्तर्गत सिंचाई योजना से सिंचित रकबा

14. (क्र. 211) **श्री गुलाब कमरो :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिला अन्तर्गत सिंचाई रकबा बढ़ाने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण कराये गये, घुटरा डायवर्सन, बिहीनाला डायवर्सन, सिरियाखोह डायवर्सन, बदरा जलाशय, मंजनीमाटी डायवर्सन, शेला पटपर डायवर्सन, बिछली झरिया डायवर्सन, किशोरी जलाशय, डौकी झरिया डायवर्सन, तरतौरा जलाशय एवं अंजनी जलाशय से सिंचाई सुविधा का लाभ ले रहे किसानों की संख्या एवं सिंचित रकबा की जानकारी देवे ? (ख) क्या उक्त डायवर्सन एवं जलाशय से वर्तमान में सिंचाई हो रही है या नहीं तथा नहरों की वर्तमान स्थिति क्या है ? (ग) डायवर्सन एवं जलाशय के सुलूस गेट की क्या स्थिति है ? क्या मरम्मत की आवश्यकता है तो कब तक मरम्मत किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) से (ग) जानकारी † † संलग्न परिशिष्ट पर है।

जिला कोण्डागांव में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना के तहत व्यय राशि

15. (क्र. 317) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना का प्रारंभ कब किया गया है ? उक्त योजना के प्रारंभ से लेकर वर्तमान अवधि तक जिला कोण्डागांव विभिन्न मर्दों में कितनी राशि का व्यय किया गया ? वर्षवार, मदवार विवरण प्रदान करें ? (ख) मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना के संबंध में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है ? विवरण प्रदान करें ? पूर्व शासन द्वारा संचालित नवा योजना से यह किस प्रकार भिन्न है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 02 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया. कोण्डागांव जिले में योजना प्रारंभ से लेकर जून 2020 तक कुल राशि रुपये 4,50,25,541.00 रुपये (अक्षरी चार करोड़ पचास लाख पच्चीस हजार पांच सौ इकचालीस रुपये) व्यय किया गया. विभिन्न मर्दों में किये गये व्यय का वर्षवार एवं मदवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है. (ख) मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एवं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के संबंध में प्रसारित निर्देशों की प्रति परिशिष्ट “स” अनुसार संलग्न है. पूर्व शासन द्वारा संचालित नवा जतन योजना से इस योजना के भिन्न होने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर है.

जिला कोण्डागांव में संचालित शासकीय एवं निजी मछली पालन हेतु उत्पादन केन्द्र

16. (क्र. 318) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में कुल कितने शासकीय एवं निजी मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र हैं ? उक्त मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र किस वर्ष से संचालित हैं ? (ख) शासकीय मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र में वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 में कितना मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा था ? लक्ष्य के विरुद्ध कितना उत्पादन हुआ ? मत्स्य बीज विक्रय से कुल कितनी आय हुई ? (ग) क्या शासकीय मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र का संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, या किसी संस्था के माध्यम से ? उक्त अवधि में राज्य शासन के द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन हेतु कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) कोण्डागांव जिले में कुल 02 शासकीय एवं 03 निजी मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र हैं. उक्त उत्पादन केन्द्रों की जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) शासकीय मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक वर्षवार मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य, उपलब्धि एवं मत्स्य बीज विक्रय से प्राप्त आय की जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (ग) जी हाँ, शासकीय मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र का संचालन विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है. जिला कोण्डागांव में मछली उत्पादन हेतु वर्षवार प्रदान अनुदान की राशि की जानकारी निम्नानुसार है-

स. क्र.	वर्ष	अनुदान की राशि (लाख रु.)
1.	2017-18	7.08
2.	2018-19	8.00
3.	2019-20	5.00
4.	2020-21	7.44
योग		27.52

जिला धमतरी अन्तर्गत मगरलोड के करकरा बांध में लाइनिंग कार्य

17. (क्र. 339) **डॉ. लक्ष्मी धुव** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धमतरी जिले के मगरलोड ब्लाक में करकरा बांध में लाइनिंग कार्य (कांक्रिटीकरण) किस कारण से नहीं किया गया जा रहा है ? लाइनिंग कार्य (कांक्रिटीकरण) कब तक किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : धमतरी जिले के मगरलोड ब्लाक में करकरा बांध के नाम से कोई सिंचाई योजना संचालित नहीं है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

मछली चारा यूनिट हेतु वितरित अनुदान

18. (क्र. 369) **श्री अनूप नाम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोण्डागांव, धमतरी एवं कांकेर अंतर्गत मछली चारा यूनिट (चारा बनाने)के लिए विभाग में कोई योजना है ? यदि हां तो कब से संचालित है ? क्या किसी मछुआ समिति या संस्था को उक्त यूनिट स्थापना के लिए वर्ष 2017-18 से 27-11-2020 तक अनुदान दिया गया है ? यदि हां तो कब और कितने यूनिटों को शामिल किया गया ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार शामिल किये गये यूनिटों के नाम, समिति के नाम, अनुदान की राशि बताएं ? अगर यूनिट बंद चल रही हो तो इसके क्या कारण है ? (ग) क्या प्रश्नांश “क” अनुसार मछली चारा यूनिट योजना के संचालन में कोई शिकायत हुई या विभाग के संज्ञान में आयी थी ? यदि हां तो शिकायत में किसे दोषी पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हाँ, मछली चारा यूनिट निर्माण के लिये विभाग के नील क्रांति योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 27-11-2020 तक जिला-कोण्डागांव, धमतरी एवं कांकेर में योजना संचालित है.

जिला कोण्डागांव :- वर्ष 2017-18 से 27-11-2020 तक LWE (SCA) योजना अंतर्गत मिनी मत्स्य चारा उत्पादन कार्य हेतु एक मछुआ समूह को शामिल किया जाकर अनुदान दिया गया है.

जिला धमतरी :- योजना संचालित है किन्तु चारा यूनिट स्थापित नहीं है.

जिला कांकेर :- योजना संचालित है. वर्ष 2017-18 से 27-11-2020 तक 01 यूनिट परलकोट मछुआ कल्याण समिति शुभापल्ली, पंखाजूर को योजना में शामिल करते हुए अनुदान दिया गया है.

(ख) प्रश्नांक-ख अंतर्गत जानकारी निम्नानुसार है :-

जिला कोण्डागांव -श्री गणेश मत्स्य आहार उत्पादन समूह अनुदान राशि रु.17.968 लाख. इकाई स्थापना कार्य प्रगति पर है.

जिला धमतरी - निरंक

जिला कांकेर - परलकोट मछुआ कल्याण समिति, शुभापल्ली पंखाजूर अनुदान राशि रु. 50.00 लाख. इकाई स्थापना कार्य प्रगति पर है.

(ग) प्रश्नांक-ग की जानकारी निम्नानुसार है :-

जिला कोण्डागांव -कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

जिला धमतरी - कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई.

जिला कांकेर - मछली चारा यूनिट योजना संचालन में शिकायत संज्ञान में आई है, शिकायत संबंधी जांच प्रक्रियाधीन है.

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं

19. (क्र. 371) **श्री अनूप नाम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं अर्थात् पेयजल, बिजली भवन एवं शौचालय की उपलब्धता है? (ख) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में ऐसे कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जो किराये के मकान में संचालित हैं ? उक्त भवन विहीन केन्द्रों में भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में 747 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा सभी संचालित केन्द्रों में पेयजल उपलब्ध है तथापि 330 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 50 मीटर की दूरी की परिधि में पेयजल स्रोत की सुविधा उपलब्ध है, 273 केन्द्रों में बिजली, 593 केन्द्रों के स्वयं के भवन एवं 298 केन्द्रों में शौचालय की उपलब्धता है. (ख) विधान सभा क्षेत्र अंतागढ़ में 109 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के मकान में संचालित हैं. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृत किये जाते हैं. स्वयं के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं.

संजारी बालोद में वि. स. क्षेत्र में चेक डेम एवं स्टॉप डेम का निर्माण

20. (क्र. 382) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 से 01 दिसंबर, 2020 तक संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा भू-जल संरक्षण हेतु कहीं-कहीं पर चेक डेम एवं स्टॉप डेम बनाया गया ? लागत सहित जानकारी दें. (ख) उवतावधि में निर्मित चेक डेम एवं स्टॉप डेम से कितने हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जा रही है ? (ग) कण्डिका (क) के किन-किन चेकडेम एवं स्टॉप डेम की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

सरगुजा जिले में माइक्रो वाटरशेड योजना अंतर्गत कार्यों से लाभान्वित कृषक

21. (क्र. 432) डॉ. **प्रीतम राम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में माइक्रो वाटरशेड योजना अंतर्गत जनवरी 2019 से वर्तमान तक किन-किन स्थानों में कितनी-कितनी लागत से कौन-कौन से एजेंसी तथा एनजीओ के माध्यम से कार्य कराए गए ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें उक्त किए गए कार्य की प्रति ईकाई लागत दर कितनी है ? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए स्थल चयन के क्या मापदण्ड हैं, उक्त योजना अन्तर्गत निर्माण किए गए कार्य से कितने किसानों के कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई तथा फसल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इस संबंध में लाभान्वित हितग्राहियों की सूची अनुसार वर्षवार जानकारी प्रदान करेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) सरगुजा जिले में माइक्रो वाटरशेड योजना अंतर्गत जनवरी 2019 से दिनांक 15-12-2020 तक विधानसभा क्षेत्रवार, स्थानवार लागतवार, एजेंसीवार कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) माइक्रो वाटरशेड योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थल का चयन ड्रेनेज लाईन (जल निकास), स्थल का स्लोप, जल की उपलब्धता, मिट्टी का प्रकार, मिट्टी कटाव, बेसलाईन सर्वे, भौगोलिक क्षेत्र एवं कमाण्ड एरिया आदि के आधार पर किया जाता है. प्रश्नांश “क” की अवधि किये गये कार्यों से सिंचित भूमि, फसल उत्पादन में संभावित प्रतिशत वृद्धि तथा लाभान्वित हितग्राहियों की सूची † संलग्न परिशिष्ट पर है.

विधानसभा क्षेत्र लुण्डा में रेडी टू ईट की गुणवत्ता की प्राप्त शिकायतों की जांच

22. (क्र. 433) डॉ. **प्रीतम राम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लुण्डा विधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित रेडी टू ईट का निर्माण किन-किन समूहों के द्वारा संचालित है ? (ख) क्या इसकी गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है यदि हाँ तो शिकायत की जांच कब-कब, किन-किन अधिकारियों के द्वारा करायी गयी है ? एवं समूहों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) महतारी जतन कार्यक्रम के तहत लुण्डा विधानसभा में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? इसमें कितनी राशि व्यय की गयी ? क्या इसकी राशि समयावधि में दी गयी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) लुण्डा विधानसभा क्षेत्र में रेडी टू ईट का निर्माण कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) महतारी जतन योजना अंतर्गत लुण्डा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 (माह नवम्बर तक) में औसत रूप से 2549 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया. इन हितग्राहियों पर कुल 36,43,892/- रुपये का व्यय किया गया. जी हाँ, राशि समयावधि में दी गई है.

छ. ग. प्रदेश के जिलों में धान, मक्का एवं अन्य फसलों के बीज अमानक होने के प्राप्त शिकायतें

23. (क्र. 440) श्री **धनेन्द्र साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ. ग. प्रदेश के खरीफ वर्ष 2020 में किस-किस जिलों में धान, मक्का या अन्य किसी फसलों के बीजों का असफल होने एवं कीटनाशक दवाइयों का अमानक होने से फसल खराब होने की कितनी शिकायतें सही पायी गयी एवं दोषी लोगों पर क्या-क्या कार्यवाही किसके-किसके विरुद्ध की गयी ? एवं बीज एवं कीटनाशक दवाई के अमानक होने से हुई फसल की खराबी पर किसानों को क्षति पूर्ति देने शासन द्वारा क्या-क्या प्रावधान किये गए है कृपया पूरी जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रदेश में खरीफ वर्ष 2020 में फसलों के बीजों के असफल होने से फसल के खराब होने के संबंध में जिलावार, फसलवार प्राप्त शिकायतों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है. कीटनाशक दवाइयों के अमानक होने से फसल के खराब होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि., द्वारा वितरित प्रमाणित बीजों में अंकुरण संबंधी शिकायत की पुष्टि होने पर कृषकों को “बीज के बदले बीज” अथवा “बीज के बदले बीज के मूल्य के बराबर की राशि प्रतिपूर्ति करने” का प्रावधान है. किन्तु अतिवृष्टि, अत्याधिक सूखा आदि मौसम की प्रतिकूलता से अंकुरण प्रभावित होने पर क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी. किसी भी विभागीय योजनांतर्गत बीज एवं कीटनाशक दवाई के अमानक होने से फसल के खराब होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान नहीं है.

महानदी में राजिम संगम स्थल तक आवागमन हेतु निर्माणाधीन सबमर्सीबल ब्रिज की प्रशासकीय स्वीकृति

24. (क्र. 441) श्री **धनेन्द्र साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग छ. ग. शासन

द्वारा महानदी में राजिम संगम स्थल तक आवागमन हेतु सबमर्सिबल ब्रिज के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति कुल कितनी राशि एवं किस तारीख को प्रदान की गई थी ? (ख) इस कार्य के लिए निविदा कब-कब बुलाई गई थी, उक्त निर्माण का ठेका किस कम्पनी या ठेकेदार को कब दिया गया यदि नहीं तो किस कारणों से अभी तक उक्त निर्माण कार्य का ठेका नहीं दिया गया है? कब तक उक्त कार्य को ठेका दे दिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) महानदी के राजिम संगम स्थल तक आवागमन हेतु सबमर्सिबल ब्रिज के निर्माण तथा अनुषांगिक कार्यों की रू. 2557.63 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 05-12-2016 को प्रदान की गई है. (ख) उक्त कार्य के लिए चार बार निविदा क्रमशः दिनांक 27-04-2017, 17-11-2017, 30-01-2018 एवं 16-03-2018 को आमंत्रित की गई थी. निविदा में निविदाकारों द्वारा निर्धारित योग्यता मापदण्ड पूर्ण न कर पाने एवं पुनर्अमंत्रण में निविदाकारों द्वारा भाग न लेने के कारण निर्माण एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका है. समीक्षा करने पर पाया गया कि ब्रिज निर्माण कार्य हेतु जल संसाधन विभाग की विभागीय दरें लोक निर्माण विभाग में प्रचलित दरों से कम है. अतः लोक निर्माण विभाग में प्रचलित दर अनुसूची के आधार पर उक्त कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भेजा गया है. जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात एवं निविदा की समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरांत कार्य का अनुबंध किया जायेगा.

बजट में स्वीकृत सूक्ष्म सिंचाई योजना की स्थिति

25. (क. 518) **श्री अजय चन्द्राकर :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोड़ेबोड़ सूक्ष्म सिंचाई योजना (जिला-धमतरी) एवं दुलना सूक्ष्म सिंचाई योजना (जिला रायपुर) की लागत कितनी है ? उसकी प्रशासकीय स्वीकृति कब की गयी ? वर्ष, महीने, दिनांक सहित बतावें ? उसकी निर्माण एजेंसी कौन सी है और कार्य को कब तक पूरा किया जाना था ? अभी कार्य का कितना प्रतिशत हो गया है ? और यदि पूरा नहीं हुआ है तो उसके कारण क्या है, और कब पूरा हो जाएगा ? (ख) ग्राम-बिरेझर मुल्ले एवं घरमुड़िया वि. ख. कुरुद जिला धमतरी की सूक्ष्म सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं एवं लागत कितनी है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नाधीन योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है. जिसका मुख्य कारण सीमित वित्तीय संसाधन है. योजना की लागत लगभग रु. 1135.66 लाख है.

कृषि विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति

26. (क. 561) **डॉ. विनय जायसवाल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विकास अधिकारी के कितने पद वर्तमान में रिक्त है ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) 273 पद. (ख) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी एवं भुगतान

27. (क. 599) **डॉ. रमन सिंह :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने से 15 नवम्बर, 2020 तक कितने-कितने हितग्राहियों से कितना-कितना गोबर खरीदा गया एवं कितना-कितना भुगतान किया गया? जिलेवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या गोधन न्याय के क्रियान्वयन में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो जिलेवार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश “क” के अंतर्गत क्रय किये गये गोबर से कितनी जैविक खाद का उत्पादन हुआ ? जैविक खाद का कितना विक्रय हुआ तथा कितना मंडारण शेष है ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें.

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

प्रदेश में गौठान निर्माण

28. (क. 600) **डॉ. रमन सिंह :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अब तक कितने गौठानों का

निर्माण कार्य किया गया है और गौठानों के निर्माण हेतु किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि का आहरण किया गया है ? वर्तमान में कितने गौठान संचालित है ? (ख) गौठानों में गायों के चारे और पानी की व्यवस्था हेतु कितनी राशि किस मद से आबंटित की गई है ? जिलेवार विवरण देवे ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रदेश में अब तक 4724 गौठानों का निर्माण किया गया है और गौठानों के निर्माण हेतु मन्रेगा मद से रु. 23091.8 लाख, 14वें वित्त मद से रु. 4755.1 लाख, रूबन मद से रु. 321.63 लाख, डी.एम.एफ मद से रु. 1816.16 लाख, प्राधिकरण मद से रु. 1568.56 लाख एवं अन्य मद से रु. 928.05 लाख, इस प्रकार कुल राशि रु. 32481.31 लाख का आहरण किया गया है. वर्तमान में 4573 गौठान संचालित है. (ख) गौठानों में गायों के चारे और पानी की व्यवस्था हेतु मदवार आबंटित राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट में † संलग्न है.

गंगरेल जलाशय एवं रूद्री बैराज के मरम्मत एवं रखरखाव में व्यय राशि

29. (क्र. 603) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गंगरेल जलाशय एवं रूद्री बैराज के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में राशि का प्रावधान किया गया था ? यदि हां तो उक्त वर्ष में कितना प्रावधान था, कितना आबंटन प्राप्त हुआ है ? आबंटित राशि में किन-किन कार्यों में कितनी राशि व्यय किया गया ? वर्षवार, कार्यवार व्यय की जानकारी देवे ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : जी हाँ, जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में दर्शित है.

गंगरेल जलाशय में मछली पालन हेतु प्रदत्त पट्टा

30. (क्र. 604) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गंगरेल जलाशय को मछली पालन हेतु पट्टा दिया गया है ? यदि हां तो किस आधार पर किस व्यक्ति संस्था या पंजीकृत मछुआ समिति को कितने वर्षों के लिए, किस दर पर पट्टा दिया गया है ? कितने व्यक्ति संस्था या मछुआ सहकारी समिति ने गंगरेल जलाशय में मछली पालन हेतु पट्टा के लिए आवेदन दिये थे ? नाम पता सहित जानकारी देवे ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : गंगरेल जलाशय को मछलीपालन हेतु पट्टे पर नहीं दिया गया है. अतः जानकारी निरंक समझी जावे.

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में संचालित लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ

31. (क्र. 612) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ संचालित है ? कितने ग्राम के कितने कृषकों को इसका लाभ मिल रहा है ? परियोजनावार जानकारी देवे ? (ख) वर्ष 2018 से अक्टूबर 2020 के मध्य सिंचाई परियोजनाओं/बांधों के नहरों के निर्माण/पक्कीकरण का कार्य कहाँ-कहाँ स्वीकृत किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) परियोजनाएँ, ग्रामों एवं लाभान्वित कृषकों की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) वर्ष 2018 से अक्टूबर 2020 के मध्य 29 सिंचाई परियोजनाओं/बांधों के नहरों के निर्माण/पक्कीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया जिसका विस्तृत विवरण ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

जिला रायपुर में कुपोषण नियंत्रण हेतु व्यय राशि

32. (क्र. 613) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं अक्टूबर 2020 तक की स्थिति में विभिन्न विकासखण्डों में चिन्हाकित किये गये कुपोषित बच्चों की जानकारी वर्षवार, विकासखण्डवार देवे ? (ख) उक्त अवधि में कुपोषण के नियंत्रण पर कितनी राशि व्यय की गई है ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवे ? (ग) कुपोषण पर नियंत्रण पाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) प्रश्नांश की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार संलग्न है। (ख) प्रश्नांश की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” तथा † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है। (ग) कुपोषण पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं तथा संबंधित विभागीय योजनाओं के माध्यम से विविध प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें पूरक पोषण आहार का प्रदाय, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, महतारी जतन योजना, वजन त्रयोहार का आयोजन, सामुदायिक जनजागरण से संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना एवं जिला स्तर पर स्थानीय प्रयास प्रमुख उल्लेखनीय हैं।

जिला बलौदा बाजार-भाटापारा में सिंचाई क्षमता के विस्तार हेतु स्वीकृत कार्य

33. (क. 621) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत सिंचित रकबा कितना है ? विधानसभा क्षेत्रवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के क्षेत्र में सिंचाई रकबा क्षेत्र में वृद्धि के लिए कौन-कौन से कार्य वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में स्वीकृत किए गए तथा कितनी-कितनी लागत के ? (ग) कंडिका “क” क्रियान्वयन से कितने क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विस्तार संभावित है, कार्य कब तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन जिले में सिंचित रकबा 131574 हेक्टेयर है। विधानसभा क्षेत्रवार रकबा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शित है। (ख) सिंचाई रकबा के वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में स्वीकृत किए गए कार्यों एवं उनकी लागत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दर्शित है। (ग) स्वीकृत योजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 23802 हेक्टेयर रकबा में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विस्तार संभावित है। स्वीकृत कार्यों के पूर्णता का लक्ष्य वर्ष 2021-22 है।

जॉजगीर चाम्पा जिले में खनिज संस्थान न्यास मद से प्राप्त राशि से स्वीकृत कार्य

34. (क. 632) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जॉजगीर चाम्पा जिले में कृषि विभाग के माध्यम से जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से प्राप्त राशि से वर्ष 2020 में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) जिला खनिज संस्थान न्यास मद से प्राप्त राशि से सामग्री क्रय किसके माध्यम से किया गया है ? मदवार जानकारी दें ? (ग) क्या सही है कि क्रय सामग्री बाजार में उपलब्ध दर से अधिक दर पर क्रय की गयी है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर है। (ग) जी नहीं।

जिला जांजगीर चांपा में भूमि जल संरक्षण एवं संग्रहण के योजना हेतु स्वीकृत कार्य

35. (क. 633) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भूमि जल संरक्षण एवं संग्रहण के लिए कौन-कौन सी योजना संचालित है ? (ख) भूमि जल संरक्षण एवं संग्रहण संबंधित निर्माण कार्य किसके माध्यम से किया जाना है ? (ग) जांजगीर-चाम्पा जिला में भूमि जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कौन से निर्माण कार्य किये गये हैं और कितने क्षेत्रफल में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गयी है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला जांजगीर चांपा में कृषि विभाग अंतर्गत भूमि जल संरक्षण एवं संग्रहण के लिए एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम, लघुतम सिंचाई तालाब योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित है। (ख) एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत निर्माण कार्य कृषि विभाग के माध्यम से जलग्रहण समिति के द्वारा एवं लघुतम सिंचाई तालाब योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत उक्त कार्य सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के द्वारा निर्माण कार्य कराये जाते हैं। (ग) जांजगीर चांपा जिले में भूमि जल संरक्षण एवं संग्रहण का निर्माण कार्य संबंधी वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्माण कार्य	सिंचाई क्षमता (क्षेत्रफल)
2019-20	स्टॉपडेम, चेकडेम, डबरी एवं फॉर्म पॉण्ड	60.427
2020-21	भूमि जल संरक्षण एवं संग्रहण संबंधी निर्माण कार्य निरंक है।	

दुर्ग विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही

36. (क्र. 644) श्री अरूण चौरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्त पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद पेंशन एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ कितने हितग्राहियों का मिल रहा है ? संख्यात्मक जानकारी योजनावार नवम्बर 20 की स्थिति में अवगत करावें। (ख) पेंशन का भुगतान कब तक किया गया है ? योजनावार पृथक-पृथक अवगत करावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) दुर्ग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माह नवम्बर, 2020 की स्थिति में विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	योजना का नाम (2)	लाभान्वित हितग्राही (3)
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	6,325
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	2,277
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	339
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	4,630
5.	सुखद सहारा योजना	3,307
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	129
योग		17,007

(ख) सभी योजनाओं में माह नवम्बर, 2020 तक की पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

दुर्ग जिले में जिला खनिज न्यास निधि से महिला एवं बाल विकास को प्रदत्त राशि

37. (क्र. 645) श्री अरूण चौरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग जिला अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में जिला खनिज न्यास निधि से महिला एवं बाल विकास विभाग को किन-किन कार्यों के लिए कितनी कितनी राशि प्रदाय की गई ? 30 नवम्बर, 20 की स्थिति में कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण एवं कितने अप्रारंभ है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	प्रदाय की गई राशि	कार्य की स्थिति
1.	2018-19	निरंक	निरंक	निरंक
2.	2019-20	कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने हेतु अतिरिक्त पौष्टिक आहार प्रदाय करने की कार्ययोजना	12044000= 00	पूर्ण
3.	2019-20	कुपोषण एवं एनीमिया ग्रस्त बच्चों तथा शिशुवती माताओं को सुपोषित करने हेतु गरम भोजन प्रदाय करने की कार्ययोजना	13348000= 00	पूर्ण

जिला जांजगीर-चांपा एवं कोरबा में माइक्रो मनेजमेंट तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वीकृत अनुदान के लंबित देयक

38. (क्र. 653) **श्री ननकीराम कंवर** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माइक्रो मनेजमेंट और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कृषि यंत्रों का स्वीकृत अनुदान जिला जांजगीर-चांपा एवं कोरबा में कितने कृषकों का अनुदान देयक लंबित है ? (ख) लंबित देयकों के लिये राशि की मांग उप संचालक कृषि जांजगीर-चांपा एवं कोरबा के द्वारा संचालक कृषि से कब-कब की गयी है ? (ग) क्या उक्त संबंध में शिकायत की गयी थी ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) कोरबा जिले में मेक्रोमनेजमेंट योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 के 9 एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 के 18 कृषकों के ट्रेक्टर पर अनुदान के देयक लंबित है, तथा जांजगीर जिले में अनुदान देयक लंबित नहीं है. (ख) उप संचालक कृषि जिला जांजगीर-चांपा द्वारा लोक सुराज अभियान अंतर्गत प्राप्त आवेदन के निराकरण हेतु सूची के आधार पर राशि रु. 23.80 लाख की मांग पत्र क्रमांक-436 दिनांक 04-05-2017 के माध्यम से संचालक कृषि से की गई. उप संचालक कृषि जिला-कोरबा द्वारा पत्र क्र. 68 दिनांक 05-04-2016 के माध्यम से मेक्रोमनेजमेंट एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि रु. 12.15 लाख की मांग की गई. (ग) उप संचालक कृषि जिला जांजगीर-चांपा को लोक सुराज अभियान 2017 में प्रीतम ट्रेक्टर सर्वती से शिकायत प्राप्त हुई थी. माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र-रामपुर, जिला कोरबा द्वारा पत्र दिनांक 12-09-2019 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, छ. ग. शासन तथा पत्र दिनांक 19-09-2019 के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री छ. ग. शासन को जांजगीर-चांपा एवं कोरबा जिले में ट्रेक्टर के लंबित अनुदान देयकों का भुगतान हेतु लेख किया गया है. जिसके परिप्रेष्य में तत्कालीन उप संचालक कृषि जिला-जांजगीर चांपा एवं कोरबा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है. जिसका प्रतिवाद उत्तर संबंधितों से प्राप्त हो चुका है. जिसके परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती

39. (क्र. 658) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा उक्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता व सहायिका के कितने पद रिक्त है तथा रिक्त पदों पर भर्ती कब तक कर दी जावेगी ? (ख) उक्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने स्वयं के भवन में संचालित नहीं हो रहे हैं ऐसे केन्द्रों में भवन निर्माण हेतु शासन की क्या योजना है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) प्रदेश में कुल 51556 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है. संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता के 2176 पद एवं सहायिका के 3235 पद रिक्त है. रिक्त पदों पर भर्ती हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) उक्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में 12250 स्वयं के भवन में संचालित नहीं हो रहे हैं. वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर मनरेगा के अभिसरण से जिला स्तर पर उपलब्ध निधि से एवं राज्य निधि से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराने का प्रयास है.

प्रदेश में वितरित विभिन्न पेंशन हेतु पात्रता

40. (क्र. 659) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किन-किन योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा पेंशन का वितरण किया जा रहा है तथा उक्त योजनाओं में हितग्राही के लिए क्या पात्रता है तथा किस किस योजना में कितनी-कितनी राशि हितग्राही को प्रदान की जाती है ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि में वृद्धि की कोई योजना है ? यदि हां तो कितनी-कितनी तथा कब-कब से की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) जानकारी परिशिष्ट † संलग्न है. (ख) पेंशन राशि में वृद्धि विचाराधीन है. राशि एवं समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला राजनांदगांव में महिला एवं बाल विकास को प्राप्त आबंटन एवं व्यय

41. (क्र. 662) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2018-19 से 30 नवंबर, 2020 तक महिला एवं बाल विकास विभाग को शासन द्वारा किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है, तथा किस योजना में कितनी राशि खर्च हुई ? वर्षवार, योजनावार, विकासखण्डवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : राजनांदगांव जिले में वर्ष 2018-19 से 30 नवंबर, 2020 तक संचालित योजनाओं अन्तर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि की वर्षवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ ” एवं “ब ” अनुसार है.

प्रदेश में नोनी सुरक्षा योजना के तहत पंजीबद्ध प्रकरण

42. (क्र. 663) **श्रीमती छव्नी चन्दू साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2018-19 से 30 नवंबर, 2020 तक नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध है ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावे ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार कितने आवेदन ऑफलाइन एवं कितने आवेदन ऑनलाइन हैं ? सभी हितग्राहियों के आवेदन ऑनलाईन नहीं होने के क्या कारण है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) प्रदेश में वर्ष 2018-19 से 30 नवंबर, 2020 तक नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत जिलावार पंजीबद्ध प्रकरण की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न अनुसार है. (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार 32044 आवेदन ऑफलाइन है इनमें से 24419 आवेदनों को ऑनलाइन किया जा चुका है. हितग्राहियों के दस्तावेज पूर्ण न होने, नेटवर्क की समस्या, सर्वर डाउन होने, वेबसाइट में तकनीकी समस्या आने आदि कारणों से शेष 7625 ऑफलाइन आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पाया है. शेष ऑफलाइन आवेदनों को ऑनलाइन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

डोंगरगढ़ तहसील में कृषि भूमि का रकबा

43. (क्र. 670) **श्री मुनेश्वर शोमाराम बघेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तहसील में कितने हेक्टेयर कृषि भूमि है ? (ख) तहसील डोंगरगढ़ में कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित है ? सिंचाई के साधन की मदवार जानकारी दें ? (ग) सिंचाई के निजी साधनों की ग्रामवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तहसील में 55,399 हेक्टेयर कृषि भूमि है. (ख) तहसील डोंगरगढ़ में 15,539 भूमि सिंचित है. सिंचाई के साधन की मदवार सूची निम्नानुसार है-

क्र.	सिंचाई स्रोत	सिंचित क्षेत्र (हे.)
1.	नहर	9067
2.	जलाशय	124
3.	तालाब	10
4.	नलकूप	6000
5.	कूप	130
6.	चेक डेम	-
7.	नदी-नाले/अन्य	208
	योग	15539

(ग) सिंचाई के निजी साधनों की ग्रामवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

बाल मिश्रावृत्ति के खिलाफ अभियान

44. (क्र. 673) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बाल मिश्रावृत्ति के खिलाफ 01 जनवरी, 2019 से नवंबर, 2020 की अवधि में कब-कब, कहाँ-कहाँ अभियान चलाये गये ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) कड़िका “क” के अभियान में कितने लोगों का चिन्हांकन किया गया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) बाल मिश्रावृत्ति एवं मिश्रावृत्ति की रोकथाम में संलग्न लोगों के विस्थापन के लिए शासन के क्या-क्या निर्देश हैं ? कितने लोगों का विस्थापित किया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला मेड़िया) : (क) बाल मिश्रावृत्ति के खिलाफ 01 जनवरी 2019 से नवंबर 2020 की अवधि में चलाए गये अभियान की तिथिवार, स्थानवार, जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर ‡ संलग्न है. (ख) उत्तरांश “क” अनुसार अभियान में 167 बच्चे चिन्हांकित किए गये. उक्त बच्चों को बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें से 164 बच्चों को बालक कल्याण समिति के आदेशानुसार परिवारों के सुपुर्द किया गया तथा 3 बच्चों को बाल देखरेख संस्था में संरक्षण दिया गया. (ग) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) (ii) के अनुसार ऐसी बालक जिसके बारे में पाया जाता है कि उसने तत्समय

प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है, को देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना गया है तथा बालक कल्याण समिति के माध्यम से उनके संरक्षण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का प्रावधान है. उल्लेखित अवधि में 164 बच्चों को परिवार में पुनर्स्थापित किया गया है.

जिला बलरामपुर में जलाशय, सिंचाई योजना हेतु स्वीकृत राशि एवं भुगतान

45. (क्र. 674) श्री धर्मजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलरामपुर जिले के गम्हरिया जलाशय, खरहरा सिंचाई योजना, खुटपाली योजना के लिए कितनी-कितनी राशि, कब-कब जारी की गई ? योजना की कुल लागत सहित बतावें. (ख) कंडिका “क” की योजना में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं और उनके विरुद्ध कितना-कितना भुगतान किया गया है ? (ग) क्या कंडिका “क” के कार्य में बिना कार्य कराये राशि आहरण कर भुगतान करने एवं निर्माण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) एवं (ख) उत्तर † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) जी हाँ, प्राप्त शिकायत की जाँच प्रक्रियाधीन है.

गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी

46. (क्र. 678) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोबर खरीदी योजना प्रारंभ होने से लेकर दिनांक 30 नवंबर, 2020 तक कुल कितनी मात्रा एवं कितनी राशि की गोबर की खरीदी की गई है ? (ख) सरकार द्वारा क्रय गोबर का क्या-क्या उपयोग किया गया और इससे कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ग) गोबर क्रय हेतु कितनी राशि, किस-किस समूह को कब प्रदान की गई ? बिलासपुर संभाग की जिलेवार जानकारी दें.

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने से लेकर दिनांक 30 नवंबर, 2020 तक कुल 29.31 लाख विव. गोबर की खरीदी की गई, जिसकी कुल राशि रु. 5164.72 लाख है. (ख) गोधन न्याय योजना अंतर्गत क्रय गोबर से गौठानों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रमुखतः वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त स्थानीय मांग अनुसार गोबर दिया, गमला, गौ काष्ठ, अमरबत्ती, मूर्ति, फिनाईल आदि उत्पादन भी किया जा रहा है. इन उत्पादों के विक्रय से दिनांक 15-12-2020 तक कुल राशि रु. 58.309 लाख प्राप्त हुई है. (ग) गोबर क्रय हेतु किसी भी समूह को राशि प्रदाय नहीं की जाती है.

प्रदेश में जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचित रकबा

47. (क्र. 682) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2018-19 में प्रदेश की वास्तविक सिंचाई जल संसाधन विभाग द्वारा कितनी की गयी थी व 2019-20 और 2020-21 में जल संसाधन विभाग द्वारा कितनी सिंचाई की गयी ? (ख) 2019-20 एवं 2020-21 दिसंबर 2020 तक जल संसाधन विभाग द्वारा बजट की कुल कितनी राशि व्यय की गयी है एवं 2020-21 में विभाग का बजट प्रावधान कितना है ? (ग) क्या बजट प्रावधान के अनुपातिक दिसम्बर तक व्यय किया गया है ? सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए विभाग की क्या-क्या कार्य योजना है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल 1089802 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई की गई. वर्ष 2019-20 में 1258078 हेक्टेयर एवं वर्ष 2020-21 में 1251149 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई. विस्तृत जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) वर्ष 2019-20 में रु. 130039.45 लाख एवं वर्ष 2020-21 में नवम्बर 2020 तक रु. 51642.74 लाख व्यय किया गया है. वर्ष 2020-21 रु. 220477.47 लाख का बजट प्रावधान है. विस्तृत जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) प्रश्नांश “ख” में उल्लेखित वर्ष 2020-21 में रु. 220477.47 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर 2020 तक रु. 51642.74 लाख व्यय किया गया है. सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित योजनाओं की सिंचाई क्षमता में कमी को दूर करने हेतु जीर्णोद्धार कार्य, नहरों का कांक्रिटीकरण के साथ-साथ नवीन योजनाओं की भी निर्माण कर सिंचाई सुविधा बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है.

प्रदेश में गोबर की खरीदी एवं भुगतान

48. (क्र. 683) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में गोबर खरीदी हेतु

कितनी समितियों का गठन किया गया है ? दिनांक 30-11-2020 तक कितनी मात्रा में गोबर की खरीदी की गई तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया ? जिलावार जानकारी दें। (ख) अब तक केंचुआ खाद निर्माण हेतु कितना वर्मीपिट का निर्माण तथा कितना वर्मी बेड का वितरण किया गया है, एवं अनुदान कितना-कितना दिया गया ? जिलेवार जानकारी दें। (ग) क्या वर्मीपिट व वर्मीबेड में खाद निर्माण हेतु केंचुआ भी अनुदान में दिया जा रहा है ? हां तो कितना, अनुदान दिया गया ? (घ) क्या गोबर खरीदी के अनुपात में केंचुआ खाद निर्माण हेतु संरचना तैयार है ? यदि नहीं तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) (ख) एवं (ग) की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है। (घ) गोबर खरीदी के अनुपात में केंचुआ खाद निर्माण हेतु गौठानों में वर्मी टांका का निर्माण कराया जा रहा है। अत्याधिक गोबर आवक वाले गौठानों में वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग तथा कम लागत एवं टिकाऊ केंचुआ खाद निर्माण तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

प्रदेश में पेंशनधारी हितग्राहियों का लंबित भुगतान

49. (क्र. 686) **श्री नारायण चंदेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में विभाग द्वारा वर्तमान में कुल कितनी पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है ? पेंशन देने का मापदण्ड क्या है ? (ख) जांजगीर-चांपा जिले में जनवरी 2018 से 25 नवंबर, 2020 तक की स्थिति में कुल कितने हितग्राहियों को कौन-कौन सी पेंशन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ग) प्रश्न “ख” के अंतर्गत क्या उक्त जिले के पेंशनधारी हितग्राहियों की भुगतान राशि लंबित है ? यदि हां तो कब से लंबित है, इसका कारण क्या है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” †† संलग्न है। (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” †† संलग्न (ग) जिला जांजगीर-चांपा के कोई भी हितग्राही का पेंशन लंबित नहीं है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में किसानों के हित में संचालित योजनाएं

50. (क्र. 687) **श्री नारायण चंदेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा किसानों के हितों में कौन-कौन योजनाएं कब से संचालित की जा रही है ? (ख) जांजगीर-चांपा जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 25 नवंबर, 2020 तक कृषि विभाग द्वारा किन-किन विकासखण्डों में मुपत/सब्सिडी में कौन-कौन से कृषि यंत्र प्रदाय किये गये हैं ? (ग) जिला जांजगीर-चांपा में 1 जनवरी, 2018 से 25 नवंबर, 2020 तक किन-किन विकासखण्ड में कितने-कितने किसानों की भूमि/खेतों में सब्सिडी के तहत नलकूप खनन किया गया है ? प्रत्येक किसान को कितनी-कितनी राशि सब्सिडी के तहत नलकूप खनन हेतु दी गयी है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (घ) प्रश्न “ग” के जिले में कितने किसानों को नलकूप खनन की सब्सिडी की राशि का भुगतान हो गया है और कितने का भुगतान लंबित है ? भुगतान लंबित होने का कारण क्या है ? इस हेतु कौन दोषी है ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (घ) प्रश्नांश “ग” अनुसार जांजगीर चांपा जिले में किसानों को नलकूप खनन पर अनुदान भुगतान किये गये अनुदान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। प्रश्नाधीन अवधि तक अनुदान भुगतान संबंधी कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राजनांदगांव जिले के कोतरी नदी में नादिया नेड़गांव एनीकट का निर्माण

51. (क्र. 690) **श्री धरमलाल कौशिक :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के कोतरी नदी में नादिया नेड़गांव एनीकट का निर्माण कब हुआ व कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) एनीकट निर्माण में निर्माण एजेंसी कौन थी तथा निर्माण एजेंसी को तत्कालीन किस-किस कार्यपालन अभियंता द्वारा कितने-कितने भुगतान/भुगतान की अनुशंसा कब की गई ? नामवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश “क” अनुसार एनीकट निर्माण में अनियमितता या अन्य कारणों से किस-किस अधिकारी को कब-कब नोटिस जारी की गई व उन पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ? नामवार जानकारी दें। नोटिस पश्चात विलंब से कार्यवाही करने के क्या कारण है व इस संबंध में कौन वरिष्ठ अधिकारी दोषी है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राजनांदगांव जिले के कोतरी नदी में नादिया नेडगांव एनीकट का निर्माण दिनांक 26-05-2015 को पूर्ण हुआ व राशि रु. 391.73 लाख व्यय की गई है। (ख) एनीकट निर्माण में निर्माण कार्य एजेसी मेसर्स छगन लाल गुप्ता, अ-5 वर्ग टेकेदार दुर्ग थे, तथा निर्माण एजेसी को संबंधित तत्कालीन कार्यपालन अभियंताओं द्वारा कुल राशि रु. 334.94 लाख की भुगतान की गई है। नामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) प्रश्नांश “क” अनुसार एनीकट निर्माण में अनियमितता या अन्य कारणों से संबंधित 04 तत्कालीन कार्यपालन अभियंताओं यथा श्री डी. सी. जैन, श्री एस. के. टीकम, श्री आर. पी. साब एवं श्री डी. एम. बुर्डे को कारण बताओं सूचना तथा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री एस. के. त्रिवेदी एवं उपअभियंता श्री एस. एल. साहू और व्ही. के. सोनी को दिनांक 30-11-2019 को आरोप पत्र जारी किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।

कृषि उपज मंडियों में धान की खरीदी

52. (क्र. 691) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में धान की खरीदी इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो गई है ? यदि हाँ तो कुल कितना धान अक्टूबर 2020 से प्रश्न दिनांक तक कृषि उपज मंडियों में विक्रय हुआ ? जिलेवार, माहवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार कितने न्यूनतम, अधिकतम मूल्य पर प्रति विंटल धान विक्रय किया गया है ? जिलेवार जानकारी दें। कितने प्रतिशत धान समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय हुआ है ? (ग) क्या मंडी एक्ट में मंडियों में समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अनाज न बेचे जाने के प्रावधान है यदि हाँ तो क्या प्रावधान है ? प्रदेश में इसे कब लागू किया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हाँ, जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा-36 की उपधारा-03 में प्रावधान है कि मंडी प्रांगण में विक्रय के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि उपज की कीमत (इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली या खुली निलामी या दोनों) द्वारा तय की जायेगी तथा तय हुए मूल्य में किसी भी कारण से कटौती नहीं की जायेगी। परन्तु मंडी-प्रांगण में ऐसी कृषि उपज की, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित की गई है और जिसके क्रय के लिए शासन द्वारा एजेसी नियुक्त की गई हो कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जाएगी जो इस प्रकार घोषित की गई है, और मंडी प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारंभ नहीं होने दी जाएगी। तथा मंडी समितियों के लिए प्रभावशील आदर्श उपविधि सन् 2009 के क्रमांक 16(5) में विक्रेता कृषक के सहमति उपरांत अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय किये जाने का प्रावधान है, जो कि वर्तमान में प्रभावशील है। मंडी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधान अनुसार ही क्रय विक्रय संपादित किया जा रहा है।

जिला मुंगेली में एनीकट, स्टापडेम, चेकडेम एवं नहर निर्माण की स्वीकृति

53. (क्र. 700) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली जिले में कहीं-कहीं कितनी-कितनी लागत से एनीकट स्टापडेम, चेकडेम एवं नहर निर्माण कार्य स्वीकृत एवं प्रस्तावित है ? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण किए गए हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं ? स्वीकृत कार्यों को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) एवं (ख) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के तालाबों/बांधों का मछली पालन हेतु आबंटन

54. (क्र. 710) **श्रीमती उत्तरी मनपत जांगड़े** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ में किन-किन तालाबों/बांधों को मछली पालन के लिए चिन्हित किया गया स्थान, नगर का ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका (क) के क्षेत्र में किन-किन मछुवारा/स्व सहायता समूहों को कौन-कौन से स्थान पर मछली पालन के लिए आबंटित किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “एक ” पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “दो ” पर है।

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

55. (क. 711) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड सारंगढ़ एवं विकासखण्ड बरमकेला में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? उक्त आंगनबाड़ी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वयं के भवन हैं कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन नहीं हैं ? नाम सहित जानकारी दें ? (ख) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए कब तक भवन की स्वीकृत प्रदान की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड सारंगढ़ एवं विकासखण्ड बरमकेला में 554 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 426 आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वयं के भवन हैं, 128 आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन नहीं हैं. नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पद

56. (क. 712) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड सारंगढ़ एवं विकासखण्ड बरमकेला के कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त हैं ? जानकारी दें ? (ख) रिक्त पदों में पदस्थापना कब तक की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड सारंगढ़ में 03 कार्यकर्ता, 07 सहायिका एवं विकासखण्ड बरमकेला में 15 कार्यकर्ता, 15 सहायिका के पद रिक्त हैं. (ख) रिक्त पदों पर पदपूर्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

बस्तर संभाग में कुपोषण की स्थिति

57. (क. 715) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत विगत 3 वर्षों की कुपोषण की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें ? (ख) कुपोषण से बचाव के लिए राज्य शासन के द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दें ? (ग) इस समय बस्तर संभाग के जिलों के कुपोषण की स्थिति क्या है ? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) बस्तर संभाग अन्तर्गत विगत 3 वर्षों की कुपोषण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	विगत 3 वर्षों में कुपोषित बच्चों की संख्या		
		2017-18 (वजन त्थौहार नवंबर 2017)	2018-19 (वजन त्थौहार फरवरी 2019)	2019-20 (एम.पी.आर. मार्च 2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर	25400	24347	15651
2.	बीजापुर	10161	10732	9968
3.	दत्तेवाड़ा	9390	8074	7657
4.	कांकेर	13762	14432	8725
5.	कोण्डागांव	19328	19572	12309
6.	नारायणपुर	4377	4165	3306
7.	सुकमा	11928	9967	7338

(ख) कुपोषण पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं तथा संबंधित विभागीय योजनाओं के माध्यम से विविध प्रयास किये जा रहे हैं. इनमें पूरक पोषण आहार का प्रदाय, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, महतारी जतन योजना, वजन त्थौहार का आयोजन, सामुदायिक जनजागरण से संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री सुपोषण

योजना एवं जिला स्तर पर स्थानीय प्रयास प्रमुख उल्लेखनीय है. (ग) वर्तमान वर्ष में बस्तर संभाग के जिलों में कुपोषण की संख्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	एम.पी.आर. नवंबर 2020 के अनुसार कुपोषित बच्चों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	बस्तर	17513
2.	बीजापुर	7754
3.	दत्तेवाड़ा	6467
4.	कांकेर	9322
5.	कोण्डागांव	12726
6.	नारायणपुर	2515
7.	सुकमा	7270

जिला बस्तर में निर्मित लघु सिंचाई परियोजना स्टापडेम, तालाब से सिंचित रकबा

58. (क्र. 716) श्री **बघेल लखेश्वर** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर अंतर्गत जल संसाधन विभाग के द्वारा कुल कितने चेक डेम, स्टाप डेम, तालाब निर्माण किये गये हैं तथा इनसे अनुमानित कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था होती है ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में कितने स्टाप डेम, चेक डेम व तालाब मरम्मत योग्य हैं ? कृपया जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला बस्तर अंतर्गत जल संसाधन विभाग के द्वारा 01 स्टापडेम एवं 31 तालाब निर्माण किये गये हैं तथा इनसे अनुमानित 5230 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है. जिले में कोई चेकडेम का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में 28 तालाब मरम्मत योग्य हैं.

बोधघाट परियोजना हेतु व्यय राशि

59. (क्र. 719) डॉ. **कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बोध घाट परियोजना हेतु पिछले व इस वित्तीय वर्ष में बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? इसमें कितनी राशि का व्यय किस मद में किया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार परियोजना की कुल सिंचाई लागत कितनी है तथा कब तक पूर्ण हो जावेगी ? क्या यह सही है कि सर्वेक्षण, डिजाइन व अन्य कार्य हेतु वेपकॉस को कार्य बिना निविदा के दिया गया है ? यदि हां तो किन-नियमों के तहत? वेपकॉस शासकीय/अशासकीय किस प्रकार की कम्पनी/संस्था है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन योजना को इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित कर अनुदान संख्या 41/4700 (4416) वृहद सर्वेक्षण कार्य में राशि रु. 1500.00 लाख का तथा अनुदान संख्या 57-1202 (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 4700 वृहद सिंचाई योजनाओं के निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य अंतर्गत राशि रु. 2000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है. अनुदान संख्या 41/4700 (4416) वृहद सर्वेक्षण अंतर्गत रु. 1235.81 लाख का व्यय किया गया है, जबकि अनुदान संख्या 57-1202 (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) अंतर्गत व्यय राशि निरंक है. (ख) वर्तमान में योजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगतिरत है. अतः योजना की कुल सिंचाई, लागत एवं पूर्णता के संबंध में बताया जाना संभव नहीं है. जी हां. योजना के सर्वेक्षण डिजाइन एवं अन्य कार्य मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन उपरांत शासन के आदेश दिनांक 19-05-2020 के द्वारा भारत सरकार, जल शक्ति, मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली के उपक्रम "वापकोस लिमिटेड" को प्रदान किया गया है जो कि, भारत सरकार, केन्द्रीय जल शक्ति, मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है.

विकासखण्ड मस्तुरी के ग्राम ऊनी के निलागर नदी में एनीकट निर्माण

60. (क्र. 720) डॉ. **कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम ऊनी विकासखण्ड मस्तुरी के निलागर नदी में एनीकट निर्माण हेतु सिंचाई विभाग में प्रस्ताव बनाकर कब-कब मंत्रालय को प्रेषित किया गया ? इस प्रस्ताव में कितने एकड़ भूमि सिंचित होने की योजना है ? (ख) प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई व किस वर्ष के बजट में शामिल होना प्रस्तावित है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन कार्य हेतु प्रस्ताव मंत्रालय को नहीं अपितु प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया गया था. इस कार्य में 494 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है. (ख) मंत्रालय स्तर पर प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण शासन स्तर पर कार्यवाही नहीं हुई. आगामी वर्ष 2021-22 के बजट में शामिल करने हेतु प्रयास किया जावेगा.

जिला राजनांदगांव में उद्यानिकी विभाग को प्राप्त एवं व्यय राशि

61. (क. 722) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से 2019-20 में क्या जिला उद्यानिकी विभाग राजनांदगांव को अन्य विभाग या स्रोतों से राशि प्राप्त हुई है ? (ख) यदि हां तो प्राप्त राशि किन-किन मदों में व्यय की गयी है ? उक्त राशि से कौन-कौन से कार्य किये गये हैं ? (ग) किन-किन एजेंसियों एवं फर्म से कार्य संपादित कराये गये हैं ? कार्य का विभागवार, मदवार, राशिवार, वर्षवार, एजेंसीवार, पूर्ण अपूर्ण की जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. (ख) एवं (ग) की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

जिला राजनांदगांव में नरवा, गरुवा, घुरवा बाड़ी योजना के तहत व्यय राशि

62. (क. 723) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से नवम्बर 2020 तक राजनांदगांव जिले में क्या नरवा, गरुवा, घुरवा बाड़ी योजना में कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों का सहयोग प्राप्त है ? (ख) यदि हां तो किन-किन विभागों को क्या जवाबदारी दी गयी है एवं उन विभागों द्वारा इस योजना में कितनी राशि किस कार्य में व्यय की है विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में विभिन्न विभागों को नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी योजनांतर्गत दी गई जवाबदारियों तथा उनके द्वारा कार्यवार, विकासखण्डवार, व्यय की गई राशि का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

जिला राजनांदगांव में हाईब्रिड बीज एवं अन्य सामग्री की खरीदी

63. (क. 724) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्नावधि तक क्या राजनांदगांव जिले में रबी एवं खरीफ फसल हेतु बीज निगम द्वारा हाईब्रिड बीज एवं अन्य सामग्रियों की खरीदी की गई है ? (ख) यदि हां तो उक्त खरीदी के लिए किन विभागों एवं स्रोतों से कितने राशि प्राप्त हुई ? (ग) क्या हाईब्रिड बीज के नमूने डीएनए परीक्षण उपरांत खरीदे गये हैं ? (घ) बीज एवं सामग्रियों की खरीदी के लिए निविदा कब आमंत्रित की गयी, विभागवार, वर्षवार सामग्रीवार व एजेंसी को किये गये भुगतान सहित जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 पर है. (ग) हायब्रिड बीजों के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा में बीजों का फसलवार एवं किस्मवार डीएनए मार्कर उपलब्ध कराने की बाध्यता रहती है. जिसके आधार पर ही बीजों का क्रय किया जाता है. प्रश्नाधीन अवधि में क्रय किए गए बीजों का विभाग द्वारा डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया है. (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः परिशिष्ट-1, 2, 3 एवं 4 पर है.

जिला नारायणपुर में कृषि पंप हेतु प्राप्त आवेदन

64. (क. 727) **श्री चंदन कश्यप :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर जिले अंतर्गत वर्ष 2019 में कितने किसानों के द्वारा कृषि पंप हेतु आवेदन दिया गया ? (ख) उक्त आवेदनों में कितने स्वीकृत तथा कितने अस्वीकृत किये गये हैं तथा कितने लंबित हैं ? लंबित रहने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) नारायणपुर जिले में वर्ष 2019-20 में सिंचाई पंप हेतु शाकम्भरी योजनांतर्गत 59 आवेदन तथा किसान समृद्धि योजनांतर्गत 25 आवेदन प्राप्त हुए. (ख) प्राप्त सभी आवेदन स्वीकृत किये गये हैं, कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया गया है.

नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र के नवीन सिंचाई योजना तथा मरम्मत कार्यों की स्वीकृति

65. (क्र. 728) **श्री चंदन कश्यप** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2019 में दिनांक 30-11-2020 तक नवीन सिंचाई योजनाओं, नहर नाली संधारण कार्य व मरम्मत हेतु कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ? (ख) क्या स्वीकृत कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 01-01-2019 से दिनांक 30-11-2020 तक 02 नवीन सिंचाई योजना एवं संधारण एवं मरम्मत कार्य हेतु 01 जलाशय एवं नहर नाली का प्राक्कलन प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है. (ख) स्वीकृत 03 कार्यों में से 01 कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है.

चित्रकोट वि.स.क्षेत्र में संचालित दुग्ध उत्पादन केन्द्र

66. (क्र. 732) **श्री राजमन बेजाम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सरकारी दुग्ध उत्पादन केन्द्र संचालित हैं ? वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 हेतु विकासखण्डवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी सरकारी दुग्ध उत्पादन केन्द्र संचालित नहीं है. वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी निरंक है.

रायगढ़ जिले में संचालित पशु औषधालय

67. (क्र. 733) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कुल कितने पशु औषधालय संचालित हैं तथा कितने नवीन पशु औषधालय खोलना प्रस्तावित है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) क्या संचालित समस्त पशु औषधालय हेतु भवन उपलब्ध है ? यदि नहीं तो भवन विहीन पशु औषधालय के लिए कब तक भवन निर्माण किया जायेगा ? (ग) क्या सभी पशु औषधालय हेतु स्वीकृत पद के अनुसार स्टाफ उपलब्ध है ? यदि नहीं तो रिक्त पदों की पूर्ति कब कर ली जाएगी ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) रायगढ़ जिले में कुल 45 पशु औषधालय संचालित हैं वर्ष 2021-2022 के लिये नवीन पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है जिला रायगढ़ में संचालित पशु औषधालय की विकासखण्डवार जानकारी प्रपत्र में † संलग्न है. (ख) जी नहीं. 42 पशु औषधालय हेतु भवन उपलब्ध है तथा 03 पशु औषधालय भवन विहीन है. भवन विहीन पशु औषधालय के लिये भवन निर्माण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) जी नहीं. सभी पशु औषधालय हेतु स्वीकृत पद के अनुसार स्टाफ उपलब्ध नहीं है. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

कृषि महाविद्यालय, खुईखदान, जिला राजनांदगांव में स्वीकृत पद

68. (क्र. 736) **श्री देववत सिंह** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला राजनांदगांव के वि.ख. खुईखदान में नवस्थापित कृषि महाविद्यालय में स्वीकृत पदों की जानकारी दें ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दें ? रिक्त पदों की पूर्ति राज्य शासन द्वारा कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : जिला राजनांदगांव के वि.ख. खुईखदान में नवस्थापित कृषि महाविद्यालय हेतु स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

रायगढ़ जिला में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजनांतर्गत स्वीकृत राशि

69. (क्र. 745) **श्री प्रकाश नायक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा संचालित नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजनांतर्गत रायगढ़ जिला में किन-किन विकासखण्डों में कितने कार्यों हेतु कितनी राशि वर्ष 2020 में नवम्बर, 2020 तक

स्वीकृत की गयी है ? विकासखण्ड जानकारी उपलब्ध करावे ? (ख) स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण किए गए कितने कार्य अपूर्ण हैं ? विकासखंडवार पृथक-पृथक जानकारी देवे ? (ग) इसी योजना से जुड़ी मोधन न्याय योजना के तहत रायगढ़ जिला में कितने गोठान पर गोबर खरीदी की जा रही है कृपया विकासखंडवार जानकारी देने का कष्ट करें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

रायगढ़ जिले में चैम्स योजनांतर्गत कृषकों को उपलब्ध कराये गये स्पीकलर एवं ड्रीप सिंचाई उपकरण

70. (क्र. 746) **श्री प्रकाश शक्ताजीत नायक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में चैम्स योजनांतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में बीज निगम द्वारा कितने कृषकों को स्पीकलर एवं ड्रीप सिंचाई के लिए उपकरण उपलब्ध कराया गया ? (ख) स्पीकलर एवं ड्रीप सिंचाई के लिए उपकरण खरीदने हेतु एजेंसी का निर्धारण करने का मापदण्ड क्या है ? प्रति स्पीकलर पर कुल कितना खर्च किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी † † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

शीतकालीन सत्र

गुरुवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 660) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2018-19 से 30 नवंबर 2020 तक आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनांतर्गत भू-संरक्षण हेतु चेक डेम, स्टॉपडेम एवं एनीकट की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	घटक (आई.डब्ल्यू.एम.पी. / अदर इंटरवेंशन)	परियोजना क्रमांक	परियोजना स्वीकृत वर्ष	विकास खंड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि	कार्य पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ	सिंचित क्षेत्र में वृद्धि (रे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2018-19	अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-7	2011-12	अं. चौकी	आंतरगांव	आंतरगांव	पक्का चेकडेम	12.500	पूर्ण	8.00
2						आंतरगांव	आंतरगांव	पक्का चेकडेम	14.370	पूर्ण	10.00
3						आंतरगांव	आंतरगांव	पक्का चेकडेम	12.500	पूर्ण	7.00
4						माहुद	माहुद	पक्का चेकडेम	12.500	पूर्ण	8.00
5						माहुद मंचान्दुर	माहुद मंचान्दुर	पक्का चेकडेम	17.910	पूर्ण	12.00
6						आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आंतरगांव	आंतरगांव	पक्का चेकडेम	14.480	पूर्ण
7		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-8	2011-12	राजनांदगांव	मुडपार	मलपुरी	पक्का चेकडेम	10.912	पूर्ण	8.00
8						मुडपार	मुडपार	पक्का चेकडेम	14.496	पूर्ण	12.00
9						भोथीपारखुर्द	भोथीपारखुर्द	पक्का चेकडेम	14.493	पूर्ण	9.00
10						ढोडिया	ढोडिया	पक्का चेकडेम	13.392	पूर्ण	10.00
11						ढोडिया	भोडिया	पक्का चेकडेम	13.392	पूर्ण	15.00
12		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-9	2012-13	अं. चौकी	पेदलकुही	पेदलकुही	पक्का चेकडेम	16.652	पूर्ण	9.00
13						पेदलकुही	पेदलकुही	पक्का चेकडेम	17.991	पूर्ण	10.00
14						साल्हे कूसुमकसा	साल्हे कूसुमकसा	पक्का चेकडेम	17.979	पूर्ण	8.00
15						साल्हे कूसुमकसा	साल्हे कूसुमकसा	पक्का चेकडेम	15.778	पूर्ण	7.00
16						ओटेबांधा	ओटेबांधा	पक्का चेकडेम	17.979	पूर्ण	9.00
17						सिंगरायटोला	सिंगरायटोला	पक्का चेकडेम	15.759	पूर्ण	10.00
18						कूसुमकसा	कूसुमकसा	पक्का चेकडेम	16.790	पूर्ण	7.00
19		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	सिंगरायटोला	सिंगरायटोला	पक्का चेकडेम	15.840	पूर्ण	8.00			
20			सिंगरायटोला	सिंगरायटोला	पक्का चेकडेम	16.790	पूर्ण	8.00			

147

क्र.	वित्तीय वर्ष	घटक (आई.डब्ल्यू.एम.पी. / अदर इंटरवेंशन)	परियोजना क्रमांक	परियोजना स्वीकृत वर्ष	विकास खंड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि	कार्य पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ	सिंचित क्षेत्र में वृद्धि (हे.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
21	2018-19	अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-10	2012-13	मोहला	धोबेदंड	धोबेदंड	पक्का चेकडेम	13.920	पूर्ण	7.00				
22						धोबेदंड	धोबेदंड	पक्का चेकडेम	13.920	पूर्ण	6.00				
23						कांडे	कांडे	पक्का चेकडेम	15.260	पूर्ण	7.00				
24						भूसाटोला	भूसाटोला	पक्का चेकडेम	13.178	पूर्ण	6.00				
25						आई.डब्ल्यू.एम.पी	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-10	2012-13	मोहला	मरकाटोला	मरकाटोला	पक्का चेकडेम	13.170	पूर्ण	5.00
26										बोईरडीह	बोईरडीह	पक्का चेकडेम	14.420	पूर्ण	7.00
27										बोईरडीह	बोईरडीह	पक्का चेकडेम	14.420	पूर्ण	8.00
28										कांडे	कांडे	पक्का चेकडेम	16.300	पूर्ण	9.00
29										कुजामटोला	कुजामटोला	पक्का चेकडेम	13.170	पूर्ण	9.00
30										आई.डब्ल्यू.एम.पी	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-11	2012-13	मोहला	कंदाडी	कंदाडी
31		कंदाडी	कंदाडी	पक्का चेकडेम	15.257									पूर्ण	9.00
32		कंदाडी	कंदाडी	पक्का चेकडेम	13.916									पूर्ण	7.00
33		रामगढ़	रामगढ़	पक्का चेकडेम	13.916	पूर्ण	8.00								
34		रामगढ़	रामगढ़	पक्का चेकडेम	15.257	पूर्ण	6.00								
35		राजाडेशा	राजाडेशा	पक्का चेकडेम	13.916	पूर्ण	7.00								
36		राजाडेशा	राजाडेशा	पक्का चेकडेम	13.916	पूर्ण	6.00								
37		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-01	1359/03.05.17	मानपुर	कंदाडी	कंदाडी	पक्का चेकडेम	14.999					पूर्ण	14.19
38		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-01	1359/03.05.17	खैरागढ़	सिंधोरी	भोरमपुर	पक्का चेकडेम	14.903	पूर्ण	10.28				
39		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-02	1359/03.05.17	खैरागढ़	सिंधोरी	भोरमपुर	पक्का चेकडेम	14.693	पूर्ण	12.89				
40		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-02	1359/03.05.17	खैरागढ़	भीमपुरी	भीमपुरी	पक्का चेकडेम	10.486	पूर्ण	10.58				
41		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-03	1359/03.05.17	खैरागढ़	भीमपुरी	भीमपुरी	पक्का चेकडेम	11.752	पूर्ण	13.89				
42		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-01	10602/06.02.19	अ. चौकी	तुमडीकसा	तुमडीकसा	पक्का चेकडेम	12.649	पूर्ण	15.16				
43		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-01	10602/06.02.19	छुरिया	गेरूघाट	गेरूघाट	पक्का चेकडेम	10.952	पूर्ण	11.53				
44		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-02	10602/06.02.19	छुरिया	गेरूघाट	गेरूघाट	पक्का चेकडेम	10.926	पूर्ण	12.06				
45		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-01	10602/06.02.19	छुरिया	आमगांव (छु.)	गिधवाभंवर	पक्का चेकडेम	12.797	पूर्ण	12.85				
46		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-02	10602/06.02.19	छुरिया	आमगांव (छु.)	गिधवाभंवर	पक्का चेकडेम	12.890	पूर्ण	10.54				
47		रा.कृ.वि.यो.	पक्का चेकडेम क्र.-01	10602/06.02.19	खैरागढ़	नवागांव	नवागांव	पक्का चेकडेम	9.981	पूर्ण	10.26				
48		मनरेगा	चेकडेम क्र. 01	1542/28.09.2018	खैरागढ़	सहसपुर	सहसपुर	पक्का चेकडेम	11.935	पूर्ण	8.98				
49		मनरेगा	चेकडेम क्र. 02	1542/28.09.2018	खैरागढ़	सहसपुर	सहसपुर	पक्का चेकडेम	12.212	पूर्ण	9.79				
50		मनरेगा	चेकडेम क्र. 01	1542/28.09.2018	खैरागढ़	खलारी	खलारी	पक्का चेकडेम	11.953	पूर्ण	7.38				

क्र.	वित्तीय वर्ष	घटक (आई.डब्ल्यू.एम.पी. /अदर इंटरवेंशन)	परियोजना क्रमांक	परियोजना स्वीकृत वर्ष	विकास खंड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि	कार्य पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ	सिंचित क्षेत्र में वृद्धि (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51		मनरेगा	चेकडेम क्र. 03	1542/28.09.2018	डोंगरगढ	खलारी	खलारी	पक्का चेकडेम	11.985	पूर्ण	8.12
52		मनरेगा	चेकडेम क्र. 01	1413/14.09.2018	छुईखदान	भाजीडोंगरी	भाजीडोंगरी	पक्का चेकडेम	18.625	प्रगतिरत	13.06
53	2018-19	मनरेगा	चेकडेम क्र. 03	1413/14.09.2018	छुईखदान	भाजीडोंगरी	भाजीडोंगरी	पक्का चेकडेम	16.885	प्रगतिरत	12.03
54		मनरेगा	चेकडेम क्र. 03	652/29.05.2018	छुरिया	आमगांव (छु)	गिधवाभंवर	पक्का चेकडेम	9.055	पूर्ण	10.23
योग									760.033		503.804
55		आई.डब्ल्यू.एम.पी	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-9	2012-13	अं. चौकी	पेदलकुही	पेदलकुही	पक्का चेकडेम	14.013	पूर्ण	8.000
56		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-7	2011-12	अं. चौकी	छदानपहरी	छदानपहरी	पक्का चेकडेम	12.809	पूर्ण	6.000
57		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-7	2011-12	अं. चौकी	गाहुद मंचान्दुर	गाहुद मंचान्दुर	पक्का चेकडेम	11.973	पूर्ण	5.000
58		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-8	2011-12	राजनांदगांव	सिघौला	सिघौला	पक्का चेकडेम	16.678	पूर्ण	8.000
59		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-8	2011-12	राजनांदगांव	सिघौला	सिघौला	पक्का चेकडेम	16.678	पूर्ण	7.000
60		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-8	2011-12	राजनांदगांव	भोथीपारखुर्द	भोथीपारखुर्द	पक्का चेकडेम	16.678	पूर्ण	9.000
61		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-10	2012-13	मोहला	बोईरडीह	बोईरडीह	पक्का चेकडेम	16.305	पूर्ण	8.000
62		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-10	2012-13	मोहला	बोईरडीह	बोईरडीह	पक्का चेकडेम	16.305	पूर्ण	9.000
63		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-10	2012-13	मोहला	बोईरडीह	बोईरडीह	पक्का चेकडेम	16.305	पूर्ण	7.000
64		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-10	2012-13	मोहला	भूसोटोला	भूसोटोला	पक्का चेकडेम	13.927	पूर्ण	5.000
65		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-11	2012-13	मोहला	मरदेल	मरदेल	पक्का चेकडेम	17.793	पूर्ण	9.000
66	2019-20	आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-11	2012-13	मोहला	मरदेल	मरदेल	पक्का चेकडेम	17.793	पूर्ण	8.000
67		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-11	2012-13	मोहला	मरदेल	मरदेल	पक्का चेकडेम	17.793	पूर्ण	7.000
68		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-11	2012-13	मोहला	तातोडा	तातोडा	पक्का चेकडेम	13.927	पूर्ण	5.000
69		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	2013-14	मानपुर	सरखेडा	सरखेडा	पक्का चेक डेम निर्माण 01	17.332	पूर्ण	10.000
70		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	2013-14	मानपुर	सरखेडा	सरखेडा	पक्का चेक डेम	17.332	पूर्ण	9.000
71		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	2013-14	मानपुर	घोडाझरी	घोडाझरी	पक्का चेक डेम	17.332	प्रगतिरत	8.000
72		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	2013-14	मानपुर	घोडाझरी	घोडाझरी	पक्का चेक डेम	17.332	प्रगतिरत	12.000
73		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	2013-14	मानपुर	डोमीकला	डोमीकला	पक्का चेक डेम	15.768	पूर्ण	6.000
74		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	2013-14	मानपुर	डोमीकला	डोमीकला	पक्का चेक डेम	17.332	पूर्ण	8.000
75		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	2013-14	मानपुर	गडपगो	गडपगो	पक्का चेक डेम	18.354	पूर्ण	9.000

क्र.	वित्तीय वर्ष	घटक (आई.डब्ल्यू.एम.पी. / अदर इंटरवेंशन)	परियोजना क्रमांक	परियोजना स्वीकृत वर्ष	विकास खंड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि	कार्य पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ	सिंचित क्षेत्र में वृद्धि (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76						गडडोमी	गडडोमी	पक्का चेक डेम	18.354	पूर्ण	7.000
77						चांपाटोला	चांपाटोला	पक्का चेकडेम	14.203	पूर्ण	6.000
78						कोरवा	कोरवा	पक्का चेकडेम	14.203	पूर्ण	7.000
79		अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	2012-13	मोहला	डोकलकोण्डे	डोकलकोण्डे	पक्का चेकडेम	14.203	पूर्ण	5.000
80						आलकन्हार	आलकन्हार	पक्का चेकडेम	14.203	पूर्ण	6.000
81						कोरामटोला	कोरामटोला	पक्का चेकडेम	13.456	पूर्ण	5.000
82		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-04	10602/06.02.19	छुरिया	पिनकापार	पिनकापार	पक्का चेकडेम	9.609	प्रगतिरत	10.424
83	2019-20	टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-06	10602/06.02.19	छुरिया	पिनकापार	पिनकापार	पक्का चेकडेम	9.353	प्रगतिरत	11.759
84		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-02	1359/31.05.17	मानपुर	कन्दाडी	कन्दाडी	पक्का चेकडेम	10.184	प्रगतिरत	13.489
85		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-04	1359/31.05.17	मानपुर	कन्दाडी	कन्दाडी	पक्का चेकडेम	9.525	प्रगतिरत	11.181
86		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-03	1359/31.05.17	खैरागढ़	सिंधोरी	भोरमपुर	पक्का चेकडेम	14.707	पूर्ण	16.280
87		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-04	1359/31.05.17	खैरागढ़	सिंधोरी	भोरमपुर	पक्का चेकडेम	14.805	पूर्ण	15.497
88		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-05	1359/31.05.17	खैरागढ़	भीमपुरी	भीमपुरी	पक्का चेकडेम	14.662	पूर्ण	26.609
89		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-04	1359/31.05.17	डोंगरगढ़	भगवानटोला	भगवानटोला	पक्का चेकडेम	12.953	पूर्ण	9.466
योग									524.179		313.705
90			आई.डब्ल्यू.एम.पी.-7	2011-12	अं. चौकी	माहुद मंचान्दुर	माहुद मंचान्दुर	पक्का चेकडेम	14.456	पूर्ण	6.000
91		आई.डब्ल्यू.एम.पी.				महराजपुर	महराजपुर	पक्का चेकडेम	12.578	प्रगतिरत	5.000
92			आई.डब्ल्यू.एम.पी.-8	2011-12	राजनांदगांव	ढोडिया	ढोडिया	पक्का चेकडेम	11.559	प्रगतिरत	4.000
93						कूसुमकसा	कूसुमकसा	पक्का चेकडेम	15.377	प्रगतिरत	6.000
94		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-9	2012-13	अं. चौकी	कूसुमकसा	कूसुमकसा	पक्का चेकडेम	15.027	प्रगतिरत	7.000
95	2020-21					दुवालगुंडरा	दुवालगुंडरा	पक्का चेकडेम	14.013	प्रगतिरत	5.000
96						मुदियाल	मुदियाल	पक्का चेकडेम	16.701	प्रगतिरत	7.000
97						मुदियाल	मुदियाल	पक्का चेकडेम	14.800	प्रगतिरत	6.000
98		आई.डब्ल्यू.एम.पी.	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-11	2012-13	मोहला	मुदियाल	मुदियाल	पक्का चेकडेम	16.701	प्रगतिरत	7.000
99						मुदियाल	मुदियाल	पक्का चेकडेम	14.800	प्रगतिरत	6.000

क्र.	वित्तीय वर्ष	घटक (आई.डब्ल्यू.एम.पी. /अदर इंटरवेंशन)	परियोजना क्रमांक	परियोजना स्वीकृत वर्ष	विकास खंड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि	कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ	सिंचित क्षेत्र में वृद्धि (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100						तातोड़ा	तातोड़ा	पक्का चेकडेम	16.701	प्रगतिरत	7.000
101	2020-21	अदर इंटरवेंशन	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	2014-15	मोहला	आलकन्हार	आलकन्हार	पक्का चेकडेम	14.981	पूर्ण	6.000
102						आलकन्हार	आलकन्हार	पक्का चेकडेम	15.612	पूर्ण	8.000
103						चांपाटोला	चांपाटोला	पक्का चेकडेम	14.981	पूर्ण	6.000
104						चांपाटोला	चांपाटोला	पक्का चेकडेम	15.612	पूर्ण	8.000
105						कोरवा	कोरवा	पक्का चेकडेम	14.981	पूर्ण	5.000
106						कोरमटोला	कोरमटोला	पक्का चेकडेम	14.981	अप्रारंभ	0.000
107						ढारनी	ढारनी	पक्का चेकडेम	13.454	पूर्ण	5.000
108						टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-06	1359/31.05.17	मानपुर	कन्दाड़ी	कन्दाड़ी
109		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-02	10602/06.02.201	राजगाँव	नवागाँव	नवागाँव	पक्का चेकडेम	0.000	अप्रारंभ	10.543
110		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-02	10602/06.02.201	चौकी	तुमडीकसा	तुमडीकसा	पक्का चेकडेम	0.000	अप्रारंभ	17.849
111		टी.आर.एफ.ए.	पक्का चेकडेम क्र.-01	816/28.05.2020	छुरिया	रानीतालब	कुबराडीह	पक्का चेकडेम	0.000	अप्रारंभ	7.452
योग									267.316		157.174
महायोग									1551.528		974.683

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 367) के भाग (क) की जानकारी]

अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट फूड का निर्माण कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी

क्र.	अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल विकासखण्ड का नाम	अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	रेडी टू ईट फूड का प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों का नाम व पता
1	2	3	4
1	अंतागढ़	एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतागढ़	माँ लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह ग्राम मद्रासीपारा अंतागढ़, तह.- अंतागढ़ जिला - कांकेर
2	अंतागढ़		माँ बम्बलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह ग्राम कलेपरस, तह.- अंतागढ़ जिला - कांकेर
3	अंतागढ़		धनलक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह ग्राम घुमर, तह.- अंतागढ़ जिला - कांकेर
4	अंतागढ़		भगवती महिला स्व सहायता समूह ग्राम पोड़गांव, तह.- अंतागढ़ जिला - कांकेर
5	अंतागढ़		माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह ग्राम पिपरा, तह.- अंतागढ़ जिला - कांकेर
6	अंतागढ़		बाल कृष्णा महिला स्व सहायता समूह ग्राम कोलर, तह.- अंतागढ़ जिला - कांकेर
7	अंतागढ़		बंधन स्व महिला स्व सहायता समूह ग्राम कोरनहुर, तह.- अंतागढ़ जिला - कांकेर
8	अंतागढ़		नारी संबल महिला स्व सहायता समूह ग्राम गोंडबिनापाल, तह.- अंतागढ़ जिला - कांकेर
9	कोयलीबेड़ा	एकीकृत बाल विकास परियोजना कोयलीबेड़ा	कुसुम महिला स्व सहायता समूह ग्राम कोयलीबेड़ा, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
10	कोयलीबेड़ा		सहारा महिला स्व सहायता समूह ग्राम कोयलीबेड़ा, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
11	कोयलीबेड़ा		दन्तेश्वरी महिला स्व सहायता समूह ग्राम मुरनार, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
12	कोयलीबेड़ा		जय दुर्गा महिला स्व सहायता समूह ग्राम कोयलीबेड़ा, तह.पखांजुर जिला - कांकेर

1	2	3	4
13	कोयलीबेड़ा	एकीकृत बाल विकास परियोजना पंखाजूर	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह ग्राम पखांजुर मंदिरपारा, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
14	कोयलीबेड़ा		जय लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह ग्राम बड़ेकापसी, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
15	कोयलीबेड़ा		माया स्व सहायता समूह ग्राम बड़गाँव तह.पखांजुर, जिला - कांकेर
16	कोयलीबेड़ा		माता रानी महिला स्व सहायता समूह ग्राम सत्यानंदनगर पी.व्ही 115 पखांजुर, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
17	कोयलीबेड़ा		शारदा महिला स्व सहायता समूह ग्राम इन्द्रप्रस्थ पी.ही38, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
18	कोयलीबेड़ा		बीना पानी महिला स्व सहायता समूह ग्राम राजेन्द्रनगर पी.व्ही 117, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
19	कोयलीबेड़ा		महामाया महिला स्व सहायता समूह ग्राम जानकीनगर पी.व्ही 45, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
20	कोयलीबेड़ा		महामाया महिला स्व सहायता समूह ग्राम रूपनगर पी.व्ही 37, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
21	कोयलीबेड़ा		घरती माता महिला स्व सहायता समूह ग्राम इन्द्रपुरी पी.व्ही 123, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
22	कोयलीबेड़ा		राधाकृष्ण महिला स्व सहायता समूह ग्राम बान्दे, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
23	कोयलीबेड़ा		नवोदय महिला स्व सहायता समूह ग्राम कोरेनार, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
24	कोयलीबेड़ा		माँ काली महिला स्व सहायता समूह ग्राम गौतमपुर पी.व्ही 99, तह.पखांजुर जिला - कांकेर

1	2	3	4
25	कोयलीबेड़ा	एकीकृत बाल विकास परियोजना पंखाजूर	सुरज महिला स्व सहायता समूह ग्राम बेचाघाट बान्दे, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
26	कोयलीबेड़ा		महिला शक्ति स्व सहायता समूह ग्राम आकमेटा, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
27	कोयलीबेड़ा		उदय महिला स्व सहायता समूह ग्राम विवेकनगर पी.व्ही 89, तह.पखांजुर जिला - कांकेर
28	कोयलीबेड़ा		महामाया स्व सहायता समूह ग्राम आनंदनगर पी.व्ही 54 पखांजुर, तह.पखांजुर जिला - कांकेर

NA

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 685) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

चैम्स प्रणाली के माध्यम से जांजगीर-चांपा जिले में कृषि यंत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों.-3) योजनांतर्गत अनुदान पर कृषकों द्वारा क्रय किये गये ट्रैक्टर से लाभान्वित कृषकों की विकासखण्डवार जानकारी

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	अनुदान पर कृषकों द्वारा क्रय किये गये ट्रैक्टर से लाभान्वित कृषकों की संख्या			
			वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (दिनांक 30.11.2020 तक)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	अकलतरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो-3)	-	-	-	-
2	बलौदा		-	1	1	2
3	बम्हनीडीह		1	5	1	7
4	डभरा		-	-	-	-
5	जैजैपुर		1	9	4	14
6	मालखरौदा		1	6	6	13
7	नवागढ़		-	-	-	-
8	पामगढ़		-	-	-	-
9	सक्ती		1	3	-	4
योग			4	24	12	40

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 624) के भाग (ख) की जानकारी]

शेखरपुर एवं डांडपानी वृहद जलाशय परियोजना सर्वेक्षण कार्य में किए गए व्यय की जानकारी

स.क्र.	दिनांक	मुगतान राशि (रु. में)
शेखरपुर वृहद जलाशय परियोजना सर्वेक्षण कार्य में किए गए व्यय की जानकारी		
1	30-10-18	3966600.00
योग:-		3966600.00
डांडपानी वृहद जलाशय परियोजना सर्वेक्षण कार्य में किए गए व्यय की जानकारी।		
स.क्र.	दिनांक	मुगतान राशि (रु. में)
1	26-10-18	3906000.00
2	28-10-18	17961102.00
3	30-10-18	1238600.00
4	03-12-20	4038898.00
योग:-		27144600.00
महायोग:-		31111200.00

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 617) के भाग (क) की जानकारी]

बलौदाबाजार-भाटापारा के जिलों में नहरों के रखरखाव/संधारण/मरम्मत कार्यों हेतु व्यय राशि की जानकारी

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	राशि रु. लाख में व्यय राशि
1	2	3	4
जल प्रबंध संभाग क्रमांक 2, बलौदाबाजार			
1	2017-18	125.45	125.45
2	2018-19	116.50	116.50
3	2019-20	123.25	123.25
4	2020-21 (30.11.2020 तक)	94.62	94.62
योग		459.82	459.82
म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा			
1	2017-18	15.00	14.90
2	2018-19	44.00	43.93
3	2019-20	51.00	50.81
4	2020-21 (30.11.2020 तक)	51.00	50.98
योग		161.00	160.62
वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रायपुर			
1	2017-18	2.45	2.32
2	2018-19	1.07	1.03
3	2019-20	4.57	4.55
4	2020-21 (30.11.2020 तक)	0.00	0.00
योग		8.09	7.90

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4
जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल			
1	2017-18	6560.39	6134.55
2	2018-19	6393.33	2638.08
3	2019-20	1214.57	851.15
4	2020-21 (30.11.2020 तक)	2223.38	450.99
योग		16391.67	10074.77
वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर			
1	2017-18	35.23	24.97
2	2018-19	39.88	30.93
3	2019-20	41.45	33.46
4	2020-21 (30.11.2020 तक)	31.18	16.05
योग		147.74	105.41
महायोग		17168.32	10808.52

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 489) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला जशपुर में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 में प्रश्नावधि तक दिव्यांगजनों को वितरित उपकरण, क्रय किये गये संस्था/ फर्म, माध्यम, उपकरणों की संख्या, निविदा दिनांक, दर, भुगतान एवं जी.एस.टी. कटौती की संस्थावार वर्षवार जानकारी

वर्ष 2018-19

क्र.	संस्था/फर्म का नाम	उपकरण का नाम	उपकरण की मात्रा	क्रय का माध्यम	निविदा दिनांक	दर	भुगतान राशि	भुगतान राशि में सम्मिलित जी.एस.टी. राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, (एलिम्को) कानपुर (उ.प्र.)	मोटर्स/जड ट्रायसायकल	100	जेम पोर्टल	निविदा आमंत्रित नहीं सीधी खरीदी	42,000	42,00,000/-	2,10,000/-	
		ट्रायसायकल	100				7,100/-	7,10,000/-	35,500/-
		व्हील चेयर	50				6,900/-	3,45,000/-	17,250/-
		बैशाखी	350				994/-	3,47,900/-	41,650/-
		स्मार्ट केन	50				4,200/-	2,10,000/-	10,500/-
		श्रवण यंत्र (माईल्लड)	90			निविदा आमंत्रित नहीं सीधी खरीदी	1,272/-	1,14,480/-	0
		श्रवण यंत्र (माईल्लड)	69				1,175/-	81,075/-	0
		श्रवण यंत्र (मोडरेड)	150				1,336/-	2,00,400/-	0
		वाकिंग स्टीक	50				420/-	21,000/-	2,500/-
		योग	1009						62,29,855/-

वर्ष 2019-20

क्र.	संस्था/फर्म का नाम	उपकरण का नाम	उपकरण की मात्रा	क्रय का माध्यम	निविदा दिनांक	दर	भुगतान राशि	भुगतान राशि में सम्मिलित जी.एस.टी. राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, (एलिम्को) कानपुर (उ.प्र.)	ट्रायसायकल	28	जेम पोर्टल	निविदा आमंत्रित नहीं सीधी खरीदी	6,900/-	1,93,200/-	9,660/-
		व्हील चेयर	74			7,400/-	5,47,600/-	27,380/-
		वाकर	4			1,026/-	4,104/-	492/-
		ब्रेल किट	5			1,012/-	5,060/-	255/-
		श्रवण यंत्र	50			1,369/-	68,450/-	0
		एम.आर. किट	35			4,500/-	1,57,500/-	18,900/-
		योग	196				9,75,914/-	56,687/-

वर्ष 2020-21

क्र.	संस्था/फर्म का नाम	उपकरण का नाम	उपकरण की मात्रा	क्रय का माध्यम	निविदा दिनांक	दर	भुगतान राशि	भुगतान राशि में सम्मिलित जी.एस.टी. राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मां शान्ति स्टील, रायपुर	श्रवण यंत्र	56	जेम पोर्टल	निविदा आमंत्रित नहीं सीधी खरीदी	12,500/-	7,00,000/-	0
2.	अनुप इंटरप्राइजेस बुढ़ापारा, रायपुर	व्हील चेयर	19	जेम पोर्टल	निविदा आमंत्रित नहीं सीधी खरीदी	11,550/-	2,19,450/-	10,450/-
		बैशाखी	30			1,575/-	47,250/-	2,250/-
		अंध छड़ी	50			1,365/-	68,250/-	3,250/-
		योग	155				10,34,950/-	15,950/-

प्रपत्र "ब"

जिला जशपुर में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 में प्रश्नावधि तक लाभान्वित दिव्यांगजनों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	लाभान्वित दिव्यांगजनों की संख्या			
		2018-19	2019-20	2020-21	योग
1	2	3	4	5	6
1	जशपुर	319	25	26	370
2	मनोरा	60	19	24	103
3	दुलदुला	68	32	0	100
4	फरसाबहार	60	16	6	82
5	कुनकुरी	133	49	11	193
6	कांसाबेल	110	23	28	161
7	बगीचा	82	11	13	106
8	पत्थलगांव	177	21	0	198
	योग-	1009	196	108	1313

सामग्री क्रय एवं वितरण में अनियमितता की कोई भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है न ही विभाग के संज्ञान में आया है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 721) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राजनांदगांव जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2018 से 2020-21
(दिनांक 15-12-2020 तक) की जानकारी

मौसम	वर्ष	बीमित कृषक			दावा भुगतान			
		ऋणी	अऋणी	योग	लामावित कृषक संख्या	प्रदायित दावा राशि (लाख रु. में)	शेष कृषक संख्या एवं शेष होने का कारण	शेष दावा राशि (लाख रु. में)
खरीफ	2018	145938	68356	214294	124537	21790.62	89757 कृषक (योजना प्रावधानानुसार बीमा ईकाई का वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होने की स्थिति में दावा राशि हेतु पात्रता नहीं बनती है।)	
रबी	2018-19	56063	15818	71881	24401	1781.20	47480 कृषक (प्रावधानानुसार बीमा ईकाई का वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होने की स्थिति में दावा राशि हेतु पात्रता नहीं बनती है।)	
खरीफ	2019	170711	43982	214693	116524	20783.48	98169 कृषक (योजना प्रावधानानुसार बीमा ईकाई का वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होने की स्थिति में दावा राशि हेतु पात्रता नहीं बनती है) खरीफ 2019 में 1434 बीमित कृषक की आधार कार्ड संबंधी समस्या से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में प्रविष्टि नहीं किये जाने तथा 782 बीमित कृषक की प्रीमियम राशि समयावधि में बीमा कंपनी को प्रेषित नहीं करने के कारण से उक्त 2216 कृषकों का दावा भुगतान लंबित है, जिसके निराकरण हेतु संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन कृषि विभाग के पत्र क्र. 6671 दिनांक 09.12.2020 द्वारा संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार, कृषि विभाग, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है।	
रबी	2019-20	47636	3698	51334	51114	22349.19	220 कृषक (योजना प्रावधानानुसार बीमा ईकाई का वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होने की स्थिति में दावा राशि हेतु पात्रता नहीं बनती है।) 1540 कृषक की दोहरी बीमा होने तथा धारित रकबा से अधिक का बीमा होने के कारण बीमा कंपनी स्तर पर दावा भुगतान लंबित है।	
खरीफ	2020	173690	31823	205513			फसल कटाई प्रयोग का कार्य प्रगति पर है। जिसके पश्चात् प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर पात्रता अनुसार बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जावेगा।	
रबी	2020-21	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषक प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।						

प्रपत्र "ब"

राजनांदगांव जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2018 से 2020-21 (दिनांक 15.12.2020 तक) की जानकारी

वर्ष	मौसम	तहसील	दावा भुगतान		दावा भुगतान का सत्यापन		
			लाम्भावित कृषक संख्या	दावा राशि (लाख रुपये में)	सत्यापनकर्ता अधिकारी / कर्मचारी	दिनांक	सत्यापन के दौरान दावा भुगतान से वंचित कृषकों की संख्या
2018	खरीफ	अंबागढ़	9261	1590.40	युनाईटेड इंडिया जनरल इश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी	28.01.20 से 15.09.2020	-
2018	खरीफ	छुईखदान	15399	1917.75		28.01.20 से 15.09.2020	-
2018	खरीफ	छुरिया	7250	772.50		28.01.20 से 15.09.2020	-
2018	खरीफ	डोंगरगांव	7250	77.50		28.01.20 से 15.09.2020	-
2018	खरीफ	डोंगरगढ़	21787	4227.66		28.01.20 से 15.09.2020	-
2018	खरीफ	खैरागढ़	32333	8257.42		28.01.20 से 15.09.2020	-
2018	खरीफ	मानपुर	5117	655.11		28.01.20 से 15.09.2020	-
2018	खरीफ	मोहला	6596	855.44		28.01.20 से 15.09.2020	-
2018	खरीफ	राजनांदगांव	19544	3436.83		28.01.20 से 15.09.2020	-
2018-19	रबी	अंबागढ़	1204	62.20		बजाज एलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी	25.01.2020 से 22.05.2020
2018-19	रबी	छुईखदान	4174	201.77	25.01.2020 से 22.05.2020		-
2018-19	रबी	छुरिया	129	3.45	25.01.2020 से 22.05.2020		-
2018-19	रबी	डोंगरगांव	3452	251.56	25.01.2020 से 22.05.2020		-
2018-19	रबी	डोंगरगढ़	3608	257.59	25.01.2020 से 22.05.2020		-
2018-19	रबी	खैरागढ़	7164	587.57	25.01.2020 से 22.05.2020		-
2018-19	रबी	मानपुर	172	6.85	25.01.2020 से 22.05.2020		-
2018-19	रबी	मोहला	1547	116.47	25.01.2020 से 22.05.2020		-
2018-19	रबी	राजनांदगांव	2951	293.76	25.01.2020 से 22.05.2020		-
2019	खरीफ	अंबागढ़	374	16.75	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि		24.11.2020 से 26.11.2020
2019	खरीफ	छुईखदान	12292	1158.76		24.11.2020 से 26.11.2020	-
2019	खरीफ	छुरिया	6614	766.80		24.11.2020 से 26.11.2020	-
2019	खरीफ	डोंगरगांव	11134	1190.95		24.11.2020 से 26.11.2020	-
2019	खरीफ	डोंगरगढ़	24371	4866.66		24.11.2020 से 26.11.2020	-
2019	खरीफ	खैरागढ़	29146	5908.34		24.11.2020 से 26.11.2020	-
2019	खरीफ	मानपुर	1955	181.16		24.11.2020 से 26.11.2020	-
2019	खरीफ	मोहला	9178	1621.66		24.11.2020 से 26.11.2020	-
2019	खरीफ	राजनांदगांव	21460	5072.40		24.11.2020 से 26.11.2020	-
2019-20	रबी	अंबागढ़	505	54.12		सत्यापन कार्य जारी है	
2019-20	रबी	छुईखदान	9918	4548.17			
2019-20	रबी	छुरिया	1184	307.54			
2019-20	रबी	डोंगरगांव	2041	675.63			
2019-20	रबी	डोंगरगढ़	8632	3404.72			
2019-20	रबी	खैरागढ़	22447	10646.94			
2019-20	रबी	मानपुर	97	9.32			
2019-20	रबी	मोहला	596	87.49			
2019-20	रबी	राजनांदगांव	5694	2615.26			

राजनांदगांव जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2018 से 2020-21 (दिनांक 15.12.2020 तक) की जानकारी

वर्ष	मौसम	तहसील	दावा भुगतान		दावा भुगतान का सत्यापन		
			लाभान्वित कृषक संख्या	दावा राशि (लाख रुपये में)	सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी	दिनांक	सत्यापन के दौरान दावा भुगतान से संबंधित कृषकों की संख्या
2020	खरीफ						
2020	खरीफ						
2020	खरीफ						
2020	खरीफ						
2020	खरीफ						
2020	खरीफ						
2020	खरीफ						
2020	खरीफ						
2020	खरीफ						
2020	खरीफ						
2020-21	रबी						
2020-21	रबी						
2020-21	रबी						
2020-21	रबी						
2020-21	रबी						
2020-21	रबी						
2020-21	रबी						
2020-21	रबी						
2020-21	रबी						

फसल कटाई प्रयोग प्रक्रियाधीन है। फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर पात्रतानुसार दावा भुगतान किया जावेगा।

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषक प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

बिलासपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 30 नवम्बर 2020 तक संचालित योजनावार आबंटित राशि एवं व्यय की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त आबंटन	जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2019 में व्यय	वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से मार्च 2020)		वर्ष 2020-21 (30 नवम्बर 2020 की स्थिति में)		योग	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	पूरक पोषण आहार	379888000	96294544	419000000	413555794	304231000	194932718	1103119000	704783056
2	मुख्यमंत्री अमृत दूध योजना	14600000	1845256	11660000	10073781	0	0	26260000	11919037
3	महतारी जतन योजना	21212000	5003987	17611000	17290601	16558000	7576139	55381000	29870727
4	किशोरी बालिका पोषण आहार	26059380	1558214	15153717	14850907	1046000	506722	42259097	16915843
5	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	2625000	1140000	6250000	0	2500000	0	11375000	1140000
6	महिला जागृति शिविर	1504000	373804	1881724	1831030	664000	0	4049724	2204834
7	दिशा दर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रम	739200	444800	652800	652800	374400	0	1766400	1097600
8	आईसीडीएस	357685464	61784965	427371833	408356306	256802753	205707336	1041860050	675848607
9	नोनी सुरक्षा योजना	66000	3960	22000	16000	16000	0	104000	19960
10	प्रधानमंत्री मातृवन्दना योजना	2062000	543580	4550910	4355914	2742750	1053110	9355660	5952604
11	नवा बिहान (घरेलू हिंसा) योजना	839000	93210	948216	797056	670330	491366	2457546	1381632
12	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (पौष्टिक लड्डू)	0	0	10000000	6327233	5000000	6638116	15000000	12965349
13	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (गरम भोजन शिशुवती हेतु)	0	0	0	0	16000000	3572995	16000000	3572995
14	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ	4113359	341929	2196094	1651822	798000	19809	7107453	2013560
15	पोषण अभियान योजना	8309500	2070969	20082099	17807308	0	0	28391599	19878277
16	आईसीपीएस (बैंक खाता)	23737386	6864646	12233880	5884106	2301895	12488252	38273161	25237004
17	आईसीपीएस (बजट)	990000	909968	0	0	0	0	990000	909968
18	बाल संप्रेक्षण गृह/प्लेस ऑफ सेफ्टि/ विशेष गृह	8093000	1497403	8557776	5919595	6418000	2183948	23068776	9600946
19	बालगृह बालिका	6449000	1102273	7318162	6769567	4835000	3240832	18602162	11112672

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त आबंटन	जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2019 में व्यय	वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से मार्च 2020)		वर्ष 2020-21 (30 नवम्बर 2020 की स्थिति में)		योग	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
20	सखी धन स्टॉप सेंटर	2709587	589298	2821676	1404224	750225	1019139	6281488	3012661
21	स्वाधार गृह	1680848	0	3115405	3115405	727000	0	5523253	3115405
22	उज्जवला गृह	1493712	855233	2830681	2098243	1473740	0	5798133	2953476
23	झूलाघर	20880	0	20880	20880	0	0	41760	20880
24	अनैतिक व्यापार	50000	0	150000	0	110000	0	310000	0
25	वेईग स्केल मशीन सुधार मरम्मत	0	0	356230	356229	0	0	356230	356229
26	दहेज प्रतिषेध	160000	106856	65600	65321	40000	0	265600	172177
27	आं.बा. प्राचार्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण अनुदान पेण्डारोड	0	0	53793	53793	0	0	53793	53793
28	महिलाओं का कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न	55000	0	60800	30600	53000	0	168800	30600
29	03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को गणवेश	0	0	382725	325128	0	0	382725	325128
30	न्यूट्रीशन सर्विलेंस	45000	0	0	0	0	0	45000	0
31	फुलवारी कन्द्रों के संचालन हेतु आबंटन	3150000	0	0	0	0	0	3150000	0
योग		868337316	183424895	975348001	923609643	624112093	439430482	2467797410	1546465020

टीप :- वर्ष 2018-19 हेतु आबंटन राशि पूरे वित्तीय वर्ष में प्रदाय की गई राशि का उल्लेख किया गया है एवं व्यय जनवरी, फरवरी एवं मार्च माह का है।

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 656) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

खाद एवं फसलों में डाली जाने वाली दवाईयों के पंजीकृत संस्था की संख्या

क्र.	जिला	पंजीकृत/पंजीबद्ध संस्था	
		उर्वरक	कीटनाशक औषधि
1	भयपुर	330	578
2	गरियाबंद	226	311
3	बलौदाबाजार	450	475
4	महासमुंद	268	436
5	धमतरी	286	189
6	दुर्ग	272	364
7	बालोद	262	223
8	बेमेतरा	271	299
9	राजनांदगांव	357	563
10	कबीरधाम	157	219
11	बिलासपुर	221	231
12	मुंगेली	195	368
13	जांजगीर	353	680
14	कोरबा	49	52
15	रायगढ़	181	260
16	जशपुर	57	35
17	सरगुजा	174	104
18	बलरामपुर	131	39
19	सूरजपुर	75	49
20	कोरिया	53	16
21	जगदलपुर	133	108
22	कोण्डागांव	92	16
23	नारायणपुर	8	0
24	दन्तेवाड़ा	1	1
25	सुकमा	19	2
26	बीजापुर	20	9
27	कांकेर	250	254
योग		4891	5881

प्रपत्र "ब"

खाद एवं फसलों में डाली जाने वाली दवाइयों हेतु अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया तथा योग्यता का मापदण्ड संबंधी जानकारी

क्र.	विवरण	अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया	योग्यता का मापदण्ड
1	उर्वरक	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 8 में विहित प्रावधान अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र	इस आदेश के अधीन किसी आवेदक को प्राधिकरण पत्र अनुदत्त नहीं किया जाएगा सिवाय जब तब आवेदक निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो अर्थात :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में विज्ञान स्नातक; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान से डिप्लोमा; या (iv) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एसएएनएजीई), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन (एनआईपीएचएम) और अन्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम छह मास की अवधि का कृषि इनपुट में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : (v) सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले 15 दिवसीय पठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अर्हताधारी परन्तु ऐसे डीलर, जिन्हें उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2015 के प्रवृत्त होने से पूर्व प्राधिकरण पत्र अनुदत्त किया गया है, ने उनके अधिकरण पत्र के नवीनीकरण के समय उक्त अर्हताओं को रखने की अपेक्षा नहीं होगी।
2	कीटनाशी औषधि	कीटनाशी औषधि अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 अंतर्गत दिये गये प्रावधान अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र	इस आदेश के अधीन किसी आवेदक को प्राधिकरण पत्र अनुदत्त नहीं किया जाएगा सिवाय जब तब आवेदक निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो अर्थात :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन और जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान और विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान, वनस्पती विज्ञान, प्राणी विज्ञान में स्नातक (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी या उससे संबंधित विषय या पौध संरक्षण या कीटनाशक नियंत्रण में एक साल का डिप्लोमा परन्तु ऐसे डीलर, जिन्हें कीटनाशी (द्वितीय संशोधन) नियम 2017 प्रवृत्त होने से पूर्व वैध अनुज्ञप्ति पत्र जारी किया गया है, उन्हें 2 वर्ष की अवधि में उक्त योग्यता अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। परन्तु ऐसे डीलर जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है व 10 वर्ष से व्यवसायरत है एवं जिनका वार्षिक कारोबार 5 लाख से कम है उन्हें उपरोक्त नियम अंतर्गत छूट प्राप्त रहेगा।

प्रपत्र "स"

वर्ष 2020-21 में अमानक बीज वितरण की प्राप्त शिकायत एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का विवरण

क्र.	जिला	फसल	शिकायत का विवरण	बीज आपूर्तिकर्ता संस्था	शिकायत पर की गई कार्यवाही	प्रदाय क्षतिपूर्ति का विवरण		
						कृषक संख्या	क्षतिपूर्ति में प्रदाय बीज मात्रा (क्वि.)	क्षतिपूर्ति में प्रदाय राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	धान (हायब्रिड)	समय पूर्व पकने के संबंध में	जिला प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. जोरा रायपुर	उप संचालक कृषि, जिला-रायपुर द्वारा गठित दल द्वारा शिकायत सही पाई गई। उक्त बीज को परीक्षण हेतु इ.गां.कृ.वि.वि. रायपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसके परीक्षण परिणाम अनुसार हाईब्रिड धान बीज नहीं होने बाबत अवगत कराया गया। इस संबंध में जिला प्रबंधक छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर को कृषकों को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदाय करने के संबंध में उचित कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। किसानों को तत्काल राहत के रूप में प्रतिपूर्ति के रूप में बीज प्रदाय किया गया है।	109	15	-
2	दुर्ग	सोयाबीन	बीज में अंकुरण नहीं होने बाबत।	सहकारी विपणन समिति मर्या. धमधा जिला दुर्ग एवं जिला प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रुवांबाधा	जिला स्तरीय गठित समिति से जांच उपरान्त शिकायत सही पाये जाने पर बीज निगम के नियमानुसार बीज मूल्य की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय किया गया है।	29	0	4.23
3	बेमेतरा	सोयाबीन	अंकुरण कम/नहीं	बीज प्रक्रिया केन्द्र पथर्रा	बीज के मूल्य के बराबर की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई है।	96	0	10.85
4	राजनांदगांव	सोयाबीन	अंकुरण कम होना	बीज प्रक्रिया केन्द्र, राजनांदगांव	बीज निगम के नियमानुसार बीज के मूल्य के बराबर की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई।	8	13.5	0.82
5	कबीरधाम	सोयाबीन	अंकुरण कम होना	बीज प्रक्रिया केन्द्र, घोटिया	बीज निगम के नियमानुसार बीज के मूल्य के बराबर की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई।	405	0	25.78
6	मुंगेली	सोयाबीन	अंकुरण नहीं होना	बीज प्रक्रिया केन्द्र धरमपुरा जिला मुंगेली	बीज निगम के नियमानुसार बीज के मूल्य के बराबर की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई।	11	0	2.65

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 737) के भाग (ख) की जानकारी]

केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ के अंतर्गत विभिन्न नहरों के निर्माण संबंधी जानकारी

स.क्र.	नहर का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वास्तविक निर्मित सिंचाई क्षमता	शेष निर्मित क्षमता	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	झारमुड़ा शाखा नहर	143.20	143.20	0.00		निर्माण कार्य पूर्ण
2	अमलीभौना माइनर	35.30	35.30	0.00		निर्माण कार्य पूर्ण
3	डूमरपाली माइनर	228.60	218.60	10.00	मार्च 2021	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4	आमापाली माइनर	318.40	272.23	46.17	मार्च 2021	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5	महुआपाली माइनर	752.60	478.44	274.16	मार्च 2022	भू-अर्जन प्रकरण में धारा 11 प्रक्रियाधीन है।
6	जामपाली माइनर	189.82	154.82	35.00	मार्च 2021	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
7	तडोला माइनर	400.10	360.10	40.00	मार्च 2021	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
8	झारमुड़ा माइनर	98.20	68.20	30.00	जून 2021	निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	योग	2166.22	1730.89	435.33		
9	टेंगापाली वितरक नहर	642.66	477.66	165.00	मार्च 2021	आर.डी. 12.00 कि.मी. से 13.86 कि.मी. तक एवं छुटे कार्यों का निर्माण कार्य शेष है।
10	नन्हाईडीपा माइनर	143.60	143.60	0.00		निर्माण कार्य पूर्ण
11	बडेडेरा माइनर	132.90	132.90	0.00		निर्माण कार्य पूर्ण
12	डूमरमुड़ा माइनर	36.60	36.60	0.00		निर्माण कार्य पूर्ण
13	झलमला माइनर 1	253.31	253.31	0.00		निर्माण कार्य पूर्ण
14	छातामुड़ा माइनर	117.20	107.20	10.00	जून 2021	कार्य अपूर्ण अंतिम छुटे हुए भूमि का पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अवारड उपरांत निविदा आमंत्रित की जावेगी।
15	सहदेवपाली माइनर	81.80	75.80	6.00	जून 2021	कार्य अपूर्ण अंतिम छुटे हुए भूमि का पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अवारड उपरांत निविदा आमंत्रित की जावेगी।
16	अघरियापारा माइनर	252.00	242.00	10.00	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर
17	जोगीडीपा माइनर	152.20	100.00	52.20	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर
18	लहंगापाली माइनर	76.00	51.00	25.00	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर
19	झलमला माइनर 2	56.50	39.50	17.00	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर
20	भाठनपाली माइनर	134.10	34.00	100.10	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर
21	टेंगापाली माइनर	230.80	0.00	230.80	मार्च 2021	कार्य शेष है
22	रेंगालपाली माइनर/टैंल माइनर	480.90	0.00	480.90	मार्च 2021	कार्य शेष है
	योग	2,790.570	1,693.570	1,097.00	-	
23	तेलीपाली वितरक नहर	291.91	160.91	131.00	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर है।
24	बाघाडोला माइनर	400.40	370.40	30.00	मार्च 2022	छुटे हुए भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव आबंटन मिलने पर प्रस्तुत किया जा कर शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।
25	पुसौर माइनर -1	127.10	32.00	95.10	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर है।
26	पुसौर माइनर -2	73.50	61.19	12.31	मार्च 2022	छुटे हुए भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव आबंटन मिलने पर प्रस्तुत किया जा कर शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।

स.क्र.	नहर का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वास्तविक निर्मित सिंचाई क्षमता	शेष निर्मित क्षमता	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
27	गुड्डा माइनर	184.30	167.73	16.57	जून 2021	छुटे हुए भूमि का भू-अर्जन उपरांत शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।
28	पुसौर माइनर -3	128.10	79.60	48.50	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर है।
29	ओडेकेरा माइनर	193.70	25.00	168.70	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर है।
30	कलमी माइनर	195.14	170.14	25.00	जून 2021	छुटे हुए भूमि का भू-अर्जन उपरांत शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।
31	तुरगा माइनर-1	147.70	119.70	28.00	जून 2021	छुटे हुए भूमि का भू-अर्जन उपरांत शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।
32	नावापाली माइनर	462.40	434.40	28.00	जून 2021	कार्य प्रगति पर है।
33	पडीगांव माइनर-1	124.00	113.00	11.00	मार्च 2022	छुटे हुए भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव आबटन मिलने पर प्रस्तुत किया जा कर शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।
34	पडीगांव माइनर 2	249.60	238.60	11.00	मार्च 2022	छुटे हुए भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव आबटन मिलने पर प्रस्तुत किया जा कर शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।
35	तुरगा माइनर-2	148.60	120.60	28.00	जून 2021	छुटे हुए भूमि का भू-अर्जन उपरांत शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।
36	त्रिभोना माइनर	83.74	0.00	83.74	जून 2021	निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	योग	2810.19	2093.27	716.92		
37	शारदा वितरक नहर	506.57	281.57	225.00	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर है।
38	मल्दा माइनर	576.30	139.70	436.60	जून 2021	कार्य प्रगति पर है।
39	घुटकूपाली माइनर	206.40	0.00	206.40	मार्च 2022	भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव आबटन मिलने पर प्रस्तुत किया जा कर शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।
40	दरीपाली माइनर	181.30	37.00	144.30	जून 2021	कार्य प्रगति पर है।
41	छपोरा माइनर	153.10	24.00	129.10	जून 2021	कार्य प्रगति पर है।
42	कोडपाली माइनर	757.00	0.00	757.00	जून 2021	छुटे हुए भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव आबटन मिलने पर प्रस्तुत किया जा कर शेष कार्य को पूर्ण किया जावेगा।
	योग	2380.67	482.27	1898.40		
43	बासनपाली माइनर	205.00	0.00	205.00		लारा पावर प्लांट प्रभावित क्षेत्र विलोपन प्रस्तावित
44	गोडतरा माइनर	221.60	0.00	221.60		लारा पावर प्लांट प्रभावित क्षेत्र विलोपन प्रस्तावित
45	बोडाझरिया माइनर	336.75	0.00	336.75		लारा पावर प्लांट प्रभावित क्षेत्र विलोपन प्रस्तावित
46	छोटे हरदी माइनर	135.40	0.00	135.40		लारा पावर प्लांट प्रभावित क्षेत्र विलोपन प्रस्तावित
47	कांदागढ माइनर	97.50	0.00	97.50		लारा पावर प्लांट प्रभावित क्षेत्र विलोपन प्रस्तावित
48	डिपापारा माइनर	85.10	0.00	85.10		लारा पावर प्लांट प्रभावित क्षेत्र विलोपन प्रस्तावित
49	झिलगिटार माइनर	125.00	0.00	125.00		लारा पावर प्लांट प्रभावित क्षेत्र विलोपन प्रस्तावित
50	पटेलपाली माइनर	160.00	0.00	160.00		विलोपन प्रस्तावित
	योग	1366.35	0.00	1366.35		
	कुल योग	11514.00	6000.00	5514.00		

स.क्र.	नहर का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वास्तविक निर्मित सिंचाई क्षमता	शेष निर्मित क्षमता	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
कार्यपालन अभियंता, केली परियोजना निर्माण संभाग लाखा/खरसिया						
	केली मुख्य नहर	0.00	0.00	0.00	--	कार्य पूर्ण
1	बघनपुर माईनर	56.00	0.00	56.00	03/2021	प्रगति पर
2	जामपाली माईनर	212.00	0.00	212.00	03/2021	प्रगति पर
3	कुसमुरा माईनर	182.00	182.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
4	बरमाठा माईनर	123.00	0.00	123.00	--	एलाइनमेंट निरस्त किया जाना प्रस्तावित है
5	खोखरा माईनर-1	70.00	70.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
6	खोखरा माईनर-2	60.00	60.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
7	खोखरा माईनर-3	135.00	135.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
8	तेलीपाली माईनर	300.00	0.00	300.00	03/2021	प्रगति पर
9	सिजिर माईनर	191.00	0.00	191.00	03/2021	प्रगति पर
10	छिच माईनर	442.00	402.00	40.00	03/2021	प्रगति पर
11	केनसरा माईनर-1	258.00	258.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
12	कराजोर माईनर	172.00	172.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
13	केनसरा माईनर-2	63.00	0.00	63.00	03/2021	प्रगति पर
	योग :-	2264	1279	985		
	धनगांव वितरक नहर	0.00	0.00	0.00	--	कार्य पूर्ण
14	कोतरा माईनर	71.00	0.00	71.00	03/2021	प्रगति पर
15	ओरामाठा माईनर	243.00	243.00	0.00	03/2022	निविदा आमंत्रित की जावेगी।
16	कुरमापाली माईनर	113.00	113.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
17	राईतराई माईनर	384.00	187.00	197.00	03/2021	प्रगति पर
18	तारापुर माईनर	359.00	359.00	0.00	--	कार्य पूर्ण
19	अमलडीहा माईनर	463.00	463.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
20	रूचिदा माईनर	444.00	0.00	444.00	03/2021	प्रगति पर
21	कोआताल माईनर	71.00	71.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
22	पुटकापुरी माईनर	285.00	285.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
23	धनगांव माईनर-1	306.00	0.00	306.00	03/2021	प्रगति पर
24	धनगांव माईनर-2	308.00	0.00	308.00	03/2022	निविदा आमंत्रित की जावेगी।
25	धनगांव सब माईनर	0.00	0.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
	योग :-	3047	1721	1326		
	अमलीपाली वितरक नहर	0.00	0.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
26	बादीमाल माईनर	116.00	0.00	116.00	03/2021	प्रगति पर
27	शंकरपाली माईनर-1	212.00	0.00	212.00	03/2021	प्रगति पर
28	शंकरपाली माईनर-2	89.00	0.00	89.00	03/2021	प्रगति पर
29	सेमीगाँवर माईनर	263.00	0.00	263.00	--	कार्य पूर्ण, वितरक नहर अपूर्ण होने के कारण सिंचाई निर्मित नहीं हुआ है।
30	सरवानी माईनर	172.00	0.00	172.00	03/2021	प्रगति पर
31	अमलीपाली माईनर-1	202.00	0.00	202.00	03/2021	प्रगति पर
32	अमलीपाली माईनर-2	282.00	0.00	282.00	03/2021	प्रगति पर
	योग :-	1336	0	1336		

स.क्र.	नहर का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वास्तविक निर्मित सिंचाई क्षमता	शेष निर्मित क्षमता	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
	छिछोर उमरिया वितरक नहर	0.00	0.00	0.00	03/2021	प्रगति पर
33	कारीछापूर माईनर	324.00	0.00	324.00	06/2021	प्रगति पर
34	सुलोनी माईनर	158.00	0.00	158.00	03/2022	निविदा आमंत्रित की जावेगी
35	सिंहा माईनर	338.00	0.00	338.00	03/2022	निविदा आमंत्रित की जावेगी
36	केलापाली माईनर	246.00	0.00	246.00	03/2022	निविदा आमंत्रित की जावेगी
37	ठाकुरपाली माईनर	198.00	0.00	198.00	03/2022	निविदा आमंत्रित की जावेगी
38	टिनमिनी माईनर	229.00	0.00	229.00	03/2022	निविदा आमंत्रित की जावेगी
39	जिलारी माईनर	77.00	0.00	77.00	06/2021	प्रगति पर
40	परसापाली माईनर	270.00	0.00	270.00	03/2022	निविदा आमंत्रित की जावेगी
41	छिछोर उमरिया टेल मा.	255.00	0.00	255.00	03/2022	निविदा आमंत्रित की जावेगी
	योग :-	2095	0	2095		
	कथली वितरक नहर	0.00	0.00	0.00	06/2021	प्रगति पर
42	तिलगी माईनर	119.00	0.00	119.00	06/2021	प्रगति पर
43	अमलीभौना माईनर	427.00	0.00	427.00	06/2021	प्रगति पर
44	बुनगा माईनर-1	478.00	0.00	478.00	06/2021	प्रगति पर
45	बुनगा माईनर-2	93.00	0.00	93.00	06/2021	प्रगति पर
46	बालपुर माईनर	845.00	0.00	845.00	03/2022	भू-अर्जन प्रकरण लंबित है
47	बेलपाली माईनर	185.00	0.00	185.00	03/2022	भू-अर्जन प्रकरण लंबित है
48	कलमा माईनर-1	141.00	0.00	141.00	03/2022	भू-अर्जन प्रकरण लंबित है
49	कलमा माईनर-2	266.00	0.00	266.00	03/2022	भू-अर्जन प्रकरण लंबित है
	योग :-	2554	0	2554	-	-
	कुल योग	11296	3000	8296	-	-
	महायोग	22810.00	9000.00	13810.00	-	-

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 671) के भाग (ग) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के पत्र क्रमांक/42/2010/1018 रायपुर दिनांक 16/02/2010 द्वारा ऋण प्रदाय करने हेतु जारी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के कार्य हेतु संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण को जिला प्रबंधक घोषित किया जाता है, तदानुसार निगम के कार्यों का संचालन हेतु अधिकृत किया जाता है।
2. छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के ऋण संबंधी कार्यवाही हेतु पृथक से खाता खोलकर राशि का आहरण एवं संवितरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
3. ऋण हेतु स्वीकृत राशि का वितरण उसी हितग्राही को किया जाए, जिसके नाम से राशि स्वीकृत की गई है।
4. राशि के संवितरण तथा प्राप्ति का हितग्राही के नाम से नस्ती संधारित करेंगे तथा तिमाही ब्याज की गणना कर राशि छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
5. आवेदक को स्वीकृत ऋण पर ब्याज की दर जो निगम को देय है :-

राशि	पुरुष	महिला
50 हजार तक	5%	4%
50 हजार से 5 लाख तक	6%	5%
5 लाख से अधिक	8%	7%

दिव्यांग महिलाओं के लिए ब्याज पर 1 प्रतिशत की छूट दी जानी है। ब्याज का भुगतान तिमाही करना है अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर एवं 31 दिसम्बर।

6. जिस माह ऋण वितरण किया जावेगा, वापसी किश्त उसी मासिक/तिमाही से Due होगी।
7. दिव्यांगता 40 प्रतिशत मेडिकल बोर्ड का ही मान्य होगा।
8. दिव्यांगजन के स्वीकृत मानदण्डों के आधार पर मूलधन एवं ब्याज अधिकतम 10 वर्षों की समान किश्तों में वसूल होगी।
9. सामग्री की क्रय डी.जी.एस. एण्ड डी. दर से होगा यदि संभव न हो तो क्रय समिति का गठन कर सीधे उत्पादक/आपूर्तिकर्ता से की जावेगी।
10. सामग्री का वितरण संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण के समक्ष की जावेगी तथा पावती पर हितग्राही के हस्ताक्षर, संयुक्त/उप संचालक के समक्ष लिये जावेंगे।
11. ऋण वितरण के पूर्व हितग्राही के नाम बैंक खाता होना अनिवार्य है।
12. दिव्यांगजन के व्यवसाय स्थान पर बंधक छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के नाम लिखा होना अनिवार्य है।

13. सामग्री की बीमा हितग्राही एवं छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के नाम संयुक्त रूप से होगा।
14. जिस उद्देश्य के लिये ऋण दिया जा रहा है, उसी व्यवसाय को करना होगा तथा अहस्तांतरित होगा।
15. ऋण वितरण कर इकाई स्थापित कराने की जिम्मेदारी संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण की होगी।
16. मासिक वसूली प्रगति प्रतिमाह निगम को भेजना होगा।
17. समयवधि में राशि का उपयोग होना अनिवार्य है।
18. यदि किसी कारणवश राशि उपयोग नहीं हो पा रहा है तो 90 दिन के अन्दर राशि वापस करना होगा नहीं करने पर दण्ड ब्याज संबंधित अधिकारी से वसूल की जावेगी।
19. यदि किसी भी समय निगम को यह जानकारी होगी कि गलत या झूठे ऋण वितरण किया जा रहा है तो यह ऋण किसी निश्चित अवधि के पहल वापिस करने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
20. ऋण वितरण के पूर्व जिला समिति द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश जारी करेगा जिसमें उपरोक्त शर्तें दर्शाना होगा।
21. ऋण स्वीकृति संबंधी संलग्न दस्तावेज पूर्ण करना होगा, जिसमें पोस्ट डेटेड चेक लेना अनिवार्य होगा।
22. नोड्यूज प्रमाण पत्र/शपथ पत्र एवं फूल साईज फोटो/पासपोर्ट फोटो साईज के प्रस्तुत करना होगा।

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 329) के भाग (ख) की जानकारी]

स. क्र.	वि.खं.	सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत गौठान का नाम जहां गोबर खरीदी नहीं की जा रही है	गौठान में गोबर नहीं खरीदने का कारण
1	2	3	4
1	नगरी	कोलियारी	वर्तमान में पूर्ण होकर तैयार हुआ है।
2	नगरी	गोकुल गौठान बेन्द्रापानी	
3	नगरी	माकरदोना	
4	नगरी	नन्दी गौठान बाजारकुरीडीह	
5	नगरी	राधाकृष्ण गौठान सलोनी	
6	नगरी	जय मां शीतला गौठान लसुनवाही	
7	नगरी	वृंदावन गौठान बनरौद	
8	नगरी	मधुबन गौठान मारदापोटी	
9	नगरी	जय गोपाल गौठान भैसामुड़ा	
10	नगरी	गौमाता गौठान अमाली	
11	नगरी	फरसिया	
12	नगरी	चंदनबाहरा	
13	नगरी	मां शीतला गौठान छिपलीपारा	
14	नगरी	गोकुल गौठान भड़सिवना	
15	नगरी	मां हटयारिन गौठान सातबाहना	
16	नगरी	घोटगांव	
17	नगरी	कोर्रेमुड़ा	
18	मगरलोड	जय कचरा घुरवा गौठान डाभा	वर्तमान में पूर्ण होकर तैयार हुआ है।
19	मगरलोड	बरदेव बाबा गौठान अमलीडीह	
20	मगरलोड	कचरा घुरवा गौठान पठार	
21	मगरलोड	गौठान प्रबंधन ग्राम पंचायत गाडाड़ीह	
22	मगरलोड	लक्ष्मी गौठान धौराभाठा न.	
23	मगरलोड	श्री कृष्ण गौठान रांकाडीह	
24	मगरलोड	गौठान प्रबंधन ग्राम पंचायत कोरगांव (तेन्दुभाठा)	
25	मगरलोड	ग्राम गौठान प्रबंधन ग्राम बेलोरा	

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 693) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्षवार, मौसमवार बीमित कृषक, लाभान्वित कृषक व दावा राशि तथा लंबित दावा भुगतान का विवरण :—

वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या	दावा भुगतान		लंबित दावा भुगतान		रिमार्क
			कृषक संख्या	राशि (रु. में)	कृषक संख्या	राशि (रु. में)	
2019-20	खरीफ	45528	764	57,18,626	—	—	—
	रबी	4891	4637	8,25,20,503	185	37,82,108	लंबित दावा भुगतान की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
2020-21	खरीफ	34256	दावा भुगतान गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।				—
	रबी	फसल बीमा पोर्टल में प्रविष्टी की अंतिम तिथि 31.12.2020 है। फलस्वरूप बीमित कृषको की संख्या उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त हो सकेगी।	—				—

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारंकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारंकित प्रश्नोत्तर से
संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 14) के भाग (ग) की जानकारी]

गौशाला निरीक्षण प्रतिवेदन

क्र.	गौशाला का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	निरीक्षण दिनांक
1	महावीर गौशाला रायपुर, जिला-रायपुर पंजीयन क्रमांक 07/14.09.2005	15.04.2019
2		10.06.2019
3		10.07.2019
4		05.08.2019
5		05.09.2019
6		08.10.2019
7		10.11.2019
8		10.12.2019
9		04.01.2020
10		10.03.2020
11		05.04.2020
12		04.06.2020
13		01.07.2020
14		01.08.2020
15		31.08.2020
16		30.09.2020
17		31.10.2020
18		01.12.2020

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 52) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बिलासपुर जिला अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2020 तक फसलवार, कृषकवार एवं दावा भुगतान की जानकारी

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	पंजीकृत कृषक	फसल का नाम	दावा भुगतान	
						लाभान्वित कृषक संख्या	दावा राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	16	17
1	2019	खरीफ	बिलासपुर	70050	धान सिंचित	13278	1309.25
					धान असिंचित	14209	3332.39
					मक्का	1	0.22
					अरहर	4	0.25
					योग	27492	4642.11
2	2019-20	रबी	बिलासपुर	1228	गेहू सिंचित	621	21.83
					गेहू असिंचित	3	0.02
					चना	402	20.84
					राई.सरसों	19	0.56
					अलसी	0	0.00
			योग		1045	43.25	
3	2020	खरीफ	बिलासपुर	50788	धान सिंचित	दावा गणना प्रक्रियाधीन है।	
					धान असिंचित		
					धान सिंचित		
					धान असिंचित		
					धान सिंचित		
					धान असिंचित		
					धान सिंचित		
					धान असिंचित		
					धान सिंचित		
					धान असिंचित		
			योग				

प्रपत्र "ब"

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत बिलासपुर जिले में उद्यानिकी फसलों के बीमा की जानकारी

वर्ष	मौसम	फसल	पंजीकृत कृषक संख्या	बीमा दावा राशि	
				कृषक संख्या	राशि रुपये लाख में
2019	खरीफ	केला	13	1	0.48
2019	खरीफ	बैंगन	153	153	2.15
2019	खरीफ	मिर्च	74	74	1.02
2019	खरीफ	अदरक	43	14	0.02
2019	खरीफ	अमरुद	2	0	0.00
2019	खरीफ	पपीता	13	13	1.01
2019	खरीफ	टमाटर	170	170	7.07
योग			468	425	11.75
2019-20	रबी	बैंगन	143	140	1.28
2019-20	रबी	पत्तागोभी	4	4	0.08
2019-20	रबी	फूलगोभी	24	24	0.42
2019-20	रबी	प्याज	52	52	1.20
2019-20	रबी	आलू	40	40	0.57
2019-20	रबी	टमाटर	281	280	10.53
योग			544	540	14.09
योग (2019-20)			1012	965	25.84
2020	खरीफ	केला	7	आवरण अवधि के समाप्ति उपरान्त बीमा दावा राशि की गणना कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।	
2020	खरीफ	बैंगन	48		
2020	खरीफ	मिर्च	22		
2020	खरीफ	अदरक	6		
2020	खरीफ	अमरुद	1		
2020	खरीफ	पपीता	13		
2020	खरीफ	टमाटर	118		
योग			215		
महायोग			1227	965	25.84

प्रपत्र "स"

खरीफ एवं रबी मौसम में फसल बीमा योजनावार अधिसूचित फसल की जानकारी

योजना का नाम	मौसम	अधिसूचित फसल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	खरीफ	धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन व मूंगफल्ली
	रबी	गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, अलसी व राई-सरसों
मौसम आधारित फसल बीमा योजना	खरीफ	टमाटर, बैंगन, अमरुद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक
	रबी	टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 117) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला जांजगीर-चांपा में रेडी टू ईट का संचालन कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की सेक्टरवार एवं अनुबंध अवधि संबंधी जानकारी

क्र.	बाल विवेकस परियोजना का नाम	रेडी टू ईट का प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता पर्यवेक्षक सेक्टर का नाम	रेडी टू ईट का प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों का नाम व पता	रेडी टू ईट का संचालन कर रहे समूहों से निष्पादित अनुबंध की तिथि	इन समूहों से निष्पादित अनुबंध समाप्ति की तिथि	अनुबंध समाप्ति के बाद भी रेडी टू ईट प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7
1	बम्हनीडीह	चाम्पा ग्रामीण	जय माँ वैष्णोदेवी स्व.सहा. समूह हथनेवरा	31.10.2015	31.10.2020	जय माँ वैष्णोदेवी स्व.सहायता समूह हथनेवरा
2	बम्हनीडीह	चाम्पा शहरी	हिमानी स्व.सहायता समूह पोडीकला	31.10.2015	31.10.2020	हिमानी स्व.सहायता समूह पोडीकला
3	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	जय माँ भगवती स्व.सहा. समूह लखाली	03.11.2015	03.11.2020	जय माँ भगवती स्व.सहा. समूह लखाली
4	बम्हनीडीह	करनौद	कल्याणी स्व.सहायता समूह कनकपुर	02.11.2015	02.11.2020	कल्याणी स्व.सहायता समूह कनकपुर
5	बम्हनीडीह	बिरा	प्रेरणा स्व.सहायता समूह बिरा	02.11.2015	02.11.2020	प्रेरणा स्व.सहायता समूह बिरा
6	बम्हनीडीह	सारागांव	अम्बा स्व.सहायता समूह सारागांव	02.11.2015	02.11.2020	अम्बा स्व.सहायता समूह सारागांव
7	बम्हनीडीह	झरना	शारदा स्व.सहायता समूह सकरेली	02.11.2015	02.11.2020	शारदा स्व.सहायता समूह सकरेली
8	बम्हनीडीह	सरहर	चौदनी स्व. सहायता समूह सरहरगढ़	31.10.2015	31.10.2020	चौदनी स्व. सहायता समूह सरहरगढ़
9	जैजैपुर	जैजैपुर	जागृति स्व सहायता समूह जैजैपुर	01.04.2014	31.03.2019	जागृति स्व सहायता समूह जैजैपुर
10	जैजैपुर	हसौद	जागृति स्व सहायता समूह दतौद	01.04.2014	31.03.2019	जागृति स्व सहायता समूह दतौद
11	जैजैपुर	चिस्दा	लाला चौरा स्व सहायता समूह पेंडरी	01.04.2014	31.03.2019	लाला चौरा स्व सहायता समूह पेंडरी
12	जैजैपुर	धिवरा	जय माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह जमड़ी	04.01.2018	31.03.2021	-
13	जैजैपुर	ओडकरा	जागृति स्व सहायता समूह बोडसरा	01.04.2014	31.03.2019	जागृति स्व सहायता समूह बोडसरा
14	जैजैपुर	कचंदा	राजनंदनी स्व सहायता समूह आमाकोनी	01.04.2014	31.03.2019	राजनंदनी स्व सहायता समूह आमाकोनी
15	जैजैपुर	कोटतरा	एकता स्व सहायता समूह टूठी	01.04.2014	31.03.2019	एकता स्व सहायता समूह टूठी
16	जैजैपुर	ठठारी	अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह ठठारी	01.04.2014	31.03.2019	अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह ठठारी
17	जैजैपुर	भोथिया	वज्र साख स्व सहायता समूह भोथिया	01.07.2020	30.06.2023	-
18	अकलतरा	नरियरा	जय माँ रातोषी स्व.सहायता समूह नरियरा	15.07.2016	15.07.2021	-

1	2	3	4	5	6	7
19	अकलतरा	अमोरा	ममता महिला स्वसहायता समूह अमोरा	29.10.2015	29.10.2020	ममता महिला स्वसहायता समूह अमोरा
20	अकलतरा	कोटमीसोनार	गुरु घासीदास स्वसहायता समूह पिपरसल्ली	29.10.2015	29.10.2020	गुरु घासीदास स्वसहायता समूह पिपरसल्ली
21	अकलतरा	कटघरी	चर्तुभुज स्वसहायता समूह पोडीदल्हा	01.06.2018	01.06.2021	-
22	अकलतरा	परसाहीबाना	मेनका माता स्वसहायता समूह परसाही बाना	29.10.2015	29.10.2020	मेनका माता स्वसहायता समूह परसाही बाना
23	अकलतरा	कापन	महालक्ष्मी स्वसहायता समूह पौना	29.10.2015	29.10.2020	महालक्ष्मी स्वसहायता समूह पौना
24	अकलतरा	अकलतरा शहरी	जय मां संतोषी स्वसहायता समूह नरियरा (बैकल्पिक व्यवस्था)	-	-	-
25	अकलतरा	अकलतरा ग्रामीण	विश्वा महिला स्वसहायता समूह तरौद	29.10.2015	29.10.2020	विश्वा महिला स्वसहायता समूह तरौद
26	बलौदा	पहरिया	भगवान गुडी महिला स्वसहायता समूह पहरिया	29.06.2020	29.06.2023	-
27	बलौदा	कुलीपोटा	पूर्णा स्वसहायता समूह कुरदा च	14.10.2015	14.10.2020	पूर्णा स्वसहायता समूह कुरदा च
28	बलौदा	सिवनी च	मड़वारानी स्वसहायता समूह कुरदा	02.11.2015	02.11.2020	मड़वारानी स्वसहायता समूह कुरदा
29	बलौदा	बलौदा ग्रामीण	नवोदय स्वसहायता समूह बिरगहनी ब	02.11.2015	02.11.2020	नवोदय स्वसहायता समूह बिरगहनी ब
30	बलौदा	बलौदा नगरीय	सहयोगी भाग्य लक्ष्मी स्वसहायता समूह चारपारा	02.11.2015	02.11.2020	सहयोगी भाग्य लक्ष्मी स्वसहायता समूह चारपारा
31	बलौदा	खिसोरा	ज्ञानगंगा स्वसहायता समूह सोनबरसा	02.11.2015	02.11.2020	ज्ञानगंगा स्वसहायता समूह सोनबरसा
32	बलौदा	जर्वे ब	मिनीमाता स्वसहायता समूह बुडगहन	02.11.2015	02.11.2020	मिनीमाता स्वसहायता समूह बुडगहन
33	बलौदा	कोसमंदा	माँ मेरीना स्वसहायता समूह कुरदा	02.11.2015	02.11.2020	माँ मेरीना स्वसहायता समूह कुरदा
34	पामगढ़	पामगढ़	पामगढ़हीन दाई स्व.सहायता समूह पामगढ़	05.11.2015	05.11.2020	पामगढ़हीन दाई स्व.सहायता समूह पामगढ़
35	पामगढ़	मेउ	नम्रता स्व.सहायता समूह पनगांव	13.11.2015	13.11.2020	नम्रता स्व.सहायता समूह पनगांव
36	पामगढ़	लगरा	मां गायत्री स्व.सहायता समूह खपरी	05.11.2015	05.11.2020	मां गायत्री स्व.सहायता समूह खपरी
37	पामगढ़	लोहसी	ज्वालामुखी स्व.सहायता समूह महका	05.11.2015	05.11.2020	ज्वालामुखी स्व.सहायता समूह महका
38	पामगढ़	मुलमुला	विकास स्व.सहायता समूह बोहारडीह	05.11.2015	05.11.2020	विकास स्व.सहायता समूह बोहारडीह
39	पामगढ़	राहौद	जीवन ज्योति समूह कोहका राहौद	15.10.2015	15.10.2020	जीवन ज्योति समूह कोहका राहौद
40	पामगढ़	डोंगाकोहरौद	दूर्गा स्व.सहायता समूह मेकरी	05.11.2015	05.11.2020	दूर्गा स्व.सहायता समूह मेकरी
41	पामगढ़	ससहा	जयंती स्व.सहायता समूह केसला	05.11.2015	05.11.2020	जयंती स्व.सहायता समूह केसला
42	पामगढ़	खरौद	मां संतोषी स्व.सहायता समूह तनौद	05.11.2015	05.11.2020	मां संतोषी स्व.सहायता समूह तनौद
43	नवागढ़	सेमरा	सरस्वती महिला स्वसहायता समूह अकलतरी	30.10.2015	30.10.2020	सरस्वती महिला स्वसहायता समूह अकलतरी
44	नवागढ़	सेमरा	मां कर्मा महिला स्वसहायता समूह सलखन	30.10.2015	30.10.2020	मां कर्मा महिला स्वसहायता समूह सलखन

नवागढ़, सप्टेम्बर

1	2	3	4	5	6	7
45	नवागढ़	नवागढ़	शारदा स्वसहायता समूह नवागढ़	30.10.2015	30.10.2020	शारदा स्वसहायता समूह नवागढ़
46	नवागढ़	शिवरीनारायण	अन्नपूर्णा महिला स्वसहायता समूह तुस्मा	30.10.2015	30.10.2020	अन्नपूर्णा महिला स्वसहायता समूह तुस्मा
47	नवागढ़	केरा	जय मां लक्ष्मी स्वसहायता समूह मिस्दा	30.10.2015	30.10.2020	जय मां लक्ष्मी स्वसहायता समूह मिस्दा
48	नवागढ़	तुस्मा	मां कर्मा महिला स्वसहायता समूह सलखन (वैकल्पिक व्यवस्था)	-	-	-
49	जांजगीर	नैला शहरी	शारदा स्व सहा. समूह पुटपुरा	30.10.2015	30.10.2020	शारदा स्व सहा. समूह पुटपुरा
50	जांजगीर	जांजगीर शहरी	मां मनका दाई समूह धाराशिव	30.10.2015	30.10.2020	मां मनका दाई समूह धाराशिव
51	जांजगीर	जांजगीर ग्रामीण	सरस्वती स्व सहायता समूह भड़ेसर	30.10.2015	30.10.2020	सरस्वती स्व सहायता समूह भड़ेसर
52	जांजगीर	सिवनी	संतोषी स्व सहा. समूह सिवनी	30.10.2015	30.10.2020	संतोषी स्व सहा. समूह सिवनी
53	जांजगीर	सरखों	जय मां लक्ष्मी समूह करमंदी	30.10.2015	30.10.2020	जय मां लक्ष्मी समूह करमंदी
54	जांजगीर	महंत	जूही फूल समूह सेंदरी	30.10.2015	30.10.2020	जूही फूल समूह सेंदरी
55	जांजगीर	गौद	जय मां दुर्गा शक्ति नवापारा	30.10.2015	30.10.2020	जय मां दुर्गा शक्ति नवापारा
56	जांजगीर	अवरीद	मां भगवती स्व. सहा. समूह धुरकोट	25.06.2020	24.06.2023	-
57	मालखरौदा	सिंघरा	जय चण्डी इंदिरा महिला स्व.सहा. समूह सिंघरा	05.11.2015	05.11.2020	जय चण्डी इंदिरा महिला स्व.सहा. समूह सिंघरा
58	मालखरौदा	सकर्ना	महिला बचत साख समूह सारसडोल	05.11.2015	05.11.2020	महिला बचत साख समूह सारसडोल
59	मालखरौदा	पोता	जय मां दुर्गा महिला स्व. सहा. समूह अमेराडीह	05.11.2015	05.11.2020	जय मां दुर्गा महिला स्व. सहा. समूह अमेराडीह
60	मालखरौदा	छपोरा	जय लक्ष्मी स्व.सहा. समूह नरियरा	05.11.2015	05.11.2020	जय लक्ष्मी स्व.सहा. समूह नरियरा
61	मालखरौदा	अडभार	लक्ष्मी महिला स्व.सहा. समूह हरदी	05.11.2015	05.11.2020	लक्ष्मी महिला स्व.सहा. समूह हरदी
62	मालखरौदा	बडेसीपत	मां बम्लेश्वरी स्व.सहा. समूह बडेरबेली	04.07.2018	04.07.2021	-
63	मालखरौदा	फगुराम	संजीवनी महिला स्वसहायता समूह फगुराम	17.07.2020	16.07.2023	-
64	मालखरौदा	मालखरौदा	सखी सहेली महिला स्वसहा. समूह सतगढ़	18.08.2020	17.08.2023	-
65	डभरा	डभरा	जय मां दुर्गा स्व.सहा. समूह कवलाझर	09.07.2020	09.07.2023	-
66	डभरा	देवरघटा	यमुना स्वसहायता समूह कटौद	06.07.2020	06.07.2023	-
67	डभरा	सपोस	ममता महिला स्वसहायता समूह साराडीह	28.06.2020	28.06.2023	-
68	डभरा	गोबरा	जय मां गायत्री स्वसहायता समूह खैरा	07.07.2020	07.07.2023	-
69	डभरा	मालखरौदा	जय लक्ष्मी स्व.सहा. समूह जवाली	25.06.2020	25.06.2023	-

अनुषंग अधिकारी
मालखरौदा जिला विकास विभाग
मंत्रालय, रायपुर

1	2	3	4	5	6	7
70	डभरा	धुरकोट	एकता महिला स्व सहा. समूह केकराभाट	06.07.2020	06.07.2023	—
71	डभरा	चन्द्रपुर	सम्लेश्वरी स्वसहायता समूह चन्द्रपुर	28.06.2020	28.06.2023	—
72	सक्ती	पोरथा	योगेश्वरी स्व सहायता समूह जाजंग	03.11.2015	03.11.2020	योगेश्वरी स्व सहायता समूह जाजंग
73	सक्ती	डडाई	महामाया स्व सहायता समूह देवरी	03.11.2015	03.11.2020	महामाया स्व सहायता समूह देवरी
74	सक्ती	सक्ती ग्रामीण	उमा डेयरी स्व सहायता समूह जाजंग	03.11.2015	03.11.2020	उमा डेयरी स्व सहायता समूह जाजंग
75	सक्ती	कुरदा	लक्ष्मी स्व सहायता समूह नगरदा	03.11.2015	03.11.2020	लक्ष्मी स्व सहायता समूह नगरदा
76	सक्ती	सक्ती शहरी	जय महामाया बुधवारी बाजार स्वसमूह सक्ती	03.11.2015	03.11.2020	जय महामाया बुधवारी बाजार स्वसमूह सक्ती
77	सक्ती	रगजा	जय माँ मनकादाई स्व सहायता समूह सकरेली बा	03.11.2015	03.11.2020	जय माँ मनकादाई स्व सहायता समूह सकरेली बा
78	सक्ती	सकरेली बा.	माँ संतोषी स्व सहायता समूह सकरेली बा	03.11.2015	03.11.2020	माँ संतोषी स्व सहायता समूह सकरेली बा
79	सक्ती	बाराद्वर शहरी	मितानीन स्व सहायता समूह सकरेली बा	03.11.2015	03.11.2020	मितानीन स्व सहायता समूह सकरेली बा

M

प्रपत्र "ब"

जिला जांजगीर-चांपा में रेडी टू ईट के संचालन हेतु 01 मार्च 2019 से दिनांक 28-11-2020 तक महिला स्व सहायता समूहों के चयन हेतु जारी विज्ञापन एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	विज्ञापन तिथि	विज्ञापन पर की गई कार्यवाही
1	2	3
1	10.02.2020	20 सेक्टर हेतु आवेदन आमंत्रित, जिसमें से 12 सेक्टर के समूह के चयन सूची जारी, 7 सेक्टर के आवेदन निरस्त किये गए तथा 1 सेक्टर न्यायालयीन प्रकरण होने के कारण उस पर कार्यवाही नहीं की गई।
2	30.07.2020	दिनांक 11.08.2020 को विज्ञापन निरस्त किया गया।
3	24.08.2020, 28.08.2020, 29.08.2020, 31.08.2020, 01.09.2020, 02.09.2020 व 03.09.2020	समूह चयन की कार्यवाही प्रचलन में।

M

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 118) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्राप्त राशि (लाख में)	सामग्री क्रय की गयी अथवा नहीं	क्रय सामग्री का नाम	मात्रा	दर रु.	कुल व्यय राशि (लाख में)	व्यय हेतु शेष राशि (लाख में)	संस्था का नाम	क्रय किये जाने हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया का विवरण	विशेष	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	
1	2018-19					कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गई है अतः जानकारी निरंक है।							-	
2	2019-20	एन.जी.जी.बी. बाड़ी विकास	11.25	11.25	क्रय	आम पौधा	9000	35	3.15	0	विभागीय रोपणी	विभागीय प्रक्रिया द्वारा	-	
						अमरुद	9000	15	1.35	0				
						मुनगा	3082	12	0.37	0				
						पपीता	1416	12	0.17	0				
						सब्जी बीज - टमाटर	48.2 K.g.	2760	1.33	0	भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज, उपार्जन, प्रसंस्करण एवं फुटकर सहकारी संघ मर्यादित (नेकाफ)	भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज, उपार्जन, प्रसंस्करण एवं फुटकर सहकारी संघ मर्यादित (नेकाफ) से क्रय आदेश जारी कर सामग्री की आपूर्ति की गई है।		
						प्याज	192.7 K.g.	690	1.33	0				
						लौकी	48.1 K.g.	2760	1.33	0				
						भिण्डी	321.7 K.g.	690	2.22	0				
		योग	11.25	11.25					11.25	0.00				
		सब्जी/मसाला फसल प्रदर्शन	288	288	क्रय	भिण्डी बीज	2995.20 K.g.	1148.40	34.40	0.00	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड से क्रय आदेश जारी कर सामग्री की आपूर्ति की गई है।		
						लौकी बीज	1483.20 K.g.	2310.00	34.26	0.00				
						मिर्च बीज	72 K.g.	23958.00	17.25	0.00				
						डीओटी बोरान	7200 K.g.	275.00	22.18	0.00				
						जिंक इडिटा	14400 K.g.	495.00	79.83	0.00				
एजाडिरेक्टिन	14400 Lt.					495.00	79.83	0.00						
माइकोराईजा	14400 K.g.					132.00	19.96	0.00						
परिवहन व्यय	-	-	0.29	0.00										
योग	288	288					288.00	0.00						

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्राप्त राशि (लाख में)	सामग्री क्रय की गयी अथवा नहीं	क्रय सामग्री का नाम	मात्रा	दर रु.	कुल व्यय राशि (लाख में)	अथवा हेतु राशि (लाख में)	संख्या का नाम	क्रय किंसे जाने हेतु अपेक्षा की गयी प्राकृतिकता का विवरण	विवरण
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
2	2019-20	सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप हेतु अनुदान (सहायता) राशि	37.432	37.432	नहीं	ड्रिप हेतु सहायता	26 कृषक	-	21.870	15.562	-	-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई एच राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई के तहत 80 हे हेतु कुल 89 कृषकों का ऑनलाईन पंजीयन/अनुदान चैम्पस सिस्टम से किया गया था जिसमें से 28 कृषकों को 21.87 लाख रु की सहायता राशि डी.एम.एफ. से बैंक के माध्यम से दिया जा चुका है किन्तु बीज निगम द्वारा संबंधित फर्म से कार्य नहीं कराया गया है।
		सूक्ष्म सिंचाई स्प्रिंकलर हेतु अनुदान (सहायता) राशि	50.575	50.575	नहीं	-	-	-	0.00	50.575	-	-	रकबा 180.089 हे हेतु 261 कृषकों का वर्ष 2019-20 में चैम्पस के माध्यम से पंजीयन किया गया था किन्तु बीज निगम के द्वारा संबंधित फर्म से कार्य नहीं कराया गया है।
		कुलयोग	387.257	387.257					321.120	66.137			
3	2020-21	मुनगा पौध उत्पादन	27.00	27.00	क्रय	पॉलीथीन थैली	607	171.1	1.04	0	अग्रहरी प्लास्टिक बिला	छ.ग. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए स्थानीय स्तर पर सामग्री आपूर्ति की गई है।	
						मिट्टी मय परिवहन	6750 घ.फी.	8	0.54	0	स्थानीय स्तर	छ.ग. भण्डार क्रय नियम के अनुसार स्थानीय स्तर पर सामग्री आपूर्ति की गई है।	
						रेत मय परिवहन	6733 घ.फी.	15	1.01	0			
						गोबर खाद	6750 घ.फी.	20	1.35	0			
						बोनमील	4060 K.g.	50	2.03	0			
						बीज	49.33 K.g.	1500	0.74	0			
						पौध संरक्षण दवा	462.9 L.L.	350	1.62	0			
						अन्य आवश्यक व्यय	-	LS	1.62	0			
मजदूरी	4704	287	13.5	3.55	-	-							
	योग	27.00	27.00					23.450	3.550				

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्राप्त राशि (लाख में)	सामग्री क्रय की गयी अथवा नहीं	क्रय सामग्री का नाम	मात्रा	दर रु.	कुल व्यय राशि (लाख में)	व्यय हेतु शेष राशि (लाख में)	संस्था का नाम	क्रय किये जाने हेतु अपनानी मधी प्रक्रिया का विवरण	विशेष
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
3	2020-21	बैटरी कम हेण्ड ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर वितरण	100.043	100.043	क्रय	बैटरी कम हेण्ड ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर वितरण	1865 नग	5364.24	100.043	0.000	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड से क्रय आदेश जारी कर सामग्री की आपूर्ति की गई है।	-
		उद्यानिकी टूल किट वितरण	100.002	100.002	क्रय	उद्यानिकी टूल किट वितरण	2844 नग	3516.24	100.002	0.00			
		बाड़ी विकास	31.293	31.293	क्रय	करेला बीज	33.29 K.g.	2598.20	0.00	0.860			
						लौकी बीज	66.58 K.g.	2310.00	0.00	1.540			
						टमाटर बीज	66.58 K.g.	23760.00	0.00	15.820			
						प्याज बीज	332.9 K.g.	1709.40	0.00	5.690			
		भिण्डी बीज	532.9 K.g.	1368.00	0.00	7.290	नाफेड	नाफेड से क्रय आदेश जारी कर सामग्री की आपूर्ति की गई है।	बाड़ी विकास वर्ष 2019-20 अंतर्गत सामग्री वितरण किया जा चुका है किन्तु संबंधित फर्म को भुगतान शेष है।				
परिवहन व्यय	-	-	0.00	0.093	-	-							
		योग	31.293	31.293				0.00	31.293				
		कुलयोग	258.338	258.338				223.495	34.843				
		महायोग	645.595	645.595				544.615	100.980				

परिशिष्ट "अट्टारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 140) की जानकारी]

आंगनबाड़ियों में संधारण/पोताई का आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण

क्र.	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आं.बा. केन्द्रों/मिनी आं.बा. केन्द्रों का नाम	पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य किये एजेंसी/व्यक्ति का नाम	कार्य आदेश/संपादन की अवधि
बाल विकास परियोजना का नाम - अकलतरा			
1	पकरिया (झू) 1	नरेन्द्र कुमार साहू दहिदा	जून 2020
2	पकरिया (झू) 2	नरेन्द्र कुमार साहू दहिदा	जून 2020
3	पकरिया (झू) 3	नरेन्द्र कुमार साहू दहिदा	जून 2020
4	पकरिया (झू) 6	नरेन्द्र कुमार साहू दहिदा	जून 2020
5	पकरिया (झू) 5	पीताम्बर यादव दहिदा	जून 2020
6	नरियरा 4	पीताम्बर यादव दहिदा	जून 2020
7	नरियरा 5	पीताम्बर यादव दहिदा	जून 2020
8	झलमला 2	अकलेश कुमार दहिदा	जून 2020
9	झलमला 3	अकलेश कुमार दहिदा	जून 2020
10	झलमला 4	अकलेश कुमार दहिदा	जून 2020
11	नरियरा 6	अकलेश कुमार दहिदा	जून 2020
12	बनाहिल 1	कमलेश्वर वैष्णव जांजगीर	जून 2020
13	बनाहिल 2	कमलेश्वर वैष्णव जांजगीर	जून 2020
14	नरियरा 3	कमलेश्वर वैष्णव जांजगीर	जून 2020
15	नरियरा 10	कमलेश्वर वैष्णव जांजगीर	जून 2020
16	नरियरा 1	राम नारायण साहू दहिदा	जून 2020
17	नरियरा 2	राम नारायण साहू दहिदा	जून 2020
18	नरियरा 8	राम नारायण साहू दहिदा	जून 2020
19	नरियरा 9	राम नारायण साहू दहिदा	जून 2020
20	सोनसरी 3	संतोष कुमार साहू दहिदा	जून 2020
21	सोनसरी 4	संतोष कुमार साहू दहिदा	जून 2020
22	अर्जुनी 1	संतोष कुमार साहू दहिदा	जून 2020
23	करूमहू 4	संतोष कुमार साहू दहिदा	जून 2020
24	अमोरा 1	जनक राम साहू दहिदा	जून 2020
25	अमोरा 2	जनक राम साहू दहिदा	जून 2020
26	अमोरा 3	जनक राम साहू दहिदा	जून 2020
27	अमोरा 5	जनक राम साहू दहिदा	जून 2020
28	अमोरा 6	खेम लाल साहू दहिदा	जून 2020
29	करूमहू 1	खेम लाल साहू दहिदा	जून 2020
30	करूमहू 2	खेम लाल साहू दहिदा	जून 2020

31	करुमहू 3	खेम लाल साहू दहिदा	जून 2020
32	पकरिया (झू) 7	जितेश कुमार डोगाकोहरौद	जून 2020
33	आरसमेटा 1	जितेश कुमार डोगाकोहरौद	जून 2020
34	आरसमेटा 2	जितेश कुमार डोगाकोहरौद	जून 2020
35	आरसमेटा 3	जितेश कुमार डोगाकोहरौद	जून 2020
36	मुरलीडीह 1	लेख राम साहू दहिदा	जून 2020
37	परसदा (रे) 1	लेख राम साहू दहिदा	जून 2020
38	परसदा (रे) 2	लेख राम साहू दहिदा	जून 2020
39	कोटमी सोनार 3	गोपाल कुमार यादव दहिदा	जून 2020
40	कोटमी सोनार 9	गोपाल कुमार यादव दहिदा	जून 2020
41	कोटमी सोनार 10	गोपाल कुमार यादव दहिदा	जून 2020
42	बड़े अमेरी मिनी	गोपाल कुमार यादव दहिदा	जून 2020
43	छोटे अमेरी मिनी	हर्ष पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
44	अकलतरी 1	हर्ष पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
45	दामादपारा अकलतरी	हर्ष पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
46	अकलतरी 2	हर्ष पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
47	पिपरसत्ती 2	श्रीकांत पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
48	पिपरसत्ती 3	श्रीकांत पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
49	पिपरसत्ती 4	श्रीकांत पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
50	नीमडीपारा पिपरसत्ती	श्रीकांत पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
51	मधुवा 1	भारागीरती साहू दहिदा	जून 2020
52	सांकर 1	भारागीरती साहू दहिदा	जून 2020
53	सांकर 2	भारागीरती साहू दहिदा	जून 2020
54	सांकर मिनी	भारागीरती साहू दहिदा	जून 2020
55	फरहदा 1	सोनू धोबी दहीदा	जून 2020
56	सोनादुला 1	सोनू धोबी दहीदा	जून 2020
57	सोनादुला 2	सोनू धोबी दहीदा	जून 2020
58	चंगोरी 1	सोनू धोबी दहीदा	जून 2020
59	चंगोरी 2	डगेश्वर साहू दहिदा	जून 2020
60	चंगोरी 3	डगेश्वर साहू दहिदा	जून 2020
61	अमलीपाली	प्रीतम सिंह कंवर बछौद	जून 2020
62	सोनडीह	प्रीतम सिंह कंवर बछौद	जून 2020
63	पिपरदा 1	प्रीतम सिंह कंवर बछौद	जून 2020
64	चंदनिया 1	प्रीतम सिंह कंवर बछौद	जून 2020
65	चंदनिया 2	राम गोपाल कंवर बछौद	जून 2020
66	पड़रिया 1	राम गोपाल कंवर बछौद	जून 2020
67	पड़रिया 2	राम गोपाल कंवर बछौद	जून 2020
68	पड़रिया मिनी	राम गोपाल कंवर बछौद	जून 2020
69	कटघरी 1	ईश्वर सिंह कंवर बछौद	जून 2020

70	कटघरी 2	ईश्वर सिंह कंवर बछौद	जून 2020
71	कटघरी 3	ईश्वर सिंह कंवर बछौद	जून 2020
72	कटघरी 4	ईश्वर सिंह कंवर बछौद	जून 2020
73	पोंड़ी दल्हा 1	संजू साहू दहिदा	जून 2020
74	पोंड़ी दल्हा 3	संजू साहू दहिदा	जून 2020
75	पोंड़ी दल्हा 4	संजू साहू दहिदा	जून 2020
76	पोंड़ीदल्हा 7पानीटंकी	संजू साहू दहिदा	जून 2020
77	पोंड़ीदल्हा 8 हरि.मु.	मंगल कुमार कश्यप तागा	जून 2020
78	बरगवां 1	मंगल कुमार कश्यप तागा	जून 2020
79	बरगवां 2	मंगल कुमार कश्यप तागा	जून 2020
80	बरगवां 3	मंगल कुमार कश्यप तागा	जून 2020
81	महमदपुर	शत्रुहन पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
82	कोटगढ़ 1	शत्रुहन पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
83	कोटगढ़ 2	शत्रुहन पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
84	कोटगढ़ 3	शत्रुहन पाण्डेय भड़ेसर	जून 2020
85	पचरी (पोंड़ी)	रूपेन्द्र कुमार यादव तागा	जून 2020
86	परसाही नाला 1	रूपेन्द्र कुमार यादव तागा	जून 2020
87	परसाही नाला 2	रूपेन्द्र कुमार यादव तागा	जून 2020
88	बाना 1	नरेन्द्र साहू काशीगढ़	जून 2020
89	परसाही (बाना) 1	नरेन्द्र साहू काशीगढ़	जून 2020
90	पचरी 1	नरेन्द्र साहू काशीगढ़	जून 2020
91	पचरी 2	नरेन्द्र साहू काशीगढ़	जून 2020
92	करहीडीह 1	राम भगत साहू गाड़ामोर	जून 2020
93	बुचीहरदी 1	राम भगत साहू गाड़ामोर	जून 2020
94	भैंसतरा 1	राम भगत साहू गाड़ामोर	जून 2020
95	दमामीपारा भैंसतरा	राम भगत साहू गाड़ामोर	जून 2020
96	बुचीहरदी 2	विजय कुमार कश्यप कर्रा	जून 2020
97	हरदी 4	विजय कुमार कश्यप कर्रा	जून 2020
98	नवापारा	विजय कुमार कश्यप कर्रा	जून 2020
99	हरदी मिनी	विजय कुमार कश्यप कर्रा	जून 2020
100	हरदी 1	दिनेश बंजारे बारगांव	जून 2020
101	हरदी 2	दिनेश बंजारे बारगांव	जून 2020
102	हरदी 3	अभिन्यु धीवर कर्रा	जून 2020
103	बरपाली	अभिन्यु धीवर कर्रा	जून 2020
104	बरबसपुर	अभिन्यु धीवर कर्रा	जून 2020
105	सुवरमाल	अभिन्यु धीवर कर्रा	जून 2020
106	सरईपाली	बाबू लाल यादव दहिदा	जून 2020
107	बिरकोनी	बाबू लाल यादव दहिदा	जून 2020
108	कटनई 1	बाबू लाल यादव दहिदा	जून 2020

109	देवरी	बाबू लाल यादव दहिदा	जून 2020
110	कापन 2	रामफल यादव सिवनी नैला	जून 2020
111	कापन 5 भांठापारा	रामफल यादव सिवनी नैला	जून 2020
112	खपरीडीह	रामफल यादव सिवनी नैला	जून 2020
113	तागा 4	रामफल यादव सिवनी नैला	जून 2020
114	मुड़पार	भारत साहू दहिदा	जून 2020
115	साजापाली	भारत साहू दहिदा	जून 2020
116	तागा 1	भारत साहू दहिदा	जून 2020
117	मुरलीकंजी	भारत साहू दहिदा	जून 2020
118	परसदा	योगेश कुमार साहू केरा	जून 2020
119	तागा 2	योगेश कुमार साहू केरा	जून 2020
120	तागा 3	योगेश कुमार साहू केरा	जून 2020
121	पौना 3 दुर्गा मंच	योगेश कुमार साहू केरा	जून 2020
122	तिलई 1	संजय कुमार दहिदा	जून 2020
123	बस स्टैंड तिलईमिनी	संजय कुमार दहिदा	जून 2020
124	घनवा	संजय कुमार दहिदा	जून 2020
125	मुरलीकंजी मिनी	संजय कुमार दहिदा	जून 2020
126	कापन 3	रमेश कुमार चन्द्रा किरीत	जून 2020
127	मौहाडीह	रमेश कुमार चन्द्रा किरीत	जून 2020
128	पौना 1	रमेश कुमार चन्द्रा किरीत	जून 2020
129	पौना 2	रमेश कुमार चन्द्रा किरीत	जून 2020
130	अकलतरा वार्ड 01	सोहित राम यादव दहिदा	जून 2020
131	अकलतरा वार्ड 02	सोहित राम यादव दहिदा	जून 2020
132	अकलतरा वार्ड 03	सोहित राम यादव दहिदा	जून 2020
133	अकलतरा वार्ड 05	सोहित राम यादव दहिदा	जून 2020
134	अकलतरा वार्ड 12	राधे लाल साहू दहिदा	जून 2020
135	अकलतरा वार्ड 16	राधे लाल साहू दहिदा	जून 2020
136	खिसोरा 01	राधे लाल साहू दहिदा	जून 2020
137	खिसोरा 02	राधे लाल साहू दहिदा	जून 2020
138	तरौद 1	सरोज कुमार गांड़ा दहिदा	जून 2020
139	तरौद 4	सरोज कुमार गांड़ा दहिदा	जून 2020
140	खटोला 1	सरोज कुमार गांड़ा दहिदा	जून 2020
141	तरौद 2	हरिराम साहू गाड़ामोर	जून 2020
142	पकरिया (ल) 1	हरिराम साहू गाड़ामोर	जून 2020
143	पकरिया (ल) 2	हरिराम साहू गाड़ामोर	जून 2020
144	रोगदा 2	हरिराम साहू गाड़ामोर	जून 2020
145	पकरिया ल.मिनी	मधुलाल यादव दहिदा	जून 2020
146	कल्याणपुरी	मधुलाल यादव दहिदा	जून 2020
147	खोंड़	मधुलाल यादव दहिदा	जून 2020

148	पकरिया (झू) 4	मधुलाल यादव दहिदा	जून 2020
149	कल्याणपुर 2	भोला राम चौहान दहिदा	जून 2020
150	दर्सीटांड	भोला राम चौहान दहिदा	जून 2020
151	लटिया 1	भोला राम चौहान दहिदा	जून 2020
152	लटिया 2	भोला राम चौहान दहिदा	जून 2020
153	अमरताल मिनी	सुशील कुमार कश्यप कर्मा	जून 2020
154	रसेड़ा 1	सुशील कुमार कश्यप कर्मा	जून 2020
155	रसेड़ा 2	सुशील कुमार कश्यप कर्मा	जून 2020
156	रसेड़ा 3	सुशील कुमार कश्यप कर्मा	जून 2020
157	गढ़ोला	देवी प्रसाद गांडा दहिदा	जून 2020
158	खटोला 2	देवी प्रसाद गांडा दहिदा	जून 2020
159	खटोला 3	देवी प्रसाद गांडा दहिदा	जून 2020
160	खटोला 4	देवी प्रसाद गांडा दहिदा	जून 2020

क्र.	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आं.बा. केन्द्रों/मिनी आं.बा. केन्द्रों का नाम	पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य किये एजेंसी/व्यक्ति का नाम	कार्य आदेश/संपादन की अवधि
एकीकृत बाल विकास परियोजना – बलौदा			
1	चारपारा 1	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	माह नवम्बर 2020 में 20 नवम्बर के पूर्व
2	टिकरीपारा (चारपा)	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
3	सड़कपारा (चारपा)	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
4	बछौद 3	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
5	ढोरला 4	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
6	शनिचरा माल. 102	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
7	शनिचरा दमामी 136	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
8	नवापारा ब 5	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
9	सुल्ताननार 6	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
10	महुदा ब 7	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
11	बलौदा वार्ड 1	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
12	बलौदा वार्ड 3	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--

13	बलौदा वार्ड 4	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
14	बलौदा वार्ड 5	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
15	बलौदा वार्ड 7	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
16	बलौदा वार्ड 12 1	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
17	बलौदा वार्ड 014 1	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
18	बलौदा वार्ड 015	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
19	पोंच 21	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
20	नवगवॉ 29	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
21	लेवाई 33	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
22	खिसोरा-01 34	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
23	खिसोरा-02 35	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
24	बक्सरा 36	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
25	हेड़सपुर 37	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
26	बुढना 38	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
27	पंतोरा-02 40	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
28	दर्राभाठा 108	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
29	सोनबरसा 109	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
30	छीतापाली 42	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
31	करमा 43	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
32	खारी 46	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
33	कण्डरा 48	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--

34	देवरी 49	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
35	पुरेना 50	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
36	बोकरेल 51	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
37	कोलिहादेवरी 52	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
38	बोकरामुड़ा 53	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
39	परसदा 55	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
40	पहरियाँ 56	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
41	जर्वे ब 17	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
42	जर्वे ब 18	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
43	जर्वे ब 19	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
44	बावाडबरी 106	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
45	जावलपुर 14	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
46	जावलपुर 15	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
47	बेलंदीयाडीह105	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
48	रसौटा 22	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
49	दहकोनी 54	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--
50	औराईकला 63	श्री राजू साहू पेन्टर एवं मेंसर्स महादेव इन्टरप्राजेस	--

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 303) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रश्नाश (क) वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में 31 अक्टूबर 2020 तक नील क्रांति योजना अंतर्गत खनन किए गए 24 तालाबों एवं 23 पोखरों की भूमि का खसरा विवरण तथा देय अनुदान राशि की विकासखण्डवार जानकारी।

वर्ष 2017-18

नील क्रांति योजना के तहत तालाब निर्माण करने वाले हितग्राहियों की सूची					
क्र.	विकासखण्ड का नाम	हितग्राही का नाम	ग्राम	तालाबों की भूमि का खसरा विवरण	देय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	नगरी	श्रीमति राजकुमारी ठाकुर	मोहमल्ला	401	5.60
2	नगरी	श्रीमति पांचो बाई	मोहमल्ला	205	2.80
3	नगरी	श्री राम जी / बुध राम	खल्लारी	950/1	2.80
4	नगरी	श्री नकुल राम	कराघाटी	111	2.10
5	धमतरी	आफताब अहमद	धमतरी	2528/1	1.036
6	धमतरी	रविशंकर चंद्राकर	संचुआ	584	3.500
7	धमतरी	खेमू राम	भंवरमरा	51/1/1139	3.500
8	मगरलोड	जोहरा बेगम	कमईपूर	86	2.800
9	मगरलोड	अब्दुल हसीब	कमईपूर	91/1	2.240
10	मगरलोड	कमलनारायण साहू	आलेखुंटा	182	1.988
11	धमतरी	टेमन लाल	तरसीवा	777	1.120
12	धमतरी	इलाउद्दीन कुशैशी	बरारी	223/5, 232/8	2.800
13	नगरी	जागेश्वर	पलारीखार	49	2.800
14	नगरी	आर्या नेताम	गट्टासिल्ली	332/1, 332/4	2.800
15	नगरी	सुखुराम	पलारीखार	51/1	1.512
16	नगरी	सोनसिंह	पलारीखार	302	2.184
17	नगरी	बिरजू राम	मोहमल्ला	190/1	2.128
18	नगरी	मेहत्तर	मासूलखोई	15	2.800
		योग-			46.508

वर्ष 2018-19

नील क्रांति योजना अंतर्गत स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण हितग्राही की सूची						
क.	विकासखण्ड का नाम	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	पता	तालाबों की भूमि का खसरा विवरण	देय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	5	6
1	कुरुद	श्री टामनसिंह	कल्याण सिंह	सरबदा वि०ख० कुरुद	565/2566	10.20
2	कुरुद	श्रीमति पद्मनी	टामन	सरबदा वि०ख० कुरुद	783/2786	5.10
3	कुरुद	श्री नितेश	राजेश	सरबदा वि०ख० कुरुद	741, 607	10.20
4	नगरी	धनेश राम	बंशी लाल	मासुलखोई वि०ख० नगरी	185	5.10
5	नगरी	मेहतरीन बाई	चैनसिंह	जोरातराई वि०ख० नगरी	655	5.10
6	नगरी	पुरषोत्तम	चन्दर राम	मासुलखोई वि०ख० नगरी	74	5.10
योग-						40.80

वर्ष 2017-18

नील क्रांति योजना के तहत संवर्धन पोखर निर्माण करने वाले हितग्राहियों की सूची					
क.	विकासखण्ड का नाम	हितग्राही का नाम/पिता का नाम	ग्राम	तालाबों की भूमि का खसरा विवरण	देय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	मगरलोड	श्री राजेश केरकेट्टा पिता शिवकुमार	राजपुर	2142/4	2.16
2	नगरी	श्री अमर सिंह पिता हीरा लाल	अमाली	501	3.60
3	मगरलोड	श्री योगेश्वर पिता हेमसिंग	दुधवारा	880	1.51
4	नगरी	श्री कुदन सिंह साक्षी पिता बन्टा राम	बटनहरा	08	2.88
5	मगरलोड	श्री रंजीत कुमार मिंज पिता ओमप्रकाश	मोहेरा	2123,2124,2126, 2127	1.76
6	नगरी	श्री सुकमन पिता तलमली	पलारीखार	89	2.52
7	धमतरी	श्री रमेश जोशी पिता स्व. बाबू राव	बरारी	213/1	1.340
8	मगरलोड	श्री बलदाउ वर्मा पिता उदे लाल	चंदना	960	1.100
9	नगरी	देवेन्द्र सिंह ठाकुर पिता भगवानसिंग	सिहावा	21	1.080
10	धमतरी	संतराम साहू पिता भगवा राम	सोरम	05	0.960
11	मगरलोड	श्री रोहित कुमार पिता पन्ना लाल	नवागांव	983/1	0.980
12	मगरलोड	श्री द्वारिका प्रसाद मरकाम पिता रामभरोसा	मारागांव	694	1.130
13	नगरी	गंदलाल पिता सुखु राम	पलारीखार	401	1.370
14	नगरी	श्री मनहरण पिता मुकुन्द राम	मोहलाई	412	1.030
15	नगरी	श्री डोमार सिंह पटेल पिता दिलीप पटेल	गढ़डोंगरी	108	1.100
योग-					24.52

क्रमशः

131

वर्ष 2018-19

नील क्रांति योजना अंतर्गत मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र निर्माण सूची						
क.	विकासखण्ड का नाम	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	तालाबों की भूमि का खसरा विवरण	देय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	नगरी	महानदी कृषि विक्रय विपणन सहकारी समिति (अध्यक्ष इमरान खान)	—	सिहावा	3,4,5,6,7,8, 9,10,11	18.408
2	धमतरी	अनन्दू राम ढीमर	रामसिंग ढीमर	तरसीवा	162/ 0.50	0.84
3	धमतरी	रोहित कुमार	आनंद राम	तरसीवा	70/8/ 0.67	0.90
4	धमतरी	महेन्द्र कुमार	बिरछु राम	तरसीवा	875/7,875/8/ 0.73	1.41
5	नगरी	माहरीन बाई	सखा राम	पलारीखार	05	1.526
6	नगरी	राधेश्याम	गांधी राम	नेगीनाला	129	1.301
7	नगरी	साधुराम	दसरू	नेगीनाला	153/1/	0.949
8	धमतरी	श्रीमति सोनसीर नेताम	स्व. श्री खेम लाल	चिखली	615/ 0.50,421	3.512
		योग —				28.846

प्रश्नाश (क) वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में 31 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत खनन किए गए तालाबों की भूमि का खसरा विवरण तथा देय अनुदान राशि की विकासखण्डवार जानकारी।

वर्ष 2017-18

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत तालाब निर्माण करने वाले हितग्राहियों की सूची

क.	विकासखण्ड का नाम	हितग्राही का नाम	पता	तालाबों की भूमि का खसरा विवरण	देय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	धमतरी	श्री शशि पवार पिता स्व. कृष्ण कुमार	धमतरी, धमतरी	147/2	5.60
2	धमतरी	श्रीमति आशा पवार पति स्व. कृष्ण कुमार	धमतरी, धमतरी	142	5.60
3	कुरुद	श्री पंच राम पिता लक्ष्मीनाथ	मुरा, कुरुद	801/1	1.96
4	कुरुद	श्री शोभा राम पिता बिसम्भर	सोनपुर, कुरुद	605	1.40
5	धमतरी	श्री श्याम लाल पिता स्व. दया राम	मुड़पार, धमतरी	771	2.10
6	नगरी	श्री मनोहर नेताम पिता रामजी	आमदी, नगरी	46	2.24
7	नगरी	श्री भीष्मपितामह पिता बुधु राम	भड़सिवनी, नगरी	265	2.98
		योग-			21.88

वर्ष 2019-20

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत तालाब निर्माण सूची

क.	विकासखण्ड का नाम	आवेदक का नाम	पिता/ पति का नाम	पता	तालाबों की भूमि का खसरा विवरण (है०मे०)	देय अनुदान राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	7	
1	कुरुद	श्री शोभा राम निषाद	बिसम्भर निषाद	सोनपुर वि०ख० कुरुद	605	1.260
2	कुरुद	श्री गोपाल मारकंडे	सरजू राम	मेंडरका, वि०ख० कुरुद	403	0.868
3	नगरी	श्रीमति नंदिनी शाडिल्य	स्व.श्री तनेन्द्र	भीतररास, वि० ख० नगरी	713/1	2.716
4	धमतरी	वैशम खान	सलीम खान	तिर्रा वि०ख० धमतरी	86	2.240
5	धमतरी	अमीन खान	करीम खान	तिर्रा वि०ख० धमतरी	06	2.996
6	धमतरी	हेमन्त गोड़	बली राम गोड़	पोटियाडीह वि०ख० धमतरी	1324,482	1.344
7	मगरलोड	त्रिवेणी देवागंन	जन्मदेव	बोड़रा वि०ख० मगरलोड	789	1.260
8	मगरलोड	अब्दुल रामद खान	अब्दुल जब्बार खान	कमईपुर वि०ख० मगरलोड	106/2	3.136
9	मगरलोड	सुबस राम	मनबोधी	मारागाव वि०ख० मगरलोड	271/272	1.120
10	मगरलोड	श्री बिसन लाल	रामसिंग	पिपरीद वि०ख० मगरलोड	12	1.120

क्रमशः

11	मगरलोड	श्री संत राम	गडहा राम	कुल्हाडीकोट वि०ख० मगरलोड	659	1.400
12	नगरी	बृजलाल	दयाराम	खल्लारी वि०ख० नगरी	70	3.164
13	नगरी	नरसिंह	इंगलूराम	खल्लारी वि०ख० नगरी	34	2.436
14	नगरी	सिया राम	मेहत्तर	चमेदा वि०ख० नगरी	153	5.124
15	नगरी	हफीजुद्दीन	अली मोहम्मद गौरी	नगरी वि०ख० नगरी	953	3.752
16	नगरी	सुकालु राम	सुक राम	करघाटी वि०ख० नगरी	137	1.848
17	नगरी	दिलीप कुमार	कोल्हू राम	नेगीनाला वि०ख० नगरी	142	1.820
18	नगरी	बालाराम	रहूराम	पलारीखार वि०ख० नगरी	191	1.596
19	नगरी	चिताराम	विश्राम	बेघवापथरा, वि. ख. नगरी	275	2.800
20	नगरी	मन्नू राम	परसादी राम	पलारीखार वि०ख० नगरी	110	1.344
21	नगरी	पिलउ राम	केजउ राम	गोदिन्दपुर वि०ख० नगरी	276,277	2.800
22	नगरी	अनुपचंद	मेहत्तर	मोहमल्ला वि०ख० नगरी	252/1	3.192
23	नगरी	रामजीवन गोंड	गोपाल	आमगांव वि०ख० नगरी	36	1.680
24	धमतरी	विजिया सोनकर	सुदामा राम	धमतरी, वि.ख. धमतरी	6/2,7/28	2.184
			योग			53.200

प्रश्नांश ख – प्रश्नांश क अनुसार प्रश्नांकित अवधि में मछली पालन योजना अंतर्गत मछली के चारा मछली पकड़ने हेतु जाल हितग्राहियों को प्रदाय अन्य वाहन की वर्षवार जानकारी

वर्षवार हितग्राहियों की संख्या					
वर्ष	मछली चारा (मत्स्य आहार) (हितग्राही संख्या)	मत्स्याखेट हेतु जाल (हितग्राही संख्या)	मोटरसाईकिल सह आइस बाक्स (हितग्राही संख्या)	अन्य वाहन (हितग्राही संख्या)	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5	6
2017-18	—	मत्स्य पालकों को-40 मत्स्य सहकारी समितियों को-10	—	—	—
2018-19	—	मत्स्य पालकों को-374 मत्स्य सहकारी समितियों को-15	08	01	
2019-20	—	मत्स्य पालकों को- 232 मत्स्य सहकारी समितियों को- 15	—	—	
2020-21	—	मत्स्य पालकों को-45	—	—	

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 304) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट फूड प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों तथा इन समूहों को बीते 03 वर्षों में भुगतान की गई राशि की जानकारी

क्र	केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	रेडी टू ईट प्रदाय करने वाले स्व सहायता समूह का नाम पूर्ण पता	इन समूहों को बीते 03 वर्षों में भुगतान की गई राशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	फरसगांव	माँ दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह कोरप्लाट फरसगांव तहसील- फरसगांव जिला-कोण्डागांव	3762166
2		मां दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह पश्चिम बोरगांव तहसील-फरसगांव जिला-कोण्डागांव	2248381
3		गायत्री स्व-सहायता समूह लंजोड़ा ग्राम-लंजोड़ा, तहसील -फरसगांव, जिला-कोण्डागांव	4795787
4		मां दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह भानपुरी ग्राम-भानपुरी, तहसील-फरसगांव जिला-कोण्डागांव	3842223
5		मां दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह भंडारसिवनी ग्राम-भंडारसिवनी तह-फरसगांव जिला-कोण्डागांव	3434939
6	बड़ेडोगर	प्रगति स्व-सहायता समूह फुफगांव आलोर,ग्राम-फुफगांव आलोर तह-फरसगांव	2294673
7		माँ दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह बड़ेडोंगर ग्राम-बड़ेडोंगर, तह-फरसगांव	1885209
8		माँ दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह देवगांव ग्राम-देवगांव तहसील-फरसगांव	3917158
9		माँ दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह तोरण्ड ग्राम-तोरण्ड तहसील-फरसगांव जिला-कोण्डागांव	4732519

1	2	3	4
10	बड़ेडोंगर	माँ दुर्गा स्व-सहायता समूह कोनगुड़ ग्राम-कोनगुड़ तहसील-फरसगांव जिला-कोण्डागांव	2505114
11		छोगो महिला स्व-सहायता समूह चिंगनार ग्राम-चिंगनार तहसील-फरसगांव	2533274
12	बड़ेराजपुर	गीतांजली स्व- सहायता समूह पेन्द्रावन ग्राम-पेन्द्रावन तहसील-बड़ेराजपुर जि-कोण्डागांव	4959727
13		माँ दन्तेश्वरी दुर्गा स्व-सहायता समूह बैजनपुरी ग्राम बैजनपुरी तहसील-बड़ेराजपुर	2763220
14		जय गंगा मैया स्व- सहायता समूह कोपरा ग्राम-कोपरा, तहसील-बड़ेराजपुर	3103136
15		महामाया स्व सहायता समूह हरवेल ग्राम-हरवेल तहसील-बड़ेराजपुर	393873
16		माता भवानी स्व-सहायता समूह कांकेरियापारा ग्राम कांकेरियापारा बड़ेराजपुर तह-बड़ेराजपुर	2190316
17		माँ दन्तेश्वरी लक्ष्मी स्व-सहायता समूह बस्तरबुडरा ग्राम-बस्तरबुडरा तहसील-बड़ेराजपुर	4476412
18		गायत्री स्व -सहायता समूह मारंगपुरी बांसकोट ग्राम-बांसकोट तहसील-बड़ेराजपुर	3574347
19		माँ भवानी स्व-सहायता समूह गम्हरी ग्राम-गम्हरी तहसील-बड़ेराजपुर जिला-कोण्डागांव	4191939
20	केशकाल	सती स्व-सहायता समूह हर्षपड़ाव केशकाल ग्राम-पो-सुरडोंगर केशकाल जिला-कोण्डागांव	3999855
21		लक्ष्मी स्व-सहायता समूह गौरगांव ग्राम-गौरगांव तहसील-केशकाल जिला-कोण्डागांव	3474426

केशकाल


 जिला प्रमुख
 केशकाल विभाग
 केशकाल

1	2	3	4
22	केशकाल	इंदिरा स्व-सहायता समूह सिंगनपुर ग्राम-पो-सिंगनपुर तहसील-केशकाल जिला-कोण्डागांव	2764693
23		माँ संतोषी स्व-सहायता समूह मस्सुकोकोड़ा ग्राम-मस्सुकोकोड़ा तहसील-केशकाल	3586470
24		माँ दुर्गा स्व-सहायता समूह ईरागांव ग्राम-ईरागांव तहसील-केशकाल जिला-कोण्डागांव	3655876
25		जागृति स्व-सहायता समूह धनोरा ग्राम-धनोरा तहसील-केशकाल जिला-कोण्डागांव	2735596
26		सरस्वती स्व-सहायता समूह नारना ग्राम-नारना तहसील-केशकाल जिला-कोण्डागांव	2446061
27		शितला मैया स्व-सहायता समूह अमोड़ा ग्राम-अमोड़ा पो-बहीगांव तहसील-केशकाल	2963735
28		मावली माता स्व-सहायता समूह आदनबेड़ा ग्राम-आदनबेड़ा तहसील-केशकाल	1083329

परिशिष्ट "इक्कीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 330) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी

प्रश्नांश 'क' मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी

सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन विभाग के द्वारा मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्न 3 योजना संचालित है :-

- (1) राज्यपोषित योजनाएं - इस योजना के अंतर्गत जिला धमतरी में 7 योजनाएं संचालित हैं।
- (2) नीलक्रांति योजना - इस योजना के अंतर्गत 5 योजनाएं संचालित है।
- (3) राष्ट्रीय कृषि योजना - इस योजना के अंतर्गत 5 योजनाएं संचालित है।

जानकारी विस्तार से: -

(1) राज्यपोषित योजनाएं-

- 1.1 शिक्षण- प्रशिक्षण - मत्स्य पालन की विविध जानकारी के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 1250 का व्यय स्वीकृत है, इसी प्रकार नवीनतम जानकारी देने के लिए तकनीकी उन्नयन का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इस हेतु रूपये 1000 का व्यय स्वीकृत है।
- 1.2 मछुआरों का अध्ययन भ्रमण - प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर नवीन तकनीकी के अध्ययन हेतु 10 दिवसीय भ्रमण पर भेजा जाता है जिसमें प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 2500 व्यय का प्रावधान है।
- 1.3 पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान - पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तीन साल में रूपये 3 लाख तक अनुदान नियमानुसार दिया जाता है।
- 1.4 नाव-जाल अथवा जाल क्रय हेतु सहायता - राज्य में अनुसूचित जन जातियों के हितग्राहियों को रूपये 3 हजार का जाल रूपये 7 हजार की नाव अथवा रूपये 10 हजार के जाल प्रदाय किये जाता है।
- 1.5 फुटकर मछली विक्रय हेतु उपकरण - मछुआरों को इस हेतु रूपये 6 हजार की सहायता आईस बॉक्स, तराजू- बाट एवं उपकरण क्रय हेतु दी जाती है।
- 1.6 मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन हेतु सहायता - अनुसूचित जाति/जनजाति हितग्राहियों को आधा हेक्टर के मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन के लिए रूपये 30 हजार की सहायता दी जाती है।
- 1.7 झींगा सह मछली पालन - झींगा के लिए हितग्राही को तीन वर्ष में कुल रूपये 15 हजार की सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं

(2) नीलक्रांति योजना-

- 2.1 मत्स्य बीज संवर्धन केन्द्र का निर्माण - इस हेतु रूपये 6.00 लाख की सहायता दी जाती है। (रूपये 2.40 लाख केन्द्रांश एवं रु. 3.60 लाख कृषक का अंशदान)
- 2.2 स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण - नवीन तालाब निर्माण के लिए रूपये सात लाख प्रति हेक्टर की व्यवस्था है। (रु. 2.80 लाख केन्द्रांश एवं रु. 4.20 लाख कृषक अंशदान) स्वयं के व्यय से या बैंक ऋण दोनों स्थिति में अनुदान देय है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत भी तालाब निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार सहायता दी जाती है।
- 2.3 मोटर साइकिल सह आइस बाक्स - मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रु. 0.60 लाख प्रति इकाई लागत है। जिस पर 40% केन्द्रांश एवं 60% कृषक का अंशदान प्रावधानित है।
- 2.4 मछुआरों का दुर्घटना बीमा - मछली पालन कार्य करने वाले 18-70 वर्ष के मत्स्य जीवियों का शत - प्रतिशत अनुदान (रु.12.00 प्रति कृषक पर, रु. 06.00 केन्द्रांश एवं रु. 06.00 राज्यांश) पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत दुर्घटना बीमा किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी विकलांगता होने पर रूपये दो लाख एवं अस्थायी अपंगता होने पर रूपये एक लाख की सहायता दी जाती है।

2.5 बचत सह राहत - बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को तीन माह तक रुपये 1500 प्रति माह की सहायता दी जाती है योजना में हितग्राही से 9 माह अंशदान से रुपये 1500 एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50:50 में रुपये 3000 कुल 4500 रुपये बैंक में जमाकर हितग्राही को सहायता दी जाती है।

(3) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

- 3.1 मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन - इस हेतु रुपये 40 हजार की सहायता हितग्राही को दी जाती है। (रुपये 10 हजार हितग्राही का अंशदान)
- 3.2 तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम - तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मत्स्य बीज फाई के स्थान पर अंगुलिका संचयन के लिए रुपये 4 हजार प्रति हैक्टर (रुपये एक हजार कृषक द्वारा व्यय) सहायता दी जाती है
- 3.3 मत्स्य बीज संवर्धन जलक्षेत्र का निर्माण - आधा हैक्टर जलक्षेत्र के पोखर का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन के लिए अधिकतम रुपये 3.00 लाख सहायता दी जाती है।
- 3.4 मत्स्याखेट के लिए नाव-जाल उपकरण सहायता- दीर्घ अवधि पट्टाधारक सहकारी समितियों को रुपये एक लाख की सहायता दी जाती है।
- 3.5 फुटकर मछली विक्रय - इस योजना के अंतर्गत आईस बॉक्स क्रय हेतु रुपये 6 हजार की सहायता दी जाती है।

प्रपत्र "ब"

पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति एवं समिति को शासन द्वारा दी जारी सुविधाओं की जानकारी
प्रश्नांश 'ख' पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति एवं समिति को शासन द्वारा दी जारी सुविधाओं
की जानकारी

- कुल 14 पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति है।
1. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, सिरसिदा पं.क्र. 90
 2. कुमार मछुआ सहकारी समिति, पावद्वार पं.क्र.123
 3. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, बटनहरा पं.क्र. 123
 4. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, मेचका पं.क्र. 353
 5. नवीन आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, दुगली पं.क्र.126
 6. बालका आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, पोड़ागांव पं.क्र. 219
 7. प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति, माडमसिल्ली पं.क्र. 5
 8. मां दंतेश्वरी मछुआ सहकारी समिति, सांकरा पं.क्र. 367
 9. श्री बजरंग मछुआ सहकारी समिति, बेलरगांव पं.क्र. 466
 10. नवजागृति मछुआ सहकारी समिति, छुही पं.क्र.37
 11. जय डोंगेश्वर मछुआ सहकारी समिति, दरगहन पं.क्र.113
 12. प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति, बनोरा पं.क्र. 234
 13. महानदी मत्स्य क्रय विक्रय मछुआ सहकारी समिति, सिहावा पं.क्र. 165
 14. जय किसान मछुआ सहकारी समिति, फरसियां पं.क्र.
- उक्त पंजीकृत सहकारी समितियों को निम्नानुसार योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है -
- (1) राज्यपोषित योजनांतर्गत-
- 1.1 पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान - पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तीन साल में रुपये 3 लाख तक अनुदान नियमानुसार दिया जाता है।
- (2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत-
- 2.1 मत्स्याखेट के लिए नाव-जाल उपकरण सहायता- दीर्घ अवधि पट्टाधारक सहकारी समितियों को रुपये एक लाख की सहायता दी जाती है।
- (3) नीलक्रांति योजनांतर्गत-
- 3.1 मछुआरों का दुर्घटना बीमा - मछली पालन कार्य करने वाले 18-70 वर्ष के मत्स्य जीवियों का शत - प्रतिशत अनुदान (रु.12.00 प्रति कृषक पर, रु. 06.00 केन्द्रांश एवं रु. 06.00 राज्यांश) पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत दुर्घटना बीमा किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी विकलांगता होने पर रुपये दो लाख एवं अस्थायी अपंगता होने पर रुपये एक लाख की सहायता दी जाती है।
- 3.2 बचत सह राहत - बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को तीन माह तक रुपये 1500 प्रति माह की सहायता दी जाती है योजना में हितग्राही से 9 माह अंशदान से रुपये 1500 एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50:50 में रुपये 3000 कुल 4500 रुपये बैंक में जमाकर हितग्राही को सहायता दी जाती है।

127

परिशिष्ट "बाईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 368) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

नरवा, गरुवा, धुरुवा एवं बाड़ी योजनांतर्गत अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों में दिनांक 01-01-2019 से 30-11-2020 तक योजनावार, कार्यवार स्वीकृत राशि, भुगतान की गई राशि, भुगतान हेतु शेष राशि तथा कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण का विवरण

(राशि रू. लाख में)

जिला	अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वि.ख. का नाम	योजना का नाम	घटक का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य संख्या	अपूर्ण कार्य संख्या	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
उ०ब० कांकेर	अंतागढ़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	धुरुवा	गोटानों में पक्का वर्मी टांका निर्माण	41	6.56	41	0	6.56	0		
		वर्षा आधारित क्षेत्र विकास	नरवा	चेक डेम	1	10	1	0	10.00	0		
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)		चेक डेम	2	9.48	2	0	9.31	0		
				बोल्डर चेक	1	0.7	1	0	0.69	0		
				गेबियन संरचना	1	0.99	1	0	0.97	0		
		भूमिगत ड्राईक		1	0.39	1	0	0.32	0			
		मनरेगा		165	116.98	133	32	50.55	0			
	विभागीय एवं गैर विभागीय (मनरेगा एवं डीएमएफ) मद	गरुवा	गोटान	48	208.47	20	28	95.60	9.8			
	कोयलीबेड़ा	अंतागढ़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	बाड़ी	व्यक्तिगत बाड़ी	1165	16.08	940	225	8.24	7.83	
			विभागीय एवं गैर विभागीय (मनरेगा एवं डीएमएफ) मद		सामुदायिक बाड़ी	4	2.89	4	0	2.89	0	
		कोयलीबेड़ा	अंतागढ़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	धुरुवा	गोटानों में पक्का वर्मी टांका निर्माण	41	6.56	41	0	6.56	0
				प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	नरवा	चेक डेम	1	4.92	1	0	4.92	0
			मनरेगा			-	35.90	-	-	11.30	-	
			कोयलीबेड़ा	अंतागढ़	मनरेगा	गरुवा	गोटान	95	174.66	29.00	66	77.89
विभागीय एवं गैर विभागीय (मनरेगा एवं डीएमएफ) मद					बाड़ी	व्यक्तिगत बाड़ी	1478	19.80	1228	250	10.25	9.54
				सामुदायिक बाड़ी	3	0.47	3	0	0.47	0		

21

परिशिष्ट "तेईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 422) के भाग (ख) की जानकारी]

शेखरपुर एवं डांडपानी वृहद जलाशय परियोजना सर्वेक्षण कार्य में किए गए व्यय की जानकारी

स.क्र.	दिनांक	भुगतान राशि (रु. में)
शेखरपुर वृहद जलाशय परियोजना सर्वेक्षण कार्य में किए गए व्यय की जानकारी		
1	30-10-18	3966600.00
योग:-		3966600.00
डांडपानी वृहद जलाशय परियोजना सर्वेक्षण कार्य में किए गए व्यय की जानकारी।		
स.क्र.	दिनांक	भुगतान राशि (रु. में)
1	26-10-18	3906000.00
2	28-10-18	17961102.00
3	30-10-18	1238600.00
4	03-12-20	4038898.00
योग:-		27144600.00
महायोग:-		31111200.00

परिशिष्ट "चौबीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 437) के भाग (क) की जानकारी]

रा.ख.सु.नि. योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020 में हायब्रिड धान प्रदर्शन में कृषकों को प्रदाय आदान सामग्री की जानकारी

क्र.	आदान सामग्री का नाम	प्रति हे. क्षेत्र हेतु			100 हे. क्षेत्र हेतु			प्रदायक संस्था	रिमार्क
		इकाई	मात्रा	राशि (रुपये में)	इकाई	कुल मात्रा	कुल राशि (रुपये में)		
1	हाईब्रिड धान बीज किरम टी.एन.आर.एच. -174	कि.ग्रा.	15	4125.00	क्विंटल	15.00	412500.00	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	-
2	प्रदर्शन मैड हेतु अरहर (राजीव लोचन)	कि.ग्रा.	2.5	152.50	क्विंटल	2.50	15250.00		-
3	पी.एस.बी.	मि.ली	100	35.00	लीटर	10.00	3500.00		-
4	एजेक्टोवेक्टर	मि.ली	100	35.00	लीटर	10.00	3500.00		-
5	सूक्ष्म तत्व (जिंक ईडीटीए 12 प्रतिशत)	कि.ग्रा.	2	1108.80	कि.ग्रा.	200.00	110880.00		-
6	पौध संरक्षण औषधि 'ए'	ली	1	560.74	लीटर	100.00	56074.00		-
	प्रोफेनोफॉस 40 प्रतिशत साइपरमेथ्रीन 47 प्रतिशत ई.सी. बी हेक्जाकोनलजोल	ली	1.5	498.43	लीटर	150.00	49843.00		-
7	भूमि की तैयारी एवं रोपाई कार्य	रु.	-	1500.00	रु.	-	150000.00		आरटीजीएस के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में राशि अंतरित
8	मेड पर अरहर बोनी कार्य	रु.	-	150.00	रु.	-	15000.00		
योग				8165.47			816547.00		

परिशिष्ट "पच्चीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 535) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	वि.स्व.	गौठान का विवरण				गौठानों निर्माण हेतु मदवार व्यय राशि का विवरण (रु. लाख में)					योग
		स्वीकृत गौठानों की संख्या	निर्मित गौठानों की संख्या	निर्माणाधीन गौठानों की संख्या	अप्रारंभ गौठानों की संख्या	मनरेगा	14 वें वित्त	रुर्बन	डी.एम. एफ	प्राधिकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बडेराजपुर	21	13	8	0	58.11	0.00	0.00	0.00	29.16	87.27
2	जंताकाल	24	11	13	0	68.01	0.00	0.00	3.13	29.13	100.27
3	मण्डागाव	86	25	12	49	127.61	0.00	63.96	0.00	11.69	203.26
4	सुण्डी	38	10	6	22	25.12	8.94	0.00	0.00	12.01	46.07
5	सगांव	26	14	10	2	19.85	0.00	0.00	0.00	4.42	24.27
	योग	195	73	49	73	298.70	8.94	63.96	3.13	86.41	461.14

प्रपत्र "ब"

क्र.	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत गौडान का नाम	शेड निर्माण की वस्तुस्थिति		गौडान में रखे गये चरवाहों की संख्या
			कुल निर्मित शेड संख्या	शेड निर्माण में व्यय राशि (रु.लाख में)	
1	2	3	4	5	6
1	बड़ेराजपुर	आमागुहान	1	7.84	1
2	बड़ेराजपुर	लिहागांव	-	-	1
3	बड़ेराजपुर	मानिकपुर	1	5.27	1
4	बड़ेराजपुर	कोंगरा	1	7.13	1
5	बड़ेराजपुर	मचली	-	-	1
6	बड़ेराजपुर	छिंदली	1	-	0
7	बड़ेराजपुर	बालेगा	-	-	1
8	बड़ेराजपुर	मारंगपुरी	-	-	1
9	बड़ेराजपुर	मा.खरगांव	-	-	1
10	केशकाल	मूरनार	3	7.87	1
11	केशकाल	ब्यालपुर	-	-	1
12	केशकाल	सिदावण्ड	-	-	1
13	केशकाल	अडेगा	-	-	1
14	केशकाल	बड़ेखोली	-	-	1
15	केशकाल	चूरेगांव	-	-	1
16	केशकाल	करारमेटा	-	-	1
17	केशकाल	तोषकापाल	-	-	1
18	केशकाल	डोंडरापाल	-	-	1
19	केशकाल	खुटपदर	-	-	1
20	केशकाल	सवाला	-	-	1
21	केशकाल	रावबेड़ा	-	-	1
22	केशकाल	कुएं	-	-	1
23	केशकाल	करमरी	-	-	1
24	केशकाल	आंवरामाटा	-	-	1
25	केशकाल	खेतरपाल	-	-	1
26	केशकाल	सिलाटी	-	-	1
27	केशकाल	चिपरेल	-	-	1
28	केशकाल	गुडरीपारा	-	-	1
29	कोण्डागांव	बड़ेकनेरा	3	1.13	0
30	कोण्डागांव	कमेली	2	1.28	0
31	कोण्डागांव	कुकाङ्गारकापाल	2	0.57	0
32	कोण्डागांव	बोलबोला	3	0.81	0
33	कोण्डागांव	कुधूर	1	0.02	0
34	माकडी	बालोण्ड	3	-	0
35	फरसगांव	बड़ेओड़ागांव	2	1.00	0
36	फरसगांव	छोटोओड़ागांव	2	1.00	0
37	फरसगांव	उन्दावेड़ा	2	1.00	0
38	फरसगांव	विगनार	2	1.00	0
	योग		29	35.92	27

No. 1 -

परिशिष्ट "छब्बीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 587) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अरपा भँसाझार बैराज परियोजना के नहर प्रणाली का विवरण

क्र	नहर का विवरण	रुपांकित लबाई (कि.मी.)	निर्मित मिटटी का कार्य (कि.मी.)	रिर्माक
1	2	3	4	5
1	मुख्य नहर	56.64	56.12	
2	खम्हरिया शाखा नहर	26.33	25.40	
3	घुटकु वितरक नहर	14.78	14.14	
4	उस्लापुर वितरक नहर	14.15	13.80	
5	चोरभट्टी उपवितरक नहर	8.15	7.95	
6	चकरभाटा वितरक नहर	9.33	6.65	
7	सर्करा उप वितरक नहर	9.09	6.25	
8	डिगोरा वितरक नहर	7.65	3.54	
9	भोजपुरी वितरक नहर	9.99	2.54	
10	धौराभाटा उपवितरक नहर	8.85	0.00	
11	माइनर नहर (107 नग)	211.31	114.25	
	योग	376.27	250.64	

प्रपत्र "ब"

अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना से वर्ष 2020-21 में खरीफ सिंचाई का विवरण

स.क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	रकबा (हेक्टयेर)
1	कोटा	छेरकाबांधा	30.00
		योग	30.00
1	तखतपुर	राजपुर	179.00
2	तखतपुर	समडील	50.00
3	तखतपुर	केकती	132.00
4	तखतपुर	पेन्डी	313.00
5	तखतपुर	चनाडोगरी	288.00
6	तखतपुर	बिलोनी	89.00
7	तखतपुर	नेवरा	340.00
8	तखतपुर	घोधाडीह	187.00
9	तखतपुर	कपसिया खुर्द	190.00
10	तखतपुर	भर्कुरानवापारा	255.00
11	तखतपुर	दरीकापा	35.00
12	तखतपुर	कुवा	234.00
13	तखतपुर	जरोधा	670.00
14	तखतपुर	अरईबंद	296.00
15	तखतपुर	खम्हरिया	518.00
16	तखतपुर	मोछ	648.00
17	तखतपुर	लाखासार	363.00
18	तखतपुर	खेरी	182.00
19	तखतपुर	देवरी	150.00
20	तखतपुर	गौबंद	138.00
21	तखतपुर	लमेर	273.00
22	तखतपुर	भाडम	65.00
23	तखतपुर	धुटकु	719.00
24	तखतपुर	निरतू	455.00
25	तखतपुर	तुरकाडीह	86.00
26	तखतपुर	लोखंडी	255.00
27	तखतपुर	बहतलाई	412.00
28	तखतपुर	सम्बलपुरी	186.00
29	तखतपुर	भाडम	199.00
30	तखतपुर	गेकुलपूर	186.00
31	तखतपुर	गनियारी	356.00
32	तखतपुर	चोरभटठी खुर्द	300
33	तखतपुर	पेण्डारी	97.00
34	तखतपुर	भरनी	165.00
35	तखतपुर	सैदा	82.00

36	तखतपुर	पोडी	197.00
37	तखतपुर	चोरभठठी कला	403.00
38	तखतपुर	हाफा	205.00
39	तखतपुर	जोंकी	273.00
40	तखतपुर	सिंधरी	122.00
41	तखतपुर	पांड	255.00
42	तखतपुर	विचारपुर	100.00
43	तखतपुर	ढनढन	402.00
44	तखतपुर	नरोतीकापा	200.00
45	तखतपुर	बेलटुकरी	215.00
46	तखतपुर	खजूरी	175.00
		कुलयोग	11640.00 हेक्टर
		महायोग	11670.00 हेक्टर

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 602) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं तथा चयन का आधार

क्रमांक	योजना का नाम	चयन का आधार
केन्द्र संचालित पेंशन योजनाएं		
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध। ● आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग के विधवा महिला। ● आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर (एक ही प्रकार के निःशक्तता में 80 प्रतिशत) अथवा बहुनिःशक्त। ● आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
राज्य संचालित पेंशन योजनाएं		
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● 6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत नहीं हैं उन्हें पात्रता नहीं होगी। ● 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति। ● बौने व्यक्ति। ● आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
2.	सुखद सहारा योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा। ● 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिला। ● आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।

क्रमांक	योजना का नाम	चयन का आधार
3.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध। ● 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें। ● ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो। ● नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित- <ul style="list-style-type: none"> ➤ घास का छत/ छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा ➤ प्लास्टिक/पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा ➤ पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा ➤ बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।
उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है।		

परिशिष्ट "अट्टाईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 605) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिला रायपुर में अधिसूचित फसल एवं प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की जानकारी

वर्ष	मौसम	फसल का नाम	प्रति हेक्टेयर बीमित राशि (रु. में)	बीमित कृषक संख्या
2017	खरीफ	धान सिंचित	37500	70070
		धान असिंचित	30000	
		मक्का	20000	
2017-18	रबी	चना	30000	811
		तिवड़ा	12000	
		राई.सरसों	20000	
		गेहूँ सिंचित	25000	
		गेहूँ असिंचित	15000	
2018	खरीफ	धान सिंचित	45000	73817
		धान असिंचित	30000	
		अरहर	25000	
2018-19	रबी	चना	30000	843
		राई.सरसों	20000	
		गेहूँ सिंचित	25000	
		गेहूँ असिंचित	15000	

प्रपत्र "ब"

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत रायपुर जिले में अधिसूचित उद्यानिकी फसलों के प्रति हेक्टेयर बीमा राशि की जानकारी

क.	वर्ष	मौसम	फसल का नाम	प्रति हेक्टेयर बीमा राशि (रूपये में)	बीमित कृषक संख्या
1	2017-18	खरीफ	टमाटर	60000.00	77
			बैंगन	40000.00	
			अमरुद	18000.00	
			केला	110000.00	
			पपीता	100000.00	
			मिर्च	40000.00	
			अदरक	90000.00	
2	2017-18	रबी	टमाटर	100000.00	49
			बैंगन	60000.00	
			फूलगोभी	60000.00	
			पत्तागोभी	60000.00	
			प्याज	75000.00	
3	2018-19	खरीफ	टमाटर	100000.00	79
			बैंगन	60000.00	
			अमरुद	45000.00	
			केला	160000.00	
			पपीता	120000.00	
			मिर्च	50000.00	
			अदरक	130000.00	
4	2018-19	रबी	टमाटर	100000.00	99
			बैंगन	60000.00	
			फूलगोभी	60000.00	
			पत्तागोभी	60000.00	
			प्याज	75000.00	
			आलू	100000.00	

प्रपत्र "स"

जिला रायपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 अंतर्गत कुल प्रीमियम राशि एवं लाभांवित कृषकों की जानकारी

क्र.	वर्ष	मौसम	कुल प्रीमियम राशि (रु. लाख में)	दावा भुगतान	
				लाभांवित कृषक संख्या	दावा राशि (रु. लाख में)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना					
1	2017	खरीफ	1123.83	24613	4652.43
2	2017-18	रबी	5.47	376	9.13
3	2018	खरीफ	3444.29	17854	2791.04
4	2018-19	रबी	12.92	364	18.67
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा					
1	2017-18	खरीफ	14.81	60	2.81
2	2017-18	रबी	13.61	49	2.90
3	2018-19	खरीफ	20.55	74	4.26
4	2018-19	रबी	5.82	99	3.78

परिशिष्ट "उन्तीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 606) के भाग (क) की जानकारी]

जिला रायपुर रेडी टू ईट के संचालन हेतु 01 मार्च 2019 से आज तक चयन हेतु जारी विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	बाल विकास परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	01 मार्च 2019 से आज तक रेडी टू ईट संचालन हेतु जारी विज्ञापन की तिथिवार जानकारी	
			विज्ञापन जारी करने की तिथि	विज्ञापन की चयन प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत
1	2	3	4	5
1	रायपुर शहरी 01	श्याम नगर	04.12.2020	निरंक
		संजय नगर		
		कालीबाड़ी		
		पुरानीबस्ती		
		सदर बाजार		
2	रायपुर शहरी 02	तात्यापारा		
		विवेकानंद आश्रम		
		कुशालपुर		
		शंकरनगर		
		गुढियारी		
		राजातालाब		
		देवेन्द्र नगर		
3	धरसीवा 01	डूण्डा		
		भाठागांव		
		भनपुरी		
		माना		
		लभाण्डी		
		सरौना		
		सरागांव		
		बरौदा		
		तेंदुआ		
		अमलीडीह		
		कचना		
हीरापुर				

जिला रायपुर में रेडी टू ईट के संचालन हेतु 01 मार्च 2019 से आज तक चयन हेतु जारी विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

1	2	3	4	5
4	धरसीवा 02	अछोली	04.12.2020	निरंक
		सिलयारी		
		उरला		
		रांवाभाटा		
		मांढर		
		धरसीवा		
		बिरगांव		
		सिलतरा		
		कूरां		
5	अभनपुर	अभनपुर	04.12.2020	निरंक
		तोरला		
		उपरवारा		
		पिपरौद		
		पारागांव		
		जामगांव		
		नवापारा		
		केन्द्री		
		खिलोरा		
6	तिल्दा	खरोरा		

परिशिष्ट "तीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 618) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]


प्रपत्र "अ"

बलौदाबाजार जिले में रेडी टू ईट फूड संचालन कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी

क्रं	विका संखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	रेडी टू ईट निर्माणकर्ता समूह एवं निर्माण इकाई स्थापित स्थल का नाम व पूर्ण पता
1	2	3	4
1	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	जय मसीह स्व सहायता समूह, पुलिस लाईन के सामने बलौदाबाजार
2			नवदुर्गा स्व सहायता समूह, छुईहा मालगुजार, बलौदाबाजार
3			सत्या स्व सहायता समूह, ग्राम करमदा, पो.अर्जुनी, बलौदाबाजार
4			सरस्वती स्व सहायता समूह, पनगांव पो. पनगांव बलौदाबाजार
5			जूही जगदंबे स्व सहायता समूह, लटुवा, पो. लटुवा, बलौदाबाजार
6			चरदान महिला स्व सहायता समूह, गांधी चौक, पो. रिसदा, ब.बाजार
7			मितानीन स्व सहायता समूह, खैंदा, पो. खैंदा, बलौदाबाजार
8		लवन	हरिओम स्व सहायता समूह, लवन, पो. लवन, बलौदाबाजार
9			स्मृति स्व सहायता समूह, ग्राम खटियापाटी, पो. लाहौद, बलौदाबाजार
10			अक्षर महिला स्व सहायता समूह, अहिल्दा पो. अहिल्दा, बलौदाबाजार
11			उजाला स्व सहायता समूह ग्राम-मरदा पो. मरदा, बलादाबाजार

अ. ७७७७७७
महिला स्व सहायता समूह विभाग
बलौदाबाजार

1	2	3	4
12	बलौदाबाजार	लवन	सत्यम स्व सहायता समूह ग्राम करदा, पो. मरदा, बलौदाबाजार
13			दुर्गा स्व सहायता समूह जुड़ा, पो. जुड़ा, बलौदाबाजार
14			जय मां सरस्वती स्व सहायता समूह, ग्राम खैरा पो. दतान, बलौदाबाजार
15	भाटापारा	भाटापारा	जय मां शीतला स्व सहायता समूह, महासती वार्ड, भाटापारा
16			भवानी स्व सहायता समूह रामसागर वार्ड, भाटापारा
17			शीतला स्व सहायता समूह, ग्राम-खोलवा, भाटापारा
18			संजीवनी स्व सहायता समूह ग्राम-बोड़तरा, भाटापारा
19			अंबे पशुधन स्व सहायता समूह ग्राम-कोसमंदा, भाटापारा
20			मिनी माता स्व सहायता समूह, ग्राम-मोपका, भाटापारा
21			मां अंजनी स्व सहायता समूह, ग्राम-जरहागांव, पो. सिंगारपुर, भाटापारा
22			गोडवाना समूह परसाडीह


 सहायता समूह विकास विभाग
 संचालक, रायपुर

1	2	3	4		
23	सिमगा	सिमगा	महालक्ष्मी स्व सहायता समूह, वार्ड 05 नगर पंचायत सिमगा, तह. सिमगा, ब.बाजार		
24			धनलक्ष्मी स्व सहायता समूह ग्राम-कोलिहा पो. कोलिहा, तह. सिमगा, ब.बाजार		
25			मॉ दुर्गा स्व सहायता समूह ग्राम-झिरिया, पो. कामता, तह. सिमगा, ब.बाजार		
26			माता सफुरा स्व सहायता समूह ग्राम-तोरा, पो. तुलसी तह. सिमगा, ब.बाजार		
27			सफुरा माता स्व सहायता समूह ग्राम-धोधा, पो. हथबंद तह. सिमगा, ब.बाजार		
28			किरण स्व सहायता समूह, ग्राम-खेली पो. रावन, तह. सिमगा, ब.बाजार		
29			जय शारदा बहिनी स्व सहायता समूह ग्राम-केसली, पो. नवापारा तह. सिमगा, ब.बाजार		
30			गायत्री स्व सहायता समूह, ग्राम बासिन, पो. सुहेला तह. सिमगा, ब.बाजार		
31			चंचल स्व सहायता समूह ग्राम-हिरमी पो. हिरमी तह. सिमगा, ब.बाजार		
32			जय शंकर स्व सहायता समूह, ग्राम-मर्काकोना पा. रोहरा तह. सिमगा, ब.बाजार		
33			पलारी	पलारी	जय साहड़ा महिला स्व सहा समूह ग्राम-दतान (प) वि.ख. पलारी, ब.बाजार
34					चौदनी गरीबी रेखा स्व सहा समूह ग्राम-छेरकाडीह, वि.ख. पलारी, ब.बाजार
35	जय दुर्गा महिला स्व सहा समूह ग्राम-अछोली, वि.ख. पलारी, ब.बाजार				

1	2	3	4
36	पलारी	पलारी	जागृति महिला स्व सहा समूह ग्राम-देवसुन्द्रा, वि.ख. पलारी, ब.बाजार
37			आशा महिला स्व सहा समूह ग्राम-गबौद, वि.ख. पलारी, ब.बाजार
38			जय सतनाम महिला स्व सहा समूह ग्राम-सुन्द्रावन, वि.ख. पलारी, ब.बाजार
39			एकता महिला स्व सहा समूह ग्राम-गिधपुरी, वि.ख. पलारी, ब.बाजार
40			सरस्वती महिला स्व सहा समूह ग्राम-कानाकोट, वि.ख. पलारी, ब.बाजार
41			महामाया महिला स्व सहा समूह ग्राम-धिरघोल वि.ख. पलारी, ब.बाजार
42			हरियाली महिला स्व सहा समूह ग्राम-लरीया, वि.ख. पलारी, ब.बाजार
43			कसडोल
44	महिला बचत स्वसहायता समूह, ग्राम-खपरीभाठा, पो. छरछेद, कसडोल		
45	विकास स्व सहायता समूह, ग्राम-सेल, पो. कटगी, कसडोल		
46	चन्द्रहासिनी महिला स्व सहायता समूह, बजरंग चौक, ग्राम-बैजनाथ, कसडोल		
47	जागृति महिला स्व सहायता समूह ग्राम-भाठापारा, पो. कुम्हारी, कसडोल		
48	मां शारदा महिला स्व सहायता समूह, गुडीपारा के पास ग्राम-बरेली, कसडोल		
49	महामाया स्व सहायता समूह, महामाया मंदिर के सामने मटिया, कसडोल		

अनुमति पत्र
महिला स्व सहायता समूह विकास विभाग

1	2	3	4
50	कसडोल	सोनाखान	मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह, ग्राम-वकला, वि.ख.-कसडोल, बलौदाबाजार
51			गायत्री स्व सहायता समूह, ग्राम-वरपानी, वि.ख.-कसडोल, बलौदाबाजार
52			जय कुरुपाठ स्व सहायता समूह, ग्राम-सोनाखान, वि.ख.-कसडोल, बलौदाबाजार
53			शक्ति महिला स्व सहायता समूह, ग्राम-बड़गांव, वि.ख.-कसडोल, बलौदाबाजार
54			बाल कल्याण स्व सहायता समूह, ग्राम-पकरीद, वि.ख.-कसडोल, बलौदाबाजार
55	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	मां वैष्णोदेवी स्व सहायता समूह, ग्राम-बेलटिकरी, बिलाईगढ़, जिला-ब.बाजार
56			प्रज्ञा महिला स्व सहायता समूह, ग्राम-गोविन्दवन, बिलाईगढ़, जिला-ब.बाजार
57			शीतला महिला स्व सहायता समूह, ग्राम-पवनी, बिलाईगढ़, जिला-ब.बाजार
58			जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह, ग्राम-बनाहिल, बिलाईगढ़, जिला-ब.बाजार
59			धनलक्ष्मी स्व सहायता समूह, ग्राम-लाखडवरी, बिलाईगढ़, जिला-ब.बाजार

1	2	3	4
60	बिलाईगढ़	भटगांव	कृष्णा महिला स्वसहायता समूह ग्राम-चिकनीडीह तह. बिलाईगढ़, ब.बाजार
61			श्रद्धा महिला स्व सहायता समूह, ग्राम-धोबनी तह. बिलाईगढ़, ब.बाजार
62			वंदना सरस्वती महिला स्व सहायता समूह, ग्राम-घाना तह. बिलाईगढ़, ब.बाजार
63			लक्ष्मी सरस्वती महिला स्व सहायता समूह, ग्राम-झुमका तह. बिलाईगढ़, ब.बाजार
64			संतोषी वंदना महिला स्व सहायता समूह, ग्राम-मोहतरा न तह. बिलाईगढ़, ब.बाजार
65			मोहरदेवी महिला स्व-सहायता समूह ग्राम-बलौदी तह. बिलाईगढ़, ब.बाजार

प्रपत्र "ब"

बलौदाबाजार जिले में रेडी टू ईट फूड संचालन कर रहे महिला स्व सहायता समूहों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	रेडी टू ईट निर्माणकर्ता महिला स्व सहायता समूह/ निर्माण इकाई का नाम जिसकी शिकायत प्राप्त हुई है	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	6	8
1	बलौदाबाजार	लवन	हरि ओम स्व सहायता समूह, नगर पंचायत लवन, के द्वारा नियमों को दरकिनारा कर केवल आर्थिक लाभ के लिए रेडी टू ईट तैयार कर आंगनवाड़ी में सप्लाई किये जाने विषयक।	शिकायत की जांच किये जाने पर शिकायत असत्य पायी गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गई है।
2	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह, टिकरीपारा, बिलाईगढ़ द्वारा शासन के निर्धारित मात्रा अनुसार रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार में सामग्री का मिश्रण नहीं करने एवं गुणवत्ताहीन पूरक पोषण आहार वितरण एवं फर्जी बिल कय की गई सामग्री की जांचकर उचित कार्यवाही करने हेतु।	शिकायत की जांच की गई जांच पश्चात सरस्वती स्व सहायता समूह टिकरीपारा बिलाईगढ़ के पास 88.430 कि.ग्रा. ग्रेहू की मात्रा वसूली हेतु शेष पाया गया। कार्यालय परियोजना अधिकारी बिलाईगढ़ के पत्र क्रमांक 172 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा सरस्वती स्व सहायता समूह, टिकरीपारा, को वसूली हेतु लेख किया गया। साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1139 दिनांक 16.10.2020 को कार्य से पृथक किया जाकर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रेडी टू ईट का कार्य माँ वैष्णोदेवी स्व सहायता समूह नगरदा को सौंपा गया है।

परिशिष्ट "इकतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 625) की जानकारी]

जांजगीर चाम्पा जिले में किसानों को नलकूप खनन, ड्रिप एरीगेशन व कृषि प्रदाय किए गए सब्सिडी की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	सामग्री का नाम	लामान्वित कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	
1	2	3	5	7	8	
1	2018-19	अकलतरा	शक्ति चलित कृषि यंत्र	4	0.970	
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	10.000	
			ड्रिप	1	0.410	
			नलकूप	9	1.400	
		बलोदा	शक्ति चलित कृषि यंत्र	2	0.840	
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	10.000	
			ड्रिप	1	0.530	
			नलकूप	5	1.630	
		बम्हनीडीह	शक्ति चलित कृषि यंत्र	12	5.540	
			हस्त/बैल चलित यंत्र	100	0.600	
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	10.250	
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	4.000	
			ड्रिप	1	0.740	
			नलकूप	31	11.070	
		डमरा	शक्ति चलित कृषि यंत्र	4	0.930	
			हस्त/बैल चलित यंत्र	50	0.300	
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	10.250	
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	9	90.000	
			ड्रिप	4	2.700	
			नलकूप	12	3.510	
		2018-19	जैजैपुर	शक्ति चलित कृषि यंत्र	16	6.400
				हस्त/बैल चलित यंत्र	50	0.300
				कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	2	20.500
				कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	4	40.000
				कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	8.000
				शक्ति चलित कृषि यंत्र	1	0.630
			मालखरौदा	ड्रिप	2	1.200
				शक्ति चलित कृषि यंत्र	3	2.380
कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1			10.250		
कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	3			18.000		
ड्रिप	14			9.090		
नवागढ़	नलकूप		6	1.610		
	शक्ति चलित कृषि यंत्र		4	0.410		
	हस्त/बैल चलित यंत्र		700	1.800		
	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	2	16.000			
	ड्रिप	1	0.530			
		शक्ति चलित कृषि यंत्र	1	0.500		

क्र.	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	सामग्री का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)		
1	2	3	5	7	8		
			नलकूप	9	1.550		
		पामगढ़	शक्ति चलित कृषि यंत्र	2	1.020		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	10.000		
			नलकूप	28	7.670		
		सक्ती	शक्ति चलित कृषि यंत्र	10	4.770		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	3	24.000		
			ड्रिप	3	1.320		
			नलकूप	14	5.460		
योग (वर्ष 2018-19)				731	359.060		
2	2019-20	अकलतरा	शक्ति चलित कृषि यंत्र	1	0.980		
			हस्त/बैल चलित यंत्र	29	0.150		
			ड्रिप	1	0.410		
			ड्रिप	1	1.230		
			सीड ट्रीटिंग ड्रम	200	5.000		
			नलकूप	15	4.460		
		बलोदा	शक्ति चलित कृषि यंत्र	7	3.670		
			हस्त/बैल चलित यंत्र	19	0.110		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	2	20.000		
			ड्रिप	1	0.670		
			हस्तचलित नेपसेक स्प्रेयर	500	7.470		
			हस्तचलित नेपसेक स्प्रेयर	400	5.980		
		बम्हनीडीह	नलकूप	4	1.310		
			शक्ति चलित कृषि यंत्र	38	12.710		
			हस्त/बैल चलित यंत्र	34	0.180		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	4.000		
			ड्रिप	1	0.490		
			शक्ति चलित कृषि यंत्र	1	0.980		
			सीड ट्रीटिंग ड्रम	300	7.500		
			नलकूप	8	2.720		
		डभरा	शक्ति चलित कृषि यंत्र	5	1.340		
			हस्त/बैल चलित यंत्र	34	0.180		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	8	62.000		
			ड्रिप	2	1.310		
			सीड ट्रीटिंग ड्रम	400	10.000		
		जैजैपुर	शक्ति चलित कृषि यंत्र	49	19.510		
			हस्त/बैल चलित यंत्र	30	0.160		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	10.250		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	5	44.000		
			ड्रिप	2	0.960		
			सीड ट्रीटिंग ड्रम	200	5.000		
			शक्ति चलित कृषि यंत्र	49	19.870		
		हस्त/बैल चलित यंत्र	34	0.180			
					कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	10.250

क्र.	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	सामग्री का नाम	लामान्वित कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)		
1	2	3	5	7	8		
2	2019-20	मालखरोदा	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	9	54.000		
			ड्रिप	8	6.020		
			शक्ति चलित कृषि यंत्र	1	0.980		
			सीड ट्रीटिंग ड्रम	323	8.075		
			नलकूप	11	3.930		
		नवागढ़	शक्ति चलित कृषि यंत्र	3	2.930		
			हस्त/बैल चलित यंत्र	35	0.180		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	3	30.000		
			ड्रिप	1	0.880		
			शक्ति चलित कृषि यंत्र	2	1.130		
			सीड ट्रीटिंग ड्रम	400	10.000		
			नलकूप	19	3.470		
		पामगढ़	शक्ति चलित कृषि यंत्र	3	2.610		
			हस्त/बैल चलित यंत्र	34	0.180		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	10.000		
			ड्रिप	1	0.900		
			शक्ति चलित कृषि यंत्र	2	1.130		
			सीड ट्रीटिंग ड्रम	200	5.000		
			नलकूप	12	4.270		
		सक्ती	शक्ति चलित कृषि यंत्र	54	12.610		
			हस्त/बैल चलित यंत्र	29	0.150		
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	2	14.000		
			ड्रिप	5	2.370		
			ड्रिप	1	0.460		
			सीड ट्रीटिंग ड्रम	400	10.000		
			नलकूप	16	4.740		
		योग (वर्ष 2019-20)				3958	448.045
		3	वर्ष 2020-21 (दिनांक 31.10.2020 की स्थिति में)	अकलतरा	अम्बिका पैडी वीडर	200	0.000
नलकूप	15				3.850		
बलोदा	शक्ति चलित कृषि यंत्र			14	5.270		
	नलकूप			2	0.560		
बम्हनीडीह	शक्ति चलित कृषि यंत्र			10	4.230		
	शक्ति चलित कृषि यंत्र			2	1.950		
	अम्बिका पैडी वीडर			200	0.000		
उभरा	नलकूप			12	0.920		
	शक्ति चलित कृषि यंत्र			9	2.600		
	ड्रिप			3	1.420		
शिवपुर	अम्बिका पैडी वीडर			200	0.000		
	शक्ति चलित कृषि यंत्र			15	11.000		
	शक्ति चलित कृषि यंत्र			1	0.980		

क्र.	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	सामग्री का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)			
1	2	3	5	7	8			
		जयपुर	अम्बिका पैडी वीडर	200	0.000			
			नलकूप	11	1.410			
			शक्ति चलित कृषि यंत्र	5	12.010			
		मालखरौदा	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	1	10.000			
			ड्रिप	7	5.970			
			ड्रिप	1	0.530			
			शक्ति चलित कृषि यंत्र	1	0.980			
			अम्बिका पैडी वीडर	200	0.000			
			नलकूप	5	0.710			
			पामगाढ़	अम्बिका पैडी वीडर	200	0.000		
				नलकूप	19	1.490		
		वर्ष 2020-21 (दिनांक 31.10.2020 की स्थिति में)	नवागाढ़	शक्ति चलित कृषि यंत्र	6	0.670		
				ड्रिप	1	0.820		
				ड्रिप	1	0.700		
				अम्बिका पैडी वीडर	200	0.000		
नलकूप	5			0.890				
सक्ती	शक्ति चलित कृषि यंत्र		34	5.150				
	ड्रिप		1	0.360				
	अम्बिका पैडी वीडर		200	0.000				
	नलकूप		6	0.920				
योग (वर्ष 2020-21)				1787	75.390			
योग			शक्ति चलित कृषि यंत्र	359	133.420			
			हस्त/बैल चलित यंत्र	778	4.470			
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	7	71.750			
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	55	454.000			
			कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र)	3	24.000			
			ड्रिप	60	38.200			
			ड्रिप	5	3.820			
			नलकूप	274	69.550			
			शक्ति चलित कृषि यंत्र	12	9.260			
			अम्बिका पैडी वीडर	1600	0.000			
			सीड ट्रीटिंग ड्रम	2423	60.575			
			हस्तचलित नेपसेक स्प्रेयर	500	7.470			
			हस्तचलित नेपसेक स्प्रेयर	400	5.980			
							6476	882.495

परिशिष्ट "बत्तीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 657) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	जिला	गौवंशीय	भैंस वंशीय	बकरा/ बकरी	भेड़	सूकर	अन्य
1	कोरिया	3,80,862	71,564	2,09,357	30	4,213	
2	बलरामपुर	4,61,363	56,111	3,48,178	5,071	22,180	
3	सूरजपुर	3,78,668	73,695	2,52,362	579	4,417	
4	सरगुजा	3,64,306	70,181	2,88,535	462	12,427	
5	जशपुर	4,33,037	33,416	4,45,166	5,387	39,705	
6	रायगढ़	3,79,028	24,334	2,17,858	19,331	10,288	
7	कोरबा	3,53,801	52,664	1,87,421	42	2,308	
8	जॉजगीर चापा	5,14,307	35,802	78,461	7,415	3,116	
9	बिलासपुर	6,06,719	98,293	2,06,088	3,513	4,481	
10	मुंगेली	2,63,370	36,900	74,258	1,207	1,084	
11	कबीरधाम	3,58,678	40,090	77,181	829	4,812	
12	राजनादगाँव	7,46,200	60,832	1,40,555	8,645	11,547	
13	बेमेतरा	4,17,937	54,713	1,02,089	8,945	1,749	
14	दुर्ग	3,07,693	51,122	61,499	7,472	1,594	818
15	बालोद	3,36,482	30,225	54,331	5,610	2,137	
16	बलोदाबाजार	5,14,511	57,111	1,00,638	7,637	3,124	
17	रायपुर	3,43,625	62,579	70,311	8,227	1,749	
18	गरियाबंद	2,53,669	27,031	81,932	33,889	2,328	
19	महासमुंद	3,05,152	23,237	1,23,996	15,821	3,494	
20	धमतरी	2,54,795	39,107	58,582	357	7,260	
21	कांकेर	3,43,329	21,558	1,85,263	2,602	62,735	
22	कोण्डागाँव	3,39,576	29,604	90,235	4,600	52,891	
23	बस्तर	2,85,561	50,383	98,170	28,028	39,001	
24	नारायणपुर	1,92,146	16,677	78,041	67	57,157	
25	दंतेवाड़ा	1,87,630	17,570	75,745	94	42,867	
26	सुकमा	3,89,067	25,202	1,49,185	3,978	63,554	
27	बीजापुर	2,72,442	14,721	1,50,220	391	64,683	
	योग	99,83,954	11,74,722	40,05,657	1,80,229	5,26,901	818

M. K. S.

परिशिष्ट "तैंतीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 664) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

क	तहसील	स्वीकृत आदर्श गौठान का नाम	आंबटित राशि (रु.लाख में)	आदर्श गौठान निर्माण की स्थिति		
				पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7
1	अ.चौकी	पीपरखार	23.52	1	0	0
2	गंडई	मानपुर पहाड़ी	38.736	1	0	0
3	छुरिया	पांगरीकला	16.718	1	0	0
4	डोंगरगांव	झीका	15.906	1	0	0
5	डोंगरगढ़	मोतीपुर	22.554	1	0	0
6	खैरागढ़	सहसपुर	26.63	1	0	0
7	मोहला	पलांदुर	20.647	1	0	0
8	मानपुर	नवागांव	7.982	1	0	0
9	राजनांदगांव	मोखला	38.406	1	0	0
योग :-			211.1	9	0	0

परिशिष्ट "चौतीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 672) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

गोधन न्याय योजना के तहत योजना प्रारंभ तिथि से 30 नवम्बर 2020 तक गोबर खरीदी, भुगतान, भुगतान हेतु शेष की जानकारी

क्र.	जिला	पंजीकृत				खरीदी गई गोबर की मात्रा (किं)	विक्रेताओं को भुगतान की गई राशि (लाख रु.)	भुगतान हेतु शेष राशि (लाख रु.)
		गौशाला (संख्या)	गोठान (संख्या)	किसान / पशुपालक (संख्या)	गोधन (संख्या)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दुमपुर	0	207	32805	60742	357423.390	576.733	138.114
2	गरियाबंद	0	117	4810	48295	81997.082	156.891	7.104
3	बलौदाबाजार	0	96	6261	43449	88430.350	174.215	2.650
4	महासमुन्द	5	86	3349	8151	120577.850	225.813	15.350
5	धमतरी	1	227	8584	93331	167039.493	301.491	32.588
6	दुर्ग	3	242	7083	358815	162041.832	275.338	48.746
7	बालोद	0	223	15365	50091	115350.580	230.700	0.000
8	बेमेतरा	0	85	6624	66332	69728.520	139.457	1.810
9	राजनांदगांव	0	366	20396	6322400	374410.800	693.440	55.380
10	कबीरधाम	3	224	19322	86704	109091.290	193.945	24.237
11	शिलासपुर	0	88	4265	91233	88914.760	107.279	70.550
12	गोरेला पेण्ड्रा	3	86	24990	68239	68239.700	136.479	0.000
13	मुंगेली	0	162	6745	105859	82047.170	151.750	10.950
14	जांजगीर	0	266	10240	195688	144845.890	289.690	0.000
15	कोरबा	6	303	12926	169828	98419.200	196.830	0.000
16	रायगढ़	0	225	22691	99203	244526.990	264.835	224.218
17	सरगुजा	0	158	6406	32030	52118.260	96.240	7.990
18	सूरजपुर	0	111	5978	35868	73422.300	135.560	11.290
19	बलरामपुर	1	110	2971	33303	33121.350	43.970	22.270
20	जशपुर	0	69	3509	32717	40647.260	81.290	0.000
21	कोरिया	0	151	4796	23980	146031.470	292.063	0.000
22	बस्तर	0	197	18695	24628	47853.418	95.707	0.000
23	कोण्डागांव	1	106	6963	125694	33384.790	42.820	23.940
24	कांकेर	0	210	5674	98033	66876.360	133.753	0.000
25	दंतेवाड़ा	0	77	2902	29020	12757.290	25.515	0.000
26	सुकमा	0	129	3484	13064	26406.280	52.813	0.000
27	बीजापुर	0	106	5652	15640	21835.120	43.670	0.000
28	नारायणपुर	0	40	4355	3207	3944.549	6.435	1.454
	योग	23	4467	277841	8335544	2931483.343	5164.721	698.641

परिशिष्ट "पैंतीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 681) के भाग (क) से (घ) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में नरवा, गरूवा, धुरूवा, बाड़ी-सुराजी गांव योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से दिनांक 30 नवंबर 2020 तक कृषि विभाग द्वारा किये गये नाला बंधान, की जानकारी

(इकाई राशि रु लाख में)

क्र.	जिला	नदी/नाला बंधान का विवरण					आगामी वित्तीय वर्ष का भौतिक-वित्तीय कार्यक्रम								
		नदी/नालो की संख्या	बंधान संरचना संख्या	व्यय राशि	सिंचित क्षेत्र (हे.)	लाभावित कृषक संख्या	2021-22			2022-23			2023-24		
							नदी/नाला संख्या	संरचना संख्या	राशि	नदी/नाला संख्या	संरचना संख्या	राशि	नदी/नाला संख्या	संरचना संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	रायपुर		20	273.045	299.478	481	0	8	126.09	0	0	0	0	0	0
2	गरियाबंद	32	0	3.66	0	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बलौदाबाजार	6	41	301.78	303.4	925	1	3	27.75	0	0	0	0	0	0
4	महासमुन्द	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	धमतरी	22	18	303.59	213	214	24	25	557.23	25	31	695.21	25	33	745.58
	योग	60	79	882.075	815.878	3740	25	36	711.07	25	31	695.21	25	33	745.58
6	दुर्ग	8	32	144.16	167	380	1	2	20.09	1	6	60.29	0	0	0
7	बालोद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	बेमेतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राजनांदगांव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	कबीरधाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	8	32	144.16	167	380	1	2	20.09	1	6	60.29	0	0	0
11	बिलासपुर	2	4	40	20	40	4	6	60	2	4	40	4	8	80
12	गोरेला पेण्ड्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मुंगेली	21	202	62.49	86.67	4937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	जाजगीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	कोरबा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	रायगढ़	4	6	52.53	92.274	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	27	212	155.02	198.944	5089	4	6	60	2	4	40	4	8	80
17	सरगुजा	70	2698	401.641	2017.39	6888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	सूरजपुर	64	2880	552.38	2185	6011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	बलरामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	जशपुर	24	38	404.59	470	570	24	7	89.25	0	0	0	0	0	0
21	कोरिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	158	5616	1358.611	4672.39	13469	24	7	89.25	0	0	0	0	0	0

क्र.	जिला	नदी/नाला बंधान का विवरण					आगामी वित्तीय वर्ष का भौतिक-वित्तीय कार्यक्रम								
		नदी/नाला की संख्या	बंधान संरचना संख्या	व्यय राशि	सिंचित क्षेत्र (हे.)	लाभावित कृषक संख्या	2021-22			2022-23			2023-24		
							नदी/नाला संख्या	संरचना संख्या	राशि	नदी/नाला संख्या	संरचना संख्या	राशि	नदी/नाला संख्या	संरचना संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	बरतार	14	14	164.75	122.25	157	6	9	116.28	0	0	0	0	0	0
23	कोण्डागांव	1	34	17.551	9.526	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	कांकेर	6	37	222.28	202	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	दत्तेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	सुकमा	26	1720	624.39	310.4	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	बीजापुर	1	3	33.61	33	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	48	1808	1062.581	677.176	783	6	9	116.28	0	0	0	0	0	0
	महायोग	301	7747	3602.447	6531.388	23461	60	60	996.69	28	41	795.5	29	41	825.58

प्रपत्र "ब"

प्रदेश में नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी-सुराजी गांव योजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये गये नाला बंधान की जानकारी योजना प्रारंभ से दिनांक 30 नवंबर 2020 तक की जानकारी

सं. क्र	जिला	नाला बंधान अंतर्गत स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा (हेक्टेयर में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्णाता हेतु शेष कार्य	मार्च 2021-22 तक पूर्णाता का लक्ष्य		मार्च 2022-23 तक पूर्णाता का लक्ष्य		मार्च 2023-24 तक पूर्णाता का लक्ष्य	
								संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जल संसाधन विभाग													
1	सुकमा	189.00	991.79	170.39	भू-जल संवर्धन हुआ है।	48	141	115	170.08	26	651.314	0	0
2	कोण्डगांव	13.00	188.27	3.74		-	13	0	0.00	13	184.53	0	0
3	रायपुर	33.00	129.21	2.79		0	33	0	0.00	0	0	0	0
4	कबीरधाम	31.00	91.11	40.29		22	9	3	16.94	4	22.58	2	11.29
5	कोरबा	19.00	105.87	2.85		3	16	10	61.81	6	41.21	0	0
	योग	285	1506.25	220.06	0	73	212	128	248.83	49	899.634	2	11.29
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा)													
1	सरगुजा	2698	-	401.641	2017.39	-	-	-	-	-	-	-	-
2	बलरामपुर	5820	-	694.75	1529	-	-	-	-	-	-	-	-
3	सूरजपुर	2880	-	552.38	2185.75	-	-	-	-	-	-	-	-
4	जशपुर	81	-	310.724	14031.40	-	-	-	-	-	-	-	-
5	कोरिया	1459	-	361.22	35513	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बिलासपुर	39	-	729.89	19658	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मुंगेली	202	-	62.49	86.67	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कोरबा	0	-	0.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-
9	जांजगीर-चांपा	572	-	197.365	3912.48	-	-	-	-	-	-	-	-
10	रायगढ़	2304	-	457.52	3842	-	-	-	-	-	-	-	-
11	रायपुर	82	-	3.60	150	-	-	-	-	-	-	-	-
12	गरियाबंद	0	-	0.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	बलौदाबाजार	53	-	345.26	167.78	-	-	-	-	-	-	-	-
14	धमतरी	65	-	28.94	24.39	-	-	-	-	-	-	-	-
15	महासमुंद	51	-	41.40	148.48	-	-	-	-	-	-	-	-

स. क	जिला	नाला बंधान अंतर्गत स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा (हेक्टेयर में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्णता हेतु शेष कार्य	मार्च 2021-22 तक पूर्णता का लक्ष्य		मार्च 2022-23 तक पूर्णता का लक्ष्य		मार्च 2023-24 तक पूर्णता का लक्ष्य	
								संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	दुर्ग	29	-	196.38	1135.47	-	-	-	-	-	-	-	-
17	राजनांदगांव	84	-	366.505	नाला बंधान का कार्य वर्तमान में 84 नालों में प्रगतिरत होने से सिंचाई क्षेत्र में विस्तार का अंकलन वर्तमान में किया जाना संभव नहीं है।	-	-	-	-	-	-	-	-
18	कबीरधाम	118	-	208.10	687.03	-	-	-	-	-	-	-	-
19	वालौद	1083	-	306.08	155.31	-	-	-	-	-	-	-	-
20	बेमेतरा	126	-	149.51	670	-	-	-	-	-	-	-	-
21	बस्तर	40	-	1095.91	639	-	-	-	-	-	-	-	-
22	कोण्डागांव	55	-	567.88	3420.00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	दत्तेवाड़ा	34	-	33.23	3243.20	-	-	-	-	-	-	-	-
24	सुकमा	1720	-	624.39	310.40	-	-	-	-	-	-	-	-
25	फाकर	1983	-	138.40	147.31	-	-	-	-	-	-	-	-
26	नारायणपुर	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
27	बीजापुर	22	-	114.17	388.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	21600		7987.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

प्रपत्र "स"

बाड़ी विकास कार्यक्रम से लाभान्वित हितग्राही एवं व्यय राशि की जानकारी

क्र.	नाम जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	व्यक्तिगत बाड़ी संख्या	सामुदायिक बाड़ी संख्या	योग	व्यय राशि (लाख में)		योग	हितग्राही संख्या		
						व्यक्तिगत बाड़ी	सामुदायिक बाड़ी		व्यक्तिगत बाड़ी	सामुदायिक बाड़ी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वर्ष 2018-19						निरंक					
वर्ष 2019-20											
1	बालोद	335	8457	0	8457	90.56	0.00	90.56	8457	0	8457
2	बलौदाबाजार	213	6528	0	6528	125.83	0.00	125.83	6528	0	6528
3	बलरामपुर	90	4523	0	4523	112.12	0.00	112.12	4523	0	4523
4	बेमेतरा	76	7067	1	7068	19.71	0.20	19.91	7067	12	7079
5	बिलासपुर	90	10873	0	10873	137.56	0.00	137.56	10873	0	10873
6	बीजापुर	38	4168	0	4168	25.15	0.00	25.15	4168	0	4168
7	दुर्ग	325	11898	2	11900	119.54	0.69	120.23	11898	13	11911
8	दंतेवाड़ा	71	3606	0	3606	32.94	0.00	32.94	3606	0	3606
9	धमतरी	78	4794	0	4794	28.74	0.00	28.74	4794	0	4794
10	गरियाबंद	69	2847	0	2847	86.15	0.00	86.15	2847	0	2847
11	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	25	5855	0	5855	54.68	0.00	54.68	5855	0	5855
12	जगलदपुर	60	7069	0	7069	35.13	0.00	35.13	7069	0	7069
13	जॉजगीर चाम्पा	232	8229	0	8229	13.65	0.00	13.65	8229	0	8229
14	जशपुर	117	5744	0	5744	94.48	0.00	94.48	5744	0	5744
15	कबीरधाम	67	3653	0	3653	69.81	0.00	69.81	3653	0	3653

क.	नाम जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	व्यक्तिगत बाड़ी संख्या	सामुदायिक बाड़ी संख्या	योग	व्यय राशि (लाख में)		योग	हितग्राही संख्या		
						व्यक्तिगत बाड़ी	सामुदायिक बाड़ी		व्यक्तिगत बाड़ी	सामुदायिक बाड़ी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	कांकेर	94	10748	29	10777	59.49	23.96	83.45	10748	180	10928
17	कोण्डागांव	91	9200	1	9201	65.33	0.33	65.66	9200	11	9211
18	कोरबा	211	24337	25	24362	343.58	4.82	348.40	24337	125	24462
19	कोरिया	47	2907	0	2907	132.13	0.00	132.13	2907	0	2907
20	महासमुंद्र	216	5732	0	5732	22.26	0.00	22.26	5732	0	5732
21	मुंगेली	43	8591	0	8591	19.74	0.00	19.74	8549	0	8549
22	नारायणपुर	27	1680	0	1680	119.62	0.00	119.62	1680	0	1680
23	रायगढ़	785	13338	0	13338	141.16	0.00	141.16	13338	0	13338
24	रायपुर	92	2187	0	2187	215.65	0.00	215.65	2187	0	2187
25	राजनांदगांव	113	4119	0	4119	77.49	0.00	77.49	4119	0	4119
26	सुकमा	48	3374	0	3374	112.25	0.00	112.25	3374	0	3374
27	सूरजपुर	481	11032	17	11049	40.26	7.71	47.97	11032	102	11134
28	सरगुजा	150	10212	0	10212	203.38	0.00	203.38	10212	0	10212
	योग	4284	202726	75	202843	2594.63	37.71	2636.10	202726	443	203169

वर्ष 2020-21 (दिनांक 30 नव. 2020 तक)

1	बेमेतरा	123	3750	1	3751	0.00	0.00	0.00	0	12	12
2	दुर्ग	304	5000	14	5014	55.62	7.77	63.39	5000	277	5277
3	धमतरी	60	3600	19	3619	0.00	1.47	1.47	0	227	227
4	गरियाबंद	54	3300	0	3300	1.88	0.00	1.88	3300	0	3300
5	जॉजगीर चाम्पा	34	7729	0	7729	24.03	0.00	24.03	955	0	955
6	कांकेर	114	4200	0	4200	40.63	0.00	40.63	3250	0	3250
7	कोरबा	191	23520	184	23704	128.31	2.06	130.37	23520	1329	24849

क.	नाम जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	व्यक्तिगत बाड़ी संख्या	सामुदायिक बाड़ी संख्या	योग	व्यय राशि (लाख में)		योग	हितग्राही संख्या		
						व्यक्तिगत बाड़ी	सामुदायिक बाड़ी		व्यक्तिगत बाड़ी	सामुदायिक बाड़ी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	कोरिया	40	3700	1	3701	0.00	2.04	2.04	0	12	12
9	महासमुंद	1	3250	0	3250	0.18	0.00	0.18	650	0	650
10	नारायणपुर	38	1560	0	1560	8.16	0.00	8.16	1560	0	1560
11	रायपुर	120	3250	172	3422	0.00	245.99	245.99	0	1640	1640
12	राजनांदगांव	128	8456	78	8534	112.34	11.33	123.67	4056	615	4671
13	सुकमा	76	1810	0	1810	0.79	0.00	0.79	1171	0	1171
	योग	1283	73125	469	73594	371.92	270.67	642.58	43462	4112	47574

प्रपत्र "द"

नरवा, गरवा, धुरूवा, बाड़ी योजनांतर्गत योजना प्रारंभ से 30 नवम्बर 2020 तक निर्मित गौठानों एवं लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

क्र.	जिला	गौठान हेतु स्वीकृत ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत गौठान संख्या	निर्मित गौठान की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल निर्मित गौठान संख्या	गौठान निर्माण में कुल लागत (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	245	245	172	172	427.96
2	गरियाबंद	182	226	102	105	1658.46
3	बलौदाबाजार	438	438	257	257	731.71
4	महासमुन्द	551	230	175	175	667.142
5	धमतरी	323	349	219	219	3216.75
6	दुर्ग	274	285	217	217	1671.63
7	बालोद	351	371	171	173	1702.14
8	बेमेतरा	233	251	160	160	515.81
9	राजनादगांव	461	461	353	353	2348.3
10	कबीरधाम	300	300	200	200	1698.9
11	बिलासपुर	265	265	167	167	2382.35
12	पेन्द्रा-गौरला	86	86	51	51	617.04
13	कोरवा	285	356	228	228	1888.19
14	मुंगेली	200	234	138	138	1038.822
15	जांजगीर-चाम्पा	459	459	267	267	3012.98
16	रायगढ़	546	546	298	298	2005.676
17	सरगुजा	370	370	197	197	881.706
18	जशपुर	419	419	171	171	987.508
19	कोरिया	136	136	136	136	1691.04
20	बलरामपुर	415	415	148	148	434.13
21	सूरजपुर	235	235	181	181	1290.77
22	बस्तर	330	330	219	219	1205.59
23	कांकेर	370	370	197	197	1242.6
24	कोण्डागांव	195	195	73	73	480.56
25	दन्तेवाड़ा	107	107	44	44	242.03
26	बीजापुर	97	120	34	34	199.41
27	नारायणपुर	63	63	37	38	449.99
28	सुकमा	90	130	76	82	2525.19
	योग	8026	7992	4688	4700	37214.384

परिशिष्ट "छत्तीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 713) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बस्तर संभागांतर्गत वर्ष 2018, 2019, 2020 की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी

क्र.	वर्ष	मोरा:म	जिला	बीमित कृषक संख्या	स्थानीय आपदाओं की स्थिति में			फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में		फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर दावा भुगतान		दावा भुगतान हेतु शेष राशि (लाख में.)	
					प्रभावित कृषक संख्या	प्रदायित राशि (लाख में.)	दावा भुगतान हेतु शेष	प्रभावित कृषक संख्या	प्रदायित राशि (लाख में.)	लाभान्वित कृषक संख्या	प्रदायित राशि (लाख में.)	शेष कृषक संख्या	दावा भुगतान हेतु शेष
1	2018	खरीफ	बस्तर	30107	3	0.32	0	0	0.00	11793	1256.91	0	0.00
2			बीजापुर	5319	0	0	0	0	0.00	2690	306.37	0	0.00
3			दत्तेवाडा	9300	0	0	0	0	0.00	5592	1122.19	0	0.00
4			कांकेर	55937	0	0	0	0	0.00	29878	4849.22	0	0.00
5			कोण्डागांव	22531	0	0	0	0	0.00	13421	2033.07	0	0.00
6			नारायणपुर	2178	0	0	0	0	0.00	1577	222.69	0	0.00
7			सुकमा	3150	0	0	0	0	0.00	2144	606.21	0	0.00
योग				128522	3	0.32	0	0	0.00	67095	10396.65	0	0.00
1	2018-19	रबी	बस्तर	227	0	0	0	0	0.00	171	8.55	0	0.00
2			बीजापुर	-	0	0	0	0	0.00	-	0.00	0	0.00
3			दत्तेवाडा	75	0	0	0	0	0.00	75	3.78	0	0.00
4			कांकेर	299	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5			कोण्डागांव	17	0	0	0	0	0.00	30	2.25	0	0.00
6			नारायणपुर	-	0	0	0	0	0.00	-	0.00	0	0.00
7			सुकमा	4	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
योग				622	0	0	0	0	0.00	276	14.58	0	0.00
वर्ष 2018 कुल योग				129144	3	0.32	0	0	0	67371	10411.23	0	0.00
1	2019	खरीफ	बस्तर	27480	0	0	0	3	0.24	5093	488.94	0	0.00
2			बीजापुर	8413	0	0	0	0	0.00	1444	172.62	0	0.00
3			दत्तेवाडा	8927	0	0	0	0	0.00	4663	595.72	0	0.00
4			कांकेर	61375	0	0	0	489	18.29	31158	4800.99	0	0.00
5			कोण्डागांव	24443	0	0	0	11	0.99	3155	237.27	0	0.00
6			नारायणपुर	2999	0	0	0	0	0.00	300	22.35	0	0.00
7			सुकमा	5705	0	0	0	0	0.00	2930	677.74	0	0.00
योग				139342	0	0	0	503	19.51	48743	6995.62	0	0.00
1	2019-20	रबी	बस्तर	73	0	0	0	0	0.00	73	3.59	0	0.00
2			बीजापुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3			दत्तेवाडा	32	0	0	0	0	0.00	32	0.63	0	0.00
4			कांकेर	26	0	0	0	0	0.00	23	10.65	0	0.00
5			कोण्डागांव	50	0	0	0	0	0.00	49	4.97	1	0.25
6			नारायणपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7			सुकमा	47	0	0	0	0	0.00	10	0.16	0	0.00
योग				228	0	0	0	0	0.00	187	20.20	1	0.25

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बस्तर संभागांतर्गत वर्ष 2018, 2019, 2020 की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	बीमित कृषक संख्या	स्थानीय आपदाओं की स्थिति में			फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में		फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर दावा भुगतान		दावा भुगतान हेतु शेष राशि (लाख में.)	
					प्रभावित कृषक संख्या	प्रदायित राशि (लाख में.)	दावा भुगतान हेतु शेष	प्रभावित कृषक संख्या	प्रदायित राशि (लाख में.)	लाभान्वित कृषक संख्या	प्रदायित राशि (लाख में.)	शेष कृषक संख्या	दावा भुगतान हेतु शेष
1	2020	खरीफ	बस्तर	30405	0	0	0	0	0.00	फसल कटाई प्रयोग प्रक्रियाधीन है। फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर पात्रतानुसार दावा भुगतान किया जावेगा।			
2			बीजापुर	8760	0	0	0	0	0.00				
3			दंतेवाड़ा	7697	0	0	0	0	0.00				
4			कांकेर	67128	0	0	0	0	0.00				
5			कोण्डागांव	26873	0	0	0	0	0.00				
6			नारायणपुर	3902	0	0	0	0	0.00				
7			सुकमा	7705	0	0	0	0	0.00				
योग			152470	0	0	0	0	0.00					
1	2020-21	रबी	बस्तर										
2			बीजापुर										
3			दंतेवाड़ा										
4			कांकेर										
5			कोण्डागांव										
6			नारायणपुर										
7			सुकमा										
वर्ष 2020 कुल योग			152470	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषकों की प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

प्रपत्र "ब"

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत उद्यानिकी फसलों के बीमा की जानकारी

वर्ष	मौसम	जिला	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हेक्टेयर में)	बीमित राशि	प्रीमियम				प्रदायित बीमा दावा राशि		लंबित बीमा दावा		कुल बीमा दावा राशि	
						कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	योग	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि
2018	खरीफ	बस्तर	175	208.30	156.86	7.84	17.56	17.56	42.95	172	34.01	0	0.00	172	34.01
2018	खरीफ	बीजापुर	15	3.00	1.62	0.08	0.24	0.24	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2018	खरीफ	दंतेवाडा	137	38.39	42.94	2.15	4.13	4.13	10.41	106	0.96	0	0.00	106	0.96
2018	खरीफ	कोण्डागांव	41	29.67	21.02	1.05	2.82	2.82	6.69	41	1.37	0	0.00	41	1.37
2018	खरीफ	नारायणपुर	1	4.19	4.19	0.21	0.34	0.34	0.88	1	0.32	0	0.00	1	0.32
2018	खरीफ	सुकमा	29	19.00	29.12	1.46	2.51	2.51	6.48	29	9.78	0	0.00	29	9.78
2018	खरीफ	कांकेर	273	50.04	35.46	1.77	4.63	4.63	11.04	265	6.89	0	0.00	265	6.89
		योग	671	352.59	291.21	14.56	32.23	32.23	79.02	614	53.33	0	0.00	614	53.33
2018-19	रबी	बस्तर	569	314.76	219.11	10.96	6.86	6.86	24.67	559	13.24	0	0.00	559	13.24
2018-19	रबी	बीजापुर	32	6.40	4.54	0.23	0.10	0.10	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2018-19	रबी	दंतेवाडा	199	7.54	5.41	0.27	0.11	0.11	0.50	129	0.26	0	0.00	129	0.26
2018-19	रबी	कोण्डागांव	154	46.33	32.84	1.64	0.51	0.51	2.66	145	3.04	0	0.00	145	3.04
2018-19	रबी	नारायणपुर	54	14.25	10.55	0.53	0.24	0.24	1.00	54	1.18	0	0.00	54	1.18
2018-19	रबी	सुकमा	31	5.40	4.64	0.23	0.09	0.09	0.41	31	0.73	0	0.00	31	0.73
2018-19	रबी	कांकेर	311	39.00	30.49	1.52	0.63	0.63	2.79	275	5.83	0	0.00	275	5.83
		योग	1350	433.68	307.58	15.38	8.53	8.53	32.45	1193	24.27	0	0.00	1193	24.27
		योग (2018-19)	2021	786.28	598.79	29.94	40.76	40.76	111.47	1807	77.60	0	0	1807	77.60
2019	खरीफ	बस्तर	318	205.27	174.11	8.71	20.47	20.47	49.65	311	67.39	0	0.00	311	67.39
2019	खरीफ	बीजापुर	23	2.50	2.70	0.14	0.12	0.12	0.38	23	0.66	0	0.00	23	0.66
2019	खरीफ	दंतेवाडा	90	26.78	25.26	1.26	1.43	1.43	4.13	87	7.42	0	0.00	87	7.42
2019	खरीफ	कोण्डागांव	105	47.47	40.98	2.05	1.46	1.46	4.98	104	9.69	0	0.00	104	9.69
2019	खरीफ	नारायणपुर	6	2.00	1.55	0.08	0.06	0.06	0.21	6	0.52	0	0.00	6	0.52
2019	खरीफ	सुकमा	72	49.96	74.35	3.72	5.55	5.55	14.81	72	13.57	0	0.00	72	13.57
2019	खरीफ	कांकेर	304	56.76	48.77	2.44	2.92	2.92	8.28	301	14.03	0	0.00	301	14.03

वर्ष	मौसम	जिला	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हेक्टेयर में)	बीमित राशि	प्रीमियम				प्रदायित बीमा दावा राशि		लंबित बीमा दावा		कुल बीमा दावा राशि	
						कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	योग	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि
		योग	918	390.74	367.72	18.39	32.03	32.03	82.44	904	113.27	0	0.00	904	113.27
2019-20	रबी	बस्तर	678	346.70	287.66	14.38	21.73	21.73	57.85	412	9.12	95	1.94	507	11.06
2019-20	रबी	बीजापुर	43	4.78	3.46	0.17	0.26	0.26	0.69	35	0.40	8	0.04	43	0.44
2019-20	रबी	दंतेवाडा	4	5.50	5.50	0.28	0.41	0.41	1.10	4	0.48	0	0.00	4	0.48
2019-20	रबी	कोण्डागांव	80	41.92	37.29	1.86	2.69	2.69	7.25	69	2.71	11	0.33	80	3.04
2019-20	रबी	नारायणपुर	105	11.00	10.41	0.52	0.88	0.88	2.29	105	0.74	0	0.00	105	0.74
2019-20	रबी	सुकमा	166	25.46	22.13	1.11	1.66	1.66	4.43	152	2.43	9	0.50	161	2.93
2019-20	रबी	कांकेर	310	43.58	37.46	1.87	3.07	3.07	8.02	264	2.03	26	0.07	290	2.10
		योग	1386	478.93	403.90	20.19	30.72	30.72	81.63	1041	17.91	149	2.87	1190	20.78
योग (2019-20)			2304	869.67	771.62	38.58	62.75	62.75	164.08	1945	131.18	149	2.87	2094	134.06
2020-21	खरीफ	बस्तर	809	516.46	470.99	23.55	95.98	54.52	174.04	अधिसूचित उद्यानिकी फसलों के आवरण अवधि की समाप्ति उपरांत बीमा दावा राशि की गणना कर नियमानुसार बीमा दावा राशि का भुगतान किया जावेगा।					
2020-21	खरीफ	बीजापुर	12	2.70	3.27	0.16	0.50	0.31	0.97						
2020-21	खरीफ	दंतेवाडा	144	38.02	35.48	1.77	4.83	3.52	10.12						
2020-21	खरीफ	कोण्डागांव	127	75.83	63.98	3.20	2.15	2.15	7.49						
2020-21	खरीफ	नारायणपुर	69	8.50	7.21	0.36	0.75	0.70	1.82						
2020-21	खरीफ	सुकमा	72	50.82	68.90	3.45	6.74	6.74	16.93						
2020-21	खरीफ	कांकेर	537	151.02	143.72	7.19	17.43	17.00	41.62						
		योग	1770	843.35	793.55	39.68	128.37	84.94	252.99						
2020-21	रबी	रबी मौसम हेतु अधिसूचित उद्यानिकी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2020 है। अतः रबी 2020 में उद्यानिकी फसलों के बीमा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।													
महायोग			6095	2499.29	2163.96	108.20	231.88	188.45	528.53	3752	208.78	149	2.87	3901	211.65

परिशिष्ट "सैंतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 726) के भाग (क) की जानकारी]

कार्यालय सहायक संचालक मछलीपालन जिला नारायणपुर (छ.ग.)

तालाब खनन की विकासखण्डवार हितग्राहीवार वर्षवार जानकारी

क्र	वर्ष	दि.ख.का नाम	कार्य का विवरण	हितग्राही का नाम/ पिता का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित जलक्षेत्र (हे.मे) / खसरा नं. / रकबा नं	प्रदाय अनुदान राशि		रिमार्क	
							चेक कं. दिनांक	राशि रू. में (लाख)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री गणेशराम/ स्व.श्री सुदरेन	बोरगांव/ बाकुलवाही	1.000 हे 95/2020	<u>012781</u> <u>27.02.20</u>	2.10	राशि 2019-20 में प्राप्त होने के कारण 2019-20 में भुगतान की गयी	
2	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री रायसिंग/ स्व. कौंदा	बोरगांव/ बाकुलवाही	0.500 हे. 124/4	<u>012782</u> <u>27.02.20</u>	1.05		
3	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री सोनवा राम/ घड़वाराम	बोरगांव/ बाकुलवाही	1.00 हे/ 284/2	<u>012784</u> <u>27.02.20</u>	2.10		
4	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री मनीराम/ दानुराम	खड़कागांव	0.50 हे/ 69	<u>012786</u> <u>27.02.20</u>	2.10		
5	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री फगनूराम/ घसियाराम	बोरगांव/ बाकुलवाही	1.000 हे. /136	<u>012781</u> <u>27.02.20</u>	1.05		
6	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री बुधराम/ श्री सुकटा	बोरगांव/ बाकुलवाही	1.000 हे 307/3	<u>012787</u> <u>27.02.20</u>	2.10		
7	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री मोहन/ लखमूराम	बोरगांव/ बाकुलवाही	1.000 हे /103	<u>012788</u> <u>27.02.20</u>	2.10		
8	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री रामधर/ बिसरूराम	बोरगांव/ बाकुलवाही	1.000 हे /78	<u>012789</u> <u>27.02.20</u>	2.10		
9	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री सागराम/ सुधुराम	बोरगांव/ बाकुलवाही	1.000 हे. /290	<u>012790</u> <u>27.02.20</u>	2.10		
10	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री सिंगराय/ स्व.सुदु	बोरगांव/ बाकुलवाही	1.00 हे. /139	<u>012791</u> <u>27.02.20</u>	2.10		
11	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री राजमन/ लखमु	बोरगांव/ बाकुलवाही	0.50 हे. 46/2	<u>012792</u> <u>27.02.20</u>	1.05		
12	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री लिंगसुरूम/ रामसाय	बोरगांव/ बाकुलवाही	1.000 हे 213/2	<u>012793</u> <u>27.02.20</u>	2.10		
13	2018-19	नारायणपुर	तालाब खनन	श्रीमती बुधयारी/ स्व.श्री पंडीराम	बागडोंगरी/ बागडोंगरी	2.00 हे. /464	<u>012819</u> <u>12.03.20</u>	4.20		
1	2018-19	ओरछा	तालाब खनन	निरंक						
	योग : --							26.25		

क्र	वर्ष	वि.ख.का नाम	कार्य का विवरण	हितग्राही का नाम / पिता का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित जलक्षेत्र (हे.में) / खसरा नं. / रकबा नं	प्रदाय अनुदान राशि		रिमार्क	
							चेक कं. दिनांक	राशि रू. में (लाख)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2019-20	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री रामजी / श्री बैजूराम कावड़े	कुलानार	0.500 हे. 34/2	012794 27.02.20	2.10		
2	2019-20	नारायणपुर	तालाब खनन	श्री बैजूराम / स्व.श्री दसरू	कुलानार	1.000 हे. /98/1	012795 27.02.20	4.20		
3	2019-20	नारायणपुर	तालाब खनन	श्रीमती सरस्वती / श्री पुलीन मंडल	ब्रेहबेड़ा	0.500 हे. 157/2	012795 27.02.20	1.40		
1	2019-20	ओरछा	तालाब खनन	निरंक						
	योग :-							7.70		
1	2020-21 (30 नवम्बर 2020 तक)	नारायणपुर	तालाब खनन	-	-	-	-	-		
2	2020-21 (30 नवम्बर 2020 तक)	ओरछा	तालाब खनन	-	-	-	-	-		
कुल योग (वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 (30 नवंबर 2020तक))								33.95		

परिशिष्ट "अड़तीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 735) के भाग (क) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 12-36/36/2020/वि.सं./321/

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/11/2020

प्रति,

श्री वारा.पी. दुपारे,
उप सचिव, छ.ग. शासन,
मछली पालन विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :- विधान सभा आश्वासन क्रमांक-202 के संबंध में जांच हेतु।

संदर्भ :- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा का पत्र क्रमांक 10561/वि.सं./आश्वा./अगस्त 2020, रायपुर, दिनांक 19.10.2020

विषयांकित संदर्भित पत्रानुसार विधानसभा आश्वासन क्रमांक-202 अनुसार विभाग के तारंकित प्रश्न क्रमांक-409, तहसील छुईखदान के ग्राम पैलीगेटा स्थित सुरही जलाशय के मछली पालन हेतु आर्बंटन विषय पर चर्चा के दौरान विधान सभा में माननीय मंत्री जी द्वारा विभाग के उप सचिव से सदन में जो मुद्दे आये हैं, उनसे जांच करा लूंगा? का आश्वासन दिया गया है।

2/ आश्वासन की जांच हेतु आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच में श्री एन.एस. नाग, संयुक्त संचालक, संचालनालय मछली पालन विभागीय जानकारी उपलब्ध करावेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(गोस्वर गिलारा संदीपन)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन
कृषि (मछली पालन) विभाग

पृ० क्रमांक एफ 12-36/36/2020/वि.सं./322/

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/11/2020

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, कृषि (मछली पालन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर को पत्र क्रमांक 10561/वि.सं./आश्वा./अगस्त 2020, रायपुर, दिनांक 19.10.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत।
3. स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन।
4. निज सचिव, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (मछली पालन), मंत्रालय, महानदी भवन।
5. संचालक मछली पालन, छत्तीसगढ़, इंद्रायती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
6. श्री एन.एस. नाग, संयुक्त संचालक, संचालनालय मछली पालन, इंद्रायती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

छत्तीसगढ़ शासन
मछलीपालन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

कमांक / 2020 / वि०स०आ०क०२०२ / 36 नवा रायपुर, दिनांक
प्रति,

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
मछलीपालन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

विषय:—विधान सभा आश्वासन कमांक 202 के संबंध में जांच हेतु।

संदर्भ:—आपका पत्र कमांक एफ 12-36/36/2020/वि.स./321, दिनांक 06.11.2020

—00—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। संदर्भित पत्र के परिपालन में विधान सभा आश्वासन कमांक 202 अनुसार विभाग के तारांकित प्रश्न कमांक 409, तहसील छुईखदान के ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय में मछलीपालन हेतु पट्टा आवंटन के संबंध में जांच उपरान्त जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:— जांच प्रतिवेदन एवं
सहपत्र (पृष्ठ 01 से 128)

(वाय०पी०दुपारे)

उप सचिव (जांच अधिकारी)

छत्तीसगढ़ शासन

मछलीपालन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 14/12/2020

पृ०कमांक 415/2020/वि०स०आ०क०२०२/36

संचालक, मछलीपालन, इंद्रावती भवन, संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर की ओर

सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव (जांच अधिकारी)

छत्तीसगढ़ शासन

मछलीपालन विभाग

विधानसभा आश्वासन क्रमांक 202 तहसील छुईखदान के ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय में मछलीपालन हेतु आबंटन का जांच प्रतिवेदन

शासनादेश दिनांक 06.11.2020 द्वारा विधानसभा आश्वासन क्रमांक 202 तहसील छुईखदान के ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय में मछलीपालन हेतु आबंटन के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता को जांच अधिकारी बनाया गया। जिसके परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 04.12.2020 जारी कर, प्रकरण की जांच हेतु दिनांक 07.12.2020 समय अपराह्न 12:00 बजे नियत की गई।

उक्त जांच में जय भोले मत्स्य सहकारी समिति पैलीमेटा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं एक सदस्य उपस्थित हुये। इसी प्रकार गण्डई मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं दो सदस्य उपस्थित हुये इसके अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी, जय भोले मत्स्य सहकारी समिति (प्रशासक) श्री शशिकांत श्रीवास भी उपस्थित हुये।

(1) जय भोले मत्स्य सहकारी समिति पैलीमेटा द्वारा दर्ज कराया गया संयुक्त बयान

समिति द्वारा राशि रूपये 84,942/- सीधे चालान के माध्यम से जमा किया गया है। हमारी समिति अनुबंध राशि नियमानुसार जमा नहीं होने के कारण अन्य गण्डई समिति को सुरही जलाशय का पट्टा आबंटन किया गया है। हमारी समिति नियमानुसार पहले प्राथमिकता रखती है। सुरही जलाशय को पट्टा आबंटन में हमारी समिति को नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर माननीय जिला न्यायालय राजनांदगांव में वाद दायर किया गया है।

(2) गण्डई मछुआ सहकारी समिति द्वारा दर्ज कराया गया संयुक्त बयान

हमारी समिति वर्ष 1978 से सुरही जलाशय ग्राम पैली मेटा में मत्स्य पालन का कार्य कर रहे है तथा जलाशय से समिति की दूरी 11.5 कि०मी० है, समिति के कुछ सदस्य पैलीमेटा में निवासरत हैं। पहले प्राथमिकता जय भोले मत्स्य सहकारी समिति, पैलीमेटा को दी गई थी। उनके द्वारा अनुबंध निष्पादन की राशि जमा नहीं करने के कारण सहायक संचालक राजनांदगांव द्वारा हमारी समिति को पट्टा दिया गया। तत्पश्चात् अनुबंध राशि जमा कर सुरही जलाशय में मछलीपालन का कार्य किया जा रहा है। इससे क्षुब्ध होकर जय भोले मत्स्य सहकारी समिति पैलीमेटा द्वारा माननीय जिला न्यायालय राजनांदगांव में याचिका दायर किया गया है।

(3) प्रशासक, जय भोले मत्स्य सहकारी समिति पैलीमेटा का लिखित प्रतिवेदन

जय भोले मत्स्य सहकारी समिति के पूर्व संचालक सदस्यों ने मेरे प्रभार संबंधी आदेश के प्रति लेने मना करते हुए, प्रभार देने से इंकार किया। तत्पश्चात् दिनांक 24.07.2019 को उक्त समिति के सदस्यों के बुलाने पर ही समिति का प्रभार ग्रहण किया। प्रभार दिवस को समिति के पूर्व संचालक सदस्यों द्वारा केवल रोकड़ पंजी जिसमें दिनांक 19.07.2019 तक प्रविष्टि की गई थी। नया कार्यवाही पंजी उपलब्ध नहीं कराई गई। समिति में नगद राशि निरंक होना बताया गया अन्य कोई भी दस्तावेज प्रभार में उपलब्ध नहीं कराया गया। समिति के सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद समिति द्वारा वैधानिक रूप से कोई भी राशि या बैंक में बचत खाते में प्रदत्त राशि नहीं होने की वजह से दिनांक 29.07.2019 को समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि समिति में पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं एवं समिति सुरही जलाशय का संचालन करने में सक्षम नहीं है इसकी जानकारी सहायक संचालक, मछलीपालन जिला राजनांदगांव को दिनांक 30.07.2019 को दिया गया। समिति द्वारा दिनांक 14.08.2019 को लीज की राशि जमा की गई किंतु इसकी जानकारी मुझे लिखित एवं मौखिक रूप से नहीं दी गई। उक्त लीज की राशि जमा करने की जानकारी दिनांक 28.08.2019 को न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थायें के समक्ष भी नहीं दिया गया था।

(4) सहायक संचालक, मछलीपालन, जिला-राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन

सहायक संचालक, मछलीपालन, जिला राजनांदगांव द्वारा बताया है कि पैलीमेटा सिंचाई जलाशय को 10 वर्ष के पट्टे पर आबंटन हेतु दिनांक 25.05.2019 से 08.06.2019 तक विज्ञापित जारी कर विज्ञापन मंगाये गये थे। उक्त केवल दो आवेदन जय भोले मत्स्य सहकारी समिति एवं मंडई मछुआ सहकारी समिति से प्राप्त हुए। दोनों समिति के तुलनात्मक पत्रक एवं पट्टा आबंटन हेतु संक्षेपिका सहायक संचालक, राजनांदगांव द्वारा तैयार कर अनुमति हेतु संचालक को भेजा गया। संचालक ने पत्र दिनांक 15.07.2019 के द्वारा अध्यक्ष जय भोले मत्स्य सहकारी समिति ग्राम पैलीमेटा को दस वर्षीय पट्टे पर दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई। समिति को प्रस्तावित लीज की राशि (प्रथम किश्त) एवं सुरक्षा राशि जमाकर अनुबंध निष्पादन हेतु प्रेषित किया गया।

लेकिन इसी बीच पंजीयक सहकारी संस्थायें राजनांदगांव द्वारा दिनांक 12.07.2019 जय भोले मत्स्य सहकारी समिति पैलीमेटा के संचालक मण्डल/प्रबंधक समिति द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में निरंतर उपेक्षा के फलस्वरूप छ0ग0सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (1) के अंतर्गत समिति को छःमाह के लिये हटाकर समिति के निर्वहन हेतु श्री शशीकांत श्रीवास सहकारिता विस्तार अधिकारी वि0ख0 छुईखदान को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।

नियुक्त प्राधिकारी अधिकारी जय भोले मत्स्य सहकारी समिति के पत्र दिनांक 30.07.2020 के माध्यम से अवगत कराया कि समिति की अन्य पक्षों की देनदारियां अधिक होने एवं समिति के पास पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से लीज की राशि जमा करने में सक्षम नहीं है।

उक्त से संचालक अवगत होते हुए पत्र दिनांक 14.08.2019 द्वारा उक्त समिति को पुनः 07 दिवस का समय दिया गया। परंतु प्राधिकृत अधिकारी जय भोले मत्स्य सहकारी समिति पैलीमेटा ने पत्र दिनांक 21.08.2019 को सूचित किया कि समिति के खाते में पर्याप्त राशि जमा नहीं होने के कारण अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया। संचालक के निर्देश अनुसार द्वितीय आवेदक गण्डई मछुआ सहकारी समिति को दिनांक 27.08.2019 द्वारा अनुबंध निष्पादित किया। प्रथम समिति जय भोले मत्स्य सहकारी समिति पैलीमेटा को पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा लीज की राशि जमा नहीं करने के कारण दूसरे समिति को आबंटित किया।

निष्कर्ष:- उपरोक्त समिति के सदस्यों एवं प्रशासक को समक्ष में सुना गया। साथ ही सहायक संचालक, मछलीपालन जिला-राजनांदगांव द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई का भी अवलोकन किया गया। जय भोले मत्स्य सहकारी समिति पैलीमेटा द्वारा सुरही जलाशय का आबंटन गण्डई मछुआ सहकारी समिति को दिये जाने से क्षुब्ध होकर माननीय जिला न्यायालय राजनांदगांव में याचिका दायर किया गया है जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.12.2020 नियत की गई है।

चूंकि प्रकरण माननीय जिला न्यायालय राजनांदगांव में विचाराधीन है, अतः प्रकरण पर अभिमत दिया जाना उचित नहीं होगा।

संलग्न:- मूलतः बयान कथन, प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेज।

(कौशलेन्द्र मिश्रा)

22/12/2020
(वाय0पी0दुपारे)
उप सचिव (जांच अधिकारी)
छत्तीसगढ़ शासन
मछलीपालन विभाग

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "उन्चालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 127) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2019-2020 में विकासखण्डवार रबि फसल का लक्ष्य एवं प्राप्ति की जानकारी

स.क.	विकासखंड	लक्ष्य (हे.में)	उपलब्धि			अन्य
			ग्रीष्म कालीन धान	मक्का	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	भकसतरा	9394.00	3632.00	668.00	4300.00	
2	बागमढ़	8352.00	2040.00	560.00	2600.00	
3	बलोदा	1776.00	160.00	80.00	240.00	
4	नवागढ़	20478.00	5240.00	1060.00	6300.00	
5	बम्हनीडीह	1496.00	1933.00	667.00	2600.00	
6	सबरी	3024.00	2.00	0.00	2.00	
7	जैजैपुर	6480.00	1748.00	0.00	1748.00	
योग :-		51000.00	14755.00	3035.00	17790.00	

प्रपत्र "ब"

रबी वर्ष 2019-20 राजस्व विभाग+कृषि विभाग द्वारा हस्ताक्षरित क्षेत्राउपादन का संयुक्त प्रतिवेदन जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

(इकाई हे. में)

स.क्र.	फसल का नाम	विकासखण्ड का नाम									योग जिला
		नयागढ़	बम्हनीडीह	जैजेपुर	पामनगढ़	अकलतरा	बलीदा	सक्ती	गालखरौदा	उमरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ											
1	मेंहें	435	360	1036	372	496	406	728	668	909	5410
2	मकका	1060	667	665	560	668	356	553	653	556	5738
3	मीथ धान	1396	895	2138	446	836	322	657	2079	1211	9980
योग :- अनाज		2891	1922	3839	1378	2000	1084	1938	3400	2676	21128
ब											
4	घना	272	263	62	115	58	59	134	82	65	1110
5	मटर	42	57	64	30	37	32	27	24	42	355
6	मूंग	120	112	105	86	85	87	119	69	229	1012
7	उड़द	96	87	240	65	68	67	177	65	240	1105
8	भिजिया	1768	1489	1441	1315	1336	1099	1082	990	980	11500
योग :- दलहन		2298	2008	1912	1611	1584	1344	1539	1230	1556	15082
स											
9	राई - सरस्ती	687	558	653	457	436	411	443	436	486	4570
10	अलसी	271	267	234	212	198	190	170	160	156	1858
11	कुसुम	68	70	47	46	38	42	34	30	35	410
12	सूर्यमुखी	40	36	33	31	29	27	26	24	29	275
13	मूंगफली	42	56	36	30	28	26	29	100	268	615
योग :- तिलहन		1108	937	1003	776	729	699	702	750	974	7728
14	गन्ना	3	5	2	0	2	0	1	0	7	20
15	सब्जी	207	295	602	110	220	155	194	384	708	2875
योग :-		210	300	604	110	222	155	195	384	715	2895
महायोग :-		6507	5217	7358	3875	4535	3282	4374	5764	5921	46833

रबी वर्ष 2019-20 राजस्व विभाग+कृषि विभाग द्वारा हस्ताक्षरित क्षेत्राउपादन का संयुक्त प्रतिवेदन
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

(रुपय में)

क्र.	क़स्बा का नाम	विस्तार/उपादन का प्रकार									योग जिला
		पट्टा	सकल/असकल	देवपुरा	पंचकट	असकल/पट्टा	सकल/असकल	सकल/असकल	सकल/असकल	सकल/असकल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ											
जमान											
1	कुं	435	360	1036	372	496	406	728	668	999	5410
2	सो	1050	667	665	560	664	356	553	653	556	5723
3	पंचकट	1396	895	2138	446	836	322	657	2079	1211	7720
	के अन्तर्गत	2591	1922	3839	1378	2000	1084	1938	3409	2676	21123
ब											
रस्तन											
4	कुं	272	263	62	115	55	59	134	32	65	1110
5	सो	42	57	64	10	37	32	27	24	42	355
6	पंचकट	120	112	105	25	55	57	119	69	229	1012
7	कुं	96	87	240	55	63	67	177	65	240	1105
8	कुं	1765	1483	1841	3375	1336	1079	1082	990	950	11500
	के अन्तर्गत	2295	2002	1912	3521	1534	1234	1539	1230	1156	15032
ग											
गिरन											
9	कुं	657	555	653	457	436	414	443	436	486	4570
10	सो	271	267	234	212	193	190	170	160	156	1353
11	पंचकट	68	70	47	45	33	32	34	30	35	410
12	कुं	40	36	33	37	29	27	26	24	29	275
13	सो	42	56	36	50	23	26	29	100	268	615
	के अन्तर्गत	1103	987	1003	775	729	679	702	750	974	7723
14	कुं	3	5	2	0	2	0	1	0	7	29
15	सो	207	205	602	110	220	155	194	184	703	2375
	के अन्तर्गत	210	200	604	110	222	155	195	184	715	2395
	सकल	6507	5217	7353	3875	4535	3282	4374	5764	5921	46333

A-113

[24 दिसम्बर, 2020

सर्वो क्षेत्र विस्तार हेतु विकासखण्डवार प्रस्तावित जायदाम रकम वर्ष 2020-21
जिला-जांजगीर चाँगा (छ.ग.)

स.क्र.	फसल का नाम	विकासखण्ड का नाम									योग जिला
		नवगढ़	बहनीडीह	जैजपुर	पद्मपुर	अकलतरा	बलोदा	सरली	मलमणिया	डमरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ											
1	गेहूँ	1910	1832	1760	1710	1690	1684	1810	1914	1920	16230
2	मकई	100	95	92	90	90	88	92	100	103	850
3	शीघ्र धान	900	1050	1000	830	850	700	950	1000	1150	8430
योग :- अनाज		2910	2977	2852	2630	2630	2472	2852	3014	3173	25510
ब											
4	चना	1421	1412	1425	1405	1403	1402	1413	1394	1423	12700
5	मटर	330	350	310	300	290	250	320	350	320	2820
6	मूंग	212	144	165	158	158	158	158	180	187	1520
7	उड़द	152	135	132	130	125	120	130	143	149	1216
8	तिवरा	1790	4518	4493	4452	4408	4355	4418	4755	4810	41000
योग :- दालहन		6905	6559	6525	6448	6384	6285	6439	6822	6889	59256
ग											
9	राई-सरसो	1386	1390	1380	1360	1345	1312	1356	1385	1396	12300
10	अलसी	1402	1412	1322	1302	1312	1189	1332	1407	1322	12000
11	कुरम	77	68	72	75	66	65	72	70	75	640
12	सूर्यमुखी	38	36	34	35	32	25	38	37	38	310
13	मूंगफली	227	220	200	180	170	160	220	218	250	1845
योग :- तिलहन		3130	3128	3008	2952	2915	2751	3015	3117	3081	27295
14	गन्ना	4	5	2	2	3	1	2	3	3	28
15	सब्जी	900	910	940	883	884	888	898	958	984	8250
योग :-		904	915	942	896	887	889	901	961	987	8276
महायोग		13849	13577	13327	12914	12816	12397	13297	13914	14130	120137

रबी क्षेत्र विस्तार हेतु विकासखण्डवार प्रस्तावित कार्यक्रम रबी वर्ष 2020-21
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

क्र.सं.	कृषि या पशु	विकासखण्ड वर क्षेत्र									योग
		मण्डल	बलसोरा	कोरेपुर	मण्डल	आखिल	बलसोरा	मण्डल	मण्डल	मण्डल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ	जनावन										
1	गेहूँ	1910	1832	1760	1710	1690	1684	1810	1914	1920	16230
2	मक्का	100	95	92	90	90	88	92	100	103	550
3	श्रीम धान	900	1050	1000	830	850	700	950	1000	1150	8430
	योग जनावन	2910	2977	2852	2630	2630	2472	2852	3014	3173	25510
ब	दलहन										
4	चना	1421	1412	1425	1405	1435	1402	1415	1394	1423	12700
5	मटर	330	350	310	300	290	250	320	350	320	2820
6	मूंग	212	144	155	158	158	153	158	180	187	1520
7	उड़द	152	155	132	130	125	120	130	143	149	1216
8	सिन्धु	4790	4518	4493	4453	4403	4355	4418	4755	4810	41600
	योग दलहन	6205	6569	6525	6446	6384	6225	6439	6522	6889	59256
स	मिश्रण										
9	गहूँ-सल्लो	1386	1390	1380	1360	1335	1312	1356	1385	1356	12300
10	अलसी	1402	1412	1322	1302	1312	1189	1332	1407	1322	12000
11	कुसुम	77	68	72	75	66	63	72	70	75	640
12	सूर्यमुखी	38	36	34	35	32	25	35	37	38	310
13	मूंगफली	227	220	200	180	170	160	220	218	250	1845
	योग मिश्रण	3130	3126	3008	2952	2915	2751	3015	3117	3081	27095
14	मूंग	4	5	2	2	3	1	3	3	3	26
15	सूर्यमुखी	900	910	940	888	834	838	892	958	984	8250
	योग	904	915	942	890	837	839	901	961	987	8276
	योग योग	1386	1357	1337	1316	1281	1239	1329	1394	1413	12017

2021

रबी क्षेत्र विस्तार हेतु विकासखण्डवार प्रस्तावित कार्यक्रम रबी वर्ष 2020-21
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

क्र.सं.	कृषि या पशु	विस्तार हेतु रबी क्षेत्र									योग
		समस्त	बलसोर	कोशीपुर	मण्डल	आसराज	सुपौल	सकरी	भालपुर	उमर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ. जनाव											
1	गेहूँ	1910	1832	1760	1710	1690	1684	1810	1914	1920	16230
2	मकस	100	95	92	90	90	88	92	100	103	850
3	श्रीम पान	900	1050	1000	830	850	700	950	1000	1150	8430
	योग जनाव	2910	2977	2852	2630	2630	2472	2852	3014	3173	25510
ब. दलहन											
4	चना	1421	1412	1425	1405	1435	1402	1415	1394	1423	12700
5	मटर	330	350	310	300	290	250	320	350	320	2820
6	मूंग	212	144	155	158	158	153	158	180	187	1520
7	उड़द	152	155	132	130	125	120	130	143	149	1216
8	सिन्डा	4790	4518	4493	4153	4403	4355	4418	4755	4810	41000
	योग दलहन	6205	6569	6525	6446	6384	6225	6439	6522	6889	59256
स. गिहहन											
9	गड-सल्लो	1386	1390	1380	1360	1335	1312	1356	1385	1396	12300
10	अलसी	1402	1412	1322	1302	1312	1189	1332	1407	1322	12000
11	कुसुम	77	68	72	75	66	65	72	70	75	640
12	सूर्यमुखी	38	36	34	35	32	25	35	37	38	310
13	मूंगफली	227	220	200	180	170	160	220	218	250	1845
	योग गिहहन	3130	3126	3008	2952	2915	2751	3015	3117	3081	27095
14	सोया	4	5	2	2	3	1	3	3	3	26
15	संझी	900	910	940	888	884	838	898	958	954	8250
	योग	904	915	942	890	887	839	901	961	957	8276
	योग योग	13849	13577	13377	12918	12816	12397	13297	13914	14130	110137

2021

रबी क्षेत्र विस्तार हेतु विकासखण्डवार प्रस्तावित कार्यक्रम रबी वर्ष 2020-21
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

(रकबा हे. में)

क्र.	प्रस्तावित कार्य का नाम	विकासखण्ड का नाम									योग जिला
		सकल	सकल	पैपेपुर	सकल	अकलतम	सकल	सकल	सकल	सकल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ	प्रधान										
1	गेहूँ	1910	1817	1780	1710	1720	1639	1810	1914	1920	16230
2	मकई	100	98	92	90	90	88	92	100	103	850
3	श्रीधर पान	900	1030	1000	830	850	700	950	1000	1150	8430
	योग आनाम	2910	2977	2852	2630	2630	2472	2852	3014	3173	25510
ब	दलहन										
4	चना	1421	1412	1425	1405	1403	1402	1413	1394	1423	12700
5	मटर	330	350	310	300	290	250	320	350	320	2820
6	मूँग	212	144	165	158	158	158	158	180	187	1520
7	उडद	152	135	132	130	125	120	130	143	149	1216
8	तिलडा	4790	4518	4493	4453	4408	4355	4418	4755	4810	41000
	योग दलहन	6905	6589	6525	6446	6384	6285	6439	6822	6889	59256
ग	तिलहन										
9	राई-सरसी	1386	1390	1380	1360	1335	1312	1356	1385	1395	12300
10	अलसी	1402	1412	1322	1302	1312	1189	1332	1407	1322	12000
11	कुसुम	77	68	72	75	66	65	72	70	75	640
12	सूर्यमुखी	38	36	34	35	32	25	35	37	38	310
13	सूंगफली	227	220	200	180	170	160	220	218	250	1845
	योग तिलहन	3130	3126	3008	2952	2915	2751	3015	3117	3081	27095
14	गन्ना	4	5	2	2	3	1	3	3	3	26
15	सब्जी	900	910	940	888	884	888	898	958	984	8250
	योग	904	915	942	890	887	889	901	961	987	8276
	महायोग	13849	13577	13327	12918	12816	12397	13207	13914	14130	120137

परिशिष्ट "चालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 155) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2020-21 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत पंजीकृत कृषकों की ग्रामवार जानकारी

क्र.	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य क्षेत्र में शामिल ग्राम का नाम	पंजीकृत किसानों की संख्या
1	2	3	4	5
1			खैजा	371
2			बेलटुकरी	133
3			कोलिहादेवरी	102
4			बोकरेल	173
5			टिगीपुर	42
6			पुरना	127
7			देवरी	119
8			कंडरा	182
9			खिसोरा	301
10			नवगवां	238
11			कुरमा	155
12			बगडवरी	86
13			नवापारा ख	120
14			लेवाई	157
15			डोगीपंन्ही	51
16			मधवाईपुर	64
17			पतौरा	210
18			बकसरा	92
19			हेडसपुर	141
20			अंगारखर	89
21	33	अकलतरा	छीतापाली	53
22			करमा	61
23			खारी	71
24			गतवा	131
25			केराकछार	92
26			कोरबी	207
27			अचानकपुर	50
28			काठापाली	25
29			डोंगरी	355
30			विरगहनी	100
31			बुडगहन	235
32			पनौरा	55
33			कटरा	32
34			हरदी विशाल	157
35			भिलाई	147
36			झरडीह	2
37			सानवरसा	53
38			बलौदा	631
39			ठडगावहरा	54
40			भावर	6
41			अमलीभाठा	4

क्र.	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य क्षेत्र में शामिल ग्राम का नाम	पंजीकृत किसानों की संख्या
1	2	3	4	5
42			वरभाठा	3
43			मोहदा	105
44			जुनाडीह	102
45			चारपारा	248
46			शनिचराडीह म	40
47			ढोरला	106
48			बछोद	108
49			सुल्ताननार	125
50			नवापारा	107
51			जर्वे व	395
52			उसलापुर	48
53			ओराईकला	392
54			ओराईखुर्द	132
55			खोहा	91
56			जावलपुर	533
57			झपेली	38
58			बैलदिया डीह	17
59			रसौटा	219
60			पोंच	149
61			दहकोनी	110
62			भैंसतरा	286
63	33	अकलतरा	करहीडीह	104
64			पचरी	111
65			जुमीहदरी	89
66			वम्हनीन	146
67			नवापारा	76
68			बरबसपुर	60
69			बिरकोनी	123
70			सरईपाली	36
71			सुवरमाल	81
72			साजापाली	82
73			हरदी	426
74			दभामी	41
75			करमंदा	196
76			खरमाण	36
77			मादायद	43
78			घाहादही	20
79			नवागाव	128
80			परसदा	156
81			परसाभाठा	42
82			पहरिया	223
83			वैजलपुर	103
84			वोकरामुड़ा	128

क्र.	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य क्षेत्र में शामिल ग्राम का नाम	पंजीकृत किसानों की संख्या
1	2	3	4	5
85			सतीगुड़ी	48
86			जलमला	466
87			पकरिया	344
88			अकलतरा	560
89			किरारी	500
90			अमर्ताल	285
91			गढोला	94
92			लिलयादी	10
93			खिसोरा	190
94			कटघरी	287
95			परसाही नाला	166
96			कोटगढ़	243
97			बाना	198
98			पंडरिया	203
99			परसाही बाना	170
100			कटनायी	111
101			कापन	484
102			खपरी डीह	75
103			देवरी	131
104			मौहा डीह	122
105			सोनई डीह	173
106	33	अकलतरा	लिलवा डीह	38
107			बरगवा	188
108			खटोला	181
109			खोंड	176
110			महांदपुर	58
111			तिलाई	646
112			तागा	471
113			मुड़पार	177
114			परसदा	109
115			घनवा	93
116			घोर भट्टी	356
117			पौना	385
118			मुर्लिकंजी	124
119			खपरी	395
120			जोगीडीपा	187
121			पोंडी	712
122			पचरी	35
123			सोनादुला	141
124			चंदनिया	135
125			पिपर्दा	107
126			चंगोरी	194
127			अमली पाली	59

264

क्र.	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य क्षेत्र में शामिल ग्राम का नाम	पंजीकृत किसानों की संख्या
1	2	3	4	5
128	33	अकलतरा	सोनडीह	28
129			दलहा दमामी	1
130			करुमहू	348
131			अर्जुनी	468
132			परसदा	253
133			पकरिया	192
134			रसेदा	375
135			लटिया	204
136			दर्सी टांड	84
137			कल्यानपुर	208
138			नरियरा	917
139			सोनसरी	320
140			आरास मेटा	96
141			बनाहिल	108
142			तरोद	233
143			रोगदा	132
144			मुरली डीह	376
145			अमोरा	385
146			नवापारा	70
147			कोटमी	830
148			अमेरी	18
149	अकलतरी	255		
150	पिपर्सति	553		
151	मधुवा	181		
152	झिरियो	52		
153	सांकर	323		
154		फरहदा	188	
योग				28303

परिशिष्ट "इकचलीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 211) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

कोरिया जिला अंतर्गत सिंचाई योजना से सिंचित रकबा

क्र. सं.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	विकास खण्ड	योजना का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता			सिंचाई सुविधा ले रहे किसानों की संख्या	सिंचित रकबा (हे० में)	नहरों की वर्तमान स्थिति	स्तूप गेट की स्थिति	मरम्मत की आवश्यकता है अथवा नहीं	मरम्मत की आवश्यकता है तो कब तक मरम्मत किया जायेगा	टिप्पणियाँ
					खरीफ	रबी	योग							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कोरिया	भरतपुर-सोनहत	मनेन्द्रगढ़	घुटरा डायवर्सन	190	73	263	0	0	अधूरा है।	ठीक है।	आवश्यक है।	30-06-2021	येन ज० 141 से 60 मी० में कड़ी पत्थर की कटाई शेष है। योजना का पुनर्गठित प्रशासकीय स्वीकृति रू० 523.43 लाख का शासन के पास विद्यमान है।
2	कोरिया	भरतपुर-सोनहत	मनेन्द्रगढ़	विहीनाला डायवर्सन	100	60	160	0	0	अधूरा है।	ठीक है।	आवश्यक है।	30-06-2021	कलेक्टर सेक्टर के अंतर्गत रू० 45.00 लाख का प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
3	कोरिया	भरतपुर-सोनहत	मनेन्द्रगढ़	सिरियाखोह डायवर्सन	200	100	300	25	20	ठीक है।	ठीक है।	नहीं है।	-	नहर सफाई की आवश्यकता है।
4	कोरिया	भरतपुर-सोनहत	सोनहत	बदरा जलाशय	342	0	342	76	110	मरम्मत योग्य है।	ठीक है।	आवश्यक है।	30-06-2021	वर्तमान में नहर 3 कि.मी. तक ठीक है। शेष नहर का मरम्मत कार्य नवीन मद मे वर्ष 2020-21 में प्राक्कलन मंत्रालय स्तर पर विद्यमान है। नहर सुधार हेतु रू० 3.47 लाख की मनरेगा अंतर्गत कलेक्टर कोरिया से स्वीकृति प्राप्त है। नहर सुधार कार्य प्रगति पर है।
5	कोरिया	भरतपुर-सोनहत	भरतपुर	मंजनीमांटी डायवर्सन	120	180	300	24	40	ठीक है।	ठीक है।	नहीं है।	आवश्यक नहीं	-
6	कोरिया	भरतपुर-सोनहत	भरतपुर	शैलापटपर डायवर्सन	250	150	400	0	0	-	-	-	-	नहर का कार्य प्रगति पर है।

स0 क0	जिला	विधानसभा क्षेत्र	विकास खण्ड	योजना का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता			सिंचाई सुविधा ले रहे किसानों की संख्या	अधिकृत एकड़ (हे० में)	नहरों की वर्तमान स्थिति	रस्तों की स्थिति	मरम्मत की आवश्यकता है अथवा नहीं	मरम्मत की आवश्यकता है तो कब तक मरम्मत किया जायेगा	टिप्पणियाँ
					खरीफ	रबी	ग्रीष्म							
7	कोरिया	भरतपुर-सो नहत	भरतपुर	विद्युत-सिंचाई कार्यक्रम	242	197	439	0	0	-	-	-	-	नहर कार्य हेतु एकीकी निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना है।
8	कोरिया	भरतपुर-सो नहत	सोमवहत	किसांरी जलाशय	80	56	136	54	80	ठीक है	ठीक है।	-	-	
9	कोरिया	भरतपुर-सो नहत	भरतपुर	सीकोरिया जलाशय	120	160	280	0	0	-	-	-	-	नहरों की क्षमता में सुधार है।
10	कोरिया	भरतपुर-सो नहत	भरतपुर	तरतारा जलाशय	69	96	165	54	52	ठीक है	मरम्मत योग्य है।	आवश्यक है।	15-06-2021	बन के अलग स्तंभ में मरम्मत की आवश्यकता है।
11	कोरिया	श्रीकृष्णपुर	खडगवा	अजन्नी जलाशय	665	463	1128	153	500	ठीक है	नवीन रस्तों निर्माण की आवश्यकता है।	आवश्यक है।	30-06-2021	अजन्नी जलाशय में शक्ति सिंचाई की गई है वर्तमान में अति सूखे के कारण रस्तों क्षतिग्रस्त होने के कारण आगामी सिंचाई दिया जाना संभव नहीं है। सुधार पश्चात् आगामी सिंचाई किया जा सकेगा।

परिशिष्ट "बयालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 3181) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोण्डागांव जिले में शासकीय एवं निजी मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्रों की जानकारी

क्र.	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र / मत्स्य पालक का नाम	पता	संचालित वर्ष	अभियुक्ति
01	02	03	04	05
1	शासकीय संस्था			
	1. मत्स्य बीज प्रक्षेत्र कोपाबेडा	कोपाबेडा, कोण्डागांव	1991-92	—
	2. मत्स्य बीज संवर्धन केन्द्र केशकाल	बोरगांव, केशकाल	1997-98	—
2.	निजी संस्था			—
	1. गोपाल मत्स्य बीज केन्द्र बोरगांव	बोरगांव , फरसगांव	2015-16	—
	2. जीवन मत्स्य बीज केन्द्र बोरगांव	बेरगांव, फरसगांव	2009-10	—
	3. बालाजी फिश सीड, जुगानी कलार	जुगानी कलार फरसगांव	2011-12	—

प्रपत्र "ब"

शासकीय मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य, उपलब्धि एवं मत्स्य बीज विक्रय से आय की जानकारी

क्र.	प्रक्षेत्र का नाम	विवरण	वर्षवार मत्स्य बीज उत्पादन							
			2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
			लक्ष्य	उप०	लक्ष्य	उप०	लक्ष्य	उप०	लक्ष्य	उप०
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
01	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र कोपाबेडा कोण्डागांव	स्नान	700	812	800	801	750	830	750	960
		स्टे०फाई	65	68.50	65	71.15	65	73.65	66	68.77
02	मत्स्य बीज संवर्धन केन्द्र बोरगांव केशकाल	स्टे०फाई	30	32.00	30	32.70	30	30.20	31	33.15
मत्स्य बीज विक्रय से आय (राशि रु. लाख में)			11.37		10.04		12.64		12.60	

परिशिष्ट "तिरालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 382) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

वर्ष 2017-18 से 01 दिसंबर, 2020 तक संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा भू-जल संरक्षण हेतु निर्मित चेकडेम का वर्षवार, स्थानवार, लागतवार, सिंचित रकबा, मरम्मत योग्य होने की आवश्यकता संबंधी जानकारी का विवरण

वर्ष	विकासखंड	ग्राम का नाम	चेकडेम लागत राशि (लाख में)	सिंचित रकबा (हेक्टेयर)	मरम्मत की आवश्यकता
2017-18	गुरुर	अलोरी-1	9.58	9.15	वर्तमान में किसी भी चेकडेम के मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
		अलोरी-2	7.92	7.18	
2018-19	बालोद	डेंगरापार-1	14.93	15.03	
2019-20	गुरुर	ओड़नाडीह-1	13.73	12.35	
	बालोद	डेंगरापार-2	15.00	15.13	
		डेंगरापार-4	15.00	15.53	
कुल				74.37	
2020-21 (01.12.2020 तक)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	

टीप :- कृषि विभाग द्वारा स्टाप डेम का निर्माण नहीं किया जाता है।

परिशिष्ट "चौवालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 432) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जनवरी 2019 से दिनांक 15-12-2020 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण क्षेत्र विकास (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)
योजनांतर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	परियोजना क्रमांक/नाम	कार्य का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	हितग्राही/ कार्य स्थल का विवरण		लागत प्रति इकाई	व्यय राशि	कार्य एजेंसी का नाम	सिंचित क्षेत्र (हे.)	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)
					हितग्राही/कार्यस्थल	लाभावित कृषकों की संख्या					
1	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	ललितपुर	जगदेव/सोभा राम के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.28	9.35
2	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	ललितपुर	प्रदीप/मनबोध के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	8.29
3	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	ललितपुर	भीखराम/अलूराम के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.29	11.30
4	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	हेलारियुस/ललूराम के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.33	12.54
5	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	ब्रेलजोरा	सोनेश्वर/हसनूराम के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	13.10
6	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	ललितपुर	कपिलराम/सोमारू के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.22	9.41
7	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	ललितपुर	सुखन/क्युरु के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.26	13.07
8	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	फुलसाय/मेलाराम के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	13.12
9	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	मंत्री/खसरू के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.29	9.25
10	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	जुगराम/मंत्रीराम के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.33	11.21
11	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	सुरेन्द्र/बालसाय के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	13.10
12	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	मुशी/बुढनसाय के निजि भूमि पर	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.33	12.63
13	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	आगों/तुपु के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	9.75
14	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	मगलसाय/मनबोध के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.22	10.81
15	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	एलिस्वा/करमेल के निजि भूमि पर	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.26	13.08
16	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	धरमपुर	झायवर/बीरसाय के निजि भूमि पर	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	11.85
17	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	भुसू	रामभगत/महाजन के खेत में	1	1.96	1.96	जलग्रहण समिति	0.29	12.70
18	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	भुसू	रघुवीर मोहर/बहादूर के खेत में	1	1.97	1.97	जलग्रहण समिति	0.22	10.54
19	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	भुसू	कमलेश्वर/समिल के खेत में	1	1.94	1.94	जलग्रहण समिति	0.25	9.87

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	परियोजना क्रमांक/नाम	कार्य का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	हितग्राही/ कार्य स्थल का विवरण		लागत प्रति इकाई	व्यय राशि	कार्य एजेंसी का नाम	सिंचित क्षेत्र (ह.)	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)
					हितग्राही/ कार्यस्थल	लाभान्वित कृषकों की संख्या					
20	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	बेलजोरा (सुरेशपुर)	रविन्द्र गुप्ता/रामकरण के खेत में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.33	11.62
21	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	खड़ादोरना	तेरसा कुजूर/जीवधन राम के खेत में	1	2.00	1.49	जलग्रहण समिति	0.22	6.47
22	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	खड़ादोरना	विजय तिकी/मंत्रीराम के खेत में	1	2.00	1.69	जलग्रहण समिति	0.22	11.52
23	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-12	डबरी निर्माण	सुरेशपुर	तुलादेवी/सालिक राम के खेत में	1	2.00	1.82	जलग्रहण समिति	0.24	9.90
24	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	धनसाय/बोक्के के निजि भूमि में	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.28	9.30
25	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	मानसाय/वीरसाय के निजि भूमि में	1	2.00	1.70	जलग्रहण समिति	0.20	8.50
26	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	सुन्दरी/चन्दकेश्वर के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.29	10.71
27	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	दोले/धुनु के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.33	14.15
28	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	सुखरा/देवार के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	11.56
29	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	जमुना/बरेला के निजि भूमि में	1	2.00	1.94	जलग्रहण समिति	0.22	14.22
30	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	जगमनी/बिहानु के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.26	12.42
31	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	डनिया/घुनु के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	9.65
32	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	लिचिरमा	झुलेश्वर/बुढा	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.28	9.35
33	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	लिचिरमा	तेंदूबहला के पास भाग 01 हिरालाल	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.27	8.29
34	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	लिचिरमा	तेंदूबहला के पास भाग 02 सावन, अकबर	2	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.29	11.30
35	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	लिचिरमा	काटा कोन्दा/टीनु के निजि भूमि में	1	2.00	1.97	जलग्रहण समिति	0.33	12.54
36	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	गुतुरमा	दिलेश्वर/सत्तराम के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	13.10
37	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	गुतुरमा	भोला गुप्ता/रंगलाल के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.22	9.41
38	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	अमृत/पुनई के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.26	15.07
39	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	रूपसाय/नान के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	18.12
40	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	फुलसाय/मोहर के निजि भूमि में	1	2.00	1.98	जलग्रहण समिति	0.29	9.25
41	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	मनोहर/रूपसाय के निजि भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.33	11.21
42	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	धनीराम/हिरासाय के निजि भूमि में	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.25	8.47
43	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	उलकिया	पोलुस/खोरसो के निजि भूमि में	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.33	7.82
44	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	पेटला	सरस्वती/हीरालाल के निजि भूमि में	1	2.00	1.66	जलग्रहण समिति	0.25	9.75

A-127

[24 दिसम्बर, 2020]

क्र	विधानसभा क्षेत्र का नाम	परियोजना क्रमांक/नाम	कार्य का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	हितग्राही/ कार्य स्थल का विवरण		लागत प्रति इकाई	व्यय राशि	कार्य एजेंसी का नाम	सिंचित क्षेत्र (हे.)	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)
					हितग्राही/ कार्यस्थल	लाभान्वित कृषकों की संख्या					
45	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	पेटला	विजय/मानसाय के निजी भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.27	10.81
46	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	पेटला	अजय/मानसाय के निजी भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.26	13.19
47	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-13	डबरी निर्माण	पेटला	जयसिंह/झुनू के निजी भूमि में	1	2.00	1.59	जलग्रहण समिति	0.25	11.85
48	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-17	डबरी निर्माण	बंशीपुर	मसीह/मिला के निजी भूमि	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	12.70
49	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-17	डबरी निर्माण	बंशीपुर	भीखा/बिदो के निजी भूमि	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.29	10.54
50	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-17	डबरी निर्माण	बंशीपुर	कोरवापारा शासकीय भूमि पुनित, दशरू	1	3.00	3.00	जलग्रहण समिति	0.39	9.87
51	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-17	डबरी निर्माण	बंशीपुर	चिमटापानी शासकीय भूमि दुबे, नन्दलाल	1	3.00	3.00	जलग्रहण समिति	0.39	11.62
52	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-17	डबरी निर्माण	केरजू	बाजमुडा शासकीय भूमि सोहन, जंगुआ	1	3.00	3.00	जलग्रहण समिति	0.25	15.25
53	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-18	डबरी निर्माण	बिसरपानी	स्कूलपारा शासकीय भूमि रामूराम	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.28	9.12
54	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-18	डबरी निर्माण	करम्हा	जुनापानी शासकीय भूमि रामलखन	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.25	11.87
55	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-18	डबरी निर्माण	सरभंजा	सरई किरवा शासकीय भूमि नरेन्द्र सिंह	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.29	13.20
56	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-18	स्टॉप डेम	असगवां	शासकीय भूमि कमलसाय, तेजकुमार, प्रवीश, दिलीप एवं मंगलसाय	6	11.95	11.95	जलग्रहण समिति	7.47	18.33
57	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-18	स्टॉप डेम	सुपलगा	शासकीय भूमि गोपाल, राजकुमार, हिरालाल, जगरोतन, बलराम	5	12.00	11.64	जलग्रहण समिति	8.12	21.54
58	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-18	डबरी निर्माण	पैगा	बिजोरा शासकीय भूमि बालेश्वर एवं जतन	2	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.22	14.13
59	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-18	डबरी निर्माण	पैगा	मिखाईल एक्का के निजी भूमि	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.26	11.56
60	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-18	डबरी निर्माण	लुरैना	बेसलहिया शासकीय भूमि दूनू, लक्ष्मीसिंह	2	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	14.22
61	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	नैनसिंह के निजी भूमि, खूंटझेराडांड	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.33	12.42
62	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	मधु पिता बोधन के निजी भूमि, झंझरीडांड	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.25	9.65
63	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	बउली पुत्री जगु के निजी भूमि	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.22	9.75
64	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	उदय कुमार के निजी भूमि	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.26	10.81

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	परियोजना क्रमांक/ नाम	कार्य का नाम	ग्राम/ पंचायत का नाम	हितग्राही/ कार्य स्थल का विवरण		लागत प्रती इकाई	व्यय राशि	कार्य एजेंसी का नाम	सिंचित क्षेत्र (हे.)	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)
					हितग्राही/कार्यस्थल	लाभान्वित कृषकों की संख्या					
65	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	बब्लू पिता मंगला सिंह के निजी भूमि	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	13.19
66	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	मधु पिता सुखराम के निजी भूमि	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.33	11.85
67	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	शासकीय भूमि राजन	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.22	12.70
68	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	चेकडेम/ स्टॉप डेम	बरगई	भण्डार टिकरा नाला (मेथीबाई के खेत के पास) मानसाय, देववरन, प्रसाद, बुटनदास, चमरूदास, पूरन, कलिन्दर, आनन्द	8	10.54	10.53	जलग्रहण समिति	7.53	17.22
69	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	परसाद पिता बुढऊ के निजी भूमि	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.24	9.87
70	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	शासकीय भूमि, दरौपारा सोमू सिंह, दूहन	2	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.28	11.62
71	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	राजेश पिता कुंदरू के निजी भूमि	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.20	6.47
72	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	लालचंद पिता नानसाय के निजी भूमि	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.29	7.12
73	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	नानदमाली	धर्मसिंह के निजी भूमि	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.35	11.71
74	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	नानदमाली	पणाम कुमारी के निजी भूमि	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.25	9.30
75	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	रकेली	गांगझरिया शासकीय भूमि 1 रामचन्द्र पोर्त	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.29	8.50
76	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	नवानगर	सुखदेव के निजी भूमि	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.33	10.71
77	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	नावापारा	बहादूर के निजी भूमि	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.25	14.13
78	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	अडवी	जगमोहन के निजी भूमि	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.28	11.56
79	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	उपित/समयसिंह के निजी भूमि में	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.23	14.22
80	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	राजेश/कुंदरू 1 के निजी भूमि में	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.21	12.42
81	सीतापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	फार्म पोण्ड	बरगई	लालचंद/नानसाय 1 के निजी भूमि में	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.26	9.65
82	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-15	स्टॉप डेम	भकुरमा	सागर नाला इन्द्रसेन के खेत के पास खेलसाय, रोहन, अमृतलाल, नोहरसाय, चमरूराम, पिताम्बर	6	12.83	12.82	जलग्रहण समिति	9.23	19.52

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	परियोजना क्रमांक/नाम	कार्य का नाम	ग्राम, पंचायत का नाम	हितिगोहा / कार्य स्थल का विवरण		जमीन प्रति एकड़	खर्च लाखों में	कमल एजेंसी का नाम	प्रति व्यक्ति खर्च (₹)	फसल उत्पादन (प्रतिशत में)
					हितग्राही/कार्यस्थल	लाभान्वित कृषकों की संख्या					
83	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-15	फार्म पोण्ड	भकुरमा	पुन्डू पिता जुगरू के निजी भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	8.29
84	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-15	फार्म पोण्ड	भकुरमा	भागुड/पेरता के निजी भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.29	11.30
85	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-15	फार्म पोण्ड	भकुरमा	दिलसाय के निजी भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.25	12.54
86	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-15	फार्म पोण्ड	भकुरमा	कामेश्वर/छोटा के निजी भूमि में	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.28	13.10
87	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-15	स्टॉप डेम	भकुरमा	कमलसाय के खेत के पास शनिचरवा, कोठर, सोनेश्वर, कमलसाय, राजेन्द्र राम	6	12.89	12.87	जलग्रहण समिति	8.19	18.25
88	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-15	फार्म पोण्ड	भकुरमा	पीलीबाई के निजी भूमि पर	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.23	15.07
89	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-15	फार्म पोण्ड	भकुरमा	सोमारू के निजी भूमि पर	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.21	18.12
90	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-15	फार्म पोण्ड	भकुरमा	बसंती बाई के निजी भूमि पर	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.26	9.25
91	अम्बिकापुर	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	पक्की नाली निर्माण 250 मी.	जयपुर	चौहकाडाड में NGGB अंतर्गत ललितकुमार, तिहारसाय, रामजीत, सहादूर बहादूर, सुरेश, नरेश, धनेश्वर	8	6.50	6.39	जलग्रहण समिति	2.56	16.72
92	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	स्टॉप डेम	कोटेया	तिलाई डबरा नाला बेसाही, हरतसिंह, रसिया, भजन सिंह	4	13.23	13.22	जलग्रहण समिति	9.11	23.21
93	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-16	वेकडंग/स्टॉप डेम	कोटेया	बेलमुडा नाला (सिद्धार्थ सिंह के खेत के पास)	5	13.21	13.19	जलग्रहण समिति	9.21	25.62
94	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-19	डबरी निर्माण	जरहाडीह	प्रसादी के निजी भूमि	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.26	9.75
95	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-19	डबरी निर्माण	जरहाडीह	मिलन के निजी भूमि	1	2.00	1.98	जलग्रहण समिति	0.29	10.81
96	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-19	डबरी निर्माण	जरहाडीह	गोविन्द के निजी भूमि	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.28	13.19
97	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-19	डबरी निर्माण	जरहाडीह	इंदल के निजी भूमि	1	2.00	1.99	जलग्रहण समिति	0.25	11.85
98	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-19	डबरी निर्माण	जरहाडीह	भुईरादास के निजी भूमि	1	2.00	1.98	जलग्रहण समिति	0.29	12.70
99	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-19	डबरी निर्माण	जरहाडीह	बुधसाय के निजी भूमि	1	2.00	2.00	जलग्रहण समिति	0.35	10.54
100	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-19	स्टॉप डेम	सायरसाई	शासकीय भूमि लहनदास, सहनदास, राजेन्द्र सिंह, गरुण सिंह, मंगलसाय	5	13.00	12.99	जलग्रहण समिति	6.86	22.41
101	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-19	स्टॉप डेम	चोरकीडीह	शासकीय भूमि लैलाराम, नादी, महेश, टेपा, इलबल, शोभनाथ	6	11.00	10.99	जलग्रहण समिति	7.41	20.50
102	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	टपरकेला	भरतसिंह के निजी भूमि	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.22	9.47
103	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	टपरकेला	सुरेन्द्र सिंह के निजी भूमि	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.26	10.12

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	परियोजना क्रमांक/नाम	कार्य का नाम	ग्राम/पंचायत का नाम	हितग्राही/ कार्य स्थल का विवरण		लागत प्रति इकाई	व्यय राशि	कार्य एजेंसी का नाम	सिंचित क्षेत्र (हे.)	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)
					हितग्राही/कार्यस्थल	लाभान्वित कृषकों की संख्या					
104	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	लवईडीह	चिरंग के निजी भूमि	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.25	11.82
105	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	अर्द्धन डेम	मोहनपुर	अजगरडांड नाला शासकीय भूमि गोविन्द एवं अमृत	2	13.24	12.42	जलग्रहण समिति	1.23	12.23
106	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	अर्द्धन डेम	मोहनपुर	देवार ढाब नाला में धरमसाय एवं ताबेरुबड़ा	2	2.34	1.88	जलग्रहण समिति	0.48	3.42
107	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	मोहनपुर	देवार ढाब में राजकुमार	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.22	10.71
108	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	अर्द्धन डेम	तिहपटरा	घिटकवानी नाला शासकीय भूमि खोरईदास एवं सुखसाय	2	13.24	13.00	जलग्रहण समिति	1.33	17.25
109	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	तिहपटरा	सुधन के निजी भूमि में	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.28	11.56
110	लुण्डा	आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14	डबरी निर्माण	तिहपटरा	बुधना के निजी भूमि में	1	2.00	1.96	जलग्रहण समिति	0.20	14.22
योग						166	342.85	337.79		104.61	12.15

परिशिष्ट "पैंतालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 433) के भाग (क) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र लुण्डा अंतर्गत रेडी टू ईट निर्माण कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी

क्र०	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाल विकास परियोजना का नाम	रेडी टू ईट संचालनकर्ता महिला स्व सहायता समूह का नाम
1	2	3
1	लुण्डा	महामाया स्व सहायता समूह लुण्डा
	लुण्डा	मरियम स्व सहायता समूह उपरपोड़ी
	लुण्डा	महामाया स्वसहायता समूह सहनपुर
	लुण्डा	द्वीप स्व सहायता समूह डकई
	लुण्डा	संतोषी स्वसहायता समूह गंगापुर
	लुण्डा	महिला स्व सहायता समूह झेराडीह-2
	लुण्डा	गुलाब स्वावलंबी स्व सहायता समूह-ककनी
	लुण्डा	खुशनुगा स्व सहायता समूह बिल्हमा
2	लखनपुर	शक्ति नारी सम्बल महिला स्व सहायता समूह जूना लखनपुर
	लखनपुर	बग्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह पतराटोली सलका
	लखनपुर	जय लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह चुकनडांड
	लखनपुर	संस्कृति महिला स्व सहायता समूह करई जमदरा
	लखनपुर	बेला महिला स्व सहायता समूह लोसगा
	लखनपुर	एकता महिला स्व सहायता समूह लखनपुर
3	अम्बिकापुर (शहरी)	गायत्री बचत साख समिति मायापुर
4	अम्बिकापुर (ग्रामीण)	अराधना महिला स्व सहायता समूह गोधनपुर
	अम्बिकापुर (ग्रामीण)	वैष्णवी स्व सहायता समूह नवापारा
	अम्बिकापुर (ग्रामीण)	शीतला स्व सहायता समूह डिगमा
	अम्बिकापुर (ग्रामीण)	राशिका महिला बचत स्व सहायता समूह तकियापारा
	अम्बिकापुर (ग्रामीण)	देवश्री महिला स्व सहायता समूह श्रीगढ़
	अम्बिकापुर (ग्रामीण)	सीता स्व सहायता समूह भिट्ठीकला
5	दरिमा अम्बिकापुर-2	जागृति स्व सहायता समूह बकालो
	दरिमा अम्बिकापुर-2	ज्योति बचत समूह कतकालो
	दरिमा अम्बिकापुर-2	माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, शिकारी रोड अम्बिकापुर
	दरिमा अम्बिकापुर-2	संजीवनी स्व सहायता समूह नवागढ़ अम्बिकापुर
	दरिमा अम्बिकापुर-2	ज्वाला महिला बचत समूह रकली

परिशिष्ट "छियालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 440) की जानकारी]

खरीफ वर्ष 2020 में फसलों के बीजों के असफल होने के कारण फसल खराब होने की सही पाई गयी शिकायतों एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का जिलावार-फसलवार विवरण

क्र.	जिला	फसल	शिकायत का विवरण	बीज आपूर्तिकर्ता संस्था	शिकायत पर की गई कार्यवाही	प्रदाय क्षतिपूर्ति का विवरण		
						कृषक संख्या	क्षतिपूर्ति में प्रदाय बीज मात्रा (क्वि.)	क्षतिपूर्ति में प्रदाय राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	धान (हायब्रिड)	समय पूर्व पकने के समय में	जिला प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. जोरा रायपुर	उप संचालक कृषि, जिला-रायपुर द्वारा गठित दल द्वारा शिकायत सही पाई गई। उक्त बीज को परीक्षण हेतु इ.गां.कृ.वि.वि. रायपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसके परीक्षण परिणाम अनुसार हाईब्रिड धान बीज नहीं होने बाबत अवगत कराया गया। इस संबंध में जिला प्रबंधक छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर को कृषकों को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदाय करने के संबंध में उचित कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। किसानों को तत्काल राहत के रूप में प्रतिपूर्ति के रूप में बीज प्रदाय किया गया है।	109	15	
2	दुर्ग	सोयाबीन	बीज में अंकुरण नहीं होने बाबत	सहकारी विपणन समिति मर्या. धमधा जिला दुर्ग एवं जिला प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रुवांबांधा	जिला स्तरीय गठित समिति से जांच उपरान्त शिकायत सही पाये जाने पर बीज निगम के नियमानुसार बीज मूल्य की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय किया गया है।	29	0	4.23
3	बेमेतरा	सोयाबीन	अंकुरण कम/नही	बीज प्रक्रिया केन्द्र पथर्रा	बीज के मूल्य के बराबर की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई है।	96	0	10.85
4	राजनांदगांव	सोयाबीन	अंकुरण कम होना	बीज प्रक्रिया केन्द्र, राजनांदगांव	बीज निगम के नियमानुसार बीज के मूल्य के बराबर की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई।	8	13.5	0.82
5	कवीरधाम	सोयाबीन	अंकुरण कम होना	बीज प्रक्रिया केन्द्र, घोटिया	बीज निगम के नियमानुसार बीज के मूल्य के बराबर की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई।	405	0	25.78
6	मुंगेली	सोयाबीन	अंकुरण नहीं होना	बीज प्रक्रिया केन्द्र धरमपुरा जिला मुंगेली	बीज निगम के नियमानुसार बीज के मूल्य के बराबर की राशि बीज निगम द्वारा कृषकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई।	11	0	2.65

परिशिष्ट "सैंतालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 518) के भाग (क) की जानकारी]

बजट में स्वीकृत सूक्ष्म सिंचाई योजना की स्थिति

स. क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		निर्माण एजेंसी	कार्य को कब तक पूरा किया जाना था	कार्य की अद्यतन स्थिति (प्रतिशत पूर्णता)	पूर्ण नहीं होने के कारण	कब तक पूरा हो जाएगा
		राशि (रु. लाख में)	दिनांक					
1	कोडेबोड सूक्ष्म सिंचाई योजना (जिला धमतरी)	2637.45	07.07.2017	जैन ईरिगेशन सिस्टम लिमिटेड	23.07.2020	25%	कोविड-19 महामारी	जनवरी 2022
2	दुलना सूक्ष्म सिंचाई योजना (जिला रायपुर)	2404.73	10.11.2017	जैन ईरिगेशन सिस्टम लिमिटेड	16.07.2020	25%	कोविड-19 महामारी	जनवरी 2022

परिशिष्ट "अड्डतालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 599) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने से 15 नवम्बर 2020 तक गोबर खरीदी, जैविक खाद उत्पादन-विक्रय-भंडारण-शेष तथा योजना क्रियान्वयन में प्राप्त शिकायत का जिलेवार विवरण

क्र.	जिला	हितग्राहीयो से गोबर क्रय एवं भुगतान			क्रय गोबर से जैविक खाद की			योजना क्रियान्वयन अनियमितता संबंधी शिकायत		
		हितग्राही संख्या	क्रय गोबर की मात्रा (क्विंटल)	भुगतान की गई राशि (रु. लाख में)	उत्पादित मात्रा (क्विंटल)	विक्रय मात्रा (क्विंटल)	शेष मात्रा (क्विंटल)	शिकायत का विषय	शिकायत कर्ता का नाम एवं पता	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रायपुर	7408	305443.64	540.72	814.17	7.66	806.51	निरंक	निरंक	निरंक
2	गरियाबंद	4810	81997.08	156.89	146.40	9.10	137.30	निरंक	निरंक	निरंक
3	बलादाबाजार	2597	79460.42	158.92	167.28	53.71	113.57	निरंक	निरंक	निरंक
4	महाराजपुर	3284	108564.75	217.13	308.34	17.05	291.29	निरंक	निरंक	निरंक
5	धमतरी	6489	153592.56	297.13	227.38	195.26	32.12	निरंक	निरंक	निरंक
6	रुर्ना	3479	151143.50	268.41	763.26	385.09	378.17	निरंक	निरंक	निरंक
7	बालाद	9624	94321.05	188.64	1537.00	74.40	1462.60	निरंक	निरंक	निरंक
8	धमतरी	6597	64043.34	128.08	195.16	77.90	117.26	निरंक	निरंक	निरंक
9	राजनादगाव	17951	339924.42	650.65	500.44	176.10	324.34	निरंक	निरंक	निरंक
10	कधीरघाम	4352	97869.66	188.87	481.50	129.10	352.40	निरंक	निरंक	निरंक
11	बिलासपुर	4258	83704.22	106.25	598.21	268.14	330.07	निरंक	निरंक	निरंक
12	मुंगेली	6697	71820.00	138.58	218.76	132.00	86.76	निरंक	निरंक	निरंक
13	गौरला पण्ड्रा मरवाही	4913	49215.63	92.44	703.78	504.83	198.95	निरंक	निरंक	निरंक
14	जाजगीर	5830	114748.50	229.50	355.56	90.00	265.56	निरंक	निरंक	निरंक
15	कोरवा	1623	93653.34	187.31	650.87	240.80	410.07	निरंक	निरंक	निरंक
16	रायगढ	5750	229576.05	258.36	841.08	352.89	488.19	निरंक	निरंक	निरंक
17	सरगुजा	6277	47976.16	95.95	732.13	398.95	333.18	निरंक	निरंक	निरंक
18	सूरजपुर	5978	68218.65	131.50	1329.84	462.67	867.17	निरंक	निरंक	निरंक
19	बलरामपुर	2671	10926.15	43.97	256.78	53.10	203.68	निरंक	निरंक	निरंक
20	जशपुर	3495	35876.30	71.75	331.20	275.90	55.30	निरंक	निरंक	निरंक
21	कोरिया	4774	130975.28	261.95	215.05	0.00	215.05	निरंक	निरंक	निरंक
22	बरतार	4503	43987.19	87.98	275.50	130.00	145.50	निरंक	निरंक	निरंक
23	कोण्डानाद	6847	30363.00	31.46	152.00	0.00	152.00	निरंक	निरंक	निरंक
24	काकर	5598	62447.51	124.90	149.00	48.00	101.00	निरंक	निरंक	निरंक
25	दंतेवाड़ा	2083	11314.66	22.63	795.84	411.98	383.86	निरंक	निरंक	निरंक
26	सुकमा	2386	23393.03	46.79	72.00	0.00	72.00	निरंक	निरंक	निरंक
27	बीजापुर	2171	19000.49	38.00	3.00	0.00	3.00	निरंक	निरंक	निरंक
28	नारायणपुर	3179	3519.63	6.43	55.00	0.00	55.00	निरंक	निरंक	निरंक
	कुल योग	145624	2607076.21	4771.19	12876.53	4494.63	8381.90			

परिशिष्ट "उनचास"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 600) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जिला का नाम	गौठानों में चारे की व्यवस्था हेतु		गौठानों में पानी की व्यवस्था हेतु	
		आबंटित राशि (लाख में)	मद का नाम	आबंटित राशि (लाख में)	मद का नाम
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	33.20	सामान्य एवं अधोसंरचना	61.80	14वे वित्त
2	गरियाबंद	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है
3	बलौदाबाजार	244.19	मनरेगा	43.50	14वे वित्त
4	महासमुन्द	37.93	एन.एल.एम, मनरेगा	203.09	प्राधिकरण, 14वे वित्त
5	धमतरी	721.68	मनरेगा	155.20	14वे वित्त
6	दुर्ग	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है	174.78	14वे वित्त
7	बालोद	97.47	14वे वित्त, प्राधिकरण	162.53	14वे वित्त
8	बेमेतरा	63.42	मनरेगा	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है
9	राजनांदगांव	540.68	मनरेगा, कृषि	167.94	14वे वित्त
10	कबीरधाम	16.10	गौसेवा आयोग	5.60	13वे वित्त
11	बिलासपुर	15.36	प्राधिकरण	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है
12	गौरेला-पेन्द्रा	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है	34.47	-
13	कोरबा	660.36	मनरेगा, 14वे वित्त	90.94	14वे वित्त
14	मुंगेली	122.75	मनरेगा	90.01	14वे वित्त
15	जांजगीर-चाम्पा	280.58	मनरेगा, 14वे वित्त	547.10	डीएमएफ, 14वे वित्त, गौण
16	रायगढ़	727.48	एन.एल.एम, मनरेगा	143.58	14वे वित्त
17	सरगुजा	2.58	रा.के.व्ही.वाय.	252.83	आदिवासी उपयोजना, क्रेडा, डीएमएफ
18	जशपुर	7.84	डीएमएफ, एन.एल.एम.	62.09	डीएमएफ
19	कोरिया	198.60	मनरेगा	198.76	14वे वित्त, डीएमएफ, रूबन
20	बलरामपुर	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है	116.28	डीएमएफ, क्रेडा
21	सूरजपुर	303.08	मनरेगा	131.89	डीएमएफ, क्रेडा
22	बस्तर	460.81	एन.एल.एम, मनरेगा	454.77	मनरेगा, 14वे वित्त
23	कांकेर	8.20	डीएमएफ, 14वे वित्त	341.37	डीएमएफ, 14वे वित्त
24	कोण्डागांव	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है	29.34	प्राधिकरण, 14वे वित्त, डीएमएफ
25	दन्तेवाड़ा	21.47	मनरेगा, डीएमएफ	8.58	मनरेगा
26	बीजापुर	26.03	प्राधिकरण	17.12	प्राधिकरण
27	नारायणपुर	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है	28.80	विशेष केन्द्रीय सहायता योजना
28	सुकमा	0.00	पृथक से राशि आबंटित नहीं की गयी है	138.00	डीएमएफ, बस्तर प्राधिकरण
योग		4589.81		3660.37	

परिशिष्ट "पचास"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 603) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

गंगरेल जलाशय एवं रूद्री बैराज के लिए विभिन्न वर्षों में बजट प्रावधान एवं आबंटन की जानकारी

<u>वर्ष</u>	<u>बजट प्रावधान</u>	<u>आबंटन</u>	<u>व्यय</u>
2018-19	425.05	70.00	69.83
2019-20	625.25	115.00	113.70
2020-21	1101.71	125.00	44.21
योग :-	2152.01	310.00	227.74

प्रपत्र "ब"

रविशंकर सागर जलाशय एवं रूद्री बैराज के मरम्मत एवं रख रखाव में व्यय राशि

आंकड़े लाख में

स. क्र.	कार्य का नाम	व्यय
1	2	3
वर्ष 2018-19		
रविशंकर सागर जलाशय (गंगरेल बांध)		
1	रविशंकर सागर गंगरेल बांध की ओर 150 मी. टो-वाल का निर्माण एवं कंट्रोल रूम मिट्टी फिलिंग काय।	2.43
2	रविशंकर सागर बांध गंगरेल के सामने कंट्रोल रूम में मिट्टी फिलिंग का कार्य।	2.46
3	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल में स्थापित रेडियल एवं हेड रेग्युलेटर गेट का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य।	15.44
4	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल बांध में विद्युत व्यवस्था के तहत 33/11 एवं 11/0.45 के.टी.ए. विद्युत उपकेन्द्र, लाईन, डेम टाप, प्रकाश व्यवस्था, गैलेरी प्रकाश व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाईट वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का कार्य।	13.77
5	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल बांध के प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित हाई मास्ट लाईट का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य।	9.40
6	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल में गैलेरी डिवाटरिंग हेतु पम्पों एवं पाईप लाईन का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य।	5.52
7	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल कालोनी आवास गृहों में विद्युत एवं पेयजल प्रदाय व्यवस्था का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य।	2.55
	योग:-	51.57
न्यू रूद्री बैराज		
1	न्यू रूद्री बैराज में स्थापित स्पलवे गेट अण्डर स्लूस गेट एवं हेड रेग्युलेटर गेट एवं कंट्रोल पैनल का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य।	8.44
2	न्यू रूद्री बैराज में विद्युत व्यवस्था के तहत 33/11 के.वी. 1600 के.वी.ए., विद्युत उपकेन्द्र एवं 11/0.45 के.वी. , 200 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र, 63 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र लाईन, डेम टाप, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था का कार्य।	5.32
3	न्यू रूद्री बैराज के प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित हाई मास्ट लाईट का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य।	4.50
	योग:-	18.26
	कुल (वर्ष 2018-19)	69.83

स. क्र.	कार्य का नाम	व्यय
वर्ष 2019-20		
रविशंकर सागर जलाशय (गंगरेल बांध)		
1	रविशंकर सागर बांध गंगरेल के बाये गार्ड बंड के 240 मी. से 360 मी. तक डिस्टर्ब पिचिंग का मरम्मत काय।	1.99
2	रविशंकर सागर बांध गंगरेल के बाये गार्ड बंड के आर.डी. 60 मी. से 215 मी. तक डिस्टर्ब पिचिंग का मरम्मत कार्य	2.32
3	रविशंकर सागर बांध गंगरेल के आर.डी. 0 मी. से 70 मी. के मध्य कंट्रोल रूम के सामने बांध की ओर अन्यत्र फेले स्टाफ मटेरियल को हटाने का कार्य।	2.49
4	रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के आर.डी. 70 मी. से 120 मी. मध्य कंट्रोल रूम के सामने बांध की ओर अन्यत्र फेले स्टाफ मटेरियल को हटाने का कार्य।	2.38
5	नये गार्डन के सड़क किनारे स्थित बाउण्ड्रीवाल को आर.आर. मेशनरी द्वारा सुरक्षित करने का कार्य।	2.48
6	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल में स्थापित रेडियल एवं हेड रेग्युलेटर गेट का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य।	20.05
7	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल बांध में विद्युत व्यवस्था के तहत 33/11 एवं 11/0.45 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र, लाईन, डेम टाप, प्रकाश व्यवस्था, गैलेरी प्रकाश व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाईट वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का कार्य।	21.64
8	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल बांध के प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित हाई मास्ट लाईट का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य।	6.16
9	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल में गैलेरी डिवाटरिंग हेतु पम्पों एवं पाईप लाईन का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य।	6.50
10	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल, कालोनी आवास गृहों में विद्युत एवं पेयजल प्रदाय व्यवस्था का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य।	8.93
योग:-		74.94
न्यू रुद्री बैराज		
1	न्यू रुद्री बैराज के बायी ओर डिस्टर्ब पिचिंग स्टोन पिचिंग एवं रेनकट फिलिंग कार्य।	2.10
2	न्यू रुद्री बैराज में स्थापित स्पिलवे गेट अण्डर स्लूस गेट एवं हेड रेग्युलेटर गेट एवं कंट्रोल पैनल का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य।	19.65
3	न्यू रुद्री बैराज में विद्युत व्यवस्था के तहत 33/11 के.वी. 1600 के.वी.ए., विद्युत उपकेन्द्र एवं 11/0.45 के.वी., 200 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र, 63 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र लाईन, डेम टाप, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था का कार्य।	11.96
4	न्यू रुद्री बैराज के प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित हाई मास्ट लाईट का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य।	5.05
योग:-		38.76
कुल (वर्ष 2019-20)		113.70

स. क्र.	कार्य का नाम	व्यय
वर्ष 2020-21		
रविशंकर सागर जलाशय (गंगरेल बांध)		
1	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल में स्थापित रेडियल एवं हेड रेग्युलेटर गेट का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य ।	8.68
2	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल बांध में विद्युत व्यवस्था के तहत 33/11 एवं 11/0.45 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र, लाईन, डेम टाप, प्रकाश व्यवस्था, गैलेरी प्रकाश व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाईट वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का कार्य ।	20.12
3	रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल कालोनी आवास गृहों में विद्युत एवं पेयजल प्रदाय व्यवस्था का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य ।	1.56
योग:-		30.36
न्यू रुद्री बैराज		
1	न्यू रुद्री बैराज में स्थापित स्पिलवे गेट, अण्डर स्लूस गेट एवं हेड रेग्युलेटर गेट एवं कन्ट्रोल पैनल का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य ।	5.69
2	न्यू रुद्री बैराज में विद्युत व्यवस्था के तहत 33/11 के.वी. 1600 के.वी.ए., विद्युत उपकेन्द्र एवं 11/0.45 के.वी. , 200 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र, 63 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र लाईन, डेम टाप, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था का कार्य ।	5.94
3	न्यू रुद्री बैराज के प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित हाई मास्ट लाईट का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य ।	2.22
योग:-		13.85
कुल (वर्ष 2020-21)		44.21
महायोग		227.74

परिशिष्ट "ईन्क्यावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 612) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र

क्षेत्रफल-हेक्टेयर में

स. क्र.	जिला	विकास खण्ड	योजना का नाम	लाभान्यित		रिमार्क
				ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या	
1	2	3	4	11	12	13
(अ) मध्यम सिंचाई योजना						
1	रायपुर	धरसीवा	पेन्द्रावन जलाशय	बंगोली	317	
				धनसुली	186	
				मुरा	253	
				बरोदा	310	
				निबजा	333	
				सारागाव	315	
				रायखेड़ा	218	
				देवगांव	140	
				अमलीतालाब	173	
				खौना	779	
				पवनी	84	
योग 01 योजनाएं (11 ग्राम) :-				-	3108	
(ब) लघु सिंचाई योजना						
1	रायपुर	धरसीवा	पिकरीडीह जलाशय	पिकरीडीह	157	
				गनियारी	242	
2	रायपुर	धरसीवा	सेरीखेड़ी जला.	सेरीखेड़ी	15	शहरीकरण होने के कारण कमाण्ड क्षेत्र समाप्त
				लभाडी	30	
3	रायपुर	धरसीवा	देवरी जला.	देवरी	102	-
4	रायपुर	धरसीवा	टोर जला.	टोर	-	कमाण्ड क्षेत्र गांठर शाखा गहर की ओवरलेपिंग होने से समाप्त
5	रायपुर	धरसीवा	बोरियाखुर्द जला.	बोरियाखुर्द	-	शहरीकरण होने के कारण कमाण्ड क्षेत्र समाप्त
6	रायपुर	धरसीवा	दोंदेकला व्यप.	दोंदेकला	30	-
7	रायपुर	धरसीवा	निमोरा टार	निमोरा	187	-
8	रायपुर	धरसीवा	नगरगांव व्यप.	नगरगांव	173	-
9	रायपुर	धरसीवा	मलौद व्यप.	मलौद	176	-
10	रायपुर	धरसीवा	जरौदा व्यप.	जरौदा	282	-
11	रायपुर	धरसीवा	टेंकारी व्यप.	टेंकारी	54	-
12	रायपुर	तिल्दा	सोनतरा जला.	सोनतरा	152	-
13	रायपुर	तिल्दा	रायखेड़ा जला.	रायखेड़ा	113	-
14	रायपुर	तिल्दा	खरोरा जला.	खरोरा	151	-
15	रायपुर	तिल्दा	नहरडीह जला.	नहरडीह	184	-
16	रायपुर	तिल्दा	बरडीह जला.	बरडीह	67	-
				सिरी	65	-
17	रायपुर	तिल्दा	कंधराडीह जला.	कंधराडीह	67	-
18	रायपुर	तिल्दा	खौली डबरी जलाशय	खौली डबरी	36	-
19	रायपुर	तिल्दा	मुरा जलाशय	मुरा	115	-
20	रायपुर	तिल्दा	बुडेरा जला	बुडेरा	233	-
21	रायपुर	तिल्दा	गुजरा व्यप.	गुजरा	115	-
22	रायपुर	तिल्दा	सारागांव व्यपवर्तन	सारागांव	357	-
योग 22 योजनाएं (25 ग्राम) :-				-	3103	

स. क्र.	जिला	विकास खण्ड	योजना का नाम	लाभान्वित		रिमाक
				ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या	
1	2	3	4	11	12	13
(स) निर्मित एनीकट/स्टॉपडेम लघु सिंचाई योजनाएं						
1	रायपुर	धरसीवा	गुमा एनीकट	गुमा	3	सिंचाई स्वयं के साधन से
2	रायपुर	धरसीवा	देवरी एनीकट	देवरी	3	---तदैव---
3	रायपुर	धरसीवा	धनेली स्टॉपडेम	धनेली	2	---तदैव---
4	रायपुर	धरसीवा	गोढी स्टॉपडेम	गोढी	3	---तदैव---
5	रायपुर	धरसीवा	तरेसर स्टॉपडेम	तरेसर	2	---तदैव---
6	रायपुर	धरसीवा	अकोली स्टॉपडेम कम कौजवा	अकोली	3	---तदैव---
7	रायपुर	तिल्दा	तुलसी-चंदखुरी एनी	तुलसी-चंदखुरी	3	---तदैव---
योग 07 योजनाएं (07 ग्राम) :-				-	19	-
कुलयोग (अ+ब+स) 30 योजनाएं (43 ग्राम) :-				-	6230	-

टीप:- एनीकट/स्टॉपडेम में किसानों की संख्या परिवर्तनशील है एवं गैर अनुबंधित है। सिंचाई हेतु दर्शित रकबा किसानों द्वारा स्वयं के साधन से विकसित की गई है।

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2018 से अक्टूबर 2020 के मध्य स्वीकृत सिंचाई योजना की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

स.क्र.	स्वीकृत कार्य	प्रशासकीय स्वीकृति का संदर्भ		स्वीकृत योजना का कार्यस्थल		
		प्रशा.स्वीकृत राशि	दिनांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	गोमची तटबंध निर्माण योजना	643.43	19-07-18	गोमची	धरसीवा	रायपुर
2	तोरला व्यपवर्तन टार मरम्मत एवं लाईनिंग कार्य	109.35	28-09-18	तोरला	अभनपुर	रायपुर
3	जरौदा व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	249.260	28-09-18	जरौदा	धरसीवा	रायपुर
4	सारागांव व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	285.970	28-09-18	सारागांव	धरसीवा	रायपुर
5	नगरगांव व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	239.190	28-09-18	नगरगांव	धरसीवा	रायपुर
6	निमोराटार नहर का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	223.890	28-09-18	निमोरा	धरसीवा	रायपुर
7	निनवा व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	298.320	28-09-18	निनवा	तिल्दा	रायपुर
8	खौलीडबरी जलाशय का जीर्णोद्धार	291.22	28-09-18	खौलीडबरी	तिल्दा	रायपुर
9	कोल्हान नाले पर खम्हरिया एनोकेट निमोण	278.61	28-09-18	खम्हरिया	आरंग	रायपुर
10	कपसदा कोल्हान नाला पर स्टॉपडेम का निर्माण कार्य	284.56	28-09-18	कपसदा-कुकेरा	धरसीवा	रायपुर
11	कठिया जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	231.460	03-10-18	कठिया	धरसीवा	रायपुर
12	ग्राम बनचरौदा के पास महानदी पर तटबंध निर्माण	711.23	14-10-19	बनचरौदा	आरंग	रायपुर
13	रायपुर जिले के आरग विधानसभा क्षेत्र में स्थित नरदहा जलाशय का जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर 0 से 60 चैन का लाईनिंग कार्य	147.57	30-10-19	नरदहा	आरंग	रायपुर
14	रायपुर जिले के अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित अभनपुर जलाशय का जीर्णोद्धार एवं बांयी तट नहर 0 से 47 चैन का लाईनिंग कार्य	121.83	30-10-19	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर
15	बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के मानपुर जलाशय के शीर्ष कार्य का मरम्मत एवं नहर लाईनिंग कार्य	279.03	25-11-19	मानपुर	तिल्दा	रायपुर
16	रायपुर जिले के गुमा जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	397.85	12-12-19	गुमा	आरंग	रायपुर
17	नवागांव जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	399.13	11-02-20	नवागांव	आरंग	रायपुर
18	रायपुर जिले की अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित थनौद निरीक्षण गृह का उन्नयन कार्य	43.00	03-03-20	थनौद	अभनपुर	रायपुर
19	भटगांव स्टॉपडेम का निर्माण कार्य	101.63	05-10-20	भटगांव	धरसीवा	रायपुर
20	पचरी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	71.31	05-10-20	पचरी	तिल्दा	रायपुर
21	केवराडीह जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	79.17	05-10-20	केवराडीह	तिल्दा	रायपुर
22	कोल्हान नाले पर सकरी स्टॉपडेम निर्माण कार्य	298.36	05-10-20	सकरी	आरंग	रायपुर
23	भलेरा व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	128.82	05-10-20	भलेरा	अभनपुर	रायपुर
24	गोतियारडीह जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	129.08	08-10-20	गोतियारडीह	अभनपुर	रायपुर
25	चेरिया जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	143.35	08-10-20	चेरिया	अभनपुर	रायपुर
26	गिरोला जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	131.80	08-10-20	गिरोला	अभनपुर	रायपुर
27	पौता जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	135.81	08-10-20	पौता	अभनपुर	रायपुर
28	नायकबांधा जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	101.48	08-10-20	नायकबांधा	अभनपुर	रायपुर
29	कुरू जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	190.09	08-10-20	कुरू	अभनपुर	रायपुर

परिशिष्ट "बावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 613) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	विकासखंड का नाम	मासिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च 2019 अनुसार चिन्हांकित कुपोषित बच्चें				मासिक प्रगति प्रतिवेदन अक्टूबर 2020 अनुसार चिन्हांकित कुपोषित बच्चें			
		मध्यम	गंभीर	कुल कुपोषित	कुपोषण का प्रतिशत	मध्यम	गंभीर	कुल कुपोषित	कुपोषण का प्रतिशत
1	धरसीवां	12024	1545	13569	19.69	9972	918	10890	17.30
2	आरंग	3762	362	4124	15.16	3686	186	3872	14.17
3	अभनपुर	3226	401	3627	15.34	2947	271	3218	15.73
4	तिल्दा	3560	576	4136	21.75	3129	487	3616	18.84
कुल योग		22572	2884	25456	17.98	19734	1862	21596	16.51

प्रपत्र "ब"

क.	परियोजना का नाम--> कुपोषण नियंत्रण हेतु संचालित योजना का नाम	विकासखंड आरंग						विकासखंड अभनपुर			विकासखंड तिल्दा		
		बाल विकास परियोजना आरंग			बाल विकास परियोजना मंदिरहसौद			बाल विकास परियोजना अभनपुर			बाल विकास परियोजना तिल्दा		
		वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020)	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020)	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020)	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020)
व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	व्यय राशि	
1	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	36600	63369	0	82317	120440	3953	100605	188876	15632	53242	229622	49562
2	सुपोषण चौपाल	364500	1488914	0	346000	444915	0	650000	822414	0	556500	644914	0
3	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	20602331	45068379	20229350	15490097	27731323	16179530	29481380	57290647	27620057	21775644	43109495	23321455
4	महतारी जतन	1385321	1139114	254354	1125966	942761	76637	1388077	1827864	1022064	899014	1185069	729659
5	मुख्यमंत्री अमृतदूध योजना	0	49080	0	0	39062	0	0	80120	0	0	59560	0
6	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	0	167748	625000	413282	274823	0	128743	113990	0	15000	159005	0
7	अन्य योजना (वजन त्पौहार)	5000	11000	5000	5000	11000	0	13930	5000	0	560	6000	0
8	लक्ष्य सुपोषण अभियान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		22393752	47987604	21113704	17462662	29564324	16260120	31762735	60326911	28657753	23299960	45393665	24100676

क्र.	कुपोषण नियंत्रण हेतु संचालित योजना का नाम	विकासखण्ड: घरसीवा															
		बाल विकास परियोजना घरसीवा-1			बाल विकास परियोजना घरसीवा-2			बाल विकास परियोजना रायपुर-1			बाल विकास परियोजना रायपुर-2						
		वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020)	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020)	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020)	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020)	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	मुख्यमंत्री बाल सदर्भ योजना	0	0	0	206335	233289	10690	33871	86337	2000	45570	143858	11874	87865	143441	0	
2	सुपोषण चौपाल	0	0	0	679710	1949500	0	346500	580000	0	232000	712000	64000	394000	1296500	0	
3	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	0	0	0	29043056	67081172	26036180	23019368	40891889	22242733	6216717	15305514	6985999	16309084	29399840	14030676	
4	महतारी जतन	0	0	0	1399628	2528984	943095	823329	1191951	886891	697228	684501	484794	1079837	1079914	667550	
5	मुख्यमंत्री अमृतदूध योजना	3955708	0	0	0	79800	0	0	41460	0	0	17870	0	0	40838	0	
6	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	0	0	0	222000	2145998	0	0	148500	0	90000	414500	0	79120	863969	0	
7	अन्य योजना (वजन त्वाहार)	0	0	0	14000	23000	0	0	6000	0	9000	11000	0	4000	8500	0	
8	लक्ष्य सुपोषण अभियान	0	6420815	991112													
	कुल योग				31564729	74041743	26989965	24223068	42946137	23131624	7290515	17289243	7546667	17953906	32833002	14698226	

परिशिष्ट "तिरपन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 632) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जांजगीर चाम्पा जिले में डी.एम.एफ. मद में स्वीकृत एवं सामग्री की जानकारी

जिला	वर्ष 2020 में स्वीकृत किये गये कार्य का नाम	डी.एम.एफ मद से प्राप्त राशि (लाख रू.)	जिला प्रबंधक, छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, द्वारा भंडारित मात्रा (संख्या)	दर प्रति नग (रू.)	कुल राशि (लाख रू.)	हितग्राहियों को वितरित (संख्या)	शिर्षक
जांजगीर-चाम्पा	पावर बैटरी कम हेण्ड आपरेटेड स्प्रेयर	134.11	2500	5364.24	134.11	2500	जिला प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, जांजगीर द्वारा प्रत्येक भंडारित सामग्री को विकासखंडों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया गया है।
	पावर बैटरी कम हेण्ड आपरेटेड स्प्रेयर	107.28	2000	5364.24	107.28	2000	
	आदर्श गौठानों में चावल प्रसंस्करण आधारित लघु उद्योग मिनी राईस मिल की स्थापना	25.73	25	102900.00	25.73	25	
	पावर बैटरी आपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर	100.04	2168	4614.40	100.04	2168	
	पावर बैटरी कम हेण्ड आपरेटेड स्प्रेयर	107.28	2000	5364.24	107.28	2000	
	पावर बैटरी कम हेण्ड आपरेटेड स्प्रेयर	107.28	2000	5364.24	107.28	2000	
	राउण्डर बेलर मशीन	73.80	18	410000.00	73.80	18	
	मिनी राईस मिल	161.50	190	85000.00	161.50	190	
	योग	817.03	10901		817.03	10901	

प्रपत्र "ब"

क्र.	कार्य का नाम	रबीकृत राशि (लाख में)	प्राप्त राशि (लाख में)	क्रय सामग्री का विवरण					संस्था का नाम जिससे सामग्री क्रय किया गया	रिमांक
				सामग्री का नाम	मात्रा संख्या/ कि.ग्रा.	दर	कुल व्यय राशि (लाख में)	व्यय हेतु शेष राशि (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुनगा पौध उत्पादन	27.00	27.00	पॉलीथीन थैली	607	171.1	1.04	0	छ.ग. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए स्थानीय बाजार से क्रय किया गया है।	
				मिट्टी मय परिवहन	6750 घ.फी.	8	0.54	0		
				रेत मय परिवहन	6733 घ.फी.	15	1.01	0		
				गोबर खाद	6750 घ.फी.	20	1.35	0		
				बोनमील	4060 K.g.	50	2.03	0		
				बीज	49.33 K.g.	1500	0.74	0		
				पौध संरक्षण दवा	462.9 Lt.	350	1.62	0		
				अन्य आवश्यक व्यय	-	LS	1.62	0		
योग	27.00	27.00				23.45	3.55			
2	बैटरी कम हेण्ड ऑपरटेड नेपसेक स्प्रेयर वितरण	100.043	100.043	बैटरी कम हेण्ड ऑपरटेड नेपसेक स्प्रेयर वितरण	1865 नग	5364.24	100.043	0		
3	उद्यानिकी टूल किट वितरण	100.002	100.002	उद्यानिकी टूल किट वितरण	2844 नग	3516.24	100.002	0.00	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	
4	बाड़ी विकास	31.293	31.293	करेला बीज	33.29 K.g.	2598.20	0.000	0.860	मुगत्तान प्रक्रियाधीन है।	
				लौकी बीज	66.58 K.g.	2310.00	0.000	1.540		
				टमाटर बीज	66.58 K.g.	23760.00	0.000	15.820		
				प्याज बीज	332.9 K.g.	1709.40	0.000	5.690		
				भिण्डी बीज	532.9 K.g.	1368.00	0.000	7.290		
परिवहन व्यय	-	-	0.000	0.093	नाफेड					
योग	31.293	31.293				0.000	31.293			
कुलयोग	258.338	258.338					223.495	34.843		

परिशिष्ट "चौवन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 659) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश के समस्त जिलों में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं, पात्रता एवं दी जाने वाली पेंशन राशि की जानकारी

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :-

1.1 पात्रता :-

- 1.1.1 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध।
1.1.2 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।

1.2 हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन राशि -

- 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के हितग्राहियों को ₹ 350/- प्रतिमाह
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हितग्राहियों को ₹ 650/- प्रतिमाह

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :-

2.1 पात्रता :-

- 2.2.1 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग के विधवा महिला।
2.2.2 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।

2.2 हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन राशि- ₹ 350/- प्रतिमाह।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना :-

3.1 पात्रता :-

- 3.1.1 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर (एक ही प्रकार के निःशक्तता में 80 प्रतिशत) अथवा बहुनिःशक्त।
3.1.2 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।

3.2 हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन राशि- ₹ 500/-प्रतिमाह।

4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:-

4.1 पात्रता :-

- 4.1.1 6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं हैं उन्हें पात्रता नहीं होगी।
4.1.2 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
4.1.3 बौने व्यक्ति।
4.1.4 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।

4.2 हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन राशि- ₹ 350/-प्रतिमाह।

क्र. 149

20

5. सुखद सहारा योजना :-

5.1 पात्रता :-

5.1.1 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा।

5.1.2 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिला।

5.1.3 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।

5.2 हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन राशि- ₹ 350/-प्रतिमाह।

6. मुख्यमंत्री पेंशन योजना:-

6.1 पात्रता :-

6.1.1 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध।

6.1.2 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें।

6.1.3 ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो।

6.1.4 नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित-

- घास का छत/छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
- प्लास्टिक/पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
- पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा
- बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।

6.2 हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन राशि- ₹ 350/-प्रतिमाह।

उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है।

पेंशन योजनाओं में योजनावार हितग्राही एवं व्यय															
क.	जिला	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		सुखद सहारा योजना		मुख्यमंत्री पेंशन योजना		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना		महायोग	
		हितग्राही	व्यय	हितग्राही	व्यय	हितग्राही	व्यय	हितग्राही	व्यय	हितग्राही	व्यय	हितग्राही	व्यय	हितग्राही	व्यय
1	रायपुर	20803	914.92	15844	390.85	12488	354.23	31177	841.22	11521	353.17	1664	56.00	93497	2910.39
2	बलौदाबाजार	23519	1021.78	13595	341.79	22554	672.24	35042	948.40	8703	292.99	1392	46.52	104805	3323.72
3	गरियाबंद	11509	564.12	7062	172.49	10833	255.93	23111	299.76	8065	166.43	769	16.07	61349	1474.80
4	महासमुद	27208	1321.63	9219	260.26	12590	335.70	36269	1076.76	8987	310.87	977	35.43	95250	3340.65
5	धमतरी	10851	506.26	8114	198.59	23564	541.78	19271	472.74	7106	210.46	1282	39.27	70188	1969.10
6	दुर्ग	25340	986.18	15156	370.31	10588	235.37	29135	720.88	9595	290.14	766	23.50	90580	2626.38
7	बालोद	12490	499.96	6768	188.53	22163	534.96	15403	384.57	6649	204.79	214	6.57	63687	1819.38
8	बेमेतरा	19715	664.77	5496	135.59	10120	231.36	14091	242.66	3764	78.95	1021	21.61	54207	1374.94
9	राजनांदगांव	20124	963.1	12850	430.79	29048	795.45	32448	865.78	13554	439.95	2010	68.04	110034	3563.11
10	कबीरधाम	12674	560.55	9047	221.88	25696	607.63	22122	551.44	4050	123.44	205	6.06	73794	2071.00
11	बस्तर	8526	589.07	3642	92.03	11127	258.49	17400	301.75	6536	184.38	908	24.28	48139	1450.00
12	कोण्डागांव	7437	421.28	2902	74.19	6234	152.44	14662	356.13	6880	205.72	615	18.44	38730	1228.20
13	दत्तेवाड़ा	1686	122.38	1463	38.21	4869	117.19	5137	76.50	4248	90.68	634	13.59	18037	458.55
14	सुकमा	2146	128.91	2186	54.44	5547	130.47	6107	99.09	3006	62.34	27	0.51	19019	475.76
15	कांकेर	9746	422.07	6373	155.74	13388	308.76	13595	242.63	6556	138.29	1409	29.22	51067	1296.71
16	बीजापुर	2120	101.65	1650	40.42	2844	69.68	3420	57.65	2496	52.42	362	7.60	12892	329.42
17	नारायणपुर	2312	110.7	639	16.27	3655	77.15	4067	111.52	1657	52.18	168	4.77	12498	372.59
18	बिलासपुर	39669	2113.45	18627	669.78	18719	739.46	45299	1261.13	9907	333.69	4151	151.85	136372	5269.36
19	गौ-पे-मरवाही	9175	0	4449	0	8118	0.00	10351	0.00	2770	0.00	1239	0.00	36102	0.00
20	मुंगेली	17205	742.53	7184	175.34	12568	328.89	27610	753.41	4543	143.30	1547	64.41	70657	2207.88
21	कोरबा	22500	1093.2	11787	292.56	10121	247.01	30338	831.36	8801	272.25	2378	73.81	85925	2810.19
22	जांजगीर चांपा	48252	1829.6	17449	384.86	26537	639.35	53827	1400.41	8927	274.37	2376	73.39	157368	4601.98
23	रायगढ़	48365	1956.76	12345	319.28	29289	706.17	62459	1289.00	15752	451.35	1421	41.20	169631	4763.76
24	जशपुर	18448	763.69	5274	134.51	21388	486.18	24402	369.29	5574	119.97	690	15.00	75776	1888.64
25	सरगुजा	18226	906.77	8237	229.87	19351	519.68	30269	818.75	4185	141.29	933	31.35	81201	2647.71
26	बलरामपुर	10843	516.98	6243	159.12	20773	503.58	19101	502.05	4952	156.32	1321	41.26	63233	1879.31
27	सूरजपूर	13841	567.29	6720	165.35	13824	337.03	18698	520.30	4193	129.45	929	28.60	58205	1748.02
28	कोरिया	10385	414.72	5451	133.71	7976	187.89	12904	109.49	4969	105.21	468	9.71	42153	960.73
योग		475115	20804.32	225772	5846.76	415972	10374.07	657715	15504.67	187946	5384.4	31876	948.06	1994396	58862.28

परिशिष्ट "पंचपन"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 663) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2018-19 से 30 नवंबर 2020 तक नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत जिलावार पंजीबद्ध प्रकरण
1	बालोद	1196
2	बलौदाबाजार	2171
3	बलरामपुर	1090
4	बस्तर	1210
5	बेमेतरा	847
6	बीजापुर	131
7	बिलासपुर	1400
8	दत्तेवाड़ा	300
9	धमतरी	1611
10	दुर्ग	1859
11	गरियाबंद	1031
12	जांजगीर	623
13	जशपुर	252
14	कांकर	340
15	कवर्धा	246
16	कोण्डागांव	899
17	कोरबा	647
18	कोरिया	715
19	महासमुन्द	4184
20	मुंगेली	1658
21	नारायणपुर	109
22	रायगढ़	1046
23	रायपुर	2540
24	राजनांदगांव	1857
25	सरगुजा	649
26	सुकमा	441
27	सूरजपुर	2718
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	274
	महायोग	32044

परिशिष्ट "छप्पन"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 670) के भाग (ग) की जानकारी]

सिंचाई के निजी साधनों की ग्रामवार जानकारी

क्र.	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	निजी साधनवार सिंचित रकबा हेक्टेयर में			
				कुआं	तालाब (जलाशय)	नलकूप	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोहारा	घोटिया	1	1	0	23	24
2		बरनाराखुर्द		0	0	0	0
3		कोहकट्टाटोला		0	0	2	2
4		तोतलभरी		1	0	24	25
5		उदरीछापर		0	0	6	6
6		धिकुडिया		0	0	3	3
7		शिवपुरी	2	1	0	35	36
8		बाकलेडी		0	0	24	24
9		कन्हारगांव		1	0	39	40
10		ढारा	3	0	0	102	102
11		डंगबोरा		0	0	0	0
12		सलोनी		0	10	69	79
13		छपारा		0	0	52	52
14		मुढिया	4	0	0	57	57
15		तेन्दूभांठा		0	0	28	28
16		बिजनापुर		0	0	55	55
17		मोहारा	5	0	0	22	22
18		सिवनीकला		0	0	20	20
19		खैरवना		0	0	30	30
20		चैतुखपरी	6	0	0	74	74
21		केसली		0	0	30	30
22		सहसपुर		0	0	12	12
23		जारवाही		0	0	18	18
24		खुर्सीपार	7	0	0	6	6
25		विष्णुपुर		0	0	14	14
26		पुरैना		0	0	130	130
27		नगकी		0	0	25	25
28		बिल्हरी	8	0	0	35	35
29		सेम्हरा		0	0	31	31
30		गातापारखुर्द		0	0	42	42

क्र	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	निजी साधनवार सिंचित रकबा हेक्टेयर में				
				कुआं	तालाब (जलाशय)	नलकूप	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	
31	मुसराकला	खेरा	9	0	0	37	37	
32		खुडनुडी		0	0	16	16	
33		पेन्डी		0	0	30	30	
34		अन्या नवागाव		0	0	15	15	
35		कसारी	10	0	0	32	32	
36		ठेकवा		0	0	7	7	
37		रुवातला		0	0	20	20	
38		सलटिकरी	11	1	0	148	149	
39		बसंतपुर		2	0	15	17	
40		कालिहापुरी(छी)		0	0	107	107	
41		गाडाभंवर		0	0	28	28	
42		पलान्दुर	12	0	0	62	62	
43		छीपा		0	0	61	61	
44		डोडकी		0	0	25	25	
45		मुसराकला	13	0	0	21	21	
46		मुसराखुर्द		0	0	33	33	
47		बडे कुसमी		0	0	21	21	
48		छोटे कुसमी		0	0	13	13	
49		कातलवाही	14	0	0	51	51	
50		भानपुरी		0	0	76	76	
51		आलीवारा		0	0	75	75	
52		पारागांवकला	15	0	0	69	69	
53		आरबीरा		0	0	16	16	
54		पारागावखुर्द		0	0	57	57	
55		बेलगांव	बेलगांव	16	2	0	118	120
56			नाडीतराई		2	0	35	37
57			लमानिनभावा		2	0	37	38
58			ठाकूरटोला(को)	17	2	0	37	39
59			कोलेन्द्रा		2	0	62	64
60			डारागांव		2	0	17	19
61			देवकट्टा	18	1	0	57	58
62	शंवागहन		1		0	31	32	
63	कातलवाही		3		0	22	25	
64	कलकसा		0		0	10	10	
65	लोहडारी		19	0	0	2	2	
66	लतमरां			0	0	6	6	
67	सन्डीडीह			0	0	2	2	
68	भैंसरा			0	0	10	10	
69	कटली			0	0	32	32	
70	जटकन्हार		20	2	0	51	52	
71	धुरेरा			1	0	24	25	
72	नागतराई		21	1	0	53	54	
73	हरणसिधी			2	0	55	57	
74	जामरी			0	0	51	51	
75	अमरावा		22	2	0	34	36	
76	करवावा			3	0	53	56	
77	भोपराखुर्द			0	0	1	1	
78	धारावा		23	0	0	14	14	
79	श्रीरामवा		24	0	0	6	6	
80	समनगर			0	0	1	1	
81	डानरवा		25	0	0	10	10	

क्र.	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	निजी साधनवार सिंचित रकबा हेक्टेयर में			
				कुआं	तालाब (जलाशय)	नलकूप	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
82	चौथना	चौथना	26	0	0	15	15
83		खुर्सीपार खुर्द		0	0	4	4
84		खोलारघाट		0	0	4	4
85		भरीटोला		0	0	10	10
86		बछेराभांठा		0	0	40	40
87		लेडीजोब		0	0	17	17
88		बोरतलाव		12	0	45	57
89		कौहापानी	0	0	2	2	
90		कुरेश्वर	0	0	3	3	
91		मुरारपानी	0	0	0	0	
92		छिन्दीजोब	0	0	6	6	
93		बरनाराकला	16	0	27	44	
94		पनियाजोब	12	0	4	16	
95		राऊरकसा	0	0	1	1	
96		लालबांधा	0	0	6	6	
97		अण्डी	2	0	15	17	
98		चिद्दो	2	0	14	16	
99		खरकाटोला	2	0	10	12	
100		गाजमर्गा	0	0	15	15	
101		राजकटटा	3	0	21	24	
102		राका	0	0	70	70	
103		कुरुभाठ	0	0	44	44	
104		भण्डारपुर	1	0	77	78	
105		पिपरिया	0	0	15	15	
106		माटेकटा	2	0	60	62	
107		मुरमुंदा	5	0	29	34	
108		मुडपार	2	0	1	3	
109		खलारी	1	0	6	8	
110		मेरेगांव	2	0	4	7	
111		रेंगाकठेश	1	0	90	91	
112		मुदगांव	0	0	132	132	
113		ला.ब.नगर	मेढा	33	0	0	30
114	हुंढेरा		0		0	124	124
115	कालिहापुरी(नवा)		34	3	0	40	43
116	नवागांव			1	0	34	35
117	अमलीडीह			2	0	38	40
118	टप्पा			2	0	28	30
119	गिधवा			0	0	14	14

क्र.	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	निजी साधनवार सिंचित रकबा हेक्टेयर में				
				कुआं	तालाब (जलाशय)	नलकूप	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	
120	ला.ब.नगर	उरईडबरी	35	0	0	61	61	
121		झण्डातालाब		0	0	78	78	
122		पटपर	36	0	0	48	48	
123		पिनकापार		0	0	70	70	
124		भोथली	37	0	0	47	47	
125		कल्याणपुर		2	0	21	23	
126		मोतीपुर	38	0	0	39	39	
127		गोविन्दपुर		0	0	46	46	
128		धनडोंगरी		0	0	87	87	
129		मानिकपुर		0	0	68	68	
130		ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	39	0	0	63	63
131		मक्काटोला	0		0	5	5	
132		हीरापुर	0		0	7	7	
133		रामाटोला	40	0	0	79	79	
134		बिस्फीटोला		0	0	47	47	
135		कुम्हडाटोला		0	0	34	34	
136		ठाकुरटोला	41	1	0	81	82	
137		सेन्दरी		1	0	40	41	
138		भेलवाटोला		2	0	20	22	
139		मड़ियान	42	4	0	24	28	
140		खुबाटोला		3	0	12	15	
141		बरमपुर		0	0	7	7	
142		मुंगलानी	43	0	0	18	18	
143		कोहलाकसा		0	0	19	19	
144		झिंझारी		0	0	12	12	
145		सेनडोंगर		0	0	1	1	
146		पीटपानी	44	0	0	28	28	
147		बांसपहाड़		4	0	18	22	
148		कोटनापानी		3	0	13	17	
149		दमउदहरा		1	0	1	2	
150		पिटहर		0	0	13	13	
151		पीपरखारकला	45	0	0	56	56	
152		खमपुरा		0	0	35	35	
153		खुर्सीपारकला		0	0	13	13	
154		बुढानछापर		0	0	28	28	
155	भालूकोन्हा	0		0	11	11		
156	भुरसाटोला	0		0	3	3		
157	मागीखुंटा	0		0	82	82		
158	वागरेकसा	46	0	0	40	40		
159	कारुटोला		0	0	22	22		
160	सीतागोटा	47	0	0	25	25		
161	सेलपार		0	0	9	9		
162	कोठीटोला		0	0	19	19		
163	मकरनपुर		0	0	9	9		
164	नवागांव		0	0	50	50		

क्र.	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	निजी साधनवार सिंचित रकबा हेक्टेयर में			
				कुआं	तालाब (जलाशय)	नलकूप	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
165	चारभाटा	बागनदी	48	0	0	8	8
166		बोदालदंड		0	0	42	42
167		टाटेकसा		0	0	14	14
168		खैरबना		0	0	45	45
169		दीवानटोला		0	0	38	38
170		कनेरी	49	0	0	24	24
171		गुडेरी		0	0	4	4
172		भगवानटोला		0	0	14	14
173		घोरतलाव		0	0	9	9
174		बजरंगीडीह		0	0	10	10
175		आलेदण्ड	0	0	27	27	
176		चारभांठा	50	2	0	129	131
177		बंजारी		0	0	0	0
178		फत्तेगंज		0	0	1	1
179		मोहनपुर	0	0	100	100	
180		नारायणगढ़	51	0	0	22	22
181		रामपुर		0	0	25	25
182		रानीतलाब		0	0	3	3
योग				130	10	6000	6140

परिशिष्ट "सनतावन"

[अतारंकिन प्रश्न संख्या 44 (क्र. 673) के भाग (क) की जानकारी]

01 जनवरी 2019 से नवंबर 2020 की अवधि में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए गये अभियान की तिथि, स्थान एवं जिलेवार की जानकारी

क्र.सं	जिला	बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु चलाए गये अभियान की अवधि	स्थान
1	बालोद	दिनांक 10.06.2019 से 15.06.2019 तक	गुण्डरदेही, बालोद शहर, बालोद, गुरुर, दल्लीराजहरा एवं डौण्डी
2	धमतरी	दिनांक 26.02.2020 से 19.03.2020 तक	स्टेशन पारा, बस स्टेशन धमतरी
3	दुर्ग	दिनांक 29.03.2019, 21.10.2019, 23.10.2019 तथा दिनांक 16.06.2020 से निरंतर	जिले में
4	जाजगीर-चांपा	दिनांक 11.06.2019 से 15.06.2019 तक	जिले के धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, पर्यटन स्थलों, बाजारों, ट्रैफिक सिग्नलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर
5	जशपुर	दिनांक 10.06.2019 से 16.06.2019 तक	जिले में
6	कांकर	दिनांक 13.06.2019 से 15.06.2019 तक	कांकर शहरी, भानुप्रतापपुर एवं नरहरपुर
7	मुंगेली	दिनांक 10.06.2019 से 15.06.2019, दिनांक 27.09.2019 से 04.10.2019 तथा दिनांक 14.01.2020 से 31.01.2020 तक	जिले में
8	रायगढ़	दिनांक 26.10.2020 से 31.10.2020 तक	जिले में
9	सरगुजा	दिनांक 14.08.2019 से 31.08.2019 तक	अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र
10	सूरजपुर	दिनांक 06.04.2019 से 13.04.2019 तक	कुदरगढ़ विकास खण्ड ओडगी

परिशिष्ट "उनसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 682) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की जानकारी

सिंचाई हेक्टेयर में

स.क्र.	परियोजना का वर्गीकरण	वर्षवार वास्तविक सिंचाई की जानकारी		
		वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21
1	2	3	4	5
1	वृहद	726451	777830	774830
2	मध्यम	104654	137806	135806
3	लघु	258697	342442	340513
योग		1089802	1258078	1251149

प्रपत्र "ब"

प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की जानकारी

राशि रु. लाख में

सं.क्र.	परियोजना/कछार का नाम	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय की गई राशि	दिसम्बर तक बजट प्रावधान के अनुपातिक राशि	दिसम्बर तक किया गया व्यय	सिंचाई सुविधा बढ़ाने विभाग की कार्ययोजना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महानदी परियोजना	2019-20	75334.4	36115.95	-	-	सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु नवीन योजनाओं का सृजन, निर्माणाधीन योजनाओं को पूर्ण करना, जलाशयों एवं नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य विभाग की कार्य योजना में शामिल है।
		2020-21 (दिसम्बर तक)	72697.82	9884.85	54523.37	9884.85	
2	महानदी गोदावरी कछार	2019-20	60880.99	33399.77	-	-	
		2020-21 (दिसम्बर तक)	68328.50	16066.13	51246.38	16066.13	
3	मिनीमाता बांगो परियोजना	2019-20	23250.02	13997.21	-	-	
		2020-21 (दिसम्बर तक)	13901.00	8147.98	10425.75	8147.98	
4	हसदेव कछार	2019-20	85223.10	26125.84	-	-	
		2020-21 (दिसम्बर तक)	40130.80	9342.14	30098.10	26125.84	
5	हसदेव गंगा कछार	2019-20	22188.88	20400.68	-	-	नवीन योजना प्रस्ताव के साथ-साथ पुराने निर्मित योजनाओं के बाध एवं नहर का जीर्णोद्धार तथा नहरों का सुधार कार्य कर सिंचाई सुविधा में वृद्धि की जा रही है।
		2020-21 (दिसम्बर तक)	25419.35	8201.64	10167.74	8201.64	
योग		2019-20	266877.39	130039.45	-	-	
		2020-21 (दिसम्बर तक)	220477.47	51642.74	156461.34	68426.44	
महायोग			487354.86	181682.19	156461.34	68426.44	

प्रश्नाधीन अवधि में गोधन न्याय योजनान्तर्गत गोबर की खरीद, राशन भुगतान, यमोनाद, बर्मा बंड, कंचुआ खाद उत्पादन की संख्याएँ

क्र.	जिला	गठित गोठान समितियों की संख्या	योजना प्रारंभ से दिनांक 30/11/2020 तक क्रय गोबर की मात्रा (क्वि)	भुगतान की गई राशि (लाख रु.)	निर्मित बर्मी टांका का		वितरित बर्मी बंड की संख्या		प्रदाय कंचुआ का		गोबर खरेदी के सापेक्ष कंचुआ खाद निर्माण हेतु उपलब्ध पर्याप्त संरचना संख्या (हाँ/नहीं)
					संख्या	अनुदान राशि (लाख रु.)	संख्या	अनुदान राशि (लाख रु.)	मात्रा (किलो ग्राम)	अनुदान राशि (लाख रु.)	
1	रायपुर	230	357423.39	576.733	2188	295.738	663	30.277	7565.1	14.342	नहीं
2	गरियाबंद	132	81997.08	156.891	920	52.350	0	0.000	4275.0	11.200	नहीं
3	बलौदाबाजार	97	88430.35	174.215	797	152.872	180	5.669	2161.0	5.662	नहीं
4	महासमुन्द	86	120577.85	225.813	182	29.120	231	4.440	764.0	2.006	नहीं
5	धमतरी	238	167039.49	301.491	1961	332.200	583	36.620	2429.0	5.021	हाँ
6	दुर्ग	242	162041.83	275.338	4862	1170.856	0	0.000	2750.0	7.219	हाँ
7	बालोद	120	115350.58	230.700	2593	149.640	0	0.000	1280.0	3.360	हाँ
8	बेमेतरा	85	69728.52	139.457	2627	107.564	116	6.925	2768.0	6.907	नहीं
9	राजनांदगांव	366	374410.80	693.440	4891	0.000	0	0.000	3341.0	0.000	नहीं
10	कधीरधाम	223	109091.29	193.945	391	73.347	0	0.000	756.0	2.140	हाँ
11	बिलासपुर	88	88914.76	107.279	1780	261.757	256	13.090	4764.0	1.131	हाँ
12	गोरेला चेण्डा	86	68239.70	136.479	100	0.016	118	4.861	976.0	2.562	हाँ
13	मुंगेली	162	82047.17	151.750	898	73.910	249	5.640	2495.0	6.560	हाँ
14	जांजगीर	654	144845.89	289.690	3030	378.940	476	27.380	2312.0	8.140	हाँ
15	कोरबा	303	98419.20	196.830	2507	240.393	422	33.760	8960.0	17.920	हाँ
16	रायगढ़	225	244526.99	264.835	7136	190.450	2120	0.000	1476.0	3.875	हाँ
17	सरगुजा	158	52118.26	96.240	2011	4.270	254	8.000	1148.0	2.870	हाँ
18	सुरजपुर	111	73422.30	135.560	1746	292.860	0	0.000	984.0	2.580	नहीं
19	बलरामपुर	110	33121.35	43.970	1200	256.200	0	0.000	3856.0	10.120	नहीं
20	जशपुर	107	40647.26	81.290	639	64.791	300	9.450	740.0	1.850	हाँ
21	कोरिया	144	146031.47	292.063	1105	223.450	250	3.750	4400.0	11.550	नहीं
22	बस्तर	197	47853.42	95.707	1761	454.220	300	9.450	2348.0	6.150	नहीं
23	कोण्डागांव	106	33384.79	42.820	362	58.170	2830	13.740	5645.4	2.764	हाँ
24	कांकर	197	66876.36	133.753	2486	777.150	1310	50.400	5051.0	13.250	हाँ
25	दतेवाड़ा	136	12757.29	25.515	214	35.840	440	15.019	4350.0	10.500	हाँ
26	सूफ़मा	88	26406.28	52.813	720	37.600	22	1.100	58.5	0.000	हाँ
27	बीजापुर	106	21835.12	43.670	507	26.880	0	0.000	672.0	1.760	नहीं
28	नारायणपुर	40	3944.55	6.435	450	23.310	44	2.200	109.0	0.286	हाँ
	योग	4837	2931483.34	5164.721	50064	5763.895	11164	281.771	78433.9	161.724	0

परिशिष्ट "ईकसट"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 686) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाएं तथा मापदण्ड

क्र.	योजना का नाम	मापदण्ड
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध। आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग के विधवा महिला। आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर (एक ही प्रकार के निःशक्तता में 80 प्रतिशत) अथवा बहुनिःशक्त। आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> 6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत नहीं हैं उन्हें पात्रता नहीं होगी। 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति। बौने व्यक्ति। आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
5.	सुखद सहारा योजना	<ul style="list-style-type: none"> 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा। 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिला। आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वचन सूचकांक के कम से कम एक वचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो। नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित - <ul style="list-style-type: none"> घास का छत/ छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा प्लास्टिक/पॉलिथिन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।
उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है।		

प्रपत्र "ब"

जांजगीर-चांपा जिले में जनवरी 2018 से 25 नवंबर, 2020 तक की स्थिति में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही तथा वितरित राशि की विकासखण्डवार जानकारी

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		सुखद सहारा योजना		मुख्यमंत्री पेंशन योजना		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	
		लाभान्वित हितग्राही	वितरित राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	नवागढ़	10884	1333.29	3341	409.27	3187	390.41	6471	884.36	695	85.14	158	27.65
2.	धामगढ़	4954	606.87	1577	193.18	3091	378.65	5739	801.10	895	109.64	237	41.48
3.	अकलतरा	2814	344.72	1846	226.14	1827	223.81	3553	517.14	641	78.52	70	12.25
4.	बलौदा	2947	361.01	1587	194.41	3713	454.84	3860	514.33	681	83.42	36	6.30
5.	सक्ती	6319	774.08	1719	210.58	1286	157.54	5608	768.46	1258	154.11	194	33.95
6.	डभरा	2396	293.51	1496	183.26	4389	537.65	6071	832.74	1364	167.09	128	22.40
7.	जैजैपुर	5043	617.77	1928	236.18	4751	582.00	6516	857.75	1627	199.31	529	92.58
8.	मालखरौदा	7607	931.86	1883	230.67	2631	322.30	9855	1278.43	486	59.54	555	97.13
9.	बम्हनीडीह	5379	658.93	2093	256.39	2345	287.26	5954	772.52	1283	157.17	475	83.13
योग--		48343	5922.04	17470	2140.08	27220	3334.46	53627	7226.83	8930	1093.94	2382	416.87

परिशिष्ट "बैंसट"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 690) के भाग (ख) की जानकारी]

नादिया नेडगांव एनीकट के निर्माण में कार्यपालन अभियंताओं द्वारा की गई भुगतान की जानकारी

स.क्र.	तत्कालीन कार्यपालन अभियंता का नाम	ठेकेदार को चेक भुगतान की राशि
01	02	03
1	श्री डी.सी. जैन	20.90
		24.87
		9.14
	योग :-	54.91
2	श्री आर.पी. साव	54.58
		35.42
		41.81
		38.03
		15.95
	योग :-	185.79
3	श्री एस.के. टीकम	6.57
		17.21
	योग :-	23.78
4	श्री डी.एम. बुर्दे	39.99
		30.47
	योग :-	70.46
	महायोग :-	334.94

परिशिष्ट "तिरसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 691) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र०	जिले का नाम	कुल विक्रय हुआ धान की मात्रा (क्विंटल में)		योग	समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय हुये धान की मात्रा (क्वि.मे) एवं प्रतिशत				योग	समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय हुये धान की मात्रा (क्वि.मे)
		अक्टूबर 2020	नवम्बर 2020		अक्टूबर 2020		नवम्बर 2020			
					मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रायपुर	112854	79534	192388	112854	100.00	79534	100.00	192388	0
2	बलौदाबाजार	379729	326458	706187	341882	90.03	308021	94.35	649903	56284
3	गरियाबंद	57967	30087	88054	57967	100.00	30087	100.00	88054	0
4	महासमुन्द	116604	89964	206568	116604	100.00	89964	100.00	206568	0
5	धमतरी	410820	351835	762655	409669	99.72	351485	99.90	761154	1501
6	दुर्ग	2158	314	2472	2158	100.00	204	64.97	2362	110
7	बालोद	22323	11309	33632	22291	99.86	11309	100.00	33600	32
8	बेमतरा	4589	10908	15497	4589	100.00	10908	100.00	15497	0
9	राजनदागांव	113051	113520	226571	113051	100.00	113520	100.00	226571	0
10	कबीरघाम	16924	20417	37341	16708	98.72	20378	99.81	37086	255
रायपुर संभाग का योग		1237019	1034346	2271365	1197773	96.83	1015410	98.17	2213183	58182
11	बिलासपुर	48557	69253	117810	48496	99.87	68166	98.43	116662	1148
12	मुंगेली	43953	39997	83950	29378	66.84	34779	86.95	64157	19793
13	जाजगीर चापा	20221	22645	42866	20221	100.00	22645	100.00	42866	0
14	कोरबा	22470	22435	44905	16274	72.43	192	0.86	16466	28439
15	रायगढ़	14484	22839	37323	11618	80.21	22839	100.00	34457	2866
बिलासपुर संभाग का योग		149685	177169	326854	125987	84.17	148621	83.89	274608	52246
16	सरगुजा	8640	18810	27450	8640	100.00	16771	89.16	25411	2039
17	सूरजपुर	1638	7886	9524	1638	100.00	7886	100.00	9524	0
18	बलरामपुर	4108	14456	18564	4108	100.00	3963	27.41	8071	10493
19	जशपुर	8522	15689	24211	8522	100.00	15359	97.90	23881	330
20	कोरिया	5993	13378	19371	5893	98.33	12768	95.44	18661	710
अंबिकापुर संभाग का योग		28901	70219	99120	28801	99.65	56747	80.81	85548	13572
21	बस्तर	110826	114969	225795	110826	100.00	114969	100.00	225795	0
22	कोण्डागांव	46181	116176	162357	46181	100.00	116176	100.00	162357	0
23	कांकेर	37400	119130	156530	37400	100.00	119130	100.00	156530	0
24	दन्तेवाड़ा	3765	6442	10207	3765	100.00	6442	100.00	10207	0
25	सुकमा	4360	9699	14059	4360	100.00	9699	100.00	14059	0
26	नारायणपुर	5788	11122	16910	5788	100.00	11122	100.00	16910	0
27	बीजापुर	262	676	938	262	100.00	676	100.00	938	0
जगदलपुर संभाग का योग		208582	378214	586796	208582	100.00	378214	100.00	586796	0
राज्य का योग		1624187	1659948	3284135	1561143	96.12	1598992	96.33	3160135	124000

71

परिशिष्ट 'चौंसठ'

[अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 700) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिला मुंगेली में एनीकट, स्टापडेम, चेकडेम एवं नहर निर्माण के स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्य

स.क्र.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	योजना का नाम	लागत राशि (रु.लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति		अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की संभावित लक्ष्य	रिमार्क
						पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) स्वीकृत कार्य :-									
1	मुंगेली	मुंगेली	एनीकट निर्माण	केशरुवाडीह एनीकट	563.43	Apr-15	---	---	
2	मुंगेली	मुंगेली	एनीकट निर्माण	देवरी एनीकट	515.49	Nov-15	---	---	
3	मुंगेली	मुंगेली	एनीकट निर्माण	बगबुडवा एनीकट	437.53	Mar-16	---	---	
4	मुंगेली	मुंगेली	एनीकट निर्माण	खाम्ही(कुमी) एनीकट	188.97	May-16	---	---	
5	मुंगेली	मुंगेली	एनीकट निर्माण	चमारी एनीकट	219.38	Jan-17	---	---	
6	मुंगेली	मुंगेली	एनीकट निर्माण	लाटा एनीकट	606.46	Jan-18	---	---	
7	मुंगेली	मुंगेली	एनीकट निर्माण	अमलीकापा एनीकट	583.49	Jan-18	---	---	
8	मुंगेली	मुंगेली	एनीकट निर्माण	सोल्दाबला एनीकट	760.80	---	अपूर्ण	माह 03/2021	
9	मुंगेली	मुंगेली	एनीकट निर्माण	अमरपुर एनीकट	629.00	---	अपूर्ण	माह 03/2021	
			योग-9 एनीकट		4504.55				
10	मुंगेली	मुंगेली	स्टापडेम निर्माण	स्टापडेम घिरौंजपुर	17.12	पूर्ण	---	---	
11	मुंगेली	मुंगेली	स्टापडेम निर्माण	स्टापडेम घुठेली	19.90	पूर्ण	---	---	
12	मुंगेली	मुंगेली	स्टापडेम निर्माण	स्टापडेम चकरमाडा	19.90	पूर्ण	---	---	
13	मुंगेली	मुंगेली	स्टापडेम निर्माण	स्टापडेम बांकी	16.80	पूर्ण	---	---	
14	मुंगेली	मुंगेली	स्टापडेम निर्माण	स्टापडेम बांकी	16.80	पूर्ण	---	---	
			योग-5 स्टापडेम		90.52				
15	मुंगेली	मुंगेली	चेकडेम निर्माण	घनगाव 3 चेकडेम निर्माण	14.17	---	अपूर्ण	---	
16	मुंगेली	मुंगेली	चेकडेम निर्माण	सोढार 1 चेकडेम निर्माण	14.15	---	---	---	
17	मुंगेली	मुंगेली	चेकडेम निर्माण	सोढार 2 चेकडेम निर्माण	14.16	---	---	---	
18	मुंगेली	मुंगेली	चेकडेम निर्माण	सोढार 3 चेकडेम निर्माण	14.15	---	---	---	
			योग-4 चेकडेम		56.63				
19	मुंगेली	मुंगेली	नहर निर्माण	हाफ नदी डायवर्सन दुल्लीपार-कथर्धा भालापुर-टेमरी तक विस्तारीकरण कार्य	1619.20	---	अपूर्ण	माह 06/2022	योजना का निर्माण कार्य हेतु पुनः एजेंसी निर्धारण एवं ए-अर्जन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।
20	मुंगेली	मुंगेली	नहर निर्माण	तोताकापा व्यपवर्तन (फीडर) योजना	592.61	---	अपूर्ण	माह 06/2022	पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु राशि 2178.29 लाख का शासन की ओर प्रस्तुत है। स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना को माह 06/2022 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
			योग-2 नहर		2211.81				
			कुल योग		6863.51				
21	मुंगेली	पथरिया	एनीकट निर्माण	पीडा एनीकट	254.87	Mar-15	---	---	
22	मुंगेली	पथरिया	एनीकट निर्माण	पुटपुरा एनीकट	232.34	Mar-15	---	---	
23	मुंगेली	पथरिया	एनीकट निर्माण	गोइन्दी एनीकट	475.29	Nov-16	---	---	
24	मुंगेली	पथरिया	एनीकट निर्माण	भंवर कछार एनीकट	368.36	Dec-16	---	---	
25	मुंगेली	पथरिया	एनीकट निर्माण	भखरीडीह एनीकट	282.26	Jun-17	---	---	
26	मुंगेली	पथरिया	एनीकट निर्माण	मदकू एनीकट	1492.14	Jun-15	---	---	
			योग-6 एनीकट		3105.26				
27	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	अण्डा 1 चेकडेम निर्माण	13.76	---	अपूर्ण	---	
28	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	अण्डा 2 चेकडेम निर्माण	13.55	---	अपूर्ण	---	
29	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	अण्डा 3 चेकडेम निर्माण	13.76	---	---	---	
30	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	रामबोड़ 4 चेकडेम निर्माण	13.67	---	---	---	
31	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	रामबोड़ 5 चेकडेम निर्माण	13.88	---	---	---	
32	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम नगपुरा	5.00	पूर्ण	---	---	
33	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम नगपुरा	5.00	पूर्ण	---	---	
34	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम नगपुरा	5.00	पूर्ण	---	---	
35	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम नगपुरा	5.00	पूर्ण	---	---	

स.क्र.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	योजना का नाम	लागत राशि (रु.लाख में)	कार्य की भौतिक रिधति		अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की संभावित लक्ष्य	रिमांक
						पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम खजरी	5.00	पूर्ण	---	---	
37	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम खजरी	5.00	पूर्ण	---	---	
38	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम बारगांव	5.00	पूर्ण	---	---	
39	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम बारगांव	5.00	पूर्ण	---	---	
40	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम लमती	18.62	पूर्ण	---	---	
41	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम किरना	18.62	पूर्ण	---	---	
42	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम किरना	18.62	---	अपूर्ण	---	
43	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	अर्दन चेक डेम	3.43	पूर्ण	---	---	
44	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम निर्माण कार्य	6.52	पूर्ण	---	---	
45	मुंगेली	पथरिया	चेकडेम निर्माण	चेक डेम निर्माण कार्य	3.69	---	अपूर्ण	---	
			योग-19 चेकडेम		178.12				
46	मुंगेली	पथरिया	नहर निर्माण	मनियारी बैराज योजना	4375.31	---	अपूर्ण	माह 06/2022	पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु राशि 7886.19 लाख का शासन की ओर प्रस्तुत है। स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना को माह 06/2022 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
47	मुंगेली	पथरिया	नहर निर्माण	पथरिया बैराज योजना	3586.20	---	अपूर्ण	माह 06/2022	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु राशि 8380.52 लाख का शासन की ओर प्रस्तुत है। स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना को माह 06/2022 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
			योग-2 नहर		7961.51				
			कुल योग		11244.89				
48	मुंगेली	लोरमी	एनीकट निर्माण	खेकतरा एनीकट	366.98	Oct-15	---	---	
49	मुंगेली	लोरमी	एनीकट निर्माण	लोरमी एनीकट	397.30	Nov-15	---	---	
50	मुंगेली	लोरमी	एनीकट निर्माण	कोयलारी एनीकट	397.13	Mar-18	---	---	
51	मुंगेली	लोरमी	एनीकट निर्माण	लगरा एनीकट	648.18	Mar-19	---	---	
52	मुंगेली	लोरमी	एनीकट निर्माण	लाखासार एनीकट	647.70	Jan-18	---	---	
53	मुंगेली	लोरमी	एनीकट निर्माण	कंसरा एनीकट	596.95		अपूर्ण	माह 03/2021	
			योग-6 एनीकट		3054.24				
54	मुंगेली	लोरमी	स्टापडेम निर्माण	स्टापडेम मसनी	14.53	पूर्ण	---	---	
55	मुंगेली	लोरमी	स्टापडेम निर्माण	मोहपाडनाल स्टापडेम निर्माण	15.00	पूर्ण	---	---	
56	मुंगेली	लोरमी	स्टापडेम निर्माण	स्टाप डेम पिपरखुटी	16.98	---	अपूर्ण	---	
			योग-3 स्टापडेम		46.51				
57	मुंगेली	लोरमी	चेकडेम निर्माण	चेक डेम आंछीडोंगरी	7.74	---	अपूर्ण	---	
58	मुंगेली	लोरमी	चेकडेम निर्माण	चेक डेम बोडतराकला	8.89	---	अपूर्ण	---	
59	मुंगेली	लोरमी	चेकडेम निर्माण	चेक डेम चन्द्रपुर	11.72	---	अपूर्ण	---	
60	मुंगेली	लोरमी	चेकडेम निर्माण	चेक डेम कलमीडीह	8.89	---	अपूर्ण	---	
61	मुंगेली	लोरमी	चेकडेम निर्माण	चेक डेम रतियापारा	6.86	---	अपूर्ण	---	
62	मुंगेली	लोरमी	चेकडेम निर्माण	चेक डेम सिलतरा	7.47	---	अपूर्ण	---	
63	मुंगेली	लोरमी	चेकडेम निर्माण	चेक डेम नवरंगपुर	7.87	---	अपूर्ण	---	
64	मुंगेली	लोरमी	चेकडेम निर्माण	चेक डेम रामहेपुरकला	6.63	---	अपूर्ण	---	
			योग-8 चेकडेम		66.07				
65	मुंगेली	लोरमी	नहर निर्माण	सहसपुर व्यपवर्तन योजना का निर्माण कार्य	2076.95	---	अपूर्ण	माह 03/2022	पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु राशि 2909.81 लाख का शासन की ओर प्रस्तुत है। स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना को माह 03/2022 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
			योग-1 नहर		2076.95				
			कुल योग		5243.77				

स.क्र.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	योजना का नाम	लागत राशि (रु.लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति		अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की संभावित लक्ष्य	शिमांक
						पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ख) प्रस्तावित कार्य :-									
1	मुंगली	मुंगली	एनीकट निर्माण	टेसुवानाला में ग्राम संवलपुर के पास एनीकट का निर्माण कार्य	290.00	---	---	---	उक्त योजना वर्ष 2020-21 के नवीन बजट शामिल है। वर्तमान में प्रथम चरण प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्रशा. स्वी प्राप्त होने पर माह 03/2022 तक पूर्ण किया जा सकता है।
			योग-01 एनीकट	कुल योग	290.00	0			
2	मुंगली	लोरमी	नहर निर्माण	रहन नाला जलाशय योजना का निर्माण कार्य	812.04	---	---	---	उक्त योजना की प्रशा स्वी कार्य जाप क. 43/कार्य/डी-2/19-20 बिलासपुर दिनांक 14.11.2019 द्वारा प्रमुख अभियंता (खेती) रायपुर की ओर राशि 812.04 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत है। योजना की प्रशा स्वी प्राप्त होने पर माह 03/2022 तक पूर्ण हो सकेगा।
			योग-01 नहर	कुल योग	812.04	0			
				महायोग	24454.21				

क्र.	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	योजना का नाम	व्यय राशि (लाख में)	किये गये कार्य	किये गये कार्य का मूल्य	वर्ष पूर्ण/अर्ध
1	2018-19	12.00	मनरेगा	10.24	मनरेगा पीएम उपादान कायदा	आदान समझौता अक्षरणा एवं मजदूरी	पूर्ण
2		12.00		10.24			पूर्ण
3		36.81		36.81	बाड़ी में ग्रीविटी सिंप	आदान समझौता अक्षरणा	पूर्ण
4		0.22		0.22	हिरमाही को संकय	सब्सिडी बीजा अक्षरणा	पूर्ण
5		0.23		0.23	हिरमाही को उद्यानिकी	आदान समझौता अक्षरणा	पूर्ण
6		37.27		37.26	दूर किट		पूर्ण
7		66.03		18.69	बाड़ी विकास कार्य	भूमि की तैयारी, पीएम योजना, सब्सिडी योजना कार्य	पूर्ण
8		18.00		13.27	पीएम उपादान कार्य	आदान समझौता अक्षरणा एवं मजदूरी	पूर्ण
9		84.03		31.96			
10		121.30		69.23			
योग							

टीप - वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के तहत राशि रु. 66.03 लाख की स्वीकृति मजदूरी एवं सामग्री मूल्य हेतु प्राप्त हुआ था, जिसे अद्यतन राजनादेशों से प्राप्त निदेश के परिपालन में केवल मजदूरी मूल्य में ही राशि व्यय की गई एवं बाड़ी विकास कार्य पूर्ण किया गया।

[आचार्यजी का प्रश्न संख्या 24 (A) 170 (2) के तहत (2) में प्रश्न संख्या 1]

परिशिष्ट "छैसठ"

[अवधिकृत प्रश्न संख्या 62 (क्र. 723) के भाग (ख) की जानकारी]

मरा, मरा, घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों/मदों से कावेदार एवं विकासखण्डवार व्यय राशि की विवरण (जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020)

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्डवार व्यय राशि रु. लाख में												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		राजनांदगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव	खैरगांव
1	गाँवना में रेडियस चौक कटर, बैटरी रखर, कर्नेटर का प्रदाय	0.95	0.42	0.38	0.42	0.36	0.00	0.38	0.00	1.09	4.00			
जिला खनिज न्याय निधि														
1	महादेवी द्विप की स्थापना	3.29	2.69	5.09	4.79	3.59	1.80	8.68	3.89	2.99	36.81			
2	उद्यानिकी टूल-किट, रखर, पंप एवं सज्जी वीज विवरण	11.99	13.49	12.13	15.42	13.22	11.57	12.99	12.55	11.80	115.16			
प्रधान एवं ग्रामीण विकास विभाग (मन्रेगा)														
1	ग्राम समन्वयिकाएँ एवं सेप्ली की बेथरी	2.58	0.30	2.84	5.89	2.92	2.37	4.71	3.06	2.53	27.20			
2	मोडल गाँवना निर्माण कार्य	0	68.308	0.26	0	0	0	0	0	0	68.568			
3	ग्राम समन्वयिकाएँ/उपरी निर्माण/गाँवना बंधन/मैड	103.726	104.43	156.3	0	312.02	164.32	0	0	0	941.664			
4	एन.जी.वी.डी. गाँवना निर्माण कार्य	233.151	234.456	820.1	0	188.11	186.28	0	223.894	156.004	2042.04			
5	ग्रामी कम्प्लेक्स निर्माण कार्य	0	3.593	2.897	0	0	0	0	0	0	6.49			
6	सामूहिक बाड़ी निर्माण कार्य	0	1.09	0	0	0	0	0	0	0	1.09			
7	बायगाड विकास एवं जल संचयन कार्य	64.476	31.398	69.4	0	7.734	0	0	24.281	0	197.29			
8	गाँवना में वृक्षारोपण कार्य	8.5137	12.09066	28.06	31.6429	16.738	18.926	0	0	0	115.98			

परिशिष्ट "सड़सठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 733) के भाग (क) की जानकारी]

क.	विकास खण्ड का नाम	संचालित पशु औषधालय का नाम
1	2	3
1	रायगढ़	जामगांव
		कछार
		गेरवानी
		मुरालीपाली
2	पुसौर	रेंगालपाली
3	सारंगढ़	टीमरलगा
		केडार
		भीखमपुरा
		बड़े गतुंली
		परसदा छोटे
4	बरभकेला	लेन्धा
		हट्टापाली
5	घरघोड़ा	नवापारा टेण्डा
		कुडुमकेला
		चिमटापानी
6	खरसिया	चपले
		जैमुरा
		सरवानी
		पतरापाली
		तिउर
		गीधा
		हालाहुली
		गुरदा
7	तमनार	बजरमुड़ा
		उरबा -
		नूनदरहा
		बगबुड़ा
		गौरबहरी
		गेरसा
8	धरमजयगढ़	कुड़ेकेला
		महाराजगंज
		पखनाकोट
		कुमरता
		ठाकुरपोड़ी
		सिसरिंगा
		हाटी
		ससकोबा

क.	विकास खण्ड का नाम	संचालित पशु औषधालय का नाम
9	लैलूंगा	राजपुर
		कटकलिया
		लारीपानी
		घटगांव
		सोनाजोरी
		बसंतपुर
		झगरपुर
	तोलगे	
योग	9	45

परिशिष्ट "अडसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 736) की जानकारी]

जिला राजनांदगांव में वि.ख. छुईखदान में स्थापित कृषि महाविद्यालय

	पदनाम	पद संख्या	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	अधिष्ठाता	01	..	01
2	सह-प्राध्यापक	02	..	02
3	सहायक प्राध्यापक	13	04	09
4	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	..	01
5	सेक्शन ऑफिसर	01	..	01
6	सहायक वर्ग-1	01	01	..
7	सहायक वर्ग-2	01	01	..
8	क्षेत्र विस्तार अधिकारी	07	..	07
9	प्रयोगशाला तकनीशियन	08	..	08
10	सहायक वर्ग-3	02	..	02
11	वाहन चालक	01	..	01
12	भृत्य	03	..	03
		41	06	35

परिशिष्ट "उनहत्तर"

[अन्नार्कित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 745) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

नरवा, गरुवा, धुरवा, बाड़ी योजनान्तर्गत वर्ष 2020 में (1 जनवरी 2020 से नवम्बर 2020 तक) विकासखण्डवार स्वीकृत कार्यसंख्या एवं राशि का विवरण

(वित्तीय रु. लाख में)

क्र.	विकासखंड	घटक	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य		पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
				संख्या	राशि	संख्या	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायगढ़			981	156.56	721	260
2	खरसिया			1031	164.56	571	460
3	तमनार			621	99.56	491	130
4	सारंगढ़			1601	256.56	1251	350
5	पुसौर			1271	203.56	982	289
6	बरमकेला			951	152.56	871	80
7	धरमजयगढ़			1261	201.56	991	270
8	घरघोड़ा			181	28.56	151	30
9	लैलूंगा			921	147.56	601	320
योग				8819	1411.04	6630	2189
1	रायगढ़	गरुवा	गोठान	152	292.84	37	115
2	खरसिया			52	164.88	24	28
3	तमनार			92	138.03	2	90
4	सारंगढ़			138	419.02	64	74
5	पुसौर			207	285.33	106	101
6	बरमकेला			177	746.41	52	125
7	धरमजयगढ़			231	518.45	50	181
8	घरघोड़ा			46	115.37	7	39
9	लैलूंगा			20	37.94	2	18
योग				1115	2718.27	344	771
1	रायगढ़	बाड़ी	व्यक्तिगत बाड़ी	4	5.25	0	4
			सामुदायिक बाड़ी	1	14.39	0	1
2	खरसिया		व्यक्तिगत बाड़ी	14	3.40	0	14
			सामुदायिक बाड़ी	1	24.07	0	1
3	तमनार		व्यक्तिगत बाड़ी	35	4.40	0	35
			सामुदायिक बाड़ी	1	15.30	0	1
4	सारंगढ़		व्यक्तिगत बाड़ी	14	4.25	0	14
			सामुदायिक बाड़ी	1	26.83	0	1
5	पुसौर		व्यक्तिगत बाड़ी	16	6.00	0	16
			सामुदायिक बाड़ी	0	0.00	0	0

क्र.	विकासखंड	घटक	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य		पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
				संख्या	राशि	संख्या	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
5	बरमकेला		व्यक्तिगत बाड़ी	27	5.50	0	27
			सामुदायिक बाड़ी	1	13.98	0	1
7	धरमजयगढ़		व्यक्तिगत बाड़ी	6	3.40	0	6
			सामुदायिक बाड़ी	1	14.39	0	1
8	घरघोड़ा		व्यक्तिगत बाड़ी	7	3.40	0	7
			सामुदायिक बाड़ी	1	36.39	0	1
9	लैलूंगा		व्यक्तिगत बाड़ी	6	3.40	0	6
			सामुदायिक बाड़ी	0	0.00	0	0
योग				136	184.36	0	136
1	रायगढ़	नरवा	नाला बंधान	122	137.61	44	78
2	खरसिया			500	261.22	191	309
3	तमनार			366	130.25	283	83
4	सारंगढ़			96	154.84	60	36
5	पुसौर			106	102.52	71	35
6	बरमकेला			162	54.30	130	32
7	धरमजयगढ़			809	285.67	276	533
8	घरघोड़ा			337	207.06	244	93
9	लैलूंगा			656	599.60	615	41
योग				3154	1933.048	1914	1240

प्रपत्र "ब"

जिला रायगढ़ में गौधन न्याय योजनान्तर्गत गोबर खरीदी करने वाले गौठानों की संख्या

क्र.	विकासखंड	गौठान संख्या
1	2	3
1	रायगढ़	22
2	खरसिया	20
3	तमनार	19
4	सारंगढ़	39
5	बरमकेला	25
6	पुसौर	29
7	धर्मजयगढ़	33
8	घरघोड़ा	6
9	लैलूंगा	19
योग		212
1	नगर निगम रायगढ़	4
2	नगर पालिका खरसिया	1
3	नगर पालिका धर्मजयगढ़	1
4	नगर पालिका सारंगढ़	1
5	नगर पंचायत घरघोड़ा	1
6	नगर पंचायत लैलूंगा	1
7	नगर पंचायत सरिया	1
8	नगर पंचायत बरमकेला	1
9	नगर पंचायत किरोडीमल नगर	1
10	नगर पंचायत पुसौर	1
योग		13
महायोग		225

परिशिष्ट "सत्तर"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 70 (क्र. 746) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

चैम्पस प्रणाली के माध्यम से रायगढ़ जिले में सूक्ष्म सिंचाई योजनांतर्गत योजनावार एवं वर्षवार लाभान्वित कृषकों की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	घटक	लाभान्वित कृषक संख्या		
			वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (दिनांक 30.11.2020 तक)
1	2		3	4	5
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ड्रिप	35	56	8
		स्प्रिंकलर	487	1445	175
2	राज्यपोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	ड्रिप	2	6	2
महायोग			524	1507	185

प्रपत्र "ब"

स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के लिये उपकरण खरीदने हेतु एजेंसी का निर्धारण करने का मापदण्ड एवं प्रति स्प्रिंकलर इकाई लागत की जानकारी

(अ) योजना अंतर्गत कोई भी एजेंसी बीज निगम में पंजीकरण करा सकता है। एजेंसी का चयन निम्नांकित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है :-

1. निर्माता होने का अभिलेख
2. ड्रिप के लिये 03 वर्ष का कार्यानुभव
3. राज्य से बाहर निर्माता के लिये रु. 50.00 लाख का वार्षिक टर्न ओव्हर
4. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बी.आई.एस.) का क्रियाशील लाईसेंस/टेस्ट रिपोर्ट व अनुबंध।
5. पंजीयन शुल्क रु. 50,000/-
6. सुरक्षा निधि रु. 2.50 लाख

(ब) प्रति स्प्रिंकलर सेट इकाई लागत

क्र.	क्षेत्रफल	पाईप साईज अनुसार निर्धारित इकाई लागत रुपये में		
		63 मिमी	75 मिमी	90 मिमी
1	2	3	4	5
1.	1 हेक्ट. तक	22,473	25,186	-
2.	2 हेक्ट. तक	32,445	36,078	-
3.	3 हेक्ट. तक	-	-	48,697
4.	4 हेक्ट. तक	-	-	61,415
5.	5 हेक्ट. तक	-	-	69,528